सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

रिपोर्ट 18.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

राजस्थान सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii - xiv
अध्याय I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1 – 1.3	1 - 2
जवाबदेयता संरचना	1.4 – 1.9	2 - 3
राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी	1.10 – 1.14	3 - 5
पीएसयूज को बजटीय सहायता	1.15 -1.18	5 - 6
पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित करने में विफलता	1.19	7
पीएसयूज में निवेश के विशुद्ध आंकड़ों का अभाव	1.20 – 1.21	7
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	1.22 – 1.24	7 - 8
सांविधिक निगमों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण	1.25 – 1.26	8 - 9
प्रशासनिक विभागों की विफलता	1.27 – 1.29	9
लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	1.30 – 1.33	9 - 10
पीएसयूज का निष्पादन	1.34 – 1.42	10 - 13
अकार्यरत पीएसयूज	1.43 – 1.45	13
पीएसयूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.46 – 1.52	14 - 17
लेखापरीक्षा के इंगित करने पर वसूलियाँ	1.53	17
पीएसयूज का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.54	17
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.55 – 1.56	17 - 18
अध्याय II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1 – 2.37	19 - 48
अध्याय III		
सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजस्थान वित्त निगम द्वारा 'ऋणों की वसूली' की निष्पादन लेखापरीक्षा	3.1 – 3.21	49 – 84

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय IV		
व्यवहारिक लेखापरीक्षा		
सरकारी कम्पनियाँ		
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
अतार्किक मूल्य विचलन फार्मूला के कारण हानि	4.1	85 - 87
छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड		
तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से हानि	4.2	87 - 88
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
मूल्य विचलन के पेटे आधिक्य भुगतान	4.3	88 - 89
अल्पावधि विद्युत का उच्च कीमत पर क्रय	4.4	89 - 91
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा में प्रणालीगत दोष	4.5	91 - 93
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		
निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत दोष	4.6	93 - 96
जल प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियाँ	4.7	97 - 101
नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन	4.8	101 - 103
नियमों की अवहेलना में बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट	4.9	103 — 104
न्यायालय के बाहर समझौते द्वारा बोलीदाताओं को अदेय लाभ	4.10	104 - 106
सांविधिक निगम		
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.11	106 - 107
सामान्य अनुच्छेद		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.12	108 - 109

अनुबन्ध

अनुबन्ध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की अद्यतन पूँजी, बकाया ऋणों तथा जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	111 - 115
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	116 - 120
3.	बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण, वर्ष के दौरान प्राप्त एवं प्राप्य अनुदान व अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारंटी, देयताओं का परित्याग, अपलेखित ऋण एवं समता पूँजी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2013 के अंत में गारंटी प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	121 - 123
4.	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	124
5.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	125 - 127
6.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	128 - 130
7.	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	131
8.	2007-12 की अवधि के दौरान इकाईयों के गतिविधि-वार समग्र निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	132 - 134
9.	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित होटल्स/मोटल्स की परिचालनात्मक लाभदायकता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	135 - 137
10.	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान गतिविधि-वार बजटीय लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	138
11.	वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान आवास गतिविधि से इकाई-वार लाभदायकता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139 - 140
12.	वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं, स्वीकृत राशि, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कम्पनी को जारी की गई राशि, उपयोग की गई राशि एवं परियोजनाओं की पूर्णता स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	141

अनुबन्ध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
13.	वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	142
14.	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 26, 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	143 - 145
15.	31 मार्च 2013 को अधिग्रहित इकाईयों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	146 - 149
16.	वसूली प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करने वाले प्रकरण अध्ययनों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	150 - 155
17.	चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं का श्रेणी-वार विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	156
18.	निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तरता के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	157
19.	विभागवार ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	158

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है और इसे समय-समय पर यथा-संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में सीएजी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी को लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार सीएजी को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते है।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2012-2013 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी हैं जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2013 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहाँ जरूरी था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बंधित विधानों के तहत् होती है। 31 मार्च 2013 को राजस्थान में 46 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम (43 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) एवं दो अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे, जिसमें एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2012-13 हेतु ₹ 33486.33 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य जीडीपी के सात प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज में ₹ 72018.13 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2007-08 के ₹ 21997.39 करोड़ से 227.39 प्रतिशत बढ़ गया। 2012-13 में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, कुल निवेश का 92.31 प्रतिशत था। सरकार ने 2012-13 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 8570.76 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2012-13 में, कार्यरत 46 पीएसयूज में से, 18 पीएसयूज ने ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 26 पीएसयूज ने ₹ 14782.25 करोड़ की हानि वहन की। शेष दो पीएसयूज में से राजस्थान राज्य रिफाइनॅरी लिमिटेड में वर्ष 2012-13 हेतु न लाभ व न हानि थी एवं कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड ने 2006-07 में अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 615.83 करोड़) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 271.39 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (जोविविनिलि- ₹ 6178.90 करोड़, जविविनिलि- ₹ 4161.23 करोड़ एवं अविविनिलि- ₹ 3904.73 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

हानियाँ पीएसयूज के क्रियाकलापों में विभिन्न कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 96.67 करोड़ की ऐसी हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी।

इस प्रकार, कार्यप्रणाली में सुधार कर लाभों को बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावनाऐं है। पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिये गये

59 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 24 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, दो लेखों पर अस्वीकृति एवं 11 लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 111 मामले थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कम्पनियों के आन्तरिक नियत्रंण पर प्रतिवेदनों में अनेक क्षेत्रों में कमियाँ इंगित की।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2013 को 13 कार्यरत पीएसयूज के 21 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के लेखे दो वर्षों हेतु बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

(अध्याय I)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखा परीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है।

'राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (कम्पनी) राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार (जीओआर) की एक नोडल एजेन्सी है। कम्पनी की मुख्य गतिविधियों में पर्यटकों के लिए होटल्स/मोटल्स में आवास व खान-पान सुविधा, पर्यटक ट्रेनों का संचालन, चयनित होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा, पैकेज टूर, परिवहन एवं नौकायन सुविधायें सम्मिलित हैं। मार्च 2013 को कम्पनी 45 होटल्स/मोटल्स, दो पर्यटक ट्रेन यथा पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) व रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) का संचालन कर रही थी।

वित्तीय रूपरेखा

कम्पनी की वित्तीय स्थिति कमजोर रही क्योंकि इसने 2007-08 में ₹ 0.05 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया एवं तत्पश्चात् लगातार हानियाँ वहन की जिससे मार्च 2012 के अन्त तक संचित हानियाँ ₹ 72.12 करोड़ हो गई। केवल पीओडब्ल्यू एवं पैकेज्ड टूर ने लाभों में योगदान दिया जबकि अन्य समस्त गतिविधियाँ यथा होटल्स/मोटल्स (आवास, खानपान आदि को सम्मिलित करते हुए) एवं आरआरओडब्ल्यू ने मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान हानि वहन की थी।

राज्य पर्यटन नीति का नियोजन एवं क्रियान्वयन

कम्पनी ने पर्यटन नीति 2001 को कार्यान्वित किये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना या नीति तैयार नहीं की गई थी। कम्पनी ने, पुष्कर में एक कैम्पिंग साइट (गनेड़ा) के अलावा, किसी भी परियोजना के विकास हेतु न तो कोई भूमि अवाप्त की न ही आवंटित करवायी। उक्त कैम्पिंग साइट अक्टूबर 2009 में ₹ 2.02 करोड़ की लागत से विकसित की गई थी एवं लाभदायकता के अभाव के कारण 2012 में बन्द करनी पड़ी थी।

कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता 2007-13 के दौरान 0.38 (6076) से घटकर 0.14 (2247) रह गई। कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले घरेलू पर्यटकों की प्रतिशतता भी 2007-13 के दौरान 0.79 से घटकर 0.58 रह गई। कम्पनी के समग्र निष्पादन में गिरावट का रुख रहा क्योंकि 2007-08 में कम्पनी

की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले 2.21 लाख पर्यटकों (0.77 प्रतिशत) के समक्ष 2012-13 में इनकी संख्या घटकर 1.71 लाख (0.56 प्रतिशत) रह गई।

परिचालन निष्पादन एवं बजटीय विश्लेषण

2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित 45 से 47 होटल्स/मोटल्स में से, 34 से 39 (76 से 85 प्रतिशत) होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की थी। कम्पनी ने 2007-12 के दौरान होटल्स/मोटल्स के संचालन में ₹ 7.82 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी, पीओडब्ल्यू (2007-09) एवं आरआरओडब्ल्यू (2010-12) के सिवाय, सभी पाँच वर्षों के दौरान किसी भी गतिविधि में लाभदायकता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। बजटीय अधिशेष हमेशा उच्च रहा जब इसकी तुलना वास्तविक से की गई एवं 2007-12 के दौरान विचलन, आवास के संबंध में 28.33 से 85.62 प्रतिशत, खानपान के संबंध में 24.35 से 105.49 प्रतिशत, बार के संबंध में 36.30 से 60.83 प्रतिशत एवं परिवहन व नौकायन के संबंध में 33.59 से 170.37 प्रतिशत के मध्य रहा।

आवास गतिविधि

2007-12 के दौरान 52.17 से 71.11 प्रतिशत के मध्य होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की। अधिभोग 2007-13 के दौरान 42 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गया जो कि अखिल भारतीय औसत अधिभोग से बहुत कम था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अभाव के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित होटल्स/मोटल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे।

कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स, विलासिता ट्रेनों, यात्रा पैकेज एवं इसके द्वारा प्रस्तावित अन्य सुविधाओं के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु कोई विपणन या विज्ञापन नीति तैयार नहीं की थी।

खान-पान गतिविधि

50 प्रतिशत से अधिक होटल्स/मोटल्स ने 2007-12 के दौरान खान-पान गतिविधि में ₹ 5.24 करोड़ की परिचालन हानि वहन की। 2007-12 के दौरान 29 से 35 होटल्स/मोटल्स ने कच्चे माल (अपव्यय सहित) पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय किया जबकि 5 से 25 होटल्स/मोटल्स ने ईंधन पर अधिक व्यय किया। कच्चे माल एवं ईंधन के अधिक उपभोग के परिणामस्वरूप मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ एवं ₹ 6.47 लाख का अधिक व्यय हुआ।

पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू

पीओडब्ल्यू एक लाभदायक उद्यम है एवं इस गतिविधि से अधिशेष 2007-12 में ₹ 8.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.64 करोड़ हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान ट्रेन का अधिभोग 100 प्रतिशत से गिरकर 80.12 प्रतिशत हो गया जो कि 2012-13 के दौरान और कम होकर 66.63 प्रतिशत हो गया। अधिशेष में वृद्धि का कारण टैरिफ में वृद्धि था जिसमें अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 19.33 से 32.35 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई।

आरआरओडब्ल्यू का निष्पादन खराब रहा क्योंकि कम्पनी 2009-13 के दौरान वार्षिक 34 फेरों की प्रस्तावित संख्या के समक्ष 16 से 23 के मध्य ही फेरे संचालित कर सकी। पर्यटकों की प्रतिक्रिया खराब थी एवं कम्पनी मार्च 2013 तक केवल 49.20 प्रतिशत अधिभोग ही प्राप्त कर सकी। 2011-12 के दौरान 58 प्रतिशत का उच्च अधिभोग फेरों की घटी हुई संख्या के कारण था। आरआरओडब्ल्यू परियोजना, भारत सरकार की पर्यटन क्षेत्र में वृहद राजस्व अर्जन करने वाली योजना में शामिल थी परन्तु कम्पनी ने ₹ 3.27 करोड़ की राशि के कम अनुदान का दावा किया।

केन्द्रीय/राज्य से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

कम्पनी केन्द्रीय सहायता प्रदान कार्यों को स्वीकृति की तिथि से 12 से 36 माह की नियत पूर्णता अवधि के भीतर पूर्ण नहीं कर सकी। 2007-13 के दौरान निष्पादित कुल 120 कार्यों में से 65 कार्य एक से 44 महीनों के विलम्ब से पूर्ण किए गये थे। इनमें से 20 कार्यों के लिए निविदाएं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त होने से 19 माह तक की अवधि के पश्चात् आमंत्रित की गई थी। परियोजना-वार कोषों की प्राप्ति एवं प्रत्येक परियोजना के समक्ष किए गये व्यय का विवरण संधारित नहीं किया था एवं मार्च 2013 को ₹ 1.08 करोड़ के कोष अप्रयुक्त पड़े थे। कम्पनी ने 23 कार्यों में स्वीकृत कोष से ₹ 96 लाख का अधिक व्यय किया एवं इसे अप्रयुक्त कोषों से समायोजित किया। राज्य सरकार द्वारा 2007-13 के दौरान सौंपे गये 64 कार्यों में से, 2010-12 के दौरान आवंटित 11 कार्य, निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब करने एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण पूर्ण होने के लिये लंबित थे (अक्टूबर 2013)। साथ ही स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, 2012-13 के दौरान आवंटित 10 कार्यों में से नौ कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण किये जाने थे एवं एक कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, केवल तीन कार्य अक्टूबर 2013 तक पूर्ण हुये थे।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में सात अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें पर्यटन नीति का क्रियान्वयन एवं राज्य में पर्यटन ढांचे के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना तैयार करना, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समर्थन हेतु वास्तविक बजट एवं कार्यवाही योजना तैयार करना, उत्तम विपणन एवं सुविधाओं में सुधार करके अधिभोग को बढ़ाना, स्वाद्य लागत को मानदण्डों के भीतर लाना, पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू के अधिभोग में सुधार हेतु कार्यवाही योजना तैयार करना, परियोजनाओं की पूर्णता हेतु केन्द्र/राज्य की मार्गदर्शिका की अनुपालना करना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सतर्कता कार्य में सुधार लाना सम्मिलित है।

(अध्याय II)

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान वित्त निगम द्वारा 'ऋणों की वसूली' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है।

राजस्थान वित्त निगम (निगम) का गठन (17 जनवरी 1955) राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम) के अन्तर्गत किया गया था। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹ 1778.72 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये, जिसमें से ₹ 1364.57 करोड़ का वितरण विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को किया गया था। इस अवधि में कुल वसूलियाँ ₹ 596.55 करोड़ के पूर्व-भुगतान सहित ₹ 2091.62 करोड़ की थी।

वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय निष्पादन

निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर थी क्योंकि संचित हानियाँ 2008-09 में ₹ 53.58 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 130.10 करोड़ हो गई थी। 2008-13 के दौरान व्यवसाय संचालनों के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत मूलधन की वसूली था क्योंकि सिडबी एवं अन्य बैंकों से उधारियाँ उनसे लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु भी पर्याप्त नहीं थी। वर्ष के दौरान शुद्ध संग्रहणीय राशि से कम (65.90 एवं

81.09 प्रतिशत के मध्य) लक्ष्य निर्धारण के बावजूद वसूली लक्ष्यों में कमी रही। 2008-13 के दौरान निगम के व्यवसाय प्रदर्शन में तीव्र गिरावट हुई क्योंकि स्वीकृतियाँ ₹ 473 करोड़ से घटकर (75.90 प्रतिशत) ₹ 114 करोड़ हो गई जबकि वितरण ₹ 340 करोड़ से घटकर (59.12 प्रतिशत) ₹ 139 करोड़ हो गये। पाँच शाखा कार्यालयों द्वारा 2012-13 के दौरान कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

प्रमुख मापदण्डों के समक्ष वसूली निष्पादन

गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ (एनपीए)

निगम, राजस्थान सरकार एवं सिडबी के मध्य दिसम्बर 2003 में निष्पादित (जुलाई 2009 में नवीनीकृत) त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार निगम एनपीए को कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत की स्वीकृत सीमा के अन्दर सीमित नहीं कर सका। 2008-13 के दौरान एनपीए की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता 21.06 से 30.47 के मध्य रही। 2008-11 के दौरान वितरण किये गये कुल ₹ 966 करोड़ के ऋणों में से, 16 ऋण खाते (₹ 33.24 करोड़) दो वर्ष की लघु अवधि में एनपीए हो गये जबकि अन्य तीन ऋण खाते (₹ 57.67 लाख) तीन वर्ष के भीतर एनपीए हो गये।

क्षेत्रवार निष्पादन

निगम का मुख्य ध्येय वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) क्षेत्र को बढ़ावा देना था क्योंकि 2008-13 के दौरान ₹ 1778.72 करोड़ की कुल स्वीकृतियों में से सीआरई क्षेत्र का अंश ₹ 599.73 करोड़ (33.71 प्रतिशत) था। सीआरई क्षेत्र ने 2008-13 के दौरान ₹ 1364.57 करोड़ के कुल वितरणों में से ₹ 527.27 करोड़ (38.64 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्राप्त की। निगम ने न तो उद्योग वार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित की एवं न ही यह सुनिश्चित करने के लिये कोई पद्धति विकसित की कि सीआरई क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता एक समय विशेष पर निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो।

मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वितरण

ऋणों के दोषपूर्ण मूल्यांकन/स्वीकृति एवं वितरण के प्रकरण थे यथा क्रेडिट मूल्यांकन मानदण्डों (प्रवर्तकों का पूर्व इतिहास, वित्तीय सुदृढ़ता, प्रस्तावित परियोजना की विपणनता, क्रेडिट सूचना ब्यूरो ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिवेदन इत्यादि) की अनुपालना नहीं की गई थी, प्रवर्तकों के अंशदान की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना, पर्याप्त प्रतिभूति इत्यादि के बिना वितरण के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किये गये जिससे ऋण की वसूली में कठिनाईयाँ हुई।

ऋण खातों का पुनर्निर्धारण

2008-13 के दौरान पुनर्निर्धारित किये गये 172 ऋण खातों में से 121 ऋण खाते (70.35 प्रतिशत) पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि से आगे नौ से 96 महीनों के मध्य तक पुनर्निर्धारित किए गये थे। साथ ही, मई 2013 को छः चयनित इकाईयों में 85 पुनर्निर्धारित खातों के 18 उधारकर्ताओं ने ₹ 20.37 करोड़ की देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की। चूककर्ताओं में पाँच उधारकर्ता एवं दो उधारकर्ता वह भी थे जहाँ पुनर्निर्धारण क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय बार किया गया था।

ऋण खातों का निपटान

राज्य स्तरीय समिति एवं प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति ने 2008-13 के दौरान 317 प्रकरणों का निपटान ₹ 168.71 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 45.90 करोड़ में किया एवं इस प्रकार ₹ 122.81 करोड़ (72.79 प्रतिशत) की राशि का त्याग किया। निगम ने 39 प्रकरणों का निपटान मूलधन राशि (₹ 4.39 करोड़) से कम ₹ 2.90 करोड़ में किया एवं अन्य 158 प्रकरण, ₹ 72.06 करोड़ की एमआरवी की प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद ₹ 121.13 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष मात्र ₹ 29.93 करोड़ में निपटान किए गये थे।

धारा 29 का प्रवर्तन

2008-13 के दौरान विक्रय की गई 109 इकाईयों में से 87 इकाईयाँ पाँच वर्षों के भीतर विक्रय की गई थी, 13 इकाईयाँ पाँच से 10 वर्षों के मध्य विक्रय की गई थी, आठ इकाईयाँ 10 से 20 वर्षों के मध्य एवं एक इकाई अधिगृहित करने के 20 से भी अधिक वर्षों के व्यतीत होने पर विक्रय की गई थी। निगम ने 52 इकाईयों का विक्रय मूलधन राशि की वसूली किए बिना ही किया एवं इन इकाईयों से बकाया मूलधन के पेटे ₹ 3.69 करोड़ का त्याग किया। चयनित शाखा कार्यालयों में 2008-13 के दौरान अधिगृहित की गई 50 इकाईयों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उधारकर्ताओं द्वारा चूक प्रारम्भ करने से धारा 29 के तहत कानूनी नोटिस जारी करने में 100 महीनों तक का विलम्ब था। साथ ही, निगम द्वारा दोषी इकाई को प्रथम नोटिस जारी करने एवं इकाई को अधिगृहित करने के मध्य 109 महीनों तक का समय अन्तराल रहा था। अधिगृहित 51 इकाईयों में से 21 इकाईयों का नवीनतम बाजार मूल्य (₹ 7.31 करोड़) बकाया देयताओं (₹ 21.99 करोड़) को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं था एवं देयताओं की वसूली के पेटे ₹ 14.68 करोड़ की कमी थी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली

निगम ने 2008-13 के दौरान 2076 प्रकरणों का निपटान किया एवं मार्च 2013 को ₹ 198.75 करोड़ की राशि के 1098 प्रकरण लम्बित थे। 2008-13 के दौरान जिलाधीश ने प्रवर्तकों/ जमानतियों के नाम से सम्पत्तियों की पहचान नहीं होने के कारण 173 मांग के निवेदन-पत्र (आरओडी) वापस किए गये थे। कुल लम्बित प्रकरणों में से नौ चयनित शाखा कार्यालयों से सम्बन्धित 323 प्रकरणों में निगम के पास या तो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं थी या प्रवर्तकों/जमानतियों की अन्य सम्पत्तियाँ चिन्हित नहीं की गई थी।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें एमएसएण्डएमई क्षेत्र के संवर्धन हेतु वितरणों में सुधार के लिये वित्त के वैकल्पिक स्त्रोत तलाशना; खातों के एनपीए श्रेणी में परिवर्तन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु मानक सम्पत्तियों की सघन निगरानी; जोखिम को न्यूनतम करने हेतु स्वीकृति एवं वितरणों के मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना; नियमों के अनुसार देयताओं की वसूली हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करना; तथा आन्तरिक नियंत्रण व आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

(अध्याय III)

4. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप पीएसयूज के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियाँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों इत्यादि के नियमों व शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 5.99 करोड़ की हानि/वसूली नहीं होना।

(अनुच्छेद 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एवं 4.9)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 2.32 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 4.2, 4.3, 4.4 एवं 4.11)

निष्पक्षता/पारदर्शिता एवं परिचालनों में प्रतिस्पर्धात्मकता के अभाव के कारण एक मामले में ₹ 30.42 लाख की हानि।

(अनुच्छेद 4.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड ने आपूर्ति आदेशों में तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से ₹ 33.51 लाख की न्यूनतम हानि वहन की।

(अनुच्छेद 4.2)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं की जिसके कारण तीन वृत्तों में उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणियों में ₹ 18.05 करोड़ की कमी रही।

(अनुच्छेद 4.5)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा नियमों के क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियों, जल प्रभारों में संशोधन एवं नियमों में स्पष्टता के अभाव के परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति में हानि उठाई।

(अनुच्छेद 4.7)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन किया एवं ₹ 1.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 4.8)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा करार के नियमों व शर्तों तथा नीति के अनुसार पुनःआदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण ₹ 68.78 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 4.11)

अध्याय I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय-I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) का राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान सरकार (जीओआर) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियाँ करती है, जिनका स्वामित्व, प्रबन्धन एवं नियंत्रण सामान्य जन की ओर से राज्य द्वारा किया जाता है। पीएसयूज सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों में वर्गीकृत हैं। सांविधिक निगम ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो कि विधान मण्डल के विशेष अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। अधिनियम, शक्तियों एवं कर्तव्यों, कार्मिकों को शासित करने हेतु नियमों व विनियमों तथा सरकार के साथ निगम के संबंधों को परिभाषित करता है। सरकारी कम्पनियों से आशय ऐसी कम्पनियों से है, जिसमें कि प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग सरकार (रों) द्वारा धारित हो। इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल होती है। साथ ही, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अनुसार एक कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूँजी का 51 प्रतिशत भाग, सरकार (रों), सरकारी कम्पनियों एवं निगमों जिनका नियंत्रण सरकार के पास है, के किसी संयोजन के पास होता है, को सरकारी कम्पनी की तरह (मानित सरकारी कम्पनी) माना जाता है।

1.2 पीएसयूज अर्थव्यवस्था के पाँच प्रमुख क्षेत्रों यथा ऊर्जा, वित्त, सेवा, ढांचागत एवं अन्य (निर्माण, कृषि व समवर्गी एवं विविध को सम्मिलित करते हुए) में कार्यरत हैं। 31 मार्च 2013 को राज्य के पीएसयूज ने लगभग एक लाख कार्मिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ था। पीएसयूज का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया हुआ है:

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ[1]		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[2] (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत[3]	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	16	-	-	-	16	66477.81
वित्त	3	-	1	-	4	736.85
सेवा	13	-	2	-	15	2542.65
ढांचागत	3	-	-	-	3	882.03
अन्य	8	2	-	-	10	1378.79
योग	**43**	**2**	**3**	**-**	**48**	**72018.13**

31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज थे जिसमें से 46 कार्यरत एवं दो अकार्यरत थे। इनमें से कोई

1 इनमें अनुबन्ध-1 के भाग-क में क्र.सं. क-30, 31, 33 व 42 पर वर्णित चार 619-बी कम्पनियाँ एवं क्र.सं. क-38 पर वर्णित एक कम्पनी धारा-25 के तहत पंजीकृत है।

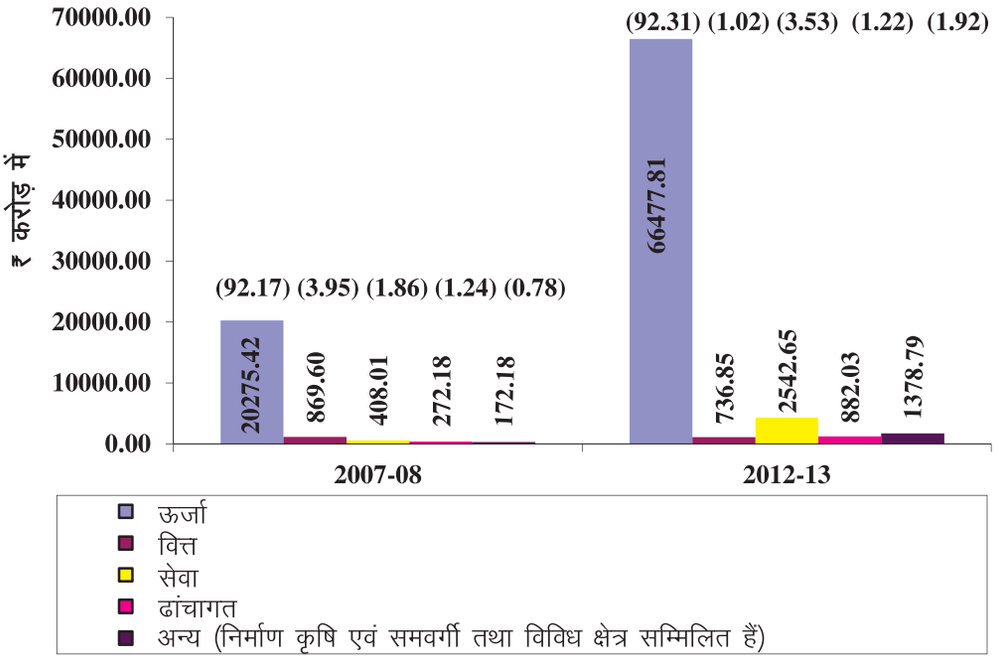
2 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

3 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप बन्द कर दिये हैं।

भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2012-13 के दौरान तीन[4] नये पीएसयूज स्थापित किये गये थे जबकि शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (कार्यरत पीएसयू) का फरवरी 2013 में निजीकरण हुआ था एवं हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड (अकार्यरत पीएसयू) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ एकीकृत हुई थी।

1.3 31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2013 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दर्शाई गई है। पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र पर था, जो कि ₹ 20275.42 करोड़ से 227.87 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 66477.81 करोड़ हो गया।

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं)



जवाबदेयता संरचना

1.4 सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के मध्य यथा 30 सितम्बर तक अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक होता है।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनका लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न हितधारियों को प्रस्तुत किया जाता है।

4 सितम्बर 2012 में राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड एवं दिसम्बर 2012 में राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड मार्च 2012 में स्थापित की गई थी लेकिन राज्य सरकार से सूचना 2012-13 में प्राप्त हुई थी।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा विभिन्न तरीकों, जैसा कि उनसे सम्बंधित विधान में प्रदत्त है, से होती है। इस प्रकार,

- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है;
- सरकार द्वारा सीएजी की सलाह पर नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम हेतु लेखापरीक्षक है; एवं
- निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदित पैनल में से नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राजस्थान वित्त निगम के मामले में लेखापरीक्षक हैं।

सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा

1.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा भी की जाती है। सीएजी द्वारा दो सांविधिक निगमों यथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में भी पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

विधान मण्डल एवं सरकार की भूमिका

1.8 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इन पीएसयूज के लेखों की संवीक्षा राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा भी की जाती है।

1.9 राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा कि उनसे संबंधित अधिनियमों में वर्णित है, विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.10 इन पीएसयूज में राजस्थान सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से हैः

- अंशपूँजी एवं ऋण– अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- विशेष वित्तीय सहायता- जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- गारण्टियाँ- पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टियाँ भी देती है।

1.11 31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज (619 बी-कम्पनियों सहित) में नीचे दिये गये

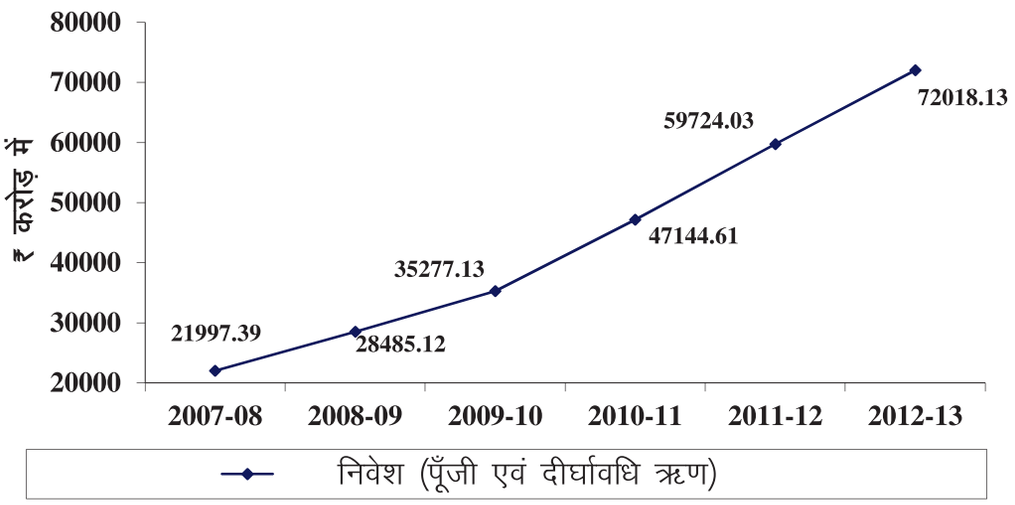
विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 72018.13 करोड़ था।

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	17953.25	52250.36	70203.61	552.54	1249.73	1802.27	72005.88
अकार्यरत	8.89	3.36	12.25	-	-	-	12.25
योग	**17962.14**	**52253.72**	**70215.86**	**552.54**	**1249.73**	**1802.27**	**72018.13**

राज्य के पीएसयूज में राजकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति **अनुबन्ध-1** में दी गयी है।

1.12 31 मार्च 2013 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इसका 25.71 प्रतिशत हिस्सा पूँजी एवं 74.29 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण थे। निवेश वर्ष 2007-08 में ₹ 21997.39 करोड़ से 227.39 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 72018.13 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।



1.13 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूँजी निवेश के साथ-साथ दीर्घावधि ऋण क्रमशः ₹ 12325.55 करोड़ एवं ₹ 37695.19 करोड़ से बढ़ गये। इस अवधि के दौरान निवेश में कुल समग्र वृद्धि ₹ 50020.74 करोड़ थी।

हानियों के कारण पूँजी का क्षरण

1.14 राज्य पीएसयूज के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, पूँजी निवेश ₹ 15827.72 करोड़ था एवं इसके समक्ष संचित हानियाँ ₹ 50951.85 करोड़ थी। इससे राज्य पीएसयूज की पूँजी पूर्णरूप से क्षरित होकर ₹ 35124.13 करोड़ की ऋणात्मक निवल सम्पत्ति[5] में परिवर्तित हो गई थी।

5 निवल सम्पत्ति से आशय है- प्रदत्त पूँजी जोड़ें मुक्त संचय घटायें संचित हानियाँ।

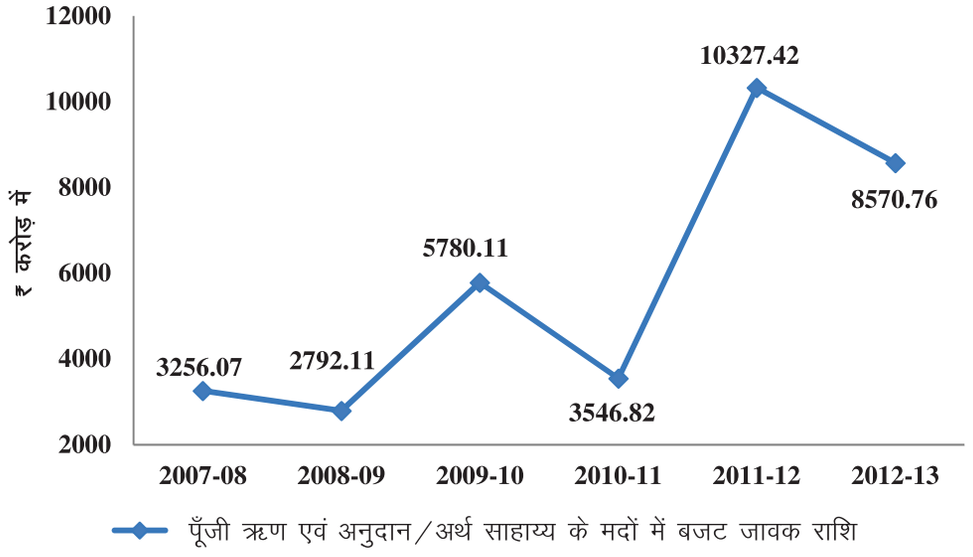
पीएसयूज को बजटीय सहायता

1.15 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के द्वारा पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त निवेश एवं सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार ने 23 पीएसयूज को ₹ 8570.76 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे जावक के साथ ही ऋणों का अपलेखन, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन एवं ब्याज परित्याग के माध्यम से सहायता का विवरण **अनुबन्ध-3** में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण[6]	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
1.	अंश पूँजी की जावक	12	1599.89	11	1725.09	14	4648.37
2.	दिये गये ऋण	2	0.39	8	5552.21	7	813.81
3.	अनुदान/अर्थ-साहाय्य	14	1946.54	14	3050.12	13	3108.58
4.	कुल जावक (1+2+3)	20[7]	3546.82	18[7]	10327.42	23[7]	8570.76
5.	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	1	0.10	-	-
6.	ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	4	1086.25	1	15.65
7.	निर्गमित गारण्टियाँ	6	24781.66	6	17349.50	7	20209.01
8.	गारण्टी प्रतिबद्धता	8	48088.19	7	57559.34	7	70365.08

1.16 2012-13 को समाप्त छः वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के संबंध में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:



6 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

7 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है अर्थात पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य।

1.17 उपर्युक्त इंगित करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2007-08 में ₹ 3256.07 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 8570.76 करोड़ हो गई। 2012-13 के दौरान राजस्थान सरकार ने राजस्थान वित्त निगम के संबंध में ₹ 15.65 करोड़ के ऋणों का पूँजी में परिवर्तन किया था। बजट जावक का मुख्य लाभार्थी ऊर्जा क्षेत्र था जिसने कुल अंश पूँजी जावक (₹ 4648.37 करोड़) का 82.78 प्रतिशत (₹ 3848.00 करोड़) एवं कुल बजटीय जावक (₹ 8570.76 करोड़) का 84.41 प्रतिशत (₹ 7234.21 करोड़) प्राप्त किया।

ऋणों हेतु गारण्टियाँ एवं अदत्त गारण्टी कमीशन

1.18 सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)।

बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताओं में वृद्धि का रूझान था जो कि 2007-08 में ₹ 18153.83 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 70365.08 करोड़ हो गई जो कि 287.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान पीएसयूज द्वारा देय गारण्टी कमीशन ₹ 345.87 करोड़ था जिसमें से वर्ष के दौरान ₹ 227.41 करोड़ का भुगतान किया गया था ।

पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित करने में विफलता

1.19 जैसा कि ऊपर वर्णित है राजस्थान सरकार की पीएसयूज में विशाल वित्तीय हिस्सेदारी है। तथापि हमने पाया कि पीएसयूज/सरकार ने इस निवेश की उचित जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं की थी। मुख्यतः दो क्षेत्रों में चूक थीः

- निवेश के विशुद्ध आकड़ें प्रदान करने में;
- वार्षिक लेखे तैयार करने एवं उनकी लेखापरीक्षा करवाने में;

यह चूकें, विधायी वित्तीय नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव सहित व्यापक स्तर पर परोक्ष प्रभाव रखती हैं।

पीएसयूज में निवेश के विशुद्ध आंकड़ों का अभाव

1.20 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा तैयार किये गये एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित राजस्थान सरकार के वित्त लेखे पूँजी, ऋण एवं गारण्टियों के संबंध में पीएसयूज में सरकार की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार यह आँकड़े वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिये। अन्तर के मामले में संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा इनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2013 की स्थिति को

नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	18032.46	18048.35	15.89
ऋण	3324.75	2388.74	936.01
गारण्टियाँ	71584.26	70365.08	1219.18

1.21 19[8] पीएसयूज के संबंध में यह अन्तर पाया गया। वित्त लेखों के अनुसार एवं पीएसयूज के लेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं गारण्टी के संबंध में आँकड़ों के अन्तर के बारे में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के समक्ष समय-समय पर मामला उठाया गया। सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर के समाधान के लिये समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिये।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.22 कम्पनियों/सांविधिक निगमों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के मध्य अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये[9]। इस प्रकार 2012-13 के लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिये था। इन पीएसयूज द्वारा 30 सितम्बर तक लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है:

क्र. स.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	29	37	42	44	46
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	25	27	46	33	59[10]
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	16	16	25	24	33
4.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	13	21	17	20	13
5.	बकाया लेखों की संख्या	14	28	24	33	21
6.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	9	11	21	9	25
7.	औसत बकाया प्रति पीएसयू (5/1)	0.55	0.76	0.57	0.75	0.46
8.	बकाया की सीमा	एक से दो वर्ष	एक से तीन वर्ष	एक से चार वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से छः वर्ष

1.23 30 सितम्बर 2013 तक 46 पीएसयूज में से केवल 33 पीएसयूज ने वर्ष 2012-13 के लिये अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था तथा शेष 13 कार्यरत पीएसयूज के वर्ष 2007-

8 अनुबन्ध 1 के क्र. सं. क-1, 2, 5, 6, 7,10, 11, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 31, 35, 41, बी-1, सी-1 एवं 2.

9 कम्पनियों के मामले में कम्पनी अधिनियम की धारा 166, 210, 230, 619 व 619-बी एवं सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियम के प्रावधान।

10 बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2011-12 के लिये संशोधित लेखे प्रस्तुत किये।

08 से 2012-13 तक की अवधि के लिये 21 लेखे बकाया थे। दो [11] कार्यरत पीएसयूज ने 2012-13 के दौरान एक भी लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया था। साथ ही, वर्ष 2011-12 के दौरान नौ बकाया लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की तुलना में 2012-13 के दौरान 25 बकाया लेखों को अंतिम रूप दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रति पीएसयू औसत बकाया 2011-12 में 0.75 से घटकर 2012-13 में 0.46 हो गया।

1.24 बकाया लेखों वाले 13 कार्यरत पीएसयूज में से छः पीएसयूज में राजस्थान सरकार ने ₹ 5501.41 करोड़ (पूँजीः ₹ 2486.91 करोड़, ऋणः ₹ 3004.97 करोड़, अर्थ-साहाय्यः ₹ 9.53 करोड़) की सहायता इन वर्षों के दौरान प्रदान की जिसका विवरण **अनुबन्ध-4** में दिया गया है।

सांविधिक निगमों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.25 तीन सांविधिक निगमों ने 2012-13 के उनके नवीनतम लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अग्रेषित किया। दो[12] सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (सितम्बर 2013)।

1.26 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। 2011-12 की अवधि हेतु इन सांविधिक निगमों के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में फरवरी से मार्च 2013 के दौरान प्रस्तुत[13] की गयी थी।

प्रशासनिक विभागों की विफलता

1.27 यह प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि वे इन उपक्रमों की गतिविधियों की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि लेखे निर्धारित अवधि में अंतिम रूप दिये जाकर इन पीएसयूज द्वारा अंगीकृत किये गये हैं।

1.28 चूंकि लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया की स्थिति चिंताजनक थी, सीएजी ने मामले को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष उठाया (सितम्बर 2011) एवं जवाबदेयता के बाध्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी मुद्दों सहित विशेष व्यवस्थाएं करने का सुझाव दिया। जवाब में एमसीए ने एक योजना लागू की (नवम्बर 2011) जिसमें पिछले कई वर्षों में लेखों में बकाया वाले पीएसयूज को नवीनतम दो वर्षों के लेखों को अंतिम रूप देने एवं पाँच वर्षों में बकाया को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की।

1.29 महालेखाकार ने भी मुख्य सचिव/प्रशासनिक विभागों/पीएसयूज के प्रबन्धन, जिनके लेखे बकाया थे, को सम्बोधित किया (जुलाई 2013)। लेखों के बकाया के समापन की प्रगति पर अनुच्छेद 1.22 एवं 1.23 में चर्चा की गयी है।

11 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड।

12. अनुबन्ध 2 के क्र.सं. बी-1 एवं बी-2 पर पीएसयूज।

13 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (22 फरवरी 2013), राजस्थान वित्त निगम (7 मार्च 2013) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (20 मार्च 2013)।

लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.30 30 सितम्बर तक लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किया जाना कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

1.31 लेखों एवं तत्पश्चात् उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं वे लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका तथा इस प्रकार, सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका की जांच के दायरे से बाहर रहा।

1.32 साथ ही, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ धोखा एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2012-13 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका। तथापि, नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार राज्य जीडीपी में पीएसयूज का योगदान सात प्रतिशत था। साथ ही, वर्ष 2012-13 के लिये इन पीएसयूज के संचालन के परिणाम एवं राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

1.33 सरकार द्वारा निगरानी एवं समय पर लेखों के अन्तिमीकरण के साथ बकाया के समापन पर विशेष ध्यान तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

पीएसयूज का निष्पादन

निष्पादन आंकलन में समस्यायें

1.34 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया के कारण पीएसयूज का वास्तविक निष्पादन का आंकलन नहीं किया जा सका था। अतः पीएसयूज का निष्पादन के आंकलन उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के आधार पर किया गया था। वर्ष 2012-13 के लेखों के अन्तिमीकरण के अभाव में प्रमुख पीएसयूज यथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निष्पादन पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

लेखों के अन्तिमीकरण पर आधारित निष्पादन

1.35 पीएसयूज के वित्तीय परिणाम, सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशीलता परिणाम क्रमशः **अनुबन्ध 2, 5 एवं 6** में वर्णित हैं। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के लिये कार्यरत

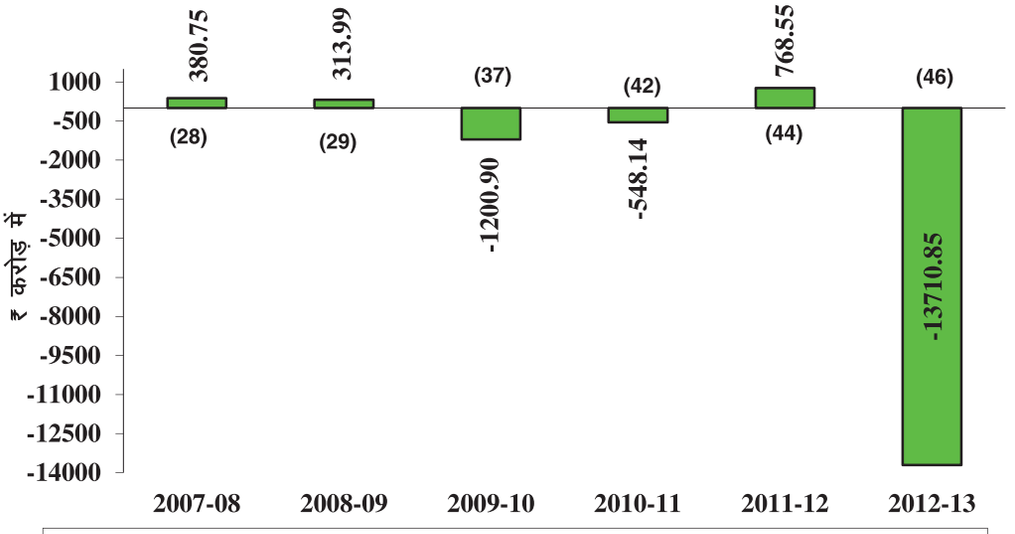
पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
टर्नओवर[14]	16644.45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58	33486.33
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद[15]	194822.00	230949.00	265825.00	341865.00	416755.00	478160.00
टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिशतता	8.54	7.58	9.51	8.82	7.78	7.00

पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि की प्रतिशतता 3.22 एवं 44.34 के मध्य विचरित थी जबकि 2007-08 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की प्रतिशतता 13.90 एवं 28.61 के मध्य विचरित थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 15.01 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 19.67 प्रतिशत से कम थी। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 से 2012-13 के दौरान पीएसयूज की संख्या में 28 से 46 तक की वृद्धि के उपरान्त भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2007-08 में 8.54 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में सात प्रतिशत हो गया था।

1.36 वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ[16] अथवा उठायी गई हानियों का विवरण नीचे बार चार्ट में दिया गया है।



14 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

15 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2012-13 के अनुसार है।

16 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

कार्यरत पीएसयूज ने 2011-12 में ₹ 768.55 करोड़ के लाभ के समक्ष 2012-13 में ₹ 13710.85 करोड़ की हानि वहन की। 2012-13 में भारी हानियाँ, विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स)[17], जो कि पूर्व में वर्ष 2011-12 तक तैयार किये गये अपने लेखों में 'न लाभ न हानि' दर्शा रहे थे, द्वारा अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों में हानि दर्शाये जाने के कारण थी। 46 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 18[18] पीएसयूज ने ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 26[18] पीएसयूज ने ₹ 14782.25 करोड़ की हानि वहन की, एक[19] पीएसयू को न लाभ न हानि थी जबकि एक[20] पीएसयू को इसके प्रारम्भ होने से इसका प्रथम लेखा अभी प्रस्तुत करना है। साथ ही, 46 पीएसयूज में से 15[21] पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2012-13 में समामेलित हुये थे, ने 2012-13 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी।

1.37 उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 615.83 करोड़) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 271.39 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे जबकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)(₹ 6178.90 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि)(₹ 4161.23 करोड़) एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) (₹ 3904.73 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

हानियों के कारण

1.38 पीएसयूज की हानियाँ मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजना के कार्यान्वयन, क्रियाकलापों के संचालन एवं निगरानी में कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 96.67 करोड़ की हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष वार विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(548.14)	768.55	(13710.85)	(13490.44)
सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रण योग्य हानियाँ	111.34	138.11	96.67	346.12
निष्फल निवेश	120.55	शून्य	शून्य	120.55

1.39 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ पीएसयूज के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियंत्रण योग्य हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बेहतर प्रबंधन के द्वारा हानियाँ कम की जा सकती है।

17 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

18 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया था।

19 राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड।

20 कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड।

21 अनुबन्ध-2 के क्र.सं. क-4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 32 व 33 पर वर्णित पीएसयूज।

पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। उपर्युक्त स्थिति पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.40 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण[22]	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल[23] (प्रतिशत)	6.00	5.82	2.89	5.64	8.09	-16.32
ऋण	15808.26	20955.24	26437.80	36260.08	45976.15	53503.45
टर्नओवर[24]	16644.45	17510.67	25275.63	30152.24	32440.58	33486.33
ऋण /टर्नओवर अनुपात	0.95:1	1.20:1	1.05:1	1.20:1	1.42:1	1.60:1
ब्याज अदायगी[24]	1338.95	1599.84	2374.73	3551.29	3681.11	7864.69
संचित लाभ (हानियाँ)[24]	117.98	364.89	(1343.22)	(2066.69)	(1590.48)	(50951.85)

1.41 पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज के टर्नओवर ने 15.01 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की। तथापि ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 27.61 प्रतिशत थी जो यह इंगित करती है कि टर्नओवर की तुलना में ऋण अधिक तीव्र गति से बढ़ रहे थे। ऋणों के टर्नओवर से अनुपात में 2007-08 में 0.95:1 से 2012-13 में 1.60:1 की वृद्धि पीएसयूज की ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि को इंगित करती है।

1.42 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का निर्धारण किया (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात् लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 18 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ[25] पीएसयूज ने ₹ 63.86 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि राज्य सरकार द्वारा सभी पीएसयूज में योगदान की गयी अंश पूँजी का 0.40 प्रतिशत था। लाभांश घोषित करने वाले आठ पीएसयूज में से, तीन[26] पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो[27] पीएसयूज ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया। दस[28] पीएसयूज, जिन्होंने लाभ अर्जित किया, ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया था।

22 वर्ष 2012-13 की स्थिति, दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक उपलब्ध करवायी गयी नवीनतम सूचनाओं के अनुसार है।

23 वर्ष 2011-12 तक नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ +कार्यशील पूँजी) द्वारा की गई। वर्ष 2012-13 के लिये नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शेयरधारक निधि + दीर्घकालीन ऋण) द्वारा की गई।

24 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

25 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-1, 5, 6, 9, 10, 11, 28 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

26 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-6, 11 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

27 अनुबन्ध-2 के क्र.स. क-5 एवं 10 पर वर्णित पीएसयूज।

28 अनुबन्ध-2 के क्र.सं. क-2, 3, 7, 30, 32, 34, 39, 40, 42 एवं ब-1 पर वर्णित पीएसयूज।

अकार्यरत पीएसयूज

1.43 31 मार्च 2013 को दो अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें पूँजी (₹ 8.89 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 3.36 करोड़) सहित कुल निवेश ₹ 12.25 करोड़ था। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के दो वर्ष के लेखे बकाया थे।

1.44 पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	3	3	2

वर्ष 2012-13 के दौरान एक पीएसयू (हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड) का राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के साथ एकीकरण हुआ था।

1.45 इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। सरकार दो अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

पीएसयूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

1.46 अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक 41 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 56 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 28 कम्पनियों के 39 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	27.97	4	496.05	5	30.01
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.99	1	62.24	2	7.60
3.	हानि में वृद्धि	10	11669.26	4	8.01	12	2131.55
4.	हानि में कमी	3	37.21	1	0.68	2	4.00
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	0.30	10	29.25	2	2.57
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	4	1293.47	15	19411.76

1.47 वर्ष 2012-13 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 22 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, 11 लेखों पर प्रतिकूल[29] प्रमाण-पत्र एवं दो लेखों पर अस्वीकृति[30] दी। पीएसयूज लेखांकन मानकों (एएस) की अनुपालना में कमजोर रहे, चूंकि 27 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा

29 लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते है।

30 लेखापरीक्षक लेखों पर धारणा बनाने में असमर्थ है।

इंगित अनुपालना नहीं करने के 111 मामले थे। इसके अतिरिक्त सीएजी ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के वर्ष 2010-11 के लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। सीएजी एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के परिणामस्वरूप आरआरवीयूएनएल की शुद्ध हानि ₹ 41.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 107.90 करोड़ हो गई।

1.48 कम्पनियों के लेखों के संबंध में सीएजी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैः

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2011-12)

- कम्पनी ने छबड़ा तापीय विद्युत केन्द्र (सीटीपीपी) से भीलवाड़ा 400केवी प्रसारण लाईन के सीटीपीपी से दहरा ग्रिड उपकेन्द्र खण्ड का प्रसारण लाईन आवेशित किये जाने की तिथि से पूँजीकरण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 'पूर्वावधि व्यय' ₹ 54.98 करोड़ से कम दर्शाये गये थे एवं 'स्थाई सम्पत्तियों' के साथ-साथ 'मूल्यह्रास' क्रमशः ₹ 53.28 करोड़ व ₹ 1.70 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। परिणामस्वरूप, 'संचित हानियाँ' ₹ 53.28 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- विद्युत शुल्क (ईडी) के पेटे राज्य सरकार से प्राप्य ₹ 55.35 करोड़, जिनको कि कम्पनी ने ईडी की वास्तविक प्राप्ति के स्थान पर राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर लेखांकित किया, 'अर्थ-साहाय्य/प्राप्य अनुदान' में सम्मिलित थे। कम्पनी ने ₹ 16.92 करोड़ की ईडी को 'अन्य चालू दायित्व' शीर्ष के तहत राजस्थान सरकार को देय दर्शाया था। परिणामस्वरूप 'अन्य चालू दायित्व' एवं 'अन्य संचालन आय' क्रमशः ₹ 16.92 करोड़ एवं ₹ 38.43 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। वर्ष के लिये हानि भी ₹ 38.43 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- वास्तविक आधार पर विद्युत क्रय की बिलिंग के समायोजन पर जोविविनिलि एवं अविविनिलि को देय राशि का कम प्रावधान किये जाने के कारण 'विद्युत का क्रय' ₹ 10.31 करोड़ से कम दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'चालू दायित्व' एवं हानि ₹ 10.31 करोड़ से कम दर्शाये गये थे।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2011-12)

- विद्युत शुल्क (ईडी) के पेटे राज्य सरकार से प्राप्य ₹ 54.80 करोड़, जिनको कि कम्पनी ने ईडी की वास्तविक प्राप्ति के स्थान पर राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर लेखांकित किया, 'अर्थ-साहाय्य/प्राप्य अनुदान' में सम्मिलित थे। कम्पनी ने 'चालू दायित्व' शीर्ष के तहत राजस्थान सरकार को ईडी (₹ 16.66 करोड़) देय भी दर्शाया था। इस प्रकार 'चालू सम्पत्तियाँ' ₹ 54.80 करोड़ से अधिक दर्शाई गई थी। परिणामस्वरूप 'चालू दायित्व' एवं 'अन्य संचालन आय' क्रमशः ₹ 16.66 करोड़ एवं ₹ 38.14 करोड़ से अधिक दर्शाये गये थे। वर्ष के लिये हानि भी ₹ 38.14 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

1.49 इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने 2012-13 के लेखे (30 सितम्बर 2013 तक) महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, एक सांविधिक निगम का लेखा, एकमात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा से संबंधित था। शेष दो लेखों का पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	63.83	1	31.19
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.59	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	116.04	1	1071.47	-	-
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	78.25	1	48.04	-	-
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	1	1.02	-	-

1.50 वर्ष 2012-13 में प्राप्त दो लेखों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दोनों लेखों के लिये मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये।

1.51 यद्यपि वर्ष 2012-13 के लिये वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2013 तक प्रगति पर थी, सांविधिक निगमों के वर्ष 2011-12 के लेखों के संबंध में, जिनको 2012-13 में अंतिम रूप दिया गया, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई है:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2011-12)

- एक्च्यूएरीयल मूल्याकंन प्रतिवेदन के अनुसार ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान के पेटे प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 'निगम कर्मचारी कोष के लिये ग्रेच्युटि व पेंशन योगदान हेतु प्रावधान' ₹ 822.18 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये 'कल्याण व सेवा-निवृत्ति व्यय' एवं शुद्ध हानियाँ ₹ 822.18 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

- परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित चेसिस की लागत की उपेक्षा कर विशेष पथ कर (एसआरटी) के पेटे दायित्व का कम प्रावधान किये जाने के कारण सरकारी लेनदार ₹ 127.51 करोड़ से कम दर्शाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप अनुज्ञापत्र व कर के साथ-साथ शुद्ध हानि ₹ 127.51 करोड़ से कम दर्शाई गई थी।

राजस्थान वित्त निगम (2011-12)

- हमारी टिप्पणियों के कारण, लेखों में दर्शाया गया ₹ 5.88 करोड़ का कर पश्चात् शुद्ध लाभ ₹ 12.09 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया था। अतः लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते थे।

1.52 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ए) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को लेखापरीक्षा की गयी कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सम्मिलित है, पर एक विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करनी होती है

जिनमें सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कार्यरत कम्पनियों के 56 वार्षिक लेखों, जो कि महालेखाकार को अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान अग्रेषित किये गये थे, पर की गई मुख्य टिप्पणियों का उदाहरणार्थ संग्रह नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों की प्रकृति	कार्यरत कम्पनियों की संख्या जहाँ टिप्पणियाँ की गई थी		अनुबन्ध-2 के अनुसार कार्यरत कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
		लेखों का वर्ष	लेखों की संख्या	
1.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अभाव	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	11	क-3, 14, 21, 22, 26, 28, 30, 31, 39, 41 व 43
		2012-13	11	क-2, 3, 5, 10, 11, 14, 21, 28, 31, 32 व 43
2.	स्थायी सम्पत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण व स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले उचित अभिलेखों के संधारण का अभाव	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	7	क-14, 21, 22, 26, 28, 31 व 40
		2012-13	8	क-2, 5, 10, 14, 21, 28, 31 व 32
3.	वस्तुओं, स्थायी सम्पत्ति के क्रय एवं माल के विक्रय हेतु कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया	2009-10	1	क-19
		2010-11	5	क-14, 19, 21, 22, व 27
		2011-12	9	क-3, 14, 21, 22, 26, 31, 37, 40 व 43
		2012-13	10	क-2, 3, 5, 11, 14, 21, 32, 35, 37 व 43
4.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, की संचित हानियाँ वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी निवल सम्पत्ति के 50 प्रतिशत से कम नहीं है	2010-11	3	क-14, 21 व 22
		2011-12	9	क-3, 14, 21, 22, 26, 31, 40, 41 व 43
		2012-13	12	क-2, 3, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 31, 35 व 43
5.	कम्पनी जिनकी पंजीयन अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं है, ने वित्तीय वर्ष में नकद हानियाँ वहन की थी	2010-11	3	क-14, 21 व 22
		2011-12	7	क-3, 14, 21, 22, 26, 31 व 43
		2012-13	8	क-2, 14, 18, 21, 23, 31, 35 व 43

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर वसूलियाँ

1.53 वर्ष 2012-13 में औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न पीएसयूज के प्रबंधन को ₹ 49.13 करोड़ की वसूलियाँ इंगित की गयी थी, जिसमें से ₹ 39.50 करोड़ की वसूलियाँ पीएसयूज द्वारा स्वीकार की गयी थी। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9.40 करोड़ की राशि वसूल की गयी थी।

पीएसयूज का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.54 2012-13 के दौरान एक पीएसयू शेखावाटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड का निजीकरण हुआ था।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.55 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) का गठन जनवरी 2000 में राज्य में विद्युत दरों में विवेकीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में सलाह देने तथा अनुज्ञा-पत्र जारी करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2012-13 में आरईआरसी ने 57 आदेश (21 वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर एवं 36 अन्य मुद्दों पर) जारी किये।

1.56 मार्च 2001 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के मध्य, ऊर्जा क्षेत्र में चिन्हित लक्ष्यों के साथ सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने हेतु एक संयुक्त प्रतिबद्धता के लिये, एक मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया था। महत्वपूर्ण लक्ष्यों के संबंध में अभी तक प्राप्त की गयी प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="2">सूचक</th><th colspan="5">मार्च 2013 तक उपलब्धियाँ</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">प्रसारण एवं वितरण हानियों में कमी</td><td rowspan="4">2008-09 तक 20 प्रतिशत</td><td colspan="3">कम्पनी का नाम</td><td colspan="2">प्रसारण एवं वितरण हानियां (प्रतिशत में)</td></tr>
<tr><td colspan="3">जेवीवीएनएल</td><td colspan="2">23.64</td></tr>
<tr><td colspan="3">एवीवीएनएल</td><td colspan="2">19.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">जेडीवीवीएनएल</td><td colspan="2">17.32</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2.</td><td rowspan="4">सभी 11 केवी वितरण फीडरों में 100 प्रतिशत मीटरिंग</td><td rowspan="4">सितम्बर 2001</td><td>कम्पनी का नाम</td><td>11 केवी फीडर जिनके मीटर लगाने थे</td><td>11 केवी फीडर जिनमें मार्च 2013 तक मीटर लगाये जा चुके हैं</td><td>प्रतिशतता</td></tr>
<tr><td>जेवीवीएनएल</td><td>5370</td><td>4579</td><td>85.27</td></tr>
<tr><td>एवीवीएनएल</td><td>5803</td><td>4761</td><td>82.04</td></tr>
<tr><td>जेडीवीवीएनएल</td><td>6781</td><td>5632</td><td>83.05</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सभी गाँवों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण</td><td>2005 तक 41353 गाँव</td><td colspan="5">40202 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था (2001 की जनगणना के अनुसार) जो कि 97.22 प्रतिशत था।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सभी उपभोक्ताओं के यहाँ 100 प्रतिशत मीटरिंग</td><td>30 जून 2002</td><td colspan="5">किसी भी श्रेणी में कोई कनेक्शन मीटर के बिना नहीं दिया जा रहा है। सभी फ्लेट रेट कृषि कनेक्शनों को मीटरयुक्त श्रेणी में परिवर्तित किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="6">राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी)</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) एसईआरसी की स्थापना</td><td>-</td><td colspan="5">जनवरी 2000 में आरईआरसी का गठन किया गया था।</td></tr>
<tr><td></td><td>(2) एसईआरसी द्वारा वर्ष के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों को लागू करना</td><td>-</td><td colspan="5">एक टैरिफ आदेश 8 अगस्त 2012 को जारी किया गया एवं 10 अगस्त 2012 से लागू किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">सामान्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>एमओयू की निगरानी</td><td>-</td><td colspan="5">जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एसई (योजना) द्वारा निगरानी की जा रही थी एवं अंतिम प्रतिवेदन मार्च 2012 में प्रेषित किया गया था।</td></tr>
</table>

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

'राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (कम्पनी) राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार (जीओआर) की एक नोडल एजेन्सी है। कम्पनी की मुख्य गतिविधियों में पर्यटकों के लिए होटल्स/मोटल्स में आवास व खान-पान सुविधा, पर्यटक ट्रेनों का संचालन, चयनित होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा, पैकेज टूर, परिवहन एवं नौकायन सुविधायें सम्मिलित हैं। मार्च 2013 को कम्पनी 45 होटल्स/मोटल्स, दो पर्यटक ट्रेन यथा पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) व रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) का संचालन कर रही थी।

वित्तीय रूपरेखा

कम्पनी की वित्तीय स्थिति कमजोर रही क्योंकि इसने 2007-08 में ₹ 0.05 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया एवं तत्पश्चात् लगातार हानियाँ वहन की जिससे मार्च 2012 के अन्त तक संचित हानियाँ ₹ 72.12 करोड़ हो गई। केवल पीओडब्ल्यू एवं पैकेज्ड टूर ने लाभों में योगदान दिया जबकि अन्य समस्त गतिविधियाँ यथा होटल्स/मोटल्स (आवास, खानपान आदि को सम्मिलित करते हुए) एवं आरआरओडब्ल्यू ने मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षो के दौरान हानि वहन की थी।

राज्य पर्यटन नीति का नियोजन एवं क्रियान्वयन

कम्पनी ने पर्यटन नीति 2001 को कार्यान्वित किये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना या नीति तैयार नहीं की गई थी। कम्पनी ने, पुष्कर में एक कैम्पिंग साइट (गनेड़ा) के अलावा, किसी भी परियोजना के विकास हेतु न तो कोई भूमि अवाप्त की न ही आवंटित करवायी। उक्त कैम्पिंग साइट अक्टूबर 2009 में ₹ 2.02 करोड़ की लागत से विकसित की गई थी एवं लाभदायकता के अभाव के कारण 2012 में बन्द करनी पड़ी थी।

कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता 2007-13 के दौरान 0.38 (6076) से घटकर 0.14 (2247) रह गई। कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले घरेलू पर्यटकों की प्रतिशतता भी 2007-13 के दौरान 0.79 से घटकर 0.58 रह गई। कम्पनी के समग्र निष्पादन में गिरावट का रुख रहा क्योंकि 2007-08 में कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले 2.21 लाख पर्यटकों (0.77 प्रतिशत) के समक्ष 2012-13 में इनकी संख्या घटकर 1.71 लाख (0.56 प्रतिशत) रह गई।

परिचालन निष्पादन एवं बजटीय विश्लेषण

2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित 45 से 47 होटल्स/मोटल्स में से, 34 से 39 (76 से 85 प्रतिशत) होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की थी। कम्पनी ने 2007-12 के दौरान होटल्स/मोटल्स के संचालन में ₹ 7.82 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी, पीओडब्ल्यू (2007-09) एवं आरआरओडब्ल्यू (2010-12) के सिवाय, सभी पाँच वर्षो के दौरान किसी भी गतिविधि में लाभदायकता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। बजटीय अधिशेष हमेशा उच्च रहा जब इसकी तुलना वास्तविक से की गई एवं 2007-12 के दौरान विचलन, आवास के संबंध में 28.33 से 85.62 प्रतिशत, खानपान के संबंध में 24.35 से 105.49 प्रतिशत, बार के संबंध में 36.30 से 60.83 प्रतिशत एवं परिवहन व नौकायन के संबंध में 33.59 से 170.37 प्रतिशत के मध्य रहा।

आवास गतिविधि

2007-12 के दौरान 52.17 से 71.11 प्रतिशत के मध्य होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की। अधिभोग 2007-13 के दौरान 42 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गया जो कि अखिल भारतीय औसत अधिभोग से बहुत कम था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अभाव के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित होटल्स/मोटल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे।

कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स, विलासिता ट्रेनों, यात्रा पैकेज एवं इसके द्वारा प्रस्तावित अन्य सुविधाओं के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु कोई विपणन या विज्ञापन नीति तैयार नहीं की थी।

खान-पान गतिविधि

50 प्रतिशत से अधिक होटल्स/मोटल्स ने 2007-12 के दौरान खान-पान गतिविधि में ₹ 5.24 करोड़ की परिचालन हानि वहन की। 2007-12 के दौरान 29 से 35 होटल्स/मोटल्स ने कच्चे माल (अपव्यय सहित) पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय किया जबकि 5 से 25 होटल्स/मोटल्स ने ईंधन पर अधिक व्यय किया। कच्चे माल एवं ईंधन के अधिक उपभोग के परिणामस्वरूप मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ एवं ₹ 6.47 लाख का अधिक व्यय हुआ।

पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू

पीओडब्ल्यू एक लाभदायक उद्यम है एवं इस गतिविधि से अधिशेष 2007-12 में ₹ 8.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.64 करोड़ हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान ट्रेन का अधिभोग 100 प्रतिशत से गिरकर 80.12 प्रतिशत हो गया जो कि 2012-13 के दौरान और कम होकर 66.63 प्रतिशत हो गया। अधिशेष में वृद्धि का कारण टैरिफ में वृद्धि था जिसमें अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 19.33 से 32.35 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई।

आरआरओडब्ल्यू का निष्पादन खराब रहा क्योंकि कम्पनी 2009-13 के दौरान वार्षिक 34 फेरों की प्रस्तावित संख्या के समक्ष 16 से 23 के मध्य ही फेरे संचालित कर सकी। पर्यटकों की प्रतिक्रिया खराब थी एवं कम्पनी मार्च 2013 तक केवल 49.20 प्रतिशत अधिभोग ही प्राप्त कर सकी। 2011-12 के दौरान 58 प्रतिशत का उच्च अधिभोग फेरों की घटी हुई संख्या के कारण था। आरआरओडब्ल्यू परियोजना, भारत सरकार की पर्यटन क्षेत्र में वृहद राजस्व अर्जन करने वाली योजना में शामिल थी परन्तु कम्पनी ने ₹ 3.27 करोड़ की राशि के कम अनुदान का दावा किया।

केन्द्रीय/राज्य से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

कम्पनी केन्द्रीय सहायता प्रदान कार्यों को स्वीकृति की तिथि से 12 से 36 माह की नियत पूर्णता अवधि के भीतर पूर्ण नहीं कर सकी। 2007-13 के दौरान निष्पादित कुल 120 कार्यों में से 65 कार्य एक से 44 महीनों के विलम्ब से पूर्ण किए गये थे। इनमें से 20 कार्यों के लिए निविदाएं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त होने से 19 माह तक की अवधि के पश्चात् आमंत्रित की गई थी। परियोजना-वार कोषों की प्राप्ति एवं प्रत्येक परियोजना के समक्ष किए गये व्यय का विवरण संधारित नहीं किया था एवं मार्च 2013 को ₹ 1.08 करोड़ के कोष अप्रयुक्त पड़े थे। कम्पनी ने 23 कार्यों में स्वीकृत कोष से ₹ 96 लाख का अधिक व्यय किया एवं इसे अप्रयुक्त कोषों से समायोजित किया। राज्य सरकार द्वारा 2007-13 के दौरान सौंपे गये 64 कार्यों में से, 2010-12 के दौरान आवंटित 11 कार्य, निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब करने एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण पूर्ण होने के लिये लंबित थे (अक्टूबर 2013)। साथ ही स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, 2012-13 के दौरान आवंटित 10 कार्यों में से नौ कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण किये जाने थे एवं एक कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, केवल तीन कार्य अक्टूबर 2013 तक पूर्ण हुये थे।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में सात अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें पर्यटन नीति का क्रियान्वयन एवं राज्य में पर्यटन ढांचे के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना तैयार करना, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समर्थन हेतु वास्तविक बजट एवं कार्यवाही योजना तैयार करना, उत्तम विपणन एवं सुविधाओं में सुधार करके अधिभोग को बढ़ाना, खाद्य लागत को मानदण्डों के भीतर लाना, पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू के अधिभोग में सुधार हेतु कार्यवाही योजना तैयार करना, परियोजनाओं की पूर्णता हेतु केन्द्र/राज्य की मार्गदर्शिका की अनुपालना करना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सतर्कता कार्य में सुधार लाना सम्मिलित है।

प्रस्तावना

2.1 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरपीवीएनएल) का समामेलन एक पूर्ण स्वायत्त सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान राज्य में पर्यटन का विकास करने के लिए हुआ था (नवम्बर 1978)। आरपीवीएनएल का पुनःनामकरण सितम्बर 2000 में 'राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (कम्पनी) के रूप में किया गया था। कम्पनी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार (जीओआर) की एक नोडल एजेन्सी है एवं इसका प्रशासनिक नियंत्रण पर्यटन विभाग (डीओटी), राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है।

मार्च 2013 को, कम्पनी के निदेशक मण्डल (बीओडी) में प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष सहित सात निदेशक थे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी है जिसके सहायतार्थ प्रधान कार्यालय पर दो कार्यकारी निदेशक, सात महाप्रबंधक (वित्त, निर्माण, प्रशासन, खाद्य-पेय व भूमि बैंक, नियोजन व निगरानी, विपणन व प्रचार एवं केन्द्रीय भण्डार) एवं इकाईयों पर 20 महाप्रबंधक है।

कम्पनी की मुख्य गतिविधियों में पर्यटकों के लिए होटल्स/मोटल्स में आवास व खान-पान गतिविधि, पर्यटक ट्रेनों का संचालन, चयनित होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा, पैकेज टूर, परिवहन एवं नौकायन सुविधायें सम्मिलित है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास को सुविधा प्रदान करना है। मार्च 2013 को कम्पनी 45 होटल्स/मोटल्स, दो पर्यटक ट्रेन यथा पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) व रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) का संचालन कर रही थी। कम्पनी ने 2005-06 से 2008-09 के दौरान हैरिटेज ऑन व्हील्स (एचओडब्ल्यू) को भी संचालित किया। मार्ग के आमान परिवर्तन (मीटर से बड़ी लाईन) के कारण एचओडब्ल्यू का संचालन जनवरी 2009 से बंद कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2 कम्पनी के निष्पादन की गत संवीक्षा 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), राजस्थान सरकार में समाहित की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 के दौरान चर्चा की गई थी। कोपू की सिफारिशें प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2013)।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान कम्पनी की सभी गतिविधियाँ समाहित है। कम्पनी ने वर्ष 2012-13 के लिये वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये थे (दिसम्बर 2013) अतः वर्ष 2012-13 हेतु वित्तीय आंकड़े निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। तथापि वर्ष 2012-13 हेतु पर्यटकों की आवक, होटल्स/मोटल्स की ऑक्यूपेन्सी (अधिभोग), पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू का अधिभोग, केन्द्रीय व राज्य से सहायतार्थ पर्यटन परियोजनाओं की स्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में परिचालन निष्पादन, निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा जाँच में कम्पनी के प्रधान कार्यालय,12[1] चयनित होटल्स/मोटल्स, पर्यटक ट्रेनें एवं निर्माण शाखा के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित हैं। मार्च 2012 को 46 होटल्स/मोटल्स में से 12 होटल्स/मोटल्स का चयन पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले विविध कारकों यथा टर्नओवर, व्यय, अधिशेष/घाटा, अधिभोग, भौगोलिक स्थिति, स्थानों की महत्वता आदि के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह ज्ञात करने के लिए की गई थी कि:

- दीर्घावधि/अल्पावधि योजनाएं तैयार कर राज्य में पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की नीति को क्रियान्वित किया गया था;
- होटल/मोटल/रेस्टोरेन्ट एवं पर्यटक ट्रेनों का संचालन प्रभावी व दक्ष तरीके से किया गया था एवं अधिभोग के लक्ष्य प्राप्त किये गये थे;
- पर्यटकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध थी;
- विपणन रणनीति व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुकूल थी;
- भारत सरकार (जीओआई) एवं राजस्थान सरकार से प्राप्त कोषों का उपयोग वांछित उद्देश्यों के लिए प्रभावी एवं मितव्यता पूर्वक किया गया था; एवं
- आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा के मापदण्ड

2.4 निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गये थे:

- राजस्थान सरकार की पर्यटन नीति 2001, राजस्थान सरकार एवं कम्पनी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई योजना/मार्गदर्शिका;
- भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जारी मार्गदर्शिका;
- भोजन एवं खान-पान के सम्बन्ध में तय किये गये मापदण्ड व बजट;
- निदेशक मण्डल (बीओडी) व अन्य समितियों की बैठकों की कार्यसूची व कार्यवाही वृत्त; एवं
- प्रबंधन सूचना प्रणाली/आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा।

1 (1) मोटल बहरोड़, (2) होटल गणगौर जयपुर, (3) होटल मूमल जैसलमेर, (4) होटल घूमर जोधपुर, (5) होटल सारस भरतपुर, (6) मोटल महुआ, (7) होटल तीज जयपुर, (8) होटल कजरी उदयपुर, (9) होटल शिखर माउण्ट आबू, (10) होटल ढोलामारू बीकानेर, (11) होटल हवेली फतेहपुर एवं (12) कैसल झूमरबावड़ी सवाईमाधोपुर।

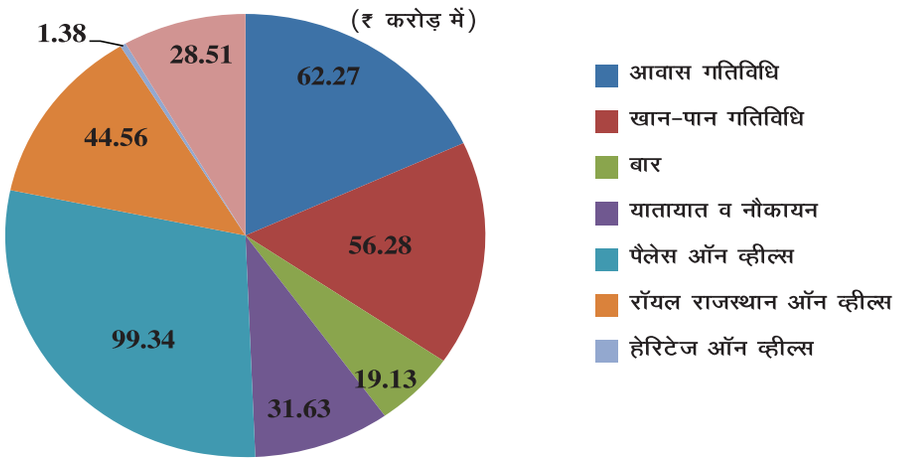
लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.5 लेखापरीक्षा मापदण्डों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी गई क्रियाविधि में प्रविष्टि सभा (25 अप्रैल 2013) के दौरान सरकार/कम्पनी के शीर्ष प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या किया जाना सम्मिलित है। प्रधान कार्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा में आंकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियां जारी करना एवं कम्पनी के कार्मिकों के साथ संवाद सम्मिलित है। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार/प्रबंधन को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था। सरकार/प्रबंधन का उत्तर अगस्त 2013/नवम्बर 2013 में प्राप्त हुआ था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार/प्रबंधन के साथ समापन सभा (27 सितम्बर 2013) के दौरान विचार-विमर्श किया गया था। सरकार/प्रबंधन के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

वित्तीय रूपरेखा

2.6 मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणाम **अनुबन्ध-7** में दिए गये हैं। कम्पनी की वित्तीय स्थिति कमजोर रही क्योंकि इसने 2007-08 में ₹ 0.05 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया एवं तत्पश्चात् लगातार हानियाँ[2] वहन की। मार्च 2012 के अन्त तक संचित हानियाँ ₹ 72.12 करोड़ हो गई एवं इसने नियोजित पूंजी को समाप्त कर दिया। मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न गतिविधियों से अर्जित राजस्व निम्न प्रकार था:



2 ₹ 8.36 करोड़ (2008-09), ₹ 25.43 करोड़ (2009-10), ₹ 26.68 करोड़ (2010-11) एवं ₹ 11.65 करोड़ रूपये (2011-12)।

मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा आवास, खान-पान, बार, यातायात एवं नौकायन, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, हैरिटेज ऑन व्हील्स एवं अन्य के मध्य राजस्व की अंश प्रतिशतता क्रमशः 18.15, 16.40, 5.58, 9.22, 28.95, 12.99, 0.40 एवं 8.31 थी।

लाभदायकता विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि केवल पीओडब्ल्यू एवं पैकेज्ड टूर ने लाभों में योगदान दिया जबकि अन्य समस्त गतिविधियाँ यथा होटल्स/मोटल्स (सभी गतिविधियों यथा आवास, खानपान आदि को सम्मिलित करते हुए) एवं आरआरओडब्ल्यू ने मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान हानि वहन की थी। गतिविधि-वार वित्तीय निष्पादन ने आवास एवं खानपान में लाभ इंगित किया लेकिन यह वास्तविक स्थिति की द्योतक नहीं थी क्योंकि लाभदायकता के निर्धारण हेतु सामान्य व्यय, मरम्मत व रख-रखाव एवं प्रधान कार्यालय के व्ययों में हिस्सेदारी को ध्यान में नहीं रखा गया था।

राज्य पर्यटन नीति का नियोजन एवं क्रियान्वयन

2.7 राजस्थान सरकार ने सितम्बर 2001 में एक नई पर्यटन नीति (नीति) जारी की जिसमें कम्पनी की भूमिका राज्य में पर्यटन विकास हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में परिकल्पित की। तथापि, कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के संवर्धन एवं पर्यटन हेतु आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कोई दीर्घावधि/अल्पावधि कार्ययोजना अथवा नीति तैयार नहीं की थी। कम्पनी की भूमिका को परिभाषित करने वाले मुख्य क्षेत्र नीचे दिये गये हैं:

- सरकार से भूमि अधिग्रहित करना अथवा आवंटित कराना एवं इसे होटल्स तथा अन्य पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विकसित करना।
- देवस्थान विभाग की मूल्यवान भूमि व सम्पत्तियों का उपयोग धर्मशालाओं/यात्री निवास/पर्यटक भवन के रूप में विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग व देवस्थान विभाग के साथ संयुक्त रूप से परियोजनाएं तैयार करना।
- चयनित समता भागेदारी द्वारा 'सहायक क्षेत्र' में पर्यटन सम्बन्धित उद्यम स्थापित करना।
- मितव्ययी पर्यटकों हेतु पीओडब्ल्यू के सस्ते संस्करण को प्रारम्भ करना।
- राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर स्थानीय दर्शनीय स्थलों के भ्रमण हेतु व्यवस्था करना।
- हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एयर टैक्सी संचालकों के साथ सहयोग की व्यवहार्यता तलाशना।
- राज्य में पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं को स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के ऋण आवेदनों के प्रक्रियाकरण हेतु एकल खिड़की सुविधा।

कम्पनी ने पर्यटन नीति को कार्यान्वित किये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। हमने पाया कि पर्यटन के संवर्धन एवं आधारभूत ढाँचा विकास के लिए दीर्घावधि योजनाएं बनाने हेतु नीति पर निदेशक मण्डल की बैठकों में कभी विचार-विमर्श नहीं किया गया था। कम्पनी ने, पुष्कर में एक कैम्पिंग साइट (गनेड़ा), जो कि परियोजना की उपयुक्तता के बारे में नकारात्मक राय के

बावजूद अक्टूबर 2009 में ₹ 2.02 करोड़ की लागत से विकसित की गई, के अलावा किसी भी परियोजना के विकास हेतु न तो कोई भूमि अवाप्त की, न ही आवंटित करवायी। उक्त परियोजना को 2012 में लाभदायकता के अभाव के कारण बन्द करना पड़ा था। राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक उत्प्रेरक एवं नोडल एजेन्सी के रूप में कम्पनी का मूलभूत उद्देश्य विफल हो गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) एवं कहा कि पर्यटन विभाग ने कम्पनी की परिकल्पित भूमिका के लिए कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किया था। एयर टैक्सी सेवाओं के क्रियान्वयन एवं सम्पत्तियों के विकास के संबंध में यह कहा था कि वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण यह व्यवहारिक नहीं थे। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा विशेष प्रशासनिक आदेशों को जारी करने की आवश्यकता नहीं थी एवं तथ्य यही रहा कि नीति को सही भावना के साथ लागू नहीं किया गया था।

राजस्थान में पर्यटन की संभावना एवं कम्पनी की उपलब्धियां

2.8 पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान ने स्वयं को एक प्रतिष्ठत पर्यटन स्थल रूप में स्थापित किया है। इसकी समृद्ध संस्कृति, रोमांचक रेगिस्तानी सफारी, चमकते रेत के टीले, वनों की अद्भुत विविधता एवं विविधतापूर्ण वन्य जीवन ने न केवल भारत के लोगों को आकर्षित किया अपितु इसे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ला दिया है। मार्च 2013 को समाप्त हुये गत छः वर्षों के दौरान राजस्थान में पर्यटकों की आवक एवं कम्पनी की सेवाएं प्राप्त करने वाले पर्यटकों का विवरण निम्न प्रकार हैः

(आंकड़े लाख में)

विवरण		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत में विदेशी पर्यटकों की कुल आवक		51.75	50.93	53.88	59.29	65.05	66.94
राजस्थान में पर्यटकों की आवक							
घरेलू		271.99	280.73	264.59	242.63	277.35	289.67
विदेशी		15.84	11.90	11.65	12.79	14.20	14.51
योग		**287.83**	**292.63**	**276.24**	**255.42**	**291.55**	**304.18**
राजस्थान भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की विदेशी पर्यटकों की कुल आवक से प्रतिशतता		**30.61**	**23.36**	**21.62**	**21.57**	**21.83**	**21.68**
पर्यटकों की संख्या जिन्होनें कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग किया							
घरेलू	संख्या	2.15	2.00	1.73	1.83	1.71	1.69
	प्रतिशतता	0.79	0.71	0.65	0.75	0.62	0.58
विदेशी	संख्या	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02
	प्रतिशतता	0.38	0.42	0.26	0.23	0.21	0.14
समग्र	संख्या	**2.21**	**2.05**	**1.76**	**1.86**	**1.74**	**1.71**
	प्रतिशतता	**0.77**	**0.70**	**0.64**	**0.73**	**0.60**	**0.56**

(स्त्रोतः पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन)

यह देखा जा सकता है कि भारत में विदेशी पर्यटकों की आवक 2007-08 में 51.75 लाख से बढ़कर (29 प्रतिशत से अधिक) 2012-13 में 66.94 लाख हो गई लेकिन इसी अवधि के दौरान राजस्थान भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता 30.61 प्रतिशत से घटकर 21.68 प्रतिशत हो गई। कम्पनी राजस्थान भ्रमण करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही क्योंकि कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता न केवल मामूली थी अपितु 2007-08 में 0.38 प्रतिशत (6076) से घटकर 2012-13 में 0.14 प्रतिशत (2247) रह गई। साथ ही, कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले घरेलू पर्यटकों की प्रतिशतता भी 2007-08 के दौरान 0.79 प्रतिशत से घटकर 2012-13 के दौरान 0.58 प्रतिशत रह गई। कम्पनी के समग्र निष्पादन में गिरावट का रुख रहा क्योंकि 2007-08 में कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले 2.21 लाख पर्यटकों (0.77 प्रतिशत) के समक्ष 2012-13 में इनकी संख्या घटकर 1.71 लाख (0.56 प्रतिशत) रह गई।

हमने देखा कि कम्पनी के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण विपणन का अभाव, खराब आधारभूत ढाँचा, अपर्याप्त सेवाएं/सुविधाएं एवं निजी क्षेत्र की तुलना में कमरों का उच्च टैरिफ (जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है) थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कमरों के अधिभोग में गिरावट के मुख्य कारण इनकी सुविधाओं में उन्नयन के अभाव के साथ निजी क्षेत्र में होटलों की संख्या एवं उपलब्ध बिस्तर क्षमता में वृद्धि के साथ ही निम्न व लोचदार टैरिफ था। तथापि, कम्पनी ने अपने तर्क के समर्थन में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे।

परिचालन निष्पादन एवं बजटीय विश्लेषण

परिचालन निष्पादन (होटल्स/मोटल्स)

2.9 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी ने राज्य के विभिन्न भागों में 45 से 47 होटल्स/मोटल्स संचालित किए। इस अवधि के दौरान होटल्स/मोटल्स का परिचालन निष्पादन **अनुबन्ध-8** में दिया गया है एवं संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	होटल्स/ मोटल्स की संख्या	आय	व्यय[3]	परिचालन अधिशेष/ (घाटा)	होटल्स/ मोटल्स का निष्पादन			
					अधिशेष (संख्या)	घाटा (संख्या)	अधिशेष	घाटा
2007-08	47	23.78	24.04	(0.26)	11	36	2.85	(3.11)
2008-09	47	24.83	25.90	(1.07)	12	35	2.42	(3.49)
2009-10	46	30.24	32.82	(2.58)	7	39	3.40	(5.98)
2010-11	45	34.71	35.89	(1.18)	11	34	4.22	(5.40)
2011-12	46	32.92	35.65	(2.73)	11	35	3.21	(5.94)

(स्रोतः कम्पनी के वार्षिक लेखे)

3 व्यय में मूल्य ह्रास, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक व्यय व कर्मचारी लागत हेतु प्रावधान एवं अन्य उपरिव्यय सम्मिलित नहीं है।

यह देखा जा सकता है कि होटल्स/मोटल्स का परिचालन निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित 45 से 47 होटल्स/मोटल्स में से, 34 से 39 (76 से 85 प्रतिशत) होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की थी। मार्च 2012 को समाप्त हुये सभी पाँच वर्षों में लाभप्रद होटल्स/मोटल्स द्वारा अर्जित परिचालन अधिशेष हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स के घाटे की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं था। परिचालन आय एवं व्यय के मध्य अन्तर 2007-08 में ₹ 0.26 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2.73 करोड़ हो गया। कम्पनी ने 2007-12 के दौरान होटल्स/मोटल्स के संचालन में ₹ 7.82 करोड़ की हानि वहन की।

हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स के हमारे विश्लेषण (**अनुबन्ध-9**) से विदित हुआ कि 29 होटल्स/मोटल्स ने सभी पाँच वर्षों में, तीन होटल्स/मोटल्स ने चार वर्षों में, तीन होटल्स/मोटल्स ने तीन वर्षों में, चार होटल्स/मोटल्स ने दो वर्षों में एवं पाँच होटल्स/मोटल्स ने एक वर्ष के दौरान हानि वहन की। हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स में से, आठ[4] होटल्स/मोटल्स पुष्कर, भरतपुर एवं जयपुर में स्थित है जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। केवल पाँच[5] होटल्स/मोटल्स ने सभी पाँच वर्षों के दौरान परिचालन अधिशेष अर्जित किया।

सरकार ने कहा कि हानियाँ, उच्च स्थापना लागत, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू किए जाने से कई गुणा बढ़ गई, के कारण थी। निष्पादन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए होटल्स/मोटल्स का उन्नयन निजी होटल्स के स्तर तक करने के लिए बड़े निवेश, युवा कार्मिकों की भर्ती एवं घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने इसके होटल्स/मोटल्स की लाभदायकता में सुधार हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किये थे।

2.10 हानियों को दृष्टिगत रखते हुये निदेशक मण्डल ने 10[6] लघु एवं अव्यवहार्य होटल्स/मोटल्स को 1 जनवरी 2008 से बंद करने का निर्णय किया (सितम्बर 2007)। तथापि, हमने पाया कि कम्पनी ने केवल एक इकाई (मावठ आमेर) को बंद किया (जुलाई 2009) एवं एक अन्य इकाई (यात्रिका, नाथद्वारा) को लीज पर दिया (2010-11)। शेष आठ होटल्स/मोटल्स को बंद करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जून 2013)। कम्पनी ने आर्थिक रूप से अव्यवहारिक इन आठ होटल्स/मोटल्स के संचालन से वर्ष 2007-12 के दौरान ₹ 4.13 करोड़ की हानि वहन की।

सरकार ने कहा कि होटल्स/मोटल्स को लीज पर देने हेतु गंभीर प्रयास किये गये थे परन्तु केवल एक इकाई ही आउटसोर्स की जा सकी वह भी खाली की जा चुकी है। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने निदेशक मण्डल के दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं की थी एवं होटल्स/मोटल्स को हानि में संचालित किया।

बजटीय विश्लेषण

2.11 कम्पनी ने, इकाई कार्यालयों से गतिविधि-वार प्रस्ताव मांगे एवं समग्र रूप से कम्पनी के लिए एक समेकित गतिविधि-वार बजट तैयार किया। वर्ष 2007-12 के दौरान बजटीय लक्ष्यों की उपलब्धि के पेटे कम्पनी का निष्पादन **अनुबन्ध-10** में दिया गया है।

4 सरोवर, टूरिस्ट विलेज, आरटीवी गनेड़ा, सारस, गणगौर, तीज, स्वागतम एवं दुर्ग कैफे।

5 समधणी, स्वादिम, मोटल बहरोड़, शिखर एवं कजरी।

6 बर, बूंदी, चुरू, दौसा, धौलपुर, देवगढ़, यात्रिका नाथद्वारा, रणकपुर, मावठ आमेर एवं बाड़मेर।

अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी 2007-09 के दौरान पीओडब्ल्यू में तथा 2010-12 में आरआरओडब्ल्यू के सिवाय सभी पाँच वर्षों के दौरान किसी भी गतिविधि में लाभदायकता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। वास्तविक परिचालन की तुलना में बजटीय अधिशेष सदैव उच्च रहा तथा 2007-12 के दौरान विचलन, आवास के मामले में 28.33 से 85.62 प्रतिशत, खानपान में 24.35 से 105.49 प्रतिशत, बार में 36.30 से 60.83 प्रतिशत एवं परिवहन व नौकायन में 33.59 से 170.37 प्रतिशत के मध्य रहा। पीओडब्ल्यू के मामले में, बजटीय अधिशेष पर आधिक्य 2009-12 के दौरान 4.55 से 39.82 प्रतिशत के मध्य रहा। कम्पनी ने 2010-11 के दौरान आरआरओडब्ल्यू में ₹ 20 लाख की हानि एवं वर्ष 2011-12 में ₹ 27 लाख का लाभ अनुमानित किया। तथापि, ट्रेन ने 2010-11 में ₹ 12 लाख एवं 2011-12 में ₹ 1.93 करोड़ का अधिशेष दर्ज किया।

हमने पाया कि इकाई कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये बजट प्रस्ताव भौतिक तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित नहीं थे क्योंकि सभी इकाईयों ने वास्तविक परिणामों पर ध्यान दिये बिना ही पिछले वर्ष के बजटीय आंकड़ों में सामान्य रूप से वृद्धि या कमी की थी। निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई कार्य योजना नहीं थी। होटल्स/मोटल्स के बजटीय लक्ष्यों के हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि कम्पनी ने 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹ 1.49 करोड़ व ₹ 0.03 करोड़ की हानियाँ अनुमानित की। वैयक्तिक होटल्स/मोटल्स के सम्बन्ध में, 2007-12 के दौरान कुल 45 से 47 होटल्स/मोटल्स में से 14 से 23 होटल्स/मोटल्स के लिए घाटे का बजट तैयार किया गया था एवं इनमें से नौ[7] होटल्स/मोटल्स के लिए सभी पाँच वर्षों के दौरान घाटे का बजट तैयार किया गया था। घाटे का बजट तैयार करना होटल्स/मोटल्स के पुनरुत्थान हेतु नियोजन के अभाव को दर्शाता है।

प्रधान कार्यालय ने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बिना किसी ठोस योजना के समेकित बजट तैयार किये। साथ ही, विभिन्न गतिविधियों के बजट एवं वास्तविक परिणाम सही लाभदायकता के सूचक नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने अप्रत्यक्ष व्ययों यथा सामान्य व्यय, मरम्मत व रखरखाव, मूल्यह्रास, ब्याज लागत, सेवानिवृत्ति लाभों एवं प्रधान कार्यालय के प्रशासनिक खर्चों का अनुभाजन नहीं किया था।

सरकार ने कहा कि बजटीय अधिशेष एवं वास्तविक अधिशेष में अन्तर का मुख्य कारण वित्तीय वर्षों के दौरान किए गये कुछ प्रावधान यथा अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी एवं वेतन बकाया था। घाटे के बजट के सम्बन्ध में यह कहा गया कि कम्पनी को राज्य सरकार की योजना के अनुसार उन स्थानों पर भी होटल्स/मोटल्स संचालित करने पड़े जहां पर्यटक यातायात पर्याप्त नहीं था। सरकार का उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि इकाईयों पर ये प्रावधान अनुभाजित नहीं किए गये थे। साथ ही, कम्पनी अव्यवहारिक होटल्स/मोटल्स संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रस्तुत नहीं कर सकी। बजट तैयार करने की सम्पूर्ण कार्यवाही व्यर्थ हुई एवं हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स के पुनरुत्थान के लिए कोई व्यूहरचना नहीं थी।

7 (1) मोटल बर, (2) वृन्दावती बूंदी, (3) सारस भरतपुर, (4) मीनल अलवर, (5) मोटल शाहपुरा, (6) मोटल देवगढ़, (7) शिल्पी रणकपुर, (8) मोटल दौसा, (9) चिरमी चुरू।

आवास गतिविधि

2.12 आवास गतिविधि के तहत, मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी का इकाई वार निष्पादन **अनुबन्ध-11** में दिया गया है एवं संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल होटल्स/ मोटल्स[8]	होटल्स/मोटल्स जिन्होनें अधिशेष अर्जित किया				होटल्स/मोटल्स जिन्होनें हानि वहन की			
		संख्या	आय	व्यय	अधिशेष	संख्या	आय	व्यय	घाटा
2007-08	46	22	9.86	5.18	4.68	24	1.29	2.10	0.81
2008-09	46	21	10.43	6.42	4.01	25	1.29	2.25	0.96
2009-10	46	16	8.96	6.31	2.65	30	2.84	4.62	1.78
2010-11	45	13	8.90	5.73	3.17	32	4.58	6.36	1.78
2011-12	46	19	10.16	6.84	3.32	27	3.95	5.71	1.76

(स्रोतः कम्पनी के वार्षिक लेखे)

कम्पनी की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि आवास सुविधा उपलब्ध करवाना थी। तथापि, इस सम्बन्ध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था क्योंकि 2007-12 के दौरान 52.17 से 71.11 प्रतिशत के मध्य होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की। तथापि, व्यय में केवल संलग्न कार्मिकों का वेतन एवं धुलाई प्रभार/उपभोज्य मदें ही सम्मिलित थी परन्तु अप्रत्यक्ष व्यय (जैसा कि अनुच्छेद 2.11 में वर्णित है) सम्मिलित नहीं किए गये थे क्योंकि कम्पनी में गतिविधि वार विभाजन की कोई प्रणाली नहीं है।

होटल्स/मोटल्स में कमरा अधिभोग की प्रतिशतता का स्तरीकृत विवरण नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
संचालित होटल्स/मोटल्स की संख्या		46	46	46	45	46	45
उपलब्ध कमरा दिवसों की संख्या		324873	303107	308622	330115	333686	330290
अधिभोगित कमरा दिवसों की संख्या		136723	129022	107909	111714	109153	107449
अधिभोग (प्रतिशतता में)		42	43	35	34	33	33
अधिभोग वाले होटल्स/ मोटल्स की संख्या	20 प्रतिशत से कम	10	9	12	12	14	12
	20 प्रतिशत व अधिक लेकिन 40 प्रतिशत से कम	19	22	23	23	23	24
	40 प्रतिशत व अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम	13	11	9	10	7	7
	60 प्रतिशत व अधिक	4	4	2	0	2	2

(स्रोतः कम्पनी की एमआईएस)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रदर्शन उत्साह जनक नहीं था क्योंकि 2007-13 के दौरान अखिल भारतीय औसत अधिभोग[9] क्रमशः 69.40, 63.10, 59.90, 62.10, 60.90 एवं 58.30 प्रतिशत के समक्ष अधिभोग 2007-08 में 42 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 33

8 होटल्स/मोटल्स जिन्होनें आवास सुविधा सेवा प्रदान की।

9 फेडरेशन ऑफ होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार।

प्रतिशत रह गया। साथ ही, समृद्ध विरासत, संस्कृति, रेत के टीलों, वन्य जीवन, पहाड़ी स्थल इत्यादि वाले प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित नौ[10] होटल्स/मोटल्स के विश्लेषण से विदित हुआ कि 2007-13 के दौरान औसत अधिभोग 37.77 से 49.37 प्रतिशत के मध्य रहा। यह इंगित करता है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अभाव के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित होटल्स/मोटल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी की तुलना में निजी क्षेत्र के नवनिर्मित होटलों में कम टैरिफ, बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से युवा कार्मिकों के साथ ही बेहतर आधुनिक तकनीक है। इसके अलावा, कम्पनी के कुछ होटल्स/मोटल्स पर्यटन विकास के एकमात्र उद्देश्य से स्थापित किए गये हालांकि यह आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं थे। तथ्य यही रहा कि कम्पनी राजस्थान में 1978 से एक स्थापित नाम होने एवं राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों पर सम्पत्तियाँ होने के बावजूद नियोजन ओर दूरदर्शिता के अभाव के कारण पर्यटकों की आवक को आकर्षित करने में विफल रही थी।

लक्ष्यों का निर्धारण

2.13 कम्पनी ने आवास-सुविधा से आय के आधार पर प्रत्येक होटल/मोटल हेतु अधिभोग लक्ष्यों का निर्धारण किया। तथापि, कम्पनी द्वारा इकाई के स्थल, पर्यटक प्रवाह व विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर कमरा अधिभोग लक्ष्य निर्धारित करने की सही प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई थी। आय के आधार पर अधिभोग लक्ष्यों का निर्धारण करने के कारण कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिभोग लक्ष्य 100 प्रतिशत से भी अधिक थे (2010-11 में मोटल दौसा के लिए 211 प्रतिशत तक)।

कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स हेतु कोई सम-विच्छेद अधिभोग स्तर निर्धारित नहीं किया था, यद्यपि यह लाभप्रदता को मापने का एक महत्वपूर्ण मानदंड था। कम्पनी द्वारा सम-विच्छेद अधिभोग स्तर के निर्धारण के अभाव में, हमने अप्रत्यक्ष व्ययों को होटल्स/मोटल्स के प्रत्यक्ष टर्नओवर के अनुपात में विभाजित कर सम-विच्छेद अधिभोग स्तर की गणना की। हमारे द्वारा 2007-12 के पाँच वर्षों के लिए गणना किए गये 56.60, 65.37, 67.80, 58.71 एवं 52.02 प्रतिशत सम-विच्छेद अधिभोग की तुलना में वास्तविक औसत अधिभोग क्रमशः 42.09, 42.57, 34.96, 33.84 व 32.71 प्रतिशत था।

सरकार ने कहा कि कम्पनी का लक्ष्य व उद्देश्य राज्य में पर्यटन का विकास करना था एवं होटल्स/मोटल्स विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर स्थापित नहीं किये गये थे। ऐसी परिस्थितियों में सम-विच्छेद बिन्दु किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता था। उत्तर में औचित्य का अभाव है क्योंकि सम-विच्छेद बिन्दु, प्रबन्धन को होटल्स/मोटल्स के लाभ नियोजन में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

टैरिफ का निर्धारण

2.14 कम्पनी ने प्रधान कार्यालय में इकाई प्रबंधकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कमरे का टैरिफ निर्धारित व संशोधित किया। वर्ष 2010-11 तक कमरा टैरिफ सम्पूर्ण वर्ष के लिए एक

10 सीजेबी (सवाईमाधोपुर), विनायक (सवाईमाधोपुर), गणगौर (जयपुर), तीज (जयपुर), स्वागतम (जयपुर), शिखर (माउण्ट आबू), कजरी (उदयपुर), धूमर (जोधपुर) एवं मूमल (जैसलमेर)

समान निर्धारित किया जाता था एवं मौसमी (सीजन) व बेमौसमी (ऑफ सीजन) टैरिफ की कोई अवधारणा नहीं थी। तथापि, होटल प्रबंधकों को बेमौसम के दौरान 35 प्रतिशत तक की अधिक छूट की पेशकश करने की विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी। साथ ही, वर्ष 2011-12 से कम्पनी ने 'मौसम' व 'बेमौसम' अवधि हेतु अलग-अलग टैरिफ निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया था।

हमने पाया कि टैरिफ का निर्धारण विविध कारकों के आधार पर, जैसे होटल्स/मोटल्स द्वारा दर्ज अधिभोग, नजदीकी अन्य होटल्स/मोटल्स की टैरिफ संरचना इत्यादि, करने का कोई तर्क संगत आधार नहीं था। साथ ही, टैरिफ संशोधन करने हेतु कोई नीति नहीं थी एवं कम्पनी ने टैरिफ के नियमित वार्षिक संशोधन के अलावा भी अनेक बार टैरिफ संशोधित (अधिकांशतः दरों में वृद्धि) किया। इससे पर्यटकों, जिन्होनें टैरिफ संशोधन किये जाने से पूर्व कमरे आरक्षित करवा लिये थे, को असुविधा हुई क्योंकि उन्हें दरों में वृद्धि के पेटे अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ा था।

सरकार ने कहा कि टैरिफ का निर्धारण प्रधान कार्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों हेतु टैरिफ को युक्तिसंगत एवं स्वीकार्य बनाने हेतु सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह उत्तर अनुच्छेद संख्या 2.8 के लिए दिए गये उत्तर के विपरीत है जिसमें प्रबंधन ने स्वीकार किया है कि उच्च टैरिफ के कारण होटल्स का अधिभोग कम रहा एवं कम्पनी को हानि हुई।

ग्राहक प्रतिक्रिया प्रणाली

2.15 कम्पनी ने सेवाओं, खाद्यपदार्थ व सुविधाओं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में पर्यटकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए होटल्स/मोटल्स में आगंतुक पुस्तिका (शिकायत व सुझाव पंजिका) संधारित की। चयनित होटल्स/मोटल्स में आगंतुक पुस्तिका की समीक्षा से विदित हुआ कि पर्यटकों ने कमरों की खराब स्थिति, खाद्यपदार्थ की गुणवत्ता, कक्ष सेवाओं, विद्युत उपकरणों (एयर कंडीशनर, पंखे, स्विच इत्यादि) के काम नहीं करने एवं अन्य सुविधाओं जैसे शौचालय व स्नानघर के बारे में शिकायत की। हमारी लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि एक इकाई (सीजेबी, सवाईमाधोपुर) ने आगंतुक पुस्तिका संधारित नहीं की थी जबकि अन्य दो होटल्स (हवेली फतेहपुर व ढोलामारू बीकानेर) में आगंतुक पुस्तिका उचित तरह से संधारित नहीं की गई थी क्योंकि इन दोनों होटल्स में 2007-12 के दौरान प्रत्येक में केवल पाँच टिप्पणियाँ दर्ज थी। साथ ही, छः[11] होटल्स/मोटल्स में प्रतिकूल टिप्पणियों की संख्या अनुकूल टिप्पणियों से अधिक थी जबकि केवल तीन होटल्स/मोटल्स (गणगौर जयपुर, घूमर जोधपुर व सारस भरतपुर) में अनुकूल टिप्पणियाँ दर्ज थी।

कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स को विभिन्न स्थानों यथा स्वागत-स्थल, भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष, प्रत्येक मंजिल इत्यादि पर अथिति सुझाव बॉक्स लगाने एवं सुझावों हेतु होटल्स/मोटल्स में रुके हुए प्रत्येक पर्यटक को आवश्यक रूप से मुफ्त अंतर्देशीय पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया (जुलाई 2008)। सुझाव बॉक्स को प्रत्येक माह के प्रथम व पन्द्रहवें दिन खोला जाना था एवं पत्रों को सीलबंद लिफाफे में प्रधान कार्यालय को भेजा जाना था। पर्यटक पत्रों को सीधे प्रधान कार्यालय को भी भेज सकते थे।

11 (1) तीज जयपुर (2)मोटल बहरोड़ (3) मोटल महुआ (4) कजरी उदयपुर (5) शिखर माउण्ट आबू एवं (6) मूमल जैसलमेर।

हमने पाया कि दो[12] होटल्स/मोटल्स ने प्रणाली को लागू नहीं किया था। शेष होटल्स/मोटल्स में अंतर्देशीय पत्रों के माध्यम से प्राप्त सुझाव/प्रतिक्रिया नगण्य थी। होटल तीज (जयपुर) की नमूना जाँच से विदित हुआ कि 2007-13 के दौरान 68335 पर्यटकों को प्रदान की गई आवास-सुविधा के समक्ष केवल 36 पत्र प्राप्त हुए थे। साथ ही, प्रधान कार्यालय में प्राप्त अंतर्देशीय पत्रों एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही का कोई विवरण नहीं रखा गया था।

कम्पनी ने अंतर्देशीय पत्रों की प्राप्ति/निर्गमन एवं उन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में उचित अभिलेख संधारित नहीं किये थे। इसलिए लेखापरीक्षा में उक्त प्रणाली की प्रभावशीलता सत्यापित नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा कि प्रबंधन को प्रतिवेदित गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लेकर सम्बन्धित इकाई प्रबन्धकों को लिखित एवं मौखिक चेतावनी दी गई। तथापि, भविष्य में प्रभावी तंत्र स्थापित किया जायेग।

विपणन एवं प्रचार

2.16 पर्यटन के संवर्धन हेतु सेवाओं का विपणन/प्रचार एक प्रभावी माध्यम है। कम्पनी के प्रधान कार्यालय में एक पृथक विपणन एवं प्रचार अनुभाग के साथ ही इसके व्यवसाय की अभिवृद्धि एवं प्रचार हेतु अहमदाबाद, दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता व जयपुर में छः केन्द्रीय आरक्षण/विपणन कार्यालय हैं। साथ ही, कम्पनी ने इसके स्वामित्व वाले पर्यटन ढाँचे के विपणन हेतु वर्ष 2007-13 के दौरान 43 घरेलू व तीन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के यात्रा व पर्यटन मेलों एवं सड़क प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

हमने पाया कि कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स, विलासिता ट्रेनों, यात्रा पैकेज एवं इसके द्वारा प्रस्तावित अन्य सुविधाओं के संवर्धन को सुनिश्चित करने हेतु कोई विपणन या विज्ञापन नीति तैयार नहीं की थी। केन्द्रीय आरक्षण कार्यालयों ने खराब प्रदर्शन किया एवं 2007-12 की अवधि दौरान होटल्स/मोटल्स के कुल परिचालन टर्नओवर का 10.48 से 13.45 प्रतिशत के मध्य व्यवसाय प्रदान किया। 2007-12 के दौरान ₹ 146.48 करोड़ के कुल परिचालन टर्नओवर के समक्ष इन कार्यालयों से व्यवसाय ₹ 17.89 करोड़ का था। साथ ही, 2007-12 के दौरान विपणन पर कुल व्यय केवल ₹ 2.32 करोड़ था, जो कि कम्पनी के कुल टर्नओवर का 0.68 प्रतिशत था। इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसे कि टेलीविजन, रेडियो/एफएम, जो कि अधिक प्रभावी हैं, के माध्यम से विज्ञापनों पर व्यय, विज्ञापनों पर कुल व्यय का केवल 5.36 प्रतिशत था।

कम्पनी ने घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व पर्यटन मेलों तथा सड़क प्रदर्शनियों में भाग लेने पर ₹ 0.59 करोड़ व्यय किये परन्तु इस प्रचार अभियान के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। इसके अलावा, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार प्रति वर्ष राजस्थान में 29 से 34 उत्सव आयोजित करता है परन्तु कम्पनी ने 2010-13 के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनमें से किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया था।

12 चयनित होटल्स/मोटल्स में से 10 होटल्स/मोटल्स में हमने पाया कि कम्पनी ने पर्यटकों की जानकारी हेतु कम्पनी के होटल्स/मोटल्स एवं उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में

12 ढोलामारू बीकानेर एवं मोटल महुआ।

बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन के मार्गों पर अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्ट नहीं लगवाये थे।

हमने यह भी पाया कि पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार 24 पर्यटक स्वागत केन्द्र (19 राजस्थान में एवं 5 राज्य के बाहर) संचालित करता है। तथापि, सभी पर्यटक केन्द्रों पर कर्मचारी तैनात करने के प्रमुख सचिव, पर्यटन के दिशानिर्देशों (मई 2008) के बावजूद कम्पनी ने केवल छः केन्द्रों (राजस्थान में तीन केन्द्र एवं तीन राज्य के बाहर) पर कर्मचारी नियुक्त किये थे। इसके अलावा, यात्रा वेबसाईटों जैसे *www.tripadvisor.com* पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं था एवं प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

सरकार ने कहा कि दिसम्बर 2009 में शुरू की गई वेबपोर्टल काफी लोकप्रिय था एवं इसने पर्याप्त प्रचार प्रदान किया। ग्राहकों को ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होने के कारण से केन्द्रीय आरक्षण कार्यालयों से आय कम हुई। चूंकि पर्यटन विभाग उन स्थलों हेतु, जहाँ कम्पनी की सम्पत्तियाँ स्थित है, का पर्याप्त प्रचार कर रहा है, कम्पनी ने वित्तीय कठिनाईयों के कारण प्रत्यक्ष विपणन व प्रचार को सीमित किया। उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि होटल्स/मोटल्स का औसत अधिभोग 2007-08 में 42 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 33 प्रतिशत रह गया एवं कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स के संचालन पर 2007-12 के दौरान ₹ 7.82 करोड़ की परिचालन हानि वहन की थी। साथ ही, सरकार ने स्वीकार किया था (**अनुच्छेद संख्या 2.9**) कि परिचालन प्रदर्शन में आमूलचूल परिवर्तन हेतु घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक प्रचार की आवश्यकता है। अनुच्छेद में उठाये गये अन्य मुद्दों पर उत्तर विस्तार से नहीं था।

सितारा श्रेणीकरण

2.17 पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार होटल्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं व सेवाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणीयों (1 सितारा से 5 सितारा, डीलक्स, विरासत इत्यादि) में श्रेणीकरण करती है। कम्पनी को इसके होटल्स को श्रेणीकृत कराने हेतु पर्यटन विभाग, भारत सरकार के अधीन होटल एवं रेस्टोरेन्ट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) में आवेदन करना होता है। सितारा वर्गीकरण, स्वाभाविक रूप से व्यवसाय के लिये लाभप्रद होता है। तथापि, कम्पनी ने अपने होटल्स के सितारा श्रेणीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी के अधिकांश होटल्स वर्गीकरण हेतु निर्धारित सुविधाओं एवं सेवाओं की पूर्ति नहीं करते थे।

आवास-गतिविधि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दे

2.18 कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स में शयनकक्ष, कार्यालय का अग्र भाग, विश्रामकक्ष/ लॉबी, रसोईघर, रेस्टोरेन्ट/कॉफी शॉप, बार, उद्यान व पार्किंग-स्थल की साफ-सफाई पर उचित ध्यान देते हुए उचित रख रखाव हेतु नियंत्रण प्रदान कर ठोस निगरानी एवं निरीक्षण के लिए सभी होटल्स/मोटल्स को निर्देशित किया (अगस्त 2010)।

हमने कम्पनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना जाँचने के लिए 12 चयनित होटल्स/मोटल्स में प्रबंधन के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया (8 अप्रैल 2013 से 1 जून 2013)। निरीक्षित कमरे सांयोगिक आधार पर कुल कमरों का 20 से 25 प्रतिशत थे। सर्वेक्षण के परिणाम निम्नानुसार थे:

- नौ[13] होटल्स/मोटल्स में कुल सर्वेक्षित कमरों में से 31 प्रतिशत (होटल कजरी उदयपुर) से 86 प्रतिशत (ढोलामारू बीकानेर) कमरों में भारी मरम्मत की आवश्यकता थी।
- घूमर (जोधपुर) में 12 एयर कंडीशनर बहुत पुराने थे एवं ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। साथ ही, होटल सारस (भरतपुर) में 14 कमरों में कूलर स्थापित नहीं थे। ग्राहकों ने भी एयर कंडीशनरों व कूलरों की अनुपलब्धता/कार्य नहीं करने के बारे में शिकायतें की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि वृहद रूप से मरम्मत कार्य किया जायेगा एवं इकाई प्रमुखों को आवंटित निर्धारित सीमा के अनुसार एयर कंडीशनर व अन्य ऐसी मदों को क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया था।

खान-पान गतिविधि

2.19 मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान खान-पान गतिविधि का निष्पादन निम्न प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	होटल्स/ मोटल्स की संख्या[14]	लाभ अर्जित करने वाले होटल्स/मोटल्स				हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स				शुद्ध अधिशेष/ (कमी)
		संख्या	आय	व्यय	अधिशेष	संख्या	आय	व्यय	कमी	
2007-08	46	17	6.48	5.18	1.30	29	2.24	2.99	0.75	0.55
2008-09	46	19	6.94	5.47	1.47	27	2.36	3.28	0.92	0.55
2009-10	45	26	9.47	7.15	2.32	19	2.22	3.16	0.94	1.38
2010-11	44	23	11.47	8.60	2.87	21	2.60	3.73	1.13	1.74
2011-12	46	19	7.12	5.76	1.36	27	5.38	6.88	1.50	(0.14)
कुल			41.48	32.16	9.32		14.80	20.04	5.24	4.08

(स्रोतः कम्पनी के वार्षिक लेखे)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के अलावा खान-पान गतिविधि ने अधिशेष अर्जित किया है। तथापि, 50 प्रतिशत से अधिक होटल्स/मोटल्स ने 2007-09 एवं 2011-12 के दौरान हानि वहन की थी। हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स के कारण 2007-12 की अवधि के दौरान ₹ 5.24 करोड़ की परिचालन हानि हुई। हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स में प्रतिष्ठित होटल्स/मोटल्स यथा होटल घूमर, होटल कजरी, दुर्ग कैफे, होटल स्वागतम, होटल तीज, मोटल बर एवं होटल गणगौर भी सम्मिलित है, जिन्होंने 2007-12 के

13 होटल तीज जयपुर, ढोलामारू बीकानेर, मोटल महुआ, मिडवे बहरोड़, मूमल जैसलमेर, शिखर माउण्ट आबू, घूमर जोधपुर, सारस भरतपुर एवं कजरी उदयपुर।

14 होटल्स/मोटल्स जो कि खान-पान सुविधा प्रदान करते है।

दौरान एक से पाँच वर्ष तक हानियाँ वहन की। इन होटल्स/मोटल्स ने ₹ 0.22 करोड़ (होटल स्वागतम) से ₹ 1.46 करोड़ (होटल गणगौर) के मध्य औसत टर्नओवर दर्ज किया।

मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान हानि वहन करने वाले होटल्स/मोटल्स के हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि 15 होटल्स/मोटल्स ने सभी पाँच वर्षों में हानि वहन की, तीन होटल्स/मोटल्स ने चार वर्षों में एवं 21 होटल्स/मोटल्स ने पाँच वर्षों में कम से कम एक वर्ष में हानि वहन की। केवल 10 होटल्स/मोटल्स ने सभी पाँच वर्षों के दौरान परिचालन लाभ अर्जित किया। तथापि, खान-पान गतिविधि से वास्तविक लाभदायकता पर टिप्पणी नहीं की जा सकी क्योंकि वित्तपोषण लागत, सामान्य व्यय, मूल्य ह्रास, मरम्मत व रखरखाव, प्रधान कार्यालय व्ययों एवं खान-पान गतिविधि में संलग्न कार्मिकों के सेवानिवृत्ति परिलाभों हेतु प्रावधानों का गतिविधि-वार विभाजन नहीं किया गया था।

हमने पाया कि कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स के प्रबन्धन के साथ बैठकों में खान-पान गतिविधि के निष्पादन की संवीक्षा की एवं त्रैमासिक निष्पादन निदेशक मण्डल की बैठकों में रखा गया था। तथापि, प्रबंधन ने निष्पादन में सुधार हेतु केवल सामान्य निर्देश ही जारी किये एवं होटल्स/मोटल्स द्वारा इन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।

कम्पनी ने संभावित होटल्स/मोटल्स में तीन माह में एक बार के साथ-साथ विशेष अवसरों/त्यौहारों पर खाद्य उत्सवों के आयोजन करने का निर्णय लिया (मार्च 2009)। संभावित होटल्स/मोटल्स में लीज/जन निज सहभगिता प्रारूप पर रेस्टोरेन्ट संचलान हेतु रेस्टोरेन्ट की श्रृंखला (पिज्जा हट, कैफे कॉफी डे इत्यादि) को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया। तथापि, निर्णय को क्रियान्वित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि खान-पान गतिविधि का निष्पादन होटल के अधिभोग पर निर्भर है जो कि निरन्तर कम हो रहा है एवं भोजन कक्षों में बाहरी जनता द्वारा उपभोग बहुत सीमित है। तथ्य यही रहता है कि कम्पनी द्वारा खानपान गतिविधि के निष्पादन में सुधार हेतु न तो निर्णयों की क्रियान्विति की गई तथा न ही प्रभावी कार्यवाही की गई।

खाद्य लागत

2.20 कम्पनी ने खान-पान गतिविधि लागत नियंत्रित करने के लिए खाद्य लागत मानदण्डों का निर्धारण किया (जून 1998)। मानदण्डों में प्रावधान था कि कच्चा माल, ईंधन लागत, संस्थापन लागत, अपव्यय एवं अन्य लागत मेन्यू दरों के क्रमशः 35, 7, 20.5 एवं 13 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेन्यू दरें निर्धारित करने के लिए उपभोग की निर्धारित सीमाओं का उपयोग इस प्रकार किया जाना था कि कम से कम 20 प्रतिशत लाभ अर्जित किया जा सके एवं निश्चित की गई दरें निजी क्षेत्र में इसी श्रेणी के होटल/प्रतिष्ठानों इत्यादि के द्वारा प्रस्तावित दरों के साथ तुलनीय हों। कच्चे माल की लागत की अधिकतम सीमा जुलाई 2009 में विक्रय मूल्य के 25 प्रतिशत तक संशोधित की गई थी। दिसम्बर 2011 में खाद्य लागत मानदण्ड पुनः संशोधित किये गये थे एवं कच्चा माल, संस्थापन लागत, ईंधन एवं अपव्यय की अधिकतम सीमा न्यूनतम 10 प्रतिशत लाभ के साथ, मेन्यू दर के क्रमशः 35, 46, 7 व 2 प्रतिशत निश्चित की गई थी।

कम्पनी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में होटल्स/मोटल्स द्वारा किये गये कच्चे माल एवं ईंधन लागत के हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि इन मदों के तहत प्रभारित लागत मानदण्डों

से अधिक थी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कच्चे माल एवं ईंधन लागत का विश्लेषण नीचे इंगित किया गया है:

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
खान-पान सेवा प्रदान करने वाले होटल्स/मोटल्स की कुल संख्या	46	46	45	44	46
अपव्यय सहित कच्चे माल की अनुमत्य अधिकतम लागत (मेन्यू दरों का प्रतिशत)	40	40	40 व 30[15]	30	30 व 37[16]
अधिकतम अनुमत्य ईंधन लागत (मेन्यू दरों का प्रतिशत)	7	7	7	7	7
होटल्स/मोटल्स की कुल संख्या जहां कच्चे माल की लागत मानदण्डों से अधिक थी	34	33	29	35	34
होटल्स/मोटल्स की कुल संख्या जहां ईंधन लागत मानदण्डों से अधिक थी	25	21	5	5	7
कच्चे माल पर आधिक व्यय (₹ लाख में)	57.49	33.11	33.59	75.00	69.96
ईंधन लागत पर आधिक्य व्यय (₹ लाख में)	3.08	2.65	0.11	0.27	0.36

(स्रोतः कम्पनी के वार्षिक लेखे)

खान-पान गतिविधि सेवा उपलब्ध कराने वाले कुल होटल्स/मोटल्स (44 से 46) में से 29 से 35 होटल्स/मोटल्स ने 2007-12 के दौरान कच्चे माल (अपव्यय सहित) पर मेन्यू दरों के 30 से 40 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय किया। इसी प्रकार ईंधन के मामले में 5 से 25 होटल्स/मोटल्स ने मानदण्डों की तुलना में अधिक व्यय किया। कच्चे माल एवं ईंधन के अधिक उपभोग के परिणामस्वरूप मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ एवं ₹ 6.47 लाख का अधिक व्यय हुआ।

हमने देखा कि निर्धारित मानदण्ड़ों से कच्चे माल की अधिक लागत का कारण विक्रय में कमी अथवा होटल्स/मोटल्स का कम टर्नओवर नहीं था क्योंकि 2007-12 के दौरान 11 से 22 होटल्स/मोटल्स ने दस लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर दर्ज करने के बावजूद अधिक व्यय किया। दो होटल्स/मोटल्स यथा मोटल बहरोड़ एवं होटल गणगौर ने 2007-12 की अवधि के दौरान क्रमशः पाँच व तीन वर्षों में उच्चतम टर्नओवर होते हुये भी कच्चे माल पर अधिक व्यय किया।

सरकार ने कहा कि जब कभी होटल्स में कम अधिभोग था तब खाद्य लागत बहुत अधिक हो गई थी एवं अधिक अधिभोग के समय इसकी क्षतिपूर्ति हो गई। इसके परिणामस्वरूप कम विक्रय, अपव्यय एवं अधिक ईंधन उपभोग के कारण कच्चे माल का अधिक उपभोग हुआ। उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि व्यय, स्वयं कम्पनी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक था। साथ ही, उच्च टर्नओवर दर्ज करने वाले होटल्स/मोटल्स ने भी कच्चे माल पर अधिक व्यय किया।

15 अप्रैल 2009 से जुलाई 2009 के दौरान 40 प्रतिशत एवं अगस्त 2009 से मार्च 2010 तक 30 प्रतिशत।

16 अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान 30 प्रतिशत एवं जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक 37 प्रतिशत।

बार गतिविधि

2.21 बार की सुविधा पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है विशेष रूप से जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवक सम्बद्ध है। कम्पनी अपने चयनित होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा प्रदान करती है। 2007-12 की अवधि के दौरान प्रदान की गई बार सुविधाओं से आय एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बार सुविधा वाले होटल्स/मोटल्स की संख्या	आय	व्यय	लाभ/(हानि)
2007-08	16	2.62	2.23	0.39
2008-09	14	2.54	2.13	0.41
2009-10	28	4.33	3.86	0.47
2010-11	27	5.13	4.36	0.77
2011-12	15	4.51	3.58	0.93

(स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखे एवं एमआईएस)

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, पर्यटकों को प्रदान की गई बार सुविधा एक लाभदायक व्यवसाय रहा था क्योंकि इसने 2007-12 के दौरान ₹ 2.97 करोड़ के लाभ का योगदान दिया था।

हमने पाया कि कम्पनी ने 14 और होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया (मार्च 2009)। तथापि, इस आवश्यकता एवं देय अनुज्ञापत्र शुल्क[17] हेतु कोई संभाव्यता अध्ययन नहीं किया गया था। इकाई प्रभारियों द्वारा भी आर्थिक व्यवहार्यता एवं मांग नहीं होने के आधार पर बार खोलने के प्रस्ताव का विरोध किया गया था (मार्च/अप्रैल 2009)। चूंकि नए होटल्स/मोटल्स ने हानियाँ वहन की थी, एक इकाई (गावरी ऋषभदेव) में 2010-11 में बार सुविधा बंद कर दी गई थी एवं शेष होटल्स/मोटल्स में यह सुविधा 2011-12 में बंद की गई थी। कम्पनी ने, सिवाय मोटल महुआ के, जिसने 2010-11 के दौरान ₹ 1.11 लाख का मामूली लाभ अर्जित किया, 2009-11 के दौरान 13 नये होटल्स/मोटल्स में प्रदान की गई बार सुविधा पर ₹ 63.03 लाख[18] की हानि वहन की।

हमने आगे पाया कि कम्पनी ने इसकी बार गतिविधि के पुनरुत्थान हेतु उत्पाद शुल्क विभाग के साथ व्यवस्था की एवं वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 0.25 लाख प्रति इकाई के विक्रय शुल्क के साथ ही सम्पूर्ण कम्पनी के लिए ₹ 75 लाख के कम्पोजिट शुल्क का भुगतान किया। परिणामस्वरूप, 12 होटल्स/मोटल्स में, जहाँ इसे 2011-12 में बंद किया गया था, बार गतिविधि 2012-13 में पुनः प्रारम्भ की गई थी।

सरकार ने कहा कि बार सुविधा मेहमानों के लिए मूलभूत सुविधा के रूप में 2009-10 के दौरान प्रारम्भ की गई थी एवं कुछ होटल्स/मोटल्स के लिए लाभदायकता विचारणीय नहीं थी। उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि आर्थिक अव्यवहार्यता व मांग के अभाव को दृष्टिगत रखते हुये होटल्स/मोटल्स प्रभारियों के विरोध के बावजूद बार सुविधा प्रदान की गई थी। यदि लाभदायकता

17 अनुज्ञापत्र शुल्क, इकाई के स्थान यथा जिला मुख्यालय या नगर पालिका छावनी की सीमाओं पर निर्भर करते हुये, ₹ 6 लाख से ₹ 2.50 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई तक भिन्न था।

18 2009-10 में ₹ 38.49 लाख एवं 2010-11 में ₹ 24.54 लाख।

विचारणीय नहीं थी तो कम्पनी 2010-12 के दौरान एक के सिवाय सभी होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा बंद नहीं करती।

पर्यटक ट्रेन

2.22 कम्पनी ने 2007-13 के दौरान तीन पर्यटक ट्रेनों (1) पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) (2) रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) एवं (3) हैरिटेज ऑन व्हील्स (एचओडब्ल्यू) का संचालन किया। पीओडब्ल्यू का संचालन सभी पाँच वर्षों के दौरान किया गया था जबकि आरआरओडब्ल्यू 2008-13 के दौरान संचालित की गई थी। एचओडब्ल्यू का संचालन दो वर्षों (2007-09) के दौरान किया गया था एवं इसके पश्चात् इसका संचालन बंद कर दिया गया था। पर्यटक ट्रेनों के संचालन में कम्पनी के निष्पादन पर चर्चा नीचे की गई है:

पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू)

2.23 पीओडब्ल्यू (मीटर गेज) भारतीय रेलवे के सहयोग से अद्वितीय रेल यात्रा अनुभव प्रदान कर विदेशी मुद्रा अर्जन, भारत में पर्यटकों के प्रवाह, रोजगार अवसरों में वृद्धि एवं राजस्थान राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ प्रारम्भ की गई थी (जनवरी 1982)। पीओडब्ल्यू के मीटर गेज संस्करण को बड़ी लाईन पर नई पीओडब्ल्यू से परिवर्तित किया गया था (सितम्बर 1995)। रेलवे एवं कम्पनी के मध्य किये गये करार (4 जून 2009) के अनुसार, राजस्व बंटवारा अनुपात अभिकर्ताओं को देय कमीशन एवं ट्रेन के प्रचार व प्रोत्साहन के पेटे एक प्रतिशत की कटौती के पश्चात् क्रमशः 56:44 था। करार 1 जून 2006 से 31 मई 2011 तक प्रभावी था। 1 जून 2011 से 31 मई 2016 तक का करार उन्हीं नियमों व शर्तों पर नवीनीकृत किया गया था (मई 2013)।

2007-13 की अवधि के दौरान पीओडब्ल्यू का निष्पादन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	फेरों की संख्या	यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या	अधिभोग (प्रतिशत)	कुल आय	कुल व्यय	अधिशेष
2007-08	34	3601	101.84[19]	19.35	10.55	8.80
2008-09	35	3425	94.09	20.15	10.71	9.44
2009-10	38	2678	67.76	20.07	10.74	9.33
2010-11	38	2364	59.82	17.49	10.87	6.62
2011-12	34	2833	80.12	22.28	12.64	9.64
2012-13	34	2356	66.63	उ.न.	उ.न.	उ.न.

(स्रोतः वार्षिक लेखे एवं कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

यह देखा जा सकता है कि पीओडब्ल्यू कम्पनी के लिये एक लाभदायक उद्यम है एवं इस गतिविधि से अधिशेष 2007-08 में ₹ 8.80 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 9.64 करोड़ हो

19 पीओडब्ल्यू में 52 कक्ष दुगने अधिभोग के साथ है। 2007-08 के दौरान एक कक्ष में दो से अधिक यात्रियों ने यात्रा की एवं इस कारण अधिभोग 100 प्रतिशत से अधिक है।

गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान ट्रेन का अधिभोग 100 प्रतिशत से गिरकर 80.12 प्रतिशत रह गया। 2012-13 के दौरान यह पुनः 66.63 प्रतिशत तक कम हुआ। हमने देखा कि अधिशेष में वृद्धि टैरिफ में वृद्धि के कारण थी क्योंकि विभिन्न प्रकार (एकल, दुगना एवं तिगुना) के अधिभोग में अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 के दौरान इसमें 19.33 एवं 32.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हमने पाया कि पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार ने कम्पनी को घरेलू पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज शुरू करने के लिए निर्देशित किया था (22 अप्रैल 2010)। तथापि, निम्न अधिभोग के बावजूद, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करके अधिभोग बढ़ाने के कोई प्रयास अभिलखों में नहीं पाए गये थे।

सरकार ने कहा कि अधिभोग 2010-11 के दौरान आर्थिक मंदी एवं अन्य समान ट्रेन प्रारम्भ करने के कारण घटा। इसने आगे कहा कि कम्पनी, पीओडब्ल्यू के अधिभोग में वृद्धि करने हेतु घरेलू/एनआरआई पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज शुरू करने एवं प्रोत्साहन हेतु रखी गई राशि का उपयोग दोनों लक्जरी ट्रेनों के भारी प्रचार करने की योजना बना रही थी। तथ्य यही रहा कि विदेशी पर्यटकों की आवक में वृद्धि के बावजूद कम्पनी ने पीओडब्ल्यू का अधिभोग बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये थे। साथ ही, घरेलू /एनआरआई पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज शुरू करने की कोई योजना अभिलेखों में नहीं पायी गई थी।

रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू)

2.24 पीओडब्ल्यू की सफलता के आधार पर एवं राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बढ़ी हुई आवक को हासिल करने के लिए कम्पनी ने पीओडब्ल्यू की तर्ज पर एक अन्य पर्यटक ट्रेन प्रारम्भ करने के लिए भारतीय रेलवे को प्रस्ताव दिया (अगस्त 2005)। प्रस्ताव को रेलवे द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया था (दिसम्बर 2005) एवं तत्पश्चात् एक व्यापक प्रस्ताव, जिसमें राजस्व व निवेश, कम्पनी एवं रेलवे के मध्य 50:50 आधार पर साझा किये जाने थे, भेजा गया था (मार्च 2006)। परियोजना प्रतिवेदन में 2007-08 के दौरान 85 प्रतिशत व 2008-11 के दौरान 90 प्रतिशत अधिभोग पर 2007-08 में ₹ 5.13 करोड़ का लाभ, जिसे 2010-11 तक ₹ 6.08 करोड़ तक बढ़ाया जाना था, परिकल्पित किया गया था (मार्च 2006)। रेलवे अपने ₹ 15 करोड़ के अंश के समक्ष बेअर शेल्स (असज्जित डिब्बे) की लागत के पेटे ₹ 12.51 करोड़ वहन करने के लिए सहमत हुआ (मई 2006)। तथापि, रेलवे ने राजस्व के बंटवारे का वर्णन नहीं किया था। नई ट्रेन यथा आरआरओडब्ल्यू प्रारम्भ करने की निर्धारित अवधि (सितम्बर 2007) से 16 माह के विलम्ब के पश्चात् जनवरी 2009 में प्रारम्भ की गई थी। 2008-13 के दौरान आरआरओडब्ल्यू का निष्पादन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रस्तावित फेरे	फेरों की संख्या	यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या	अधिभोग (प्रतिशत)	कुल आय	कुल व्यय	अधिशेष/ (घाटा)
2008-09	13	5	48	11.70	0.97	2.52	(1.55)
2009-10	34	20	706	43.05	12.64	13.26	(0.62)
2010-11	34	23	843	44.70	14.42	14.30	0.12
2011-12	34	16	761	58.00	16.53	14.60	1.93
2012-13	34	23	928	49.20	उ.न.	उ.न.	-

(स्रोतः वार्षिक लेखे एवं कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

आरआरओडब्ल्यू के परिचालन के पेटे कम्पनी का निष्पादन खराब रहा क्योंकि 2009-13 के दौरान 34 फेरों की प्रस्तावित संख्या के समक्ष 16 से 23 फेरे ही संचालित किये जा सके। पर्यटकों की प्रतिक्रिया निम्न थी एवं संचालित फेरों में अधिभोग भी कम रहा। मार्च 2013 तक कम्पनी केवल 49.20 प्रतिशत अधिभोग ही प्राप्त कर सकी। 2011-12 के दौरान 58 प्रतिशत का उच्च अधिभोग फेरों की घटी संख्या के कारण था। आरआरओडब्ल्यू ने कम्पनी के लाभों में नकारात्मक योगदान दिया था क्योंकि 2008-10 के दौरान इसमें घाटा था। तत्पश्चात्, इसने 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान अल्प लाभ अर्जित किया। इसके अलावा, परिचालनात्मक परिणामों की गणना करने के दौरान वित्तीय लागत (₹ 4.08 करोड़) एवं मूल्य ह्रास (₹ 4.74 करोड़) को ध्यान में नहीं रखा गया था।

हमने देखा कि रेलवे द्वारा मार्च 2008 में लागू की गई नई लक्जरी ट्रेन नीति ने आरआरओडब्ल्यू की लाभदायकता को विपरीत रूप से प्रभावित किया क्योंकि 50:50 आधार पर राजस्व बंटवारा व्यवस्था के समक्ष कम्पनी को नई लक्जरी ट्रेन नीति के अनुसार रेलवे को परिवहन प्रभारों के भुगतान के लिए बाध्य किया गया था। कम्पनी द्वारा 2008-12 के दौरान अर्जित किये गये ₹ 44.56 करोड़ के कुल राजस्व के समक्ष ₹ 34.01 करोड़ के परिवहन प्रभार देय थे। परिवहन प्रभारों की दरों में प्रतिवर्ष सारभूत वृद्धि के साथ ही संचालित कोचों के आधार पर प्रभारों में व्यापक विचरण हुआ था। कम्पनी के पास, रेलवे के द्वारा मांगे गये परिवहन प्रभारों की दर एवं इसकी निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से गणना के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि आरआरओडब्ल्यू को राजस्व बंटवारा व्यवस्था पर संचालित किया जाता, तो कम्पनी ₹ 34.01 करोड़ के भुगतान के समक्ष केवल ₹ 22.28 करोड़ के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी एवं 2008-12 के दौरान ₹ 11.73 करोड़ की अन्तर की राशि की बचत कर सकती थी।

सरकार ने आरआरओडब्ल्यू के खराब निष्पादन के मुद्दे पर कहा कि कम्पनी ने भारत महोत्सव दुबई, वर्ल्ड ट्रेड मार्ट (डब्ल्यूटीएम लन्दन), आईटीबी बर्लिन, एफआईटीयूआर मेड्रिड (स्पेन) में भाग लेकर, सीएनएन, बीबीसी एवं नेशनल जियोग्राफी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण करके तथा यात्रा व्यापार व मीडिया के प्रमुख लोगों को उदघाटन यात्रा पर आमंत्रित करके ट्रेन के प्रोत्साहन के लिए सभी प्रयास किये थे। तथापि, वैश्विक आर्थिक मंदी एवं ट्रेन को प्रारम्भ करने से ठीक पहले मुम्बई में आंतकवादी हमले के साथ ही अन्य कारणों यथा स्वाईन फ्लू के फैलाव ने गाड़ी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

आरआरओडब्ल्यू की साज-सज्जा में अनियमितताएं

2.25 कम्पनी ने ट्रेन की आंतरिक साज-सज्जा के लिए 'रूचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) आमंत्रित की (अक्टूबर 2006)। सभी पाँच[20] बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से योग्य माना गया था (16 नवम्बर 2006)। तथापि, कोर समिति ने सभी पाँच बोलीदाताओं द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण (20 नवम्बर 2006) के आधार पर केवल एक बोलीदाता यथा घरोंदा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल) की मूल्य बोली खोली (12 फरवरी 2007)। केवल जीआईपीएल की मूल्य बोली खोलने के निर्णय को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि

20 (1) विजन इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, (2) फॉर्म एण्ड फंक्शन्स, नई दिल्ली, (3) डिजाइनर कंसोर्टियम, नई दिल्ली, (4) इनफिनिटी इंटीरियर्स, नई दिल्ली, एवं (5) घरोंदा इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

ट्रेन की आंतरिक साज-सज्जा में पाइपलाइन, स्वच्छता, विद्युत, फेब्रिक, बढ़ई, चित्रकारी, कलाकारी आदि से सम्बन्धित कई एजेंसियाँ शामिल होती हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए सलाहकार प्रतिवेदन के आधार पर पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित करने से विभिन्न एजेंसियों/ठेकेदारों के मध्य समन्वय की समस्या के कारण विलम्ब होने की संभावना थी। जीआईपीएल को कार्यादेश टर्नकी आधार पर (परामर्श एवं अन्य सभी कार्य) इसके द्वारा उदृत ₹ 9.97 करोड़ मूल्य के समक्ष मोलभाव के पश्चात् ₹ 7.99 करोड़ की लागत पर जारी किये गये थे (मार्च 2007)।

हमने देखा कि केवल जीआईपीएल की मूल्य बोली खोलने का कोर समिति के तर्क में पारदर्शिता का अभाव था क्योंकि दो[21] अन्य बोलीदाताओं ने भी टर्नकी आधार पर ट्रेन का अभिकल्प प्रस्तावित किया था। साथ ही, जीआईपीएल को पीओडब्ल्यू की आंशिक पुनर्सज्जा में परामर्श (2005) के अलावा लक्जरी ट्रेनों की आंतरिक साज-सज्जा का कोई अनुभव नहीं था। तथापि, अन्य दोनों बोलीदाताओं ने पूर्व में अन्य प्रतिष्ठित ट्रेनों यथा डेक्कन ओडिसी एवं पीओडब्ल्यू की साज-सज्जा कार्य का संतोषप्रद निष्पादन किया था।

हमने पाया कि जीआईपीएल द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं थी एवं यह बढ़ाई गई अवधि (सितम्बर 2008 तक) तक भी कार्य पूर्ण नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने ₹ 4.58 करोड़ की कीमत का कार्य वापस ले लिया (नवम्बर 2008) एवं इसे विभिन्न ठेकेदारों को प्रदान किया। वापिस लिये गये कार्य ₹ 5.61 करोड़ की लागत से निष्पादित करवाये गये थे।

इस प्रकार, एक अनुभवहीन ठेकेदार को कार्य प्रदान करने से न केवल आरआरओडब्ल्यू के निर्माण में विलम्ब हुआ अपितु ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ। इसके अलावा, कम्पनी ने जीआईपीएल पर कार्यादेश लागत के 10 प्रतिशत की दर से ₹ 79.90 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की थी।

सरकार ने कहा कि सभी बोलीदाताओं द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण को उच्च अधिकारियों (महाप्रबंधक निर्माण, कार्यकारी निदेशक वित्त, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष) द्वारा देखा गया था एवं ट्रेन की साज-सज्जा हेतु जीआईपीएल का प्रस्तुतिकरण सर्वसम्मति से सर्वाधिक उपयुक्त माना गया था। उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि अन्य अनुभवी फर्मों की उपलब्धता एवं दोनों अन्य बोलीदाताओं द्वारा टर्नकी आधार पर कार्य निष्पादन के प्रस्ताव के बावजूद कार्यादेश एक अनुभवहीन फर्म को दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप असंतोषजनक निष्पादन के कारण कार्य को वापिस लेना पड़ा था।

भारत सरकार से अनुदान का दावा नहीं किया जाना

2.26 भारत सरकार की योजना में राज्य सरकारों/सरकारी कम्पनियों या अन्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रोत्साहित पर्यटन क्षेत्र में वृहद राजस्व अर्जन करने वाली परियोजनाओं की सहायता हेतु प्रवर्तक के अंशपूँजी योगदान के 50 प्रतिशत, जो कि कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 50 करोड़ की सीमा तक, जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान था। प्रस्तावित आरआरओडब्ल्यू परियोजना योजना के तहत सम्मिलित थी एवं कम्पनी ने ₹ 30 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर भारत सरकार से ₹ 7.50 करोड़ के अनुदान का दावा किया (जुलाई 2006)। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2008-09 में अनुदान जारी किया गया

21 फॉर्म एण्ड फंक्शन्स, नई दिल्ली एवं डिजाइनर कंसोर्टियम, नई दिल्ली।

था। निर्माण का वास्तविक कार्य दिसम्बर 2008 में ₹ 43.08 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ था। तथापि, कम्पनी द्वारा ₹ 3.27 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान का दावा नहीं किया गया था (अक्टूबर 2013)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के अन्तर की राशि का दावा करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

उधार पर विक्रय

2.27 उधार नीति (जून 2000) में वर्णित है कि इकाई प्रभारी उधार अनुमत्य करने से पूर्व लिखित में आदेश लेगा एवं उधार विक्रय की वसूली सुनिश्चित करेगा। मार्च 2012 को, विभिन्न सरकारी विभागों एवं निजी पक्षकारों से ₹ 3.68 करोड़ की राशि की वसूली लंबित थी।

सरकारी विभागों से ₹ 2.23 करोड़ की बकाया देयताओं के हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि राजस्थान राज्य होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से बीयर के विक्रय के पेटे ₹ 51.29 लाख[22], जीएडी से ₹ 31.14 लाख एवं पर्यटन विभाग से ₹ 69.97 लाख वसूलनीय थे। जीएडी एवं पर्यटन विभाग की देयताएं क्रमशः सितम्बर 1982 एवं अप्रैल 2001 तक की पुरानी अवधि से सम्बन्धित थी। निजी पक्षकारों को अनुमत्य किये गये उधार के सम्बन्ध में, आवास गतिविधि एवं खान-पान गतिविधि के पेटे ₹ 44.12 लाख की वसूली एक वर्ष से अधिक समय से एवं काउन्टर किराया, पैकेज टूर, यातायात आदि के पेटे ₹ 78.03 लाख वसूली हेतु लम्बित थे।

हमने पाया कि कम्पनी ने देयताओं की वसूली हेतु जीएडी एवं पर्यटन विभाग के साथ पत्र व्यवहार किया परन्तु अन्य सरकारी विभागों/पीएसयूज के साथ ऐसा कोई पत्र व्यवहार अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

कम्पनी ने बकाया की वसूली के लिए उचित प्रयास नहीं किये थे एवं निजी पक्षकारों से वसूली नहीं किये जाने के कारण इकाईयों के विरुद्ध जवाबदेही भी निर्धारित नहीं की थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी मेहमानों को उधार सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य थी। तथापि, देयताओं की वसूली करने के लिए भविष्य में अधिक सतर्कता उपाय किये जायेंगे।

पर्यटन के आधारभूत ढाँचे का विकास

2.28 कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार एवं राज्य सरकार से कोष प्राप्त किये। वर्ष 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी ने होटल्स, मार्गस्थ सुविधाएं, पर्यटक सूचना केन्द्रों, पर्यटक परिसरों, ऐतिहासिक स्थानों इत्यादि के विकास के लिए भारत सरकार से ₹ 16.67 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 12.63 करोड़ के कोष प्राप्त किये। राज्य में पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए कम्पनी के निष्पादन पर नीचे चर्चा की गई है:

22 ₹ 30.64 लाख मार्च 2002 से पूर्व के एवं ₹ 20.65 लाख अप्रैल 2002 के बाद से।

केन्द्रीय सहायता

2.29 भारत सरकार ने राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत राजस्थान राज्य के लिये 10 परियोजनाओं के अन्तर्गत 137 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2003 एवं मार्च 2010 के मध्य)। परियोजनाओं में राज्य के विभिन्न भागों में ऐतिहासिक सम्पत्तियों, स्मारकों, मंदिरों, बावड़ियों, तालाबों का नवीनीकरण एवं मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण इत्यादि सम्मिलित थे। 137 कार्यों में से आठ कार्य पर्यटन विभाग द्वारा अन्य विभागों को हस्तान्तरित किये गये थे एवं शेष 129 कार्य कम्पनी द्वारा निष्पादित किये जाने थे। कम्पनी ने 2007-13 के दौरान 120 कार्यों को निष्पादित किया जबकि नौ कार्य भूमि की अनुपलब्धता, वन विभाग की मंजूरी, स्थल की मंजूरी, मुकदमेबाजी इत्यादि के कारण निष्पादित नहीं किये गये थे।

भारत सरकार की स्वीकृति की शर्तों में निर्दिष्ट था कि कोषों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था एवं कम्पनी, जारी की गई अप्रयुक्त राशि को छः महीनों से अधिक नहीं रख सकेगी। यदि ऐसे समय तक कोषों का उपयोग नहीं किया जा सके तो इन्हें भारत सरकार को समर्पित करना होगा अथवा अन्य परियोजनाओं के समक्ष हस्तान्तरण/समायोजन हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना था। साथ ही, परियोजनाओं को स्वीकृति की तिथि से 12 से 36 माह के मध्य पूर्ण किया जाना था। परियोजना-वार स्वीकृति, जारी की गई राशि एवं उसके समक्ष उपयोग का विवरण **अनुबन्ध-12** में दिया गया है जबकि 2007-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कोषों एवं इसके उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त कोष	कुल उपलब्ध कोष	व्यय	अंतिम शेष	उपयोग प्रतिशतता
2007-08	24.57	6.38	30.95	11.29	19.66	36.48
2008-09	19.66	2.40	22.06	14.31	7.75	64.87
2009-10	7.75	2.16	9.91	4.86	5.05	49.04
2010-11	5.05	5.73	10.78	6.57	4.21	60.95
2011-12	4.21	0	4.21	1.76	2.45	41.81
2012-13	2.45	0	2.45	1.37[23]	1.08	30.77[24]

(स्रोतः राजस्थान सरकार के निजी निक्षेप खाते)

जैसा कि सारणी से देखा गया, 2007-13 के दौरान उपलब्ध कोषों की उपयोग प्रतिशतता, 2008-09 एवं 2010-11 के अलावा जब यह क्रमशः 65 व 61 प्रतिशत थी, 50 प्रतिशत से नीचे रही। इसने कोषों के कमजोर उपयोग को इंगित किया जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

सरकार ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा कोषों के हस्तांतरण में विलम्ब के कारण निविदा जारी करने में विलम्ब हुआ था। उत्तर सहमति योग्य नहीं है क्योंकि पर्यटन विभाग ने स्वीकृति की

23 2012-13 में किये गये व्यय में पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार को वापस किये गये ₹ 0.89 करोड़ सम्मिलित है।

24 उपयोगिता प्रतिशतता की गणना उपलब्ध शेष में से पर्यटन विभाग को वापस की गई राशि को छोड़कर की गई है।

दिनांक से तीन से सात माह के भीतर कोष जारी कर दिये थे जबकि छः परियोजनाओं को पूर्ण करने में 22 से 44 माह का विलम्ब हुआ।

कार्यों के निष्पादन में विलम्ब

2.30 कम्पनी द्वारा 2007-13 के दौरान निष्पादित 120 कार्यों की समीक्षा से विदित हुआ कि केवल 55 कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किए गये थे एवं 65 कार्य एक से 44 महीनों के विलम्ब से पूर्ण किए गये थे। इन 65 कार्यों में से, 20 कार्यों के लिए निविदाएं कार्यपूर्ण की निर्धारित तिथि समाप्त होने से 19 माह तक की अवधि पश्चात् आमंत्रित की गई थी। साथ ही, शेष 45 कार्यों में से 33 कार्यों के लिए निविदाएं भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति की दिनांक से 10 से 23 महीनों के पश्चात् आंमत्रित की गई थी। इसने न केवल पर्यटन विकास परियोजनाओं को विलम्बित किया अपितु भारत सरकार के दिशानिर्देशों कि परियोजनाएं स्वीकृति की दिनांक से 12 से 36 महीनों के मध्य पूर्ण होनी चाहिये, का भी उल्लंघन किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कार्यों के निष्पादन में विलम्ब अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे कि कोषों की अनुपलब्धता, वन विभाग/पुरातत्व विभाग से अस्वीकृति/ मुकदमेबाजी इत्यादि के कारण था। इसके कारण निविदा के आंमत्रण के साथ-साथ कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

अप्रयुक्त कोषों को समर्पित नहीं किया जाना

2.31 हमने देखा कि कम्पनी में परियोजना-वार कोषों की प्राप्ति एवं प्रत्येक परियोजना के समक्ष किए गये व्यय का विवरण संधारित नहीं किया था। इसके अभाव में एक परियोजना से अन्य परियोजना एवं उसी परियोजना के एक कार्य से अन्य कार्य में कोषों के पथांतरण की संभावनाएं थी। कम्पनी द्वारा अप्रयुक्त कोषों का समर्पण किया जाना आवश्यक था अथवा अप्रयुक्त कोषों को एक परियोजना कार्य से अन्य परियोजना/कार्य में उपयोग करने के लिए भारत सरकार से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना था।

कम्पनी द्वारा निष्पादित कार्यों पर किए गये व्यय के हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि भूमि की अनुपलब्धता, वन विभाग की मंजूरी, स्थल की मंजूरी, मुकदमेबाजी इत्यादि के कारण निष्पादित नहीं किए गये नौ कार्यों से सम्बद्ध ₹ 2.24 करोड़ की धन राशि (फरवरी 2005 से फरवरी 2009 के दौरान प्राप्त) भारत सरकार को समर्पित नहीं की गई थी। कम्पनी ने 23 कार्यों में स्वीकृत कोष से ₹ 96 लाख के अधिक किये गये व्यय को (दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2010) अप्रयुक्त कोषों से समायोजित किया। साथ ही, मार्च 2013 को ₹ 1.08 करोड़ के कोष अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कार्य विशेष पर अधिक व्यय हुआ था परन्तु परियोजनाएं समग्र रूप से स्वीकृत राशि के भीतर पूर्ण की गई थी। तथापि तथ्य यही रहा कि कार्यों हेतु किया गया व्यय इसकी स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहना चाहिए।

कोषों का अनुचित उपयोग

2.32 भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कम्पनी के 14 होटल्स/मोटल्स में मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹ 6.06 करोड़ के कोष स्वीकृत किये (मार्च 2010/मई 2010) एवं

राजस्थान सरकार को ₹ 4.85 करोड़ जारी किये (मई 2010)। राजस्थान सरकार ने कम्पनी को परियोजना को पूर्ण करने हेतु ₹ 4 करोड़ (जून 2010 में ₹ 2 करोड़ एवं अक्टूबर 2010 में ₹ 2 करोड़) हस्तान्तरित किए। स्वीकृति के नियम व शर्तों में यह प्रावधान था कि परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, आरेखण, रूपरेखा इत्यादि के अनुसार पूर्ण की जानी थी। कम्पनी ने एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया कि परियोजना के अंतर्गत कार्य केवल नवीन कार्य होगें एवं कोई नवीनीकरण या उन्नयन कार्य को शामिल नहीं किया जायेगा।

हमने पाया कि कम्पनी ने स्वीकृति के नियमों व शर्तों की अनुपालना नहीं की थी क्योंकि इसने 14 होटल्स/मोटल्स के नवीनीकरण/उन्नयन, जिनके लिए कार्यादेश भारत सरकार द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति से पूर्व जारी किये थे, के समक्ष ₹ 2.15 करोड़ के कोषों का समायोजन किया। सम्पूर्ण कार्य सितम्बर 2010 से नवम्बर 2011 के दौरान ₹ 4.29 करोड़ की लागत से पूर्ण किये गये थे परन्तु इन कार्यों के लिए आरेखण, रूपरेखा इत्यादि का परियोजना प्रतिवेदन में ध्यान नहीं रखा गया था।

सरकार ने कहा कि कार्यों को, औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में एवं राष्ट्रमण्डल खेलों को दृष्टिगत रखते हुये कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु, परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजने से पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था। तथ्य यही रहा कि कार्य, दिशानिर्देशों की अवहेलना में निष्पादित किये गये थे एवं अनुमोदित आरेखण व रूपरेखा के अभाव में ₹ 4.29 करोड़ का व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका।

राज्य सहायता

2.33 राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए 2007-13 के दौरान कम्पनी को 64 कार्य (₹ 12.63 करोड़) सौपें। इनमें से 2010-12 के दौरान आवंटित 11 कार्य निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब करने एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण पूर्ण होने में लंबित थे (अक्टूबर 2013)। साथ ही स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, 2012-13 के दौरान आवंटित 10 कार्यों में से नौ कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण किये जाने थे एवं एक कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, कम्पनी ने जनवरी 2013 में चार कार्यों, अप्रैल 2013 में पाँच कार्यों एवं जून 2013 में एक कार्य के लिए कार्यादेश क्रमशः जुलाई 2013, सितम्बर/अक्टूबर 2013 एवं दिसम्बर 2013 की नियत पूर्णता तिथियों (कार्यादेश के अनुसार) के साथ जारी किये थे। 10 कार्यों में से, जुलाई 2013 मे पूर्णता की नियत तिथि वाले केवल तीन कार्य अक्टूबर 2013 तक पूर्ण हुये थे।

सरकार ने इस मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.34 कम्पनी की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2007-11 की अवधि के दौरान सनदी लेखाकारों को सौंपी गई थी एवं 2011-12 से आन्तरिक लेखापरीक्षा इसके अपने स्टाफ द्वारा की जा रही थी। कम्पनी ने आन्तरिक

लेखापरीक्षा मैन्युअल तैयार नहीं किया था एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा केवल आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए जारी मार्गदर्शिका में वर्णित कार्यक्षेत्र व समाहित किये जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर ही की जा रही थी। नीचे दी गई तालिका 2007-13 के दौरान वर्षवार लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या, निर्गमित, निपटान किये गये एवं बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों को दर्शाती है:

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	45	49	50	53	52	48
निर्गमित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	391	438	480	517	491	560
निपटान किये गये लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	370	412	448	487	35	203
अब तक बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	21	26	32	30	456	357

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि 922 अनुच्छेद, जो कि 2007-13 के दौरान निर्गमित किए गये थे, अनुपालना के लिए बकाया थे। साथ ही, हमने पाया कि बहुत से लेखापरीक्षा अनुच्छेद 1980-81 से बकाया थे। तथापि, कम्पनी द्वारा अनुच्छेद-वार स्थिति दर्शाने वाला कोई रजिस्टर/डाटा बेस तैयार नहीं किया था एवं कम्पनी प्रबन्धन बकाया अनुच्छेदों की स्थिति से अवगत नहीं था। साथ ही, 1980-81 तक पुराने 194 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुच्छेदों का निपटान नहीं किये जाने के कारण अक्टूबर 2013 को लंबित पड़े थे। कम्पनी प्रबन्धन द्वारा बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर कभी भी विवेचना व मूल्यांकन नहीं किया गया था। उचित अनुवर्ती प्रणाली के अभाव में कम्पनी आन्तरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उठाये गये मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही थी।

पुराने आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निपटान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर मौन था। तथापि, इसने कहा कि भविष्य में आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किये जायेंगे एवं इस पर और ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, बकाया अनुच्छेदों का शीघ्र निपटान किया जायेगा।

शीर्ष प्रबंधन के कार्यकाल में बारम्बार परिवर्तन

2.35 राज्य सरकार ने कम्पनी के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी)/प्रबन्ध निदेशक (एमडी) को बार-बार परिवर्तित किया। 2007-08 से 2012-13 के दौरान इस पद को नौ पदाधिकारियों द्वारा संभाला गया था। चार सीएमडी/एमडी की पदावधि का विस्तार एक से तीन माह था जबकि अन्य दो ने यह पद छः माह के लिए संभाला था। हमने देखा कि बारम्बार परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कम्पनी की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए कोई दीर्घकालीन कार्य योजना बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए शीर्ष स्तर पर सूत्रपात करने का अभाव रहा। यह इस तथ्य से सुस्पष्ट होता है कि ऊपर वर्णित अवधि के दौरान कोई दीर्घकालीन कॉरपोरेट योजना/भावी योजनाएं नहीं थी।

सरकार के कहा कि अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा कम्पनी का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है एवं न्यूनतम पदावधि निर्धारित करने के लिए मुद्दे पर विचार किया जायेगा।

होटल प्रबंधन सॉफ्टवेयर

2.36 कम्पनी ने विविध गतिविधियों यथा कार्यालय का मुख्य भाग, रेस्टोरेन्ट, बार, लेखे, कर-निर्धारण, वेतन पंजिका, रसोईघर/बार/गृह-व्यवस्था, भण्डार प्रंबधन के साथ ही तत्काल/दैनिक सावधिक प्रतिवेदनों एवं कम्प्यूटरीकृत बिलिंग की निगरानी के लिए होटल प्रबन्धन सॉफ्टवेयर (एचएमएस) विकसित किया (मई 2010)। एचएमएस 21 होटल्स/मोटल्स में स्थापित किया गया था (मई 2010 से सितम्बर 2010) परन्तु कम्पनी ने पर्याप्त आधारभूत ढाँचे एवं प्रक्षिशित कार्मिकों के अभाव के कारण केवल 15 होटल्स/मोटल्स में एचएमएस को संचालित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)। तथापि, हमने पाया कि पर्याप्त आधारभूत ढाँचे की अनुपलब्धता एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण के अभाव के कारण एचएमएस का मार्च 2013 तक इन 15 होटल्स/मोटल्स में भी पूर्ण रूप से परिचालन नहीं किया जा सका। अतः सॉफ्टवेयर की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि एचएमएस को प्रमुख होटल्स/मोटल्स में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा।

सर्तकता

2.37 कम्पनी की सर्तकता शाखा प्रत्यक्ष रूप से प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियंत्रित की जाती है तथा इकाईयों का आकस्मिक निरीक्षण एवं पर्यटकों, कार्मिकों आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। शाखा ने प्रबन्धन के मौखिक निर्देशों पर कार्य किया एवं किसी वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक लक्ष्यों का नियोजन नहीं किया गया था। हमने पाया कि शाखा द्वारा किए गये आकस्मिक निरीक्षण अपर्याप्त थे एवं वर्ष 2007-08 से 2012-13 की अवधि के दौरान केवल 10.71 एवं 52.73 प्रतिशत के मध्य इकाईयों का ही समावेश किया गया था। हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि सतर्कता शाखा द्वारा 17 इकाईयाँ[25] छः वर्षों के दौरान एक बार भी निरीक्षित नहीं की गई थी एवं 14 इकाईयाँ इस अवधि के दौरान केवल एक बार निरीक्षित की गई थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि आने वाले वर्षों में सभी इकाईयों के निरीक्षण हेतु एक प्रणाली स्थापित की जायेगी।

25 टूरिस्ट विलेज, पणिहारी, टूरिस्ट होटल जयपुर, यात्रिका, शिल्पी, चिरमी, मावठ, रेन बसेरा, कुरजा, गनेड़ा, मोटल धौलपुर, सीआरओ चेन्नई, सीआरओ मुंबई, सीआरओ जयपुर, सीआरओ नई दिल्ली, पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू।

निष्कर्ष

कम्पनी ने कोई दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना अथवा राज्य में पर्यटन ढांचे के विकास एवं पर्यटन के संवर्धन हेतु नीति तैयार नहीं की थी। साथ ही, पर्यटन नीति **2001** के क्रियान्वयन हेतु कोई कदम नहीं उठाये थे। सारभूत तथ्यों पर बजट तैयार नहीं किये जाने के कारण बजटीय लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में अत्यधिक विचरण थे। **2007-13** के दौरान समग्र अधिभोग **42** से गिरकर **33** प्रतिशत रह गया एवं पर्यटन संवर्धन हेतु प्रयासों के अभाव के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित होटल्स/मोटल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे। कम्पनी ने निर्धारित खाद्य लागत मानदण्डों के समक्ष कच्ची सामग्री एवं ईंधन पर अधिक व्यय किया। **2007-13** के दौरान पीओडब्ल्यू का अधिभोग **100** प्रतिशत से गिरकर **66.63** प्रतिशत रह गया जबकि आरआरओडब्ल्यू मार्च **2013** तक **49.20** प्रतिशत अधिभोग ही प्राप्त कर सकी। कम्पनी केन्द्रीय/राज्य द्वारा सहायता प्रदान की गई पर्यटन आधारभूत परियोजनाएं नियत अवधि में पूर्ण नहीं कर सकी।

अनुशंसायें

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को:

- पर्यटन नीति क्रियान्वित करनी चाहिए एवं राज्य में पर्यटन ढांचे के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना तैयार करनी चाहिए;
- लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समर्थन हेतु वास्तविक बजट एवं कार्यवाही योजना तैयार करनी चाहिए;
- उत्तम विपणन एवं सुविधाओं में सुधार करके अधिभोग को बढ़ाना चाहिए;
- खाद्य लागत को मानदण्डों के भीतर लाना चाहिए;
- पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू के अधिभोग में सुधार हेतु कार्यवाही योजना तैयार करनी चाहिए। आकर्षित टैरिफ, घरेलू पर्यटकों एवं उत्तम विपणन के विकल्प पर विचार करना चाहिए;
- परियोजनाओं के पूर्ण करने में केन्द्र/राज्य की मार्गदर्शिका की अनुपालना करनी चाहिए; एवं
- आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं सर्तकता कार्य में सुधार लाना चाहिए।

अध्याय III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम द्वारा 'ऋणों की वसूली' की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राजस्थान वित्त निगम (निगम) का गठन (17 जनवरी 1955) राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम) के अन्तर्गत किया गया था। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹ 1778.72 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये, जिसमें से ₹ 1364.57 करोड़ का वितरण विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को किया गया था। इस अवधि में कुल वसूलियाँ ₹ 596.55 करोड़ के पूर्व-भुगतान सहित ₹ 2091.62 करोड़ की थी।

वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय निष्पादन

निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर थी क्योंकि संचित हानियाँ 2008-09 में ₹ 53.58 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 130.10 करोड़ हो गई थी। 2008-13 के दौरान व्यवसाय संचालनों के वित्त पोषण का प्रमुख स्त्रोत मूलधन की वसूली था क्योंकि सिडबी एवं अन्य बैंकों से उधारियाँ उनसे लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु भी पर्याप्त नहीं थी। वर्ष के दौरान शुद्ध संग्रहणीय राशि से कम (65.90 एवं 81.09 प्रतिशत के मध्य) लक्ष्य निर्धारण के बावजूद वसूली लक्ष्यों में कमी रही। 2008-13 के दौरान निगम के व्यवसाय प्रदर्शन में तीव्र गिरावट हुई क्योंकि स्वीकृतियाँ ₹ 473 करोड़ से घटकर (75.90 प्रतिशत) ₹ 114 करोड़ हो गई जबकि वितरण ₹ 340 करोड़ से घटकर (59.12 प्रतिशत) ₹ 139 करोड़ हो गये। पाँच शाखा कार्यालयों द्वारा 2012-13 के दौरान कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

प्रमुख मापदण्डों के समक्ष वसूली निष्पादन

गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ (एनपीए)

निगम, राजस्थान सरकार एवं सिडबी के मध्य दिसम्बर 2003 में निष्पादित (जुलाई 2009 में नवीनीकृत) त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार निगम एनपीए को कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत की स्वीकृत सीमा के अन्दर सीमित नहीं कर सका। 2008-13 के दौरान एनपीए की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता 21.06 से 30.47 के मध्य रही। 2008-11 के दौरान वितरण किये गये कुल ₹ 966 करोड़ के ऋणों में से, 16 ऋण खाते (₹ 33.24 करोड़) दो वर्ष की लघु अवधि में एनपीए हो गये जबकि अन्य तीन ऋण खाते (₹ 57.67 लाख) तीन वर्ष के भीतर एनपीए हो गये।

क्षेत्रवार निष्पादन

निगम का मुख्य ध्येय वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) क्षेत्र को बढ़ावा देना था क्योंकि 2008-13 के दौरान ₹ 1778.72 करोड़ की कुल स्वीकृतियों में से सीआरई क्षेत्र का अंश ₹ 599.73 करोड़ (33.71 प्रतिशत) था। सीआरई क्षेत्र ने 2008-13 के दौरान ₹ 1364.57 करोड़ के कुल वितरणों में से ₹ 527.27 करोड़ (38.64 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्राप्त की। निगम ने न तो उद्योग वार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित की एवं न ही यह सुनिश्चित करने के लिये कोई पद्धति विकसित की कि सीआरई क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता एक

समय विशेष पर निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो।

मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वितरण

ऋणों के दोषपूर्ण मूल्यांकन/स्वीकृति एवं वितरण के प्रकरण थे यथा क्रेडिट मूल्यांकन मानदण्डों (प्रवर्तकों का पूर्व इतिहास, वित्तीय सुदृढ़ता, प्रस्तावित परियोजना की विपणनता, क्रेडिट सूचना ब्यूरो ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिवेदन इत्यादि) की अनुपालना नहीं की गई थी, प्रवर्तकों के अंशदान की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना, पर्याप्त प्रतिभूति इत्यादि के बिना वितरण के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किये गये जिससे ऋण की वसूली में कठिनाईयाँ हुई।

ऋण खातों का पुनर्निर्धारण

2008-13 के दौरान पुनर्निर्धारित किये गये 172 ऋण खातों में से 121 ऋण खाते (70.35 प्रतिशत) पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि से आगे नौ से 96 महीनों के मध्य तक पुनर्निर्धारित किए गये थे। साथ ही, मई 2013 को छः चयनित इकाईयों में 85 पुनर्निर्धारित खातों के 18 उधारकर्ताओं ने ₹ 20.37 करोड़ की देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की। चूककर्ताओं में पाँच उधारकर्ता एवं दो उधारकर्ता वह भी थे जहाँ पुनर्निर्धारण क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय बार किया गया था।

ऋण खातों का निपटान

राज्य स्तरीय समिति एवं प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति ने 2008-13 के दौरान 317 प्रकरणों का निपटान ₹ 168.71 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 45.90 करोड़ में किया एवं इस प्रकार ₹ 122.81 करोड़ (72.79 प्रतिशत) की राशि का त्याग किया। निगम ने 39 प्रकरणों का निपटान मूलधन राशि (₹ 4.39 करोड़) से कम ₹ 2.90 करोड़ में किया एवं अन्य 158 प्रकरण, ₹ 72.06 करोड़ की एमआरवी की प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद ₹ 121.13 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष मात्र ₹ 29.93 करोड़ में निपटान किए गये थे।

धारा 29 का प्रवर्तन

2008-13 के दौरान विक्रय की गई 109 इकाईयों में से 87 इकाईयाँ पाँच वर्षो के भीतर विक्रय की गई थी, 13 इकाईयाँ पाँच से 10 वर्षो के मध्य विक्रय की गई थी, आठ इकाईयाँ 10 से 20 वर्षो के मध्य एवं एक इकाई अधिगृहित करने के 20 से भी अधिक वर्षो के व्यतीत होने पर विक्रय की गई थी। निगम ने 52 इकाईयों का विक्रय मूलधन राशि की वसूली किए बिना ही किया एवं इन इकाईयों से बकाया मूलधन के पेटे ₹ 3.69 करोड़ का त्याग किया। चयनित शाखा कार्यालयों में 2008-13 के दौरान अधिगृहित की गई 50 इकाईयों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उधारकर्ताओं द्वारा चूक प्रारम्भ करने से धारा 29 के तहत कानूनी नोटिस जारी करने में 100 महीनों तक का विलम्ब था। साथ ही, निगम द्वारा दोषी इकाई को प्रथम नोटिस जारी करने एवं इकाई को अधिगृहित करने के मध्य 109 महीनों तक का समय अन्तराल रहा था। अधिगृहित 51 इकाईयों में से 21 इकाईयों का नवीनतम बाजार मूल्य (₹ 7.31 करोड़) बकाया देयताओं (₹ 21.99 करोड़) को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं था एवं देयताओं की वसूली के पेटे ₹ 14.68 करोड़ की कमी थी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली

निगम ने 2008-13 के दौरान 2076 प्रकरणों का निपटान किया एवं मार्च 2013 को ₹ 198.75 करोड़ की राशि के 1098 प्रकरण लम्बित थे। 2008-13 के दौरान जिलाधीश ने प्रवर्तकों/जमानतियों के नाम से सम्पत्तियों की पहचान नहीं होने के कारण 173 मांग के निवेदन-पत्र (आरओडी) वापस किए गये थे। कुल लम्बित प्रकरणों में से नौ चयनित शाखा कार्यालयों से सम्बन्धित 323 प्रकरणों में निगम के पास या तो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं थी या प्रवर्तकों/जमानतियों की अन्य सम्पत्तियाँ चिन्हित नहीं की गई थी।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें एमएसएण्डएमई क्षेत्र के संवर्धन हेतु वितरणों में सुधार के लिये वित्त के वैकल्पिक स्त्रोत तलाशना; खातों के एनपीए श्रेणी में परिवर्तन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु मानक सम्पत्तियों की सघन निगरानी; जोखिम को न्यूनतम करने हेतु स्वीकृति एवं वितरणों के मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना; नियमों के अनुसार देयताओं की वसूली हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करना; तथा आन्तरिक नियंत्रण व आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

प्रस्तावना

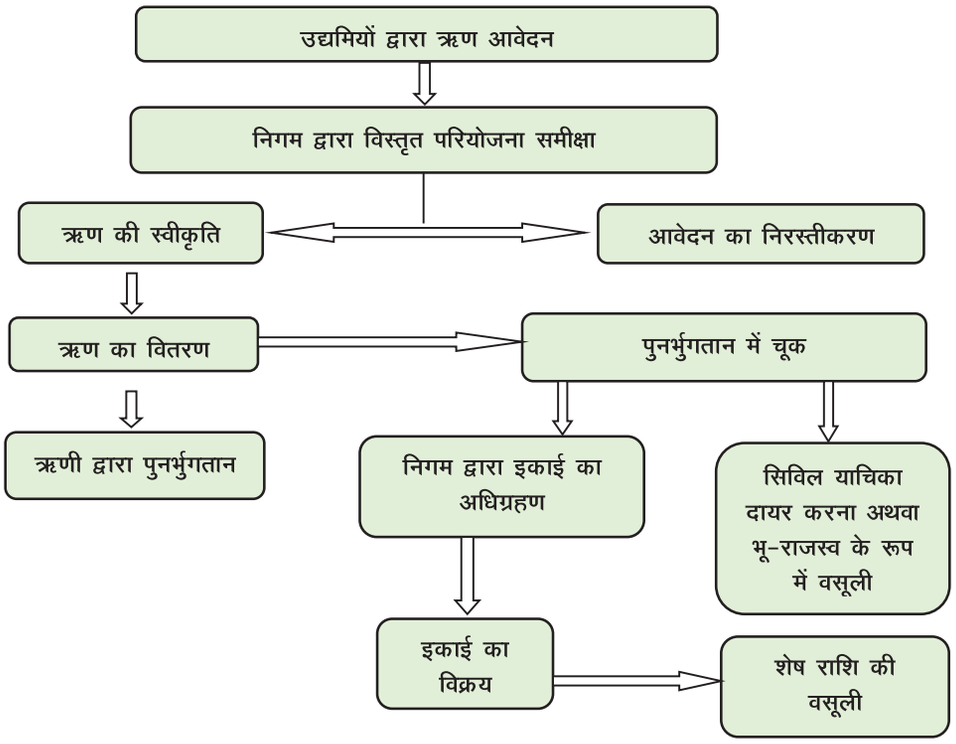
3.1 राजस्थान वित्त निगम (निगम) का गठन (17 जनवरी 1955) राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों[1] को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम) के अधीन किया गया था। औद्योगिक इकाईयाँ, जिनकी प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त निधि ₹ 30 करोड़ से अधिक नहीं हों, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 26 के अनुसार वित्त निगम, किसी कॉरपोरेशन, कम्पनी या सहकारी समिति को ₹ 5 करोड़ एवं अन्य किसी मामले में ₹ 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह सीमायें भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) की पूर्वानुमति से चार गुणा तक बढ़ाई जा सकती हैं। सिडबी ने निगम को कॉरपोरेशन/कम्पनी/सहकारी समिति के मामले में ₹ 10 करोड़ एवं अन्य मामलो में ₹ 4 करोड़ तक की वित्तीय सहायता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की (मार्च 2010)। परियोजनाओं को ₹ 10 करोड़ एवं ₹ 4 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता की अनुमति सिडबी द्वारा दी जाती थी।

निगम का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं कार्य-कलापों का प्रबन्धन निदेशक मंडल (बीओडी), जिसमें राज्य सरकार, सिडबी, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, में निहित है। मार्च 2013 को निदेशक मण्डल में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) सहित कुल 11 निदेशक थे। सीएमडी निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिनके सहायतार्थ प्रधान कार्यालय में एक कार्यकारी निदेशक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक (डीजीएम) एवं विभागीय प्रमुख तथा शाखा कार्यालयों में शाखा प्रबन्धक हैं। 31 मार्च 2013 को, निगम ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 38 शाखा कार्यालयों के माध्यम से ऋणों की स्वीकृति, वितरण एवं वसूली से सम्बन्धित गतिविधियाँ निष्पादित की। शाखा कार्यालयों का नियंत्रण मुख्यालय पर छः डीजीएम (परिचालन) द्वारा किया जा रहा था।

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹ 1779 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये, जिसमें से ₹ 1365 करोड़ का वितरण विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को किया गया था। इस अवधि में ₹ 596.55 करोड़ के पूर्व-भुगतान सहित कुल वसूलियाँ ₹ 2091.62 करोड़ थी।

1 उत्पादन, निर्माण एवं प्रक्रियाकरण अथवा परिरक्षण में संलग्न उद्योग के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से आशय ऐसे उद्योगों से है जहाँ संयंत्र व मशीनरी में निवेश क्रमशः ₹ 25 लाख, ₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड़ एवं ₹ 5 करोड़ से ₹ 10 करोड़ से अधिक न हो। उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के मामले में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से आशय ऐसे उद्योगों से है जहाँ उपकरणों में निवेश क्रमशः ₹ 10 लाख, ₹ 10 लाख से ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 2 करोड़ से ₹ 5 करोड़ से अधिक न हो।

ऋणों की स्वीकृति, वितरण एवं वसूली से सम्बन्धित प्रक्रिया नीचे दी गई है:



लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2 निगम के निष्पादन की गत समीक्षा 31 मार्च 2005 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) राजस्थान सरकार में की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जून 2007 से मई 2008 के दौरान चर्चा की गई थी। कोपू की सिफारिशें राज्य विधायिका के समक्ष 26 अगस्त 2011 को रखी गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिशों में वसूली हेतु समयबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब, इकाईयों के निस्तारण में विलम्ब, प्रवर्तकों/प्रतिभूतियों इत्यादि की पहचान नहीं करने हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही शामिल है।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-09 से 2012-13 के दौरान 'ऋणों की वसूली' में निगम का निष्पादन समाहित करती है। निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2013 एवं जुलाई 2013 के मध्य की गई थी। लेखापरीक्षा जाँच में प्रधान कार्यालय, छः में से चार (III, IV, V, VI) डीजीएम, परिचालन एवं चयनित डीजीएम, परिचालन के अन्तर्गत नौ[2] शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित है। चार डीजीएम (परिचालन) एवं उनके तहत शाखा कार्यालय स्तरीकृत जोखिम आधारित नमूना पद्धति से चयनित किये गये थे।

2 (1) जयपुर शहर, (2) सीकर, (3) कोटा, (4) जयपुर (सीतापुरा), (5) भिवाड़ी, (6) नीमराना, (7) दौसा, (8) जयपुर (ग्रामीण) एवं (9) श्रीगंगानगर।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.3 निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने हेतु की गई थी कि:

- वित्तीय सहायता की स्वीकृति एवं वितरण निगम द्वारा निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणाली के अनुसार थी;
- देयताओं की वसूली एवं चूक के मामलों में एसएफसी अधिनियम, 1951 के प्रावधानों एवं निगम द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुरूप कार्यवाही की गई थी;
- निगम ने स्वीकृति, वितरण एवं देयताओं की वसूली के सम्बन्ध में आंतरिक नियंत्रण का एक पर्याप्त, प्रभावी एवं दक्ष प्रणाली स्थापित की थी; एवं
- निपटान, अनुमोदित नीतियों एवं समय-समय पर लागू की गई एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाओं के अनुसार किये गये थे।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.4 निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये थे:

- वार्षिक बजट, निगम के वार्षिक लेखे, नियमावलियाँ एवं निदेशक मण्डल के प्रस्ताव;
- ऋणों की स्वीकृति, वितरण एवं वसूली से सम्बन्धित निगम की नीतियाँ एवं कार्यप्रणाली व मार्गदर्शिकाएं, एसएफसी अधिनियम के प्रावधान, सिडबी एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मार्गदर्शिकाएं;
- सिडबी एवं आरबीआई द्वारा निर्गमित गैर निष्पादन सम्पतियों के वर्गीकरण मानक; एवं
- प्रबन्धन सूचना प्रणाली/आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

3.5 लेखापरीक्षा मानदण्डों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई कार्यविधि में सरकार/शीर्ष प्रबन्धन को प्रविष्ठि सभा (20 मई 2013) के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या समाहित है। प्रधान कार्यालय एवं चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा में समंकों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जारी करना एवं निगम कार्मिकों से संवाद सम्मिलित है। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार/प्रबन्धन को उनकी टिप्पणियों हेतु जारी किया गया था (अगस्त 2013)। सरकार/प्रबन्धन का उत्तर प्राप्त हुआ (अक्टूबर 2013) एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सरकार/शीर्ष प्रबन्धन के साथ समापन सभा (17 अक्टूबर 2013) के दौरान चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा को सरकार/प्रबन्धन के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया है।

समापन सभा के दौरान, उद्योग-वार अवस्थिति सीमायें निर्धारित करने के अलावा सभी लेखापरीक्षा अनुशंसाएं स्वीकार की गई थी। सीएमडी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आवश्यक

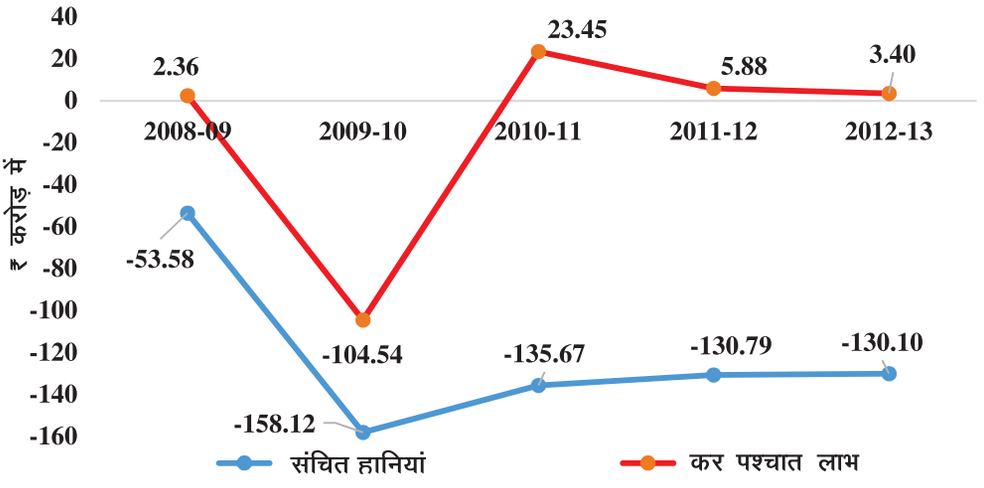
समंक उपलब्ध नहीं होने के कारण उद्योग-वार अवस्थिति सीमाओं का निर्धारण कठिन होगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय निष्पादन

वित्तीय स्थिति

3.6 निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणामों का विस्तृत विवरण **अनुबन्ध-13** में दिया गया है। वर्ष 2008-13 के दौरान कर पश्चात् लाभ एवं संचित हानियों को इंगित करते हुए लाभप्रदता स्थिति नीचे रेखीय चार्ट में दी गई है:



निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर थी क्योंकि संचित हानियाँ 2008-09 में ₹ 53.58 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 158.12 करोड़ हो गई थी। बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिति में मामूली सुधार हुआ एवं 2012-13 के अंत में संचित हानियाँ ₹ 130.10 करोड़ रही थी। 2008-09 के दौरान सिडबी के निर्देशों पर निगम ने लेखांकन प्रणाली को 'नकद आधार' से 'अर्जित आधार' पर परिवर्तित कर दिया परन्तु इसने सिडबी की मार्गदर्शिका के अनुसार गैर निष्पादन सम्पत्तियों (एनपीए) का प्रावधान नहीं किया था। एनपीए हेतु सिडबी की मार्गदर्शिका की अनुपालना 2009-10 से की गई थी एवं इसके परिणामस्वरूप 2009-10 के दौरान ₹ 2.21 करोड़ का परिचालन लाभ ₹ 104.54 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) एवं कहा कि हानियाँ, सिडबी की मार्गदर्शिका के अनुसार एनपीए हेतु प्रावधान किये जाने के कारण हुई थी।

रोकड़ के स्रोत एवं उपयोग

3.7 मूलधन एवं ब्याज की वसूली के अतिरिक्त, सिडबी एवं अन्य अनुसूचित बैंकों से उधारियाँ रोकड़ अन्तःप्रवाह के प्रमुख स्रोत थे। रोकड़ का बहिर्प्रवाह ऋणों के वितरण, ऋणों का पुनर्भुगतान एवं निगम द्वारा वहन किये गये व्ययों के पेटे उपयोग किया गया था। 2008-13 के दौरान रोकड़ का अन्तःप्रवाह एवं बहिर्प्रवाह नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
रोकड़ अन्तःप्रवाह						
नकद एवं बैंक का प्रारम्भिक शेष	74.85	57.33	54.45	72.84	32.40	291.87
सिडबी से उधारियाँ	150.00	125.72	86.00	75.00	53.65	490.37
अन्य बैंकों से उधारियाँ	12.00	110.00	50.00	-	-	172.00
बॉण्डस का निर्गमन	-	-	-	-	300.00	300.00
मूलधन की वसूली	278.38	275.95	341.16	305.03	291.74	1492.26
ब्याज की वसूली	116.84	113.95	128.35	125.61	114.08	598.83
अन्य राजस्व प्राप्तियाँ	11.66	10.18	10.62	7.94	13.60	54.00
अन्य रोकड़ अन्तःप्रवाह	8.05	15.87	11.81	21.23	-	56.96
योग	**651.78**	**709.00**	**682.39**	**607.65**	**805.47**	**3456.29**
रोकड़ का बहिर्प्रवाह						
ऋणों के माध्यम से वितरण	340.17	296.89	328.96	259.78	138.76	1364.56
सिडबी, अन्य बैंकों एवं बॉण्डस का पुनर्भुगतान	125.55	222.92	149.22	170.63	443.15	1111.47
राजस्व व्यय	108.01	122.99	119.82	123.11	122.75	596.68
नकद एवं बैंक का अंतिम शेष	57.33	54.45	72.84	32.40	97.23	314.25
अन्य नकद बहिर्प्रवाह	20.72	11.75	11.55	21.73	3.58	69.33
योग	**651.78**	**709.00**	**682.39**	**607.65**	**805.47**	**3456.29**

(स्रोतः वार्षिक लेखे एवं निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना)

यह देखा जा सकता है कि 2008-13 के दौरान व्यवसाय संचालनों के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत मूलधन की वसूली था क्योंकि सिडबी एवं अन्य बैंकों से उधारियाँ उनसे लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु भी पर्याप्त नहीं थी। राजस्व व्यय की पूर्ति ब्याज की वसूली एवं अन्य राजस्व प्राप्तियों से की गई थी। 2008-13 के दौरान सिडबी एवं अन्य बैंकों से ₹ 662.37 करोड़ की उधारियों के समक्ष पुनर्भुगतान ₹ 1111.47 करोड़ के थे जो सिडबी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से समर्थन के अभाव को इंगित करते हैं। चूंकि 2011-13 के दौरान अन्य बैंकों से उधारियाँ उपलब्ध नहीं थी, निगम ने सिडबी के ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु 2012-13 के दौरान ₹ 300 करोड़ के बॉण्डस निर्गमित किये।

जैसा कि उपर्युक्त से देखा गया, 2008-13 के दौरान सिडबी से पुनर्वित्त समर्थन ₹ 150 करोड़ से घटकर ₹ 53.65 करोड़ हो गया था। सिडबी द्वारा एक समयावधि के दौरान पुनर्वित्त समर्थन में

कमी को, सिडबी के निरीक्षण प्रतिवेदनो[3] में की गई अनुशंसाओं एवं निगम, राजस्थान सरकार तथा सिडबी के मध्य निष्पादित (जुलाई 2009) त्रिपक्षीय समझौता-पत्र (एमओयू) में इंगित किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन (2008-09, 2009-10 एवं 2010-11) की अनुशंसाओं में उल्लेखित था कि निगम को कोष वृद्धि हेतु वैकल्पिक स्त्रोतों की पहचान करने एवं इसके संसाधन आधार का विविधीकरण किये जाने की आवश्यकता है। एमओयू के अनुसार, राजस्थान सरकार अधिक उधारियाँ प्रदान करने में निगम की सक्षमता हेतु पूँजी आधार सुदृढ़ करने तथा आवश्यक पूँजी पर्याप्तता व सकारात्मक निवल सम्पत्ति में सुधार, लक्ष्य प्राप्ति एवं अनुरक्षण हेतु निगम को संसाधन समर्थन उपलब्ध करवाने हेतु सहमत थी। राजस्थान सरकार, निगम को बाजार से उधार (बैंकों सहित) लेने हेतु गारन्टी प्रदान करने के लिये भी सहमत थी एवं निगम को पुनर्वित्त व साख्य सहायता के पेटे सिडबी की सम्पूर्ण देयताओं का पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करना था।

हमने पाया कि राजस्थान सरकार ने, 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 13.95 करोड़ व ₹ 15.65 करोड़ के ऋणों के पूँजी योगदान में परिवर्तन एवं 2012-13 के दौरान ₹ 10 करोड़ के पूँजी समर्थन व ₹ 300 करोड़ के बॉण्डस निर्गमन की गारण्टी के अतिरिक्त कोई संसाधन समर्थन प्रदान नहीं किया था। बॉण्डस के निर्गमन हेतु गारण्टी केवल सिडबी की बकाया देयताओं के एकमुश्त निपटारे के लिए दी गई थी। व्यवसाय योजना एवं संसाधन पूर्वानुमान (बीपीआरएफ) में, निगम ने वैकल्पिक स्त्रोतों यथा परियोजनाओं के मूल्यांकन, प्रबन्धन सेवाएं, म्युचुअल फण्ड उत्पादों के विपणन, बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर से वसूली के कार्य का उत्तरदायित्व, प्रारम्भिक लोक प्रस्तावों इत्यादि से कोष बढ़ाना परिकल्पित किया परन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।

निगम को राजस्थान सरकार से एमओयू की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप समर्थन के अभाव एवं वित्त के वैकल्पिक स्त्रोतों की पहचान नहीं करने के कारण 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान स्वीकृति एवं वितरण के लक्ष्य कम करने पड़े थे, जैसा कि अनुच्छेद 3.8 में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा कि इसके द्वारा 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान निगम को दी गई सहायता के अलावा इसने सिडबी की ₹ 542.76 करोड़ के देयताओं के समक्ष ₹ 340 करोड़ में एकमुश्त निपटान में मदद दी थी। इसने आगे कहा कि निगम ने बीमा कम्पनी हेतु परामर्श सेवाओं के प्रयास किये परन्तु अर्जित आय बहुत कम थी एवं कोष वृद्धि गतिविधि पर इसका सारभूत प्रभाव नहीं था। तथ्य यही रहा कि सरकार का संसाधन समर्थन पर्याप्त नहीं था एवं निगम को स्वीकृति एवं वितरण के लक्ष्यों में कटौती करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, निगम वैकल्पिक स्त्रोतों से भी कोष प्राप्त नहीं कर सका।

3 एसएफसी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 37-ए के तहत सिडबी प्रत्येक वर्ष निगम का निरीक्षण करता है।

व्यवसाय निष्पादन

3.8 निगम ने स्वीकृति एवं वितरण के वार्षिक बजटीय लक्ष्यों का निर्धारण पिछले वर्षों की उपलब्धियों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया। वसूली के लक्ष्यों का निर्धारण पिछले वर्षों के अनुभव एवं सम्बन्धित वर्ष में देय ऋणों के पुनर्भुगतान के आधार पर किया गया था। निगम ने सिडबी से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु एमओयू के प्रावधानों के अनुसार 2008-09 से 2011-12 के दौरान बीपीआरएफ भी तैयार किया एवं सिडबी से स्वीकृत करवाया। बीपीआरएफ में वर्ष के दौरान स्वीकृति, वितरण एवं वसूली से सम्बन्धित अनुमान के साथ-साथ कोषों के स्रोत सम्मिलित थे। राज्य की ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु स्वीकृति, वितरण एवं वसूली के लक्ष्यों को राज्य सरकार को भी सूचित किया गया था। 2008-13 के दौरान स्वीकृति एवं वितरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में निगम का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की स्वीकृति					ऋणों का वितरण				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	475	520	575	625	500	330	360	400	440	375
बजटीय लक्ष्य	450	500	525	525	325	300	375	400	400	250
सिडबी द्वारा बीपीआरएफ में अनुमत्य अनुमान	450	525	525	525	-	360	400	400	400	-
संशोधित बजटीय लक्ष्य	450	425	475	275	125	360[4]	300	325	260	125
उपलब्धियां[5]	473	438	470	284	114	340	297	329	260	139

(स्रोतः बजट एवं निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना)

हमने पाया कि ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु राज्य सरकार को सूचित किये गये लक्ष्य किसी तर्कसंगत गणना, दीर्घकालीन व्यावसायिक नियोजन एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित नहीं थे। स्वीकृति एवं वितरण के वार्षिक बजटीय लक्ष्य अधिकांशतः सिडबी द्वारा पुनर्वित्त से प्रभावित थे। बीपीआरएफ के अनुमान मुख्य रूप से वार्षिक बजटीय लक्ष्यों पर आधारित थे परन्तु स्वीकृति एवं वितरण हेतु वार्षिक लक्ष्य वास्तविक वसूली एवं सिडबी द्वारा उपलब्ध करवाये गये पुनर्वित के आधार पर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में संशोधित किये गये थे।

यह देखा जा सकता है कि निगम ने 2008-09 के सिवाए कभी भी स्वीकृति एवं वितरण के बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया। 2009-10 से 2012-13 के दौरान स्वीकृति के सम्बन्ध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के मध्य विचलन 12.40 प्रतिशत से 64.92 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि वितरण के सम्बन्ध में विचलन 20.80 प्रतिशत से 44.40 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2008-13 के

4 आंकड़े बीपीआरएफ 2009 के अनुसार।

5 आंकड़े निकटतम करोड़ रुपये में पूर्ण किये गये हैं।

दौरान निगम के व्यवसाय प्रदर्शन में तीव्र गिरावट हुई क्योंकि स्वीकृतियाँ ₹ 473 करोड़ से घटकर (75.90 प्रतिशत) ₹ 114 करोड़ हो गई जबकि वितरण ₹ 340 करोड़ से घटकर (59.12 प्रतिशत) ₹ 139 करोड़ हो गये। शाखा-वार निष्पादन से ज्ञात हुआ कि क्रमशः पाँच एवं छः शाखा कार्यालयों में 2011-12 के दौरान स्वीकृति एवं वितरण ₹ एक करोड़ से कम था। एक करोड़ से कम स्वीकृति एवं वितरण का व्यवसाय करने वाले शाखा कार्यालयों की संख्या 2012-13 के दौरान क्रमशः 22 एवं 15 तक बढ़ गई। 22 शाखा कार्यालयों में पाँच ऐसे शाखा कार्यालय सम्मिलित है जहाँ 2012-13 के दौरान कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

2008-13 में ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में निगम का निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	385.00	400.00	425.00	450.00	450.00
बजटीय लक्ष्य	390.00	415.00	430.00	450.00	375.00
सिडबी द्वारा बीपीआरएफ में स्वीकृत अनुमान	390.00	415.00	425.00	450.00	-
संशोधित बजटीय लक्ष्य	390.00	415.00	425.00	425.00	360.00
शुद्ध संग्रहणीय राशि[6]	545.01	562.51	616.68	554.91	569.02
पूर्वभुगतान को छोड़कर वास्तविक वसूली	281.59	275.02	330.36	316.05	292.05
पूर्वभुगतान के रूप में वसूली	113.63	115.41	139.15	114.59	113.77
बजटीय लक्ष्य से कम वसूली	108.41	139.98	99.64	133.95	82.95

(स्रोतः बजट, वार्षिक लेखे एवं निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना)

निगम वसूली के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सका एवं 2008-13 के दौरान बजटीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी ₹ 82.95 करोड़ (22.12 प्रतिशत) से ₹ 139.98 करोड़ (33.73 प्रतिशत) के मध्य रही। वर्ष के दौरान शुद्ध संग्रहणीय राशि से कम (65.90 से 81.09 प्रतिशत के मध्य) लक्ष्य निर्धारण के बावजूद वसूली लक्ष्यों में कमी रही। 2008-13 की अवधि के दौरान शुद्ध संग्रहणीय राशि के समक्ष प्रभावी वसूली 48.89 से 56.96 प्रतिशत के मध्य रही।

हमने पाया कि निगम ने उधारकर्ताओं द्वारा किये गये पुर्वभुगतान को भी वसूली के रूप में माना यद्यपि यह वसूली के लक्ष्यों का हिस्सा नहीं थे।

सरकार ने कहा कि लक्ष्य इस पूर्वानुमान के साथ निर्धारित किये गये थे कि सिडबी पर्याप्त पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवायेगा। तथापि, सिडबी द्वारा व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष में लक्ष्यों का संशोधन किया गया। पूर्व भुगतान के सम्बन्ध में यह कहा गया कि अग्रिम वसूली को प्रतिवेदित करने की कोई प्रणाली नहीं थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि लक्ष्य किसी तर्कसंगत गणना एवं दीर्घकालीन

6 शुद्ध संग्रहणीय राशि में पुनर्निर्धारित, आस्थगित, समायोजित ऋणों व अधिगृहित इकाईयों तथा बंद इकाईयों में सन्निहित राशि को छोड़कर वर्ष के प्रारम्भ में बकाया एवं वर्ष के दौरान देय होने वाली राशि शामिल है।

व्यवसाय योजना पर आधारित नहीं थे। साथ ही, सिडबी द्वारा इन वर्षों में पुनर्वित्त सहायता कम किये जाने के संकेतों के बावजूद वैकल्पिक स्रोतों से कोष प्राप्त करने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी।

ऋणों की वसूली का निष्पादन

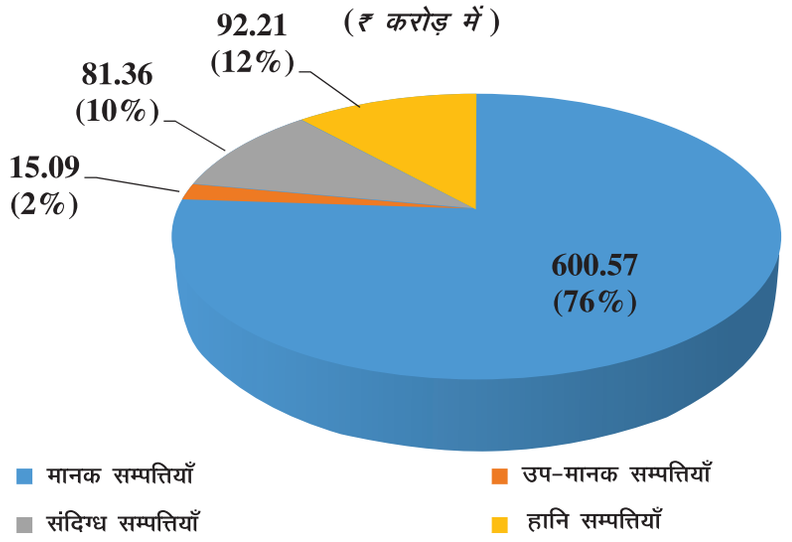
3.9 मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान निगम की वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं था क्योंकि संचित हानियों में 142.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि स्वीकृति एवं वितरण में क्रमशः 75.90 व 59.12 प्रतिशत तक की कमी हुई। चूंकि वित्तीय एवं व्यावसायिक निष्पादन में गिरावट वसूली निष्पादन की दक्षता एवं प्रभावशीलता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, निगम का वसूली निष्पादन निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर आंकलित किया गया:

1. ***गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ (एनपीए);***
2. ***क्षेत्रवार निष्पादन;***
3. ***ऋणों का मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वितरण;***
4. ***वसूली प्रक्रियाओं, नियमों एवं नियमनों की अनुपालना; एवं***
5. ***आन्तरिक नियंत्रण***

गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ

3.10 किसी वित्तीय संस्थान में एनपीए की स्थिति वित्तीय सुदृढ़ता का एक सबसे महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह लाभप्रदता एवं वित्तीय नियोजन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एनपीए के स्तर एवं संस्थान के निष्पादन के मध्य विपरीत सम्बन्ध होता है। सिडबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि ब्याज या मूलधन की किश्त 90 दिनों से अधिक बकाया रहती हैं तो ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उप-मानक सम्पत्तियों में वह सम्पत्तियाँ सम्मिलित होती हैं जो 12 महीनों की अवधि तक एनपीए रही हैं जबकि संदिग्ध सम्पत्तियों में वह सम्पत्तियाँ सम्मिलित होती हैं जो 12 महीनों की अवधि तक उप-मानक रही हैं। साथ ही, हानि सम्पत्तियाँ वह हैं जहाँ हानि चिन्हित कर ली गई है परन्तु राशि को पूर्ण रूप से अपलेखित नहीं किया गया है। 31 मार्च 2013 को कुल ₹ 789.23 करोड़ के बकाया ऋणों का मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि सम्पत्तियों में

श्रेणीवार वर्गीकरण नीचे पाई चार्ट में दिया गया है:



दिसम्बर 2003 में निगम, राजस्थान सरकार एवं सिडबी के मध्य निष्पादित एवं जुलाई 2009 में नवीनीकृत त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार, निगम 2004-13 के दौरान एनपीए के स्तर को कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत तक लाने हेतु सहमत हुआ। 2008-13 की अवधि के दौरान मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि सम्पत्तियों की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
मानक सम्पत्तियाँ	765.46	702.52	766.95	752.31	600.57
गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ					
उप-मानक सम्पत्तियाँ	19.77	84.69	30.13	13.24	15.09
संदिग्ध सम्पत्तियाँ	121.43	99.29	97.52	85.89	81.36
हानि सम्पत्तियाँ	79.99	123.89	102.00	101.52	92.21
कुल एनपीए	**221.19**	**307.87**	**229.65**	**200.65**	**188.66**
कुल बकाया ऋण	**986.65**	**1010.39**	**996.60**	**952.96**	**789.23**
वर्ष के अंत में एनपीए हेतु प्रावधान	94.07	198.83	177.19	170.24	160.03
बकाया से एनपीए की प्रतिशतता	22.42	30.47	23.04	21.06	23.90
हानि सम्पत्तियों की कुल एनपीए से प्रतिशतता	36.16	40.24	44.42	50.60	48.88

(स्रोत:एमआईएस एवं निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम एनपीए को कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत की स्वीकृत सीमा के अन्दर सीमित नहीं कर सका। 2008-13 के दौरान एनपीए की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता 21.06 से 30.47 प्रतिशत के मध्य रही। ऋण सम्पत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट हुई क्योंकि 2008-10 के दौरान हानि सम्पत्तियाँ ₹ 79.99 करोड़ से बढ़कर ₹ 123.89 करोड़ हो गई। बाद के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ एवं मार्च 2013 के अन्त में हानि सम्पत्तियाँ

₹ 92.21 करोड़ थी। कुल एनपीए की तुलना में हानि सम्पत्तियों की प्रतिशतता 2008-09 में 36.16 से बढ़कर 2012-13 में 48.88 हो गई। हमने देखा कि 2008-11 के दौरान वितरण किये गये कुल ₹ 966 करोड़ के ऋणों में से, 16 ऋण खाते (₹ 33.24 करोड़) दो वर्ष की लघु अवधि में ही एनपीए हो गये जबकि अन्य तीन ऋण खाते (₹ 57.67 लाख) तीन वर्ष के भीतर एनपीए हो गये।

एनपीए की उच्च प्रतिशतता ने ऋण आवेदन पत्रों के अनुचित मूल्यांकन एवं आंकलन को इंगित किया। वसूली एवं जोखिम प्रबन्धन स्थण्ड में चूक के प्रारम्भिक चेतावनी संकेतों को ज्ञात करने हेतु तुलन-पत्रों/प्रगति प्रतिवेदनों के विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु उधारकर्ताओं के चालू खातों की वार्षिक समीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी।

सरकार ने कहा कि 2003-13 के दौरान एनपीए का स्तर 50.95 प्रतिशत से 23.88 प्रतिशत तक नीचे आया था एवं इसे एमओयू की अवधि के अंत तक एनपीए 10 प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान है। यह भी कहा गया था कि अधिकांश एनपीए खाते 2001 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है जहाँ वसूली के संभावनाएं नगण्य थी एवं समग्र एनपीए को कम करने हेतु इन खातों का अपलेखन करना ही एकमात्र विकल्प है। तथ्य यही रहा कि 2003-13 के दौरान एनपीए के अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका एवं अपलेखन की कार्यवाही केवल मानक सम्पत्तियों के एनपीए में परिवर्तन को रोकने हेतु पर्याप्त निगरानी के अभाव को इंगित करती है।

निगम को नये खातों के एनपीए श्रेणी में परिवर्तन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु परियोजना अनुवर्ती तंत्र को सुदृढ़ कर मानक सम्पत्तियों की सघन निगरानी करनी चाहिये एवं एनपीए में कमी हेतु एक व्यूह रचना बनानी चाहिये।

क्षेत्रवार निष्पादन

3.11 निगम द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बनाई गई ऋण नीतियाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। 2008-13 के दौरान बनाई गई ऋण नीतियों में परिकल्पित मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थेः

- एसएफसी अधिनियम के अनुसार निगम अधिदेश की पूर्ति हेतु एक व्यापक साख रणनीति स्थापित करना एवं ऐसी सभी गतिविधियों को करना जो कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम (एमएसएण्डएमई) क्षेत्र के लिए लाभकारी हों;
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों[7], उद्यमों एवं व्यवसाय के नए क्षेत्रों आदि को विशेषतया शामिल कर, उधार पॉर्टफोलियो के विस्तार तथा विविधता को प्रोत्साहित करना;
- एमएसएण्डएमई को लाभान्वित करने के लिए ऋण वितरण के नए रास्तों को ढूंढना।

7 ज्ञान क्षेत्र, पर्यटन, खान व खनिज प्रोसेसिंग, रत्न व आभूषण, कृषि व्यवसाय, कपड़ा व वस्त्र, हस्तशिल्प/हैण्डलूम/खादी/ग्राम/कुटीर उद्योग, निर्यात व्यवसाय, हरित उद्योग एवं पिछड़े क्षेत्र आदि।

मार्च 2013 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
औद्योगिक	115.12	59.22	121.54	76.75	151.94	112.02	135.81	117.31	38.20	63.97
सीआरई	229.25	193.93	169.05	136.30	145.58	132.13	34.04	38.53	21.81	26.38
सेवा	67.64	39.67	85.43	35.13	100.60	34.32	42.86	47.87	22.21	22.79
अन्य	60.92	47.36	61.99	48.71	71.81	50.49	70.92	56.07	32.00	25.62
योग	**472.93**	**340.18**	**438.01**	**296.89**	**469.93**	**328.96**	**283.63**	**259.78**	**114.22**	**138.76**

(स्रोतः वार्षिक लेखे, संकलित एमआईएस एवं निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना)

यह देखा जा सकता है कि निगम का मुख्य ध्येय वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) क्षेत्र को बढ़ावा देना था क्योंकि 2008-13 के दौरान ₹ 1778.72 करोड़ की कुल स्वीकृतियों में से सीआरई क्षेत्र का अंश ₹ 599.73 करोड़ (33.71 प्रतिशत) था। साथ ही, सीआरई क्षेत्र ने 2008-13 के दौरान ₹ 1364.57 करोड़ के कुल वितरणों में से ₹ 527.27 करोड़ (38.64 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्राप्त की।

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए ऋण नीतियों में उल्लेखित था कि वितरण अनुभाग त्रैमासिक आधार पर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थिति की निगरानी करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि सीआरई क्षेत्र में बकाया राशि कुल बकाया (मूलधन) राशि की 30/20[8] प्रतिशत की सीमा के अधिक नहीं हो।

हमने पाया कि निगम ने न तो उद्योग वार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित की एवं न ही यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसी कोई पद्धति विकसित की कि सीआरई क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता समय विशेष पर निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं हो। साथ ही, जैसा कि सिडबी द्वारा वांछित था, सीआरई को दी गई सहायता का विभाजन उप समूहों में यथा आवास, आवसीय परिसर, वाणिज्यिक परिसर, आधारभूत परियोजनाओं आदि में नहीं रखा गया था। सीआरई क्षेत्र में उच्च अवस्थिति एवं अन्तर्निहित जोखिम को देखते हुए, सिडबी ने सीआरई क्षेत्र को ₹ 4 करोड़ एवं ₹ 10 करोड़ की निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निगम के वैयक्तिक प्रस्तावों को भी अस्वीकृत किया। स्वीकृति एवं वितरण में कमियों को उजागर करने वाले सीआरई से संबंधित कुछ प्रकरणों का उल्लेख अनुच्छेद 3.13 में किया गया है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में ब्याज की ऊँची दर के कारण सीआरई क्षेत्र में निर्भरता अधिक थी। निगम ने सीआरई क्षेत्र में अवस्थिति को धीरे-धीरे कम किया था। तथापि, समापन सभा के दौरान सरकार/प्रबंधन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों

8 वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की ऋण नीतियों में 30 प्रतिशत जबकि वर्ष 2012-13 की ऋण नीति में 20 प्रतिशत।

से संबंधित समंकों के अभाव के कारण क्षेत्रवार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी।

निगम को विभिन्न क्षेत्रों हेतु उद्योग-वार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित करनी चाहिये एवं यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र विकसित करना चाहिये कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव के जोखिमों को कम करने के अलावा संतुलित व स्थायी औद्योगिक विकास हेतु क्षेत्र विशेष को दी गई वित्तीय सहायता निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वितरण

3.12 ₹ 1.50 करोड़[9] तक की वित्तीय सहायता हेतु ऋण आवेदनों के साथ परियोजना प्रतिवेदन पर कार्यवाही शाखा कार्यालय स्तर पर की जाती है जबकि ₹ 20 करोड़[10] तक की सहायता हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। उद्यमियों की क्षमताओं के आंकलन एवं आवेदन-पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु सभी ऋण आवेदनों पर शाखा कार्यालयों में आन्तरिक निस्तारण समिति[11] (आईपीसी) द्वारा एवं प्रधान कार्यालय में परियोजना मंजूरी एवं परामर्शक समिति (पीसीएण्डसीसी) द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है। प्रारम्भिक जाँच, निगम की 'प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका' (पीएण्डजी) के अनुसार उद्योग एवं गतिविधि की पात्रता, उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों यथा भूमि की व्यवस्था, साझेदारी विलेख/मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन, उद्योग के पंजीकरण का प्रमाण पत्र/आशय पत्र इत्यादि पर आधारित होती है। आवेदनों का विस्तृत मूल्यांकन अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण मापदण्डों पर आधारित होता है:

- प्रवर्तकों का योगदान परियोजना लागत का कम से कम 33 प्रतिशत होना चाहिये;
- ऋण समता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिये;
- सुरक्षा सीमा (i) सामान्य मामलों में 30 प्रतिशत (ii) फ्रेब्रिकेटेड, डिजाइन व मॉडल्स, फर्नेस, फर्नीचर एवं फिक्चर्स के मामले में 50 प्रतिशत;
- ऋण-सेवा कवरेज अनुपात 1.70:1 से कम नहीं होना चाहिये;
- विभिन्न मापदण्डों पर यथा प्रवर्तकों का पिछला इतिहास, वित्तीय सुदृढ़ता, प्रस्तावित परियोजना का विपणन, क्रेडिट सूचना ब्यूरो ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल) के प्रतिवेदन इत्यादि के आधार पर सारस्व मूल्यांकन।

लेखापरीक्षा में 2008-13 की अवधि के दौरान ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यविधि की नमूना जांच यह ज्ञात करने के लिए की गई थी कि क्या ऋण आवेदनों की समीक्षा एवं मूल्यांकन

9 शाखा कार्यालय की श्रेणी ('ए' श्रेणी व अन्य) एवं शाखा प्रभारी के पदनाम (प्रबंधक, उप-प्रबंधक व सहायक प्रबंधक) पर आधारित।

10 कार्यकारी समिति (₹ 20 करोड़ तक), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (₹ 10 करोड़ तक), कार्यकारी निदेशक (₹ 5 करोड़ तक), उप महाप्रबंधक, ऋण (₹ 0.75 करोड़ तक)।

11 उप महाप्रबंधक (परिचालन) एवं प्रबंधक/उप प्रबंधक (शाखा)।

निर्दिष्ट मापदण्डों के संदर्भ में किया गया था। आवेदनों के आंकलन एवं मूल्यांकन में शिथिलता ऋणों की वसूली की स्थिति को प्रभावित करती है।

प्रकरणों का अध्ययन

3.13 समीक्षा अवधि के दौरान नौ चयनित शास्त्रा कार्यालयों में स्वीकृति के 1178 मामलों में से हमने 130 मामलों का चयन स्तरीकृत जोखिम आधारित नमूना पद्धति के आधार पर किया। स्वीकृति एवं वितरण में कमियों को उजागर करने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों, जिन्होनें वसूली को प्रभावित किया, पर नीचे चर्चा की गई है।

अमय होम सर्विसेज लिमिटेड

3.13.1 निगम ने एक आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ₹ 10 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (नवम्बर 2008) एवं ₹ 7.26 करोड़ वितरित किये (5 मार्च 2009 तक)। हमने पाया कि इस तथ्य के बावजूद ऋण स्वीकृत किया गया कि परियोजना उधारकर्ता कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन के उद्देश्य वाक्यांश में सम्मिलित नहीं थी एवं प्रवर्तक को प्रस्तावित परियोजना की क्रियान्विति का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। साथ ही, समग्र क्रेडिट श्रेणी 'बीबीबी' (56.52 प्रतिशत प्राप्तांक) थी जिसमें अत्यधिक उच्च व्यवसाय जोखिम शामिल था एवं निगम के साथ पूर्व में किये गये व्यवहारों हेतु प्राप्तांक शून्य था। इसके अलावा ₹ 12.32 करोड़ के प्रवर्तक योगदान का उपयोग सुनिश्चित किये बिना कोष वितरित किये गये थे।

उधारकर्ता ने जुलाई 2009 तक ब्याज के पेटे केवल ₹ 0.47 करोड़ का भुगतान किया एवं इसके पश्चात भुगतानों में चूक की। निगम ने आवासीय परिसर (भूमि की कीमत ₹ 1.31 करोड़) का कब्जा लिया (मार्च 2010) परन्तु मुकदमेबाजी के कारण नीलामी के माध्यम से देयताओं की वसूली नहीं कर सका। मार्च 2011 को बकाया देयतायें ₹ 9.85 करोड़ तक बढ़ गई।

सरकार ने कहा कि प्रवर्तक को ऐसी परियोजनाओं के विपणन का भली-भांति अनुभव था एवं निगम ने सम्पत्ति की एमआरवी ₹ 15.01 करोड़ आंकलित की थी (सितम्बर 2011)। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र में सामान्य मंदी के देखते हुये इस परियोजना विशेष की स्वीकृति आस्थगित करने हेतु सिडबी की सलाह को निगम ने पूर्ण रूप से अनदेखा किया।

फण्डन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

3.13.2 निगम ने ₹ 9 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 2011) एवं दिसम्बर 2012 तक ₹ 6.75 करोड़ वितरित किये। अभिलेखों की संवीक्षा से विदित हुआ कि स्वीकृति, मात्र ₹ 40 लाख मूल्य की प्राथमिक प्रतिभूति (भूमि) पर प्रदान की गई थी एवं ₹ 4.50 करोड़, प्रवर्तकों के योगदान का उपयोग सुनिश्चित किये बिना, सनदी लेखाकारों (सीए) के प्रमाण पत्र के आधार पर वितरित किये गये थे। साथ ही, सीआईबीआईएल का प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं किया गया था। हमने पाया कि निगम ने सीए के प्रमाण के आधार पर ऋण वितरण के कारण संबंधित कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये (जुलाई 2011)। निगम ने आगामी वितरणों पर भी रोक लगाई (मार्च 2012) एवं उधारकर्ता को अभिन्यास योजना की अनुपालना नहीं करने तथा किश्तों के भुगतान करने में चूक

करने के कारण एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये (अक्टूबर 2012)। तथापि, सीएमडी के निर्देशों (अक्टूबर 2012) पर सम्पति को अधिगृहित नहीं किया गया था। साथ ही, ऋण को पुनर्निर्धारित किया गया था एवं ₹ 2.25 करोड़ वितरित किये गये (दिसम्बर 2012) थे।

हमने देखा कि पीएण्डजी के प्रावधानों के अनुसार, जब पुनर्भुगतान में चूक का कारण उद्यमी के नियंत्रण से बाहर हो तो, ऋण का पुनर्निर्धारण किया जाना था। इस प्रकरण में विलम्ब का कारण उद्यमी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास योजना की अवहेलना में किया गया अनियमित निर्माण था। इकाई को अधिगृहित कर वसूली के बजाय ऋण को पुनर्निर्धारित करने का निगम का निर्णय न्यायोचित नहीं था क्योंकि मूलधन के पेटे ₹ 2.70 करोड़ अधिदेय थे एवं उद्यमी ने अभिन्यास योजना का अनुपालना नहीं करके स्वीकृति की शर्तों की अवहेलना की थी।

सरकार ने कहा कि स्थानीय प्राधिकारी ने अनाधिकृत निर्माण को नियमित कर दिया था एवं यदि उस समय इकाई को अधिगृहित किया जाता तो, परियोजना बंद हो सकती थी। तथ्य यही रहा कि निगम ने पुनर्निर्धारण के समय पीएण्डजी की मार्गदर्शिका की अनुपालना नहीं की थी एवं स्वीकृति, वितरण एवं वसूली के समय निगम के वित्तीय हितों के साथ समझौता किया गया था।

त्रिमूर्ति लैण्डकॉन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

3.13.3 निगम ने ₹ 14 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (सितम्बर 2008) एवं जनवरी 2009 तक ₹ 7 करोड़ वितरित किये। हमने पाया कि पूर्व के ₹ 7 करोड़ के ऋण (सितम्बर 2006), जो कि पुनर्निर्धारित (सितम्बर 2011) किया गया था, के पुनर्भुगतान में चूक के बावजूद स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसी भी किश्त के वितरण के समय प्रवर्तकों के योगदान का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था। हमने पाया कि उधारकर्ता ने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की जिसके लिये निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 व 30 एवं पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 138(ख) के अन्तर्गत अनेक बार नोटिस जारी किये, परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी। दोनों ऋणों को मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 में पुनः निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि निगम ने इकाई का भौतिक अधिग्रहण कर ऋण वसूली के बजाय, ऋणों का पुनर्निर्धारण कर उधारकर्ता को अदेय लाभ पहुँचाया क्योंकि कोई वित्तीय व्यवहार्यता योजना नहीं थी। परिणामस्वरूप, ऋणों के पुनर्निर्धारण के पश्चात् भी चूक होती रही थी।

सरकार ने कहा कि निगम कम्पनी के निर्देशकों से भली-भांति परिचित था एवं ऋण का पुनर्निर्धारण वित्तीय व्यवहार्यता को ध्यान रखे बिना मानदण्डों के अनुसार किया गया था। इसने आगे कहा कि कम्पनी का प्रवर्तक जयपुर के प्रमुख बिल्डरों में से एक था एवं निगम की विचारधारा इकाई के अधिग्रहण के बजाए ब्याज से धन कमाना थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि पीएण्डजी के प्रावधानों के अनुसार ऋण के पुनर्निर्धारण के निर्णय से पूर्व वित्तीय व्यवहार्यता योजना का होना अनिवार्य था। साथ ही, निगम को पक्षकारों की प्रतिष्ठा के आधार के बजाय निर्दिष्ट मानदण्डों एवं नीतियों के आधार पर निर्णय लेने थे।

रॉयल मॉडर्न बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोटा

3.13.4 'सम्पत्तियों के समक्ष वित्त पोषण हेतु योजना' (एफएएएस) के अन्तर्गत निगम ने ₹ 3.07 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (नवम्बर 2009) एवं फरवरी 2010 तक ₹ 2.45 करोड़ वितरित किये। हमने पाया कि उधारकर्ता, इस आधार पर एफएएएस के तहत ऋण के लिए योग्य नहीं था कि इसकी सहयोगी इकाई ने ऋण के पुनर्भुगतान में चूक (मार्च 2009 को ₹ 1.79 करोड़ की पुरानी देयताओं का भुगतान नहीं किया) की थी। हमने पाया कि उधारकर्ता ने किश्तों के भुगतान में लगातार चूक की एवं निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 व 30 तथा पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138(ख) के तहत नोटिस जारी किये। 30 सितम्बर 2013 को उधारकर्ता के विरुद्ध ₹ 18 लाख के अधिदेय तथा ₹ 78 लाख की बकाया देयतायें थी। तथापि, निगम ने इकाई को अधिगृहित करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि मार्च 2013 को खाता मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं निगम ऋण के पुनर्भुगतान पर कड़ी नजर रखे हुए है। तथापि, तथ्य यही रहा कि 30 सितम्बर 2013 को उधारकर्ता के विरुद्ध ₹ 18 लाख के अधिदेय थे।

श्री गणेश क्राफ्ट, भिवाड़ी

3.13.5 निगम ने ₹ 70 लाख का ऋण स्वीकृत किया (अक्टूबर 2008) एवं जनवरी 2010 तक ₹ 61.27 लाख वितरित किये। शेष स्वीकृति उधारकर्ता के निवेदन पर रद्द कर दी गई थी (नवम्बर 2010)। अभिलेखों की संवीक्षा से विदित हुआ कि उद्यमी की ₹ 26.10 लाख के पूर्व के ऋण, जहाँ निगम ने इकाई को अधिगृहित किया था एवं इकाई के नीलामी के पश्चात् देयताओं की वसूली की गई थी, के पुनर्भुगतान में असंतोषजनक प्रदर्शन होने के बावजूद ऋण स्वीकृत किया गया था। हमने पाया कि निगम ने ऋण को तीन बार (जनवरी 2010, नवम्बर 2011 एवं मार्च 2013) को पुनर्निर्धारित किया एवं पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि को अक्टूबर 2016 से बढ़ाकर अक्टूबर 2021 कर दिया। शाखा कार्यालय ने ऋण के द्वितीय व तृतीय बार पुनर्निर्धारण के दौरान तथ्यों को छुपाया एवं यह उल्लेख किया कि ऋण क्रमशः प्रथम व द्वितीय बार पुनर्निर्धारित किया जा रहा था।

उद्यमी ने पुनर्निर्धारण की शर्तों का कभी भी पालन नहीं किया परन्तु निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 व 30 के तहत अनेक बार नोटिस जारी करने के सिवाय वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी। साथ ही, निगम को पुनर्निर्धारण की शर्तों की अनुपालना नहीं करने के कारण पुनर्भुगतान की मूल अनुसूची पर वापिस आना चाहिये एवं ब्याज की शास्ति दर भारित करनी चाहिये।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि इकाई नियमित अनुसरण के पश्चात् भी देयताओं का भुगतान नहीं कर रही थी। तथापि, उत्तर भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में मौन था।

रीव थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड, खुशखेड़ा

3.13.6 हमने पाया कि निगम ने उधारकर्ता द्वारा पूर्व के (जनवरी 2009) ₹ 70 लाख के ऋण के भुगतान में चूक करने को ध्यान दिये बिना ₹ 53.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया (25 मई 2011)

एवं ₹ 53.50 लाख (7 जून 2011 तक) वितरित किये। इसके अलावा, निगम ने कम्पनी/प्रवर्तकों की कमजोर वित्तीय स्थिति को भी अनदेखा किया एवं समानान्तर प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया था। जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति (डीएलएसी) ने इस आधार पर पूर्व ऋण में चूक के तथ्यों को छुपाया कि पुनर्भुगतान संतोषजनक था। डीएलएसी ने चूक के लिए जारी किये गये कानूनी नोटिसों के बारे में भी उल्लेख नहीं किया था।

हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि उधारकर्ता ने दोनों ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की परन्तु निगम ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की एवं मात्र एसएफसी अधिनियम की धारा 29 व 30 के तहत अनेक बार नोटिस जारी किये। निगम ने 26 अगस्त 2010 को इकाई को अधिगृहित करने का निर्णय लिया परन्तु सीएमडी के दिशानिर्देशों पर इसे स्थगित कर दिया। इसके पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की गई थी एवं मई 2013 को प्रथम ऋण के पेटे ₹ 6.70 लाख तथा द्वितीय ऋण के पेटे ₹ 44.07 लाख अधिदेय थे।

सरकार ने कहा कि द्वितीय ऋण सरल योजना के मानदण्डों के तहत स्वीकृत किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि योजना उन उधारकर्ताओं को ऋण की स्वीकृति अनुमत्य नहीं करती थी जिन्होनें चल रहे ऋणों में चूक की है। साथ ही, डीएलएसी द्वारा चूक करने के तथ्य को छुपाना निगम के हितों के विरुद्ध था।

वर्टिका केमिकल फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, भिवाड़ी

3.13.7 निगम ने ₹ 93 लाख का ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2010) एवं मई 2012 तक ₹ 89.63 लाख का वितरण किया। अभिलेखों की संवीक्षा से विदित हुआ कि निगम द्वारा ऋण नीति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग नहीं की गई थी एवं ऋण मात्र ₹ 17.25 लाख की प्राथमिक प्रतिभूति पर स्वीकृत किया गया था। साथ ही, प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं थी क्योंकि पिछले तीन वर्षों (2007-10) की उनकी वार्षिक आय ₹ 1.19 लाख से ₹ 2.32 लाख के मध्य रही थी। उधारकर्ता की निवल सम्पत्ति का ब्यौरा भी प्राप्त नहीं किया गया था। हमने पाया कि उधारकर्ता ने किश्तों के भुगतान में लगातार चूक की एवं निगम ने इकाई को अधिगृहित कर वसूली करने की बजाय एसएफसी अधिनियम की धारा 29 व 30 तथा पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138(ख) के तहत अनेक बार नोटिस जारी किये। मार्च 2013 को उधारकर्ता के विरुद्ध ₹ 11 लाख अधिदेय थे।

सरकार ने कहा कि परियोजना का मूल्यांकन उचित था एवं उस समय क्रेडिट रेटिंग प्रणाली लागू नहीं थी। साथ ही, उधारकर्ता ने मार्च 2013 तक मूलधन के पेटे ₹ 13.82 लाख का भुगतान किया था। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि मूल्यांकन मानकों के अनुरूप नहीं था एवं ऋण नीति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य थी। साथ ही, ₹ 13.82 लाख का भुगतान के पश्चात् भी मार्च 2013 को उधारकर्ता के विरुद्ध ₹ 11 लाख अधिदेय थे।

उपरोक्त वर्णित उदाहरणस्वरूप प्रकरण ऋणों के मूल्यांकन/स्वीकृति एवं वितरण में पाई गई कमियों का सार थे। निर्दिष्ट मानदण्डों की अनुपालना नहीं करने से ऋणों का दोषपूर्ण मूल्यांकन/

स्वीकृति एवं वितरण के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किये गये जिससे ऋण की वसूली में कठिनाईयाँ हुई।

निगम को ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण हेतु पीएण्डजी में प्रस्तावित महत्वपूर्ण मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिये एवं ऋण आवेदनों के मूल्यांकन के तंत्र को मजबूत करना चाहिये।

वसूली प्रक्रियाओं, नियमों एवं विनियमों की अनुपालना

3.14 निगम समान त्रैमासिक किश्तों के साथ ही लागू ब्याज के माध्यम से अनुबंध के अनुसार ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने हेतु उधारकर्ताओं को वसूली की समय-सारणी सूचित करता है। चूक के मामले में, यदि उधारकर्ता प्रामाणिक होता है अर्थात उधारकर्ता के पास देयताओं का भुगतान नहीं करने का वैध कारण है तो निगम ऋण/किश्तों का पुनर्नियोजन, स्थगन, आस्थगन एवं पुनर्निर्धारण कर सकता है। जान-बूझकर की गई चूक के मामले में अर्थात उधारकर्ता लाभ अर्जित कर रहा है परन्तु नकद प्राप्ति होने के बावजूद भी देयताओं का पुनर्भुगतान नहीं कर रहा है, निगम एसएफसी अधिनियम की विविध धाराओं के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। निगम समय-समय पर लागू ओटीएस योजनाओं के माध्यम से भी देयताओं की वसूली करता है।

वर्ष 1985 तक निगम उधारकर्ता, जमानती अथवा अन्य किसी प्रतिभू से इसकी देयताओं की वसूली केवल एसएफसी अधिनियम की धारा 29, 30, 31 एवं 32 के प्रावधानों के तहत करने के वैधानिक उपचार हेतु अधिकृत एवं समर्थ था। धारा 29 औद्योगिक इकाई का प्रबंधन अपने हाथ में लेने या अधिग्रहण करने अथवा दोनों के लिए अधिकार प्रदान करने के साथ ही साथ पट्टे या विक्रय के द्वारा हस्तातंरण का अधिकार एवं इसके पास गिरवी, रहन, बंधक अथवा सुपुर्द की गई सम्पत्ति से वसूली का अधिकार प्रदान करती है। धारा 30 सम्पूर्ण पुनर्भुगतान को निर्धारित समय से पहले मांगने की अनुमति देती है। धारा 31 दावों के प्रवर्तन हेतु दीवानी मुकदमें दायर करने के विशेष प्रावधान प्रदान करती है जबकि धारा 32, धारा 31 के तहत दायर आवेदनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया बताती है। एसएफसी अधिनियम अगस्त 1985 में संशोधित किया गया था एवं एक नई धारा 32-जी शामिल की गई जो कि निगम को अपनी देयताओं की वसूली राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने की अनुमति देती है। धारा 29, 30, 31 एवं 32-जी के प्रावधानों का विस्तृत विवरण **अनुबन्ध-14** में दिया गया है।

ऋण खातों का पुनर्निर्धारण

3.15 निगम की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका, 2002 (पीएण्डजी) के अनुसार, मूलधन या ब्याज अथवा दोनों के पुनर्निर्धारण से आशय सम्पूर्ण पुनर्भुगतान सारणी के पुनर्निर्धारण से है। पीएण्डजी में प्रावधान है कि सामान्यतः कोई राशि पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि (एलडीआर) से आगे पुनर्निर्धारित नहीं की जानी चाहिये एवं यदि वैध कारणों की वजह से ऐसा करना आवश्यक व तर्कसंगत हो तो यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विविध तत्वों यथा उद्यमी की प्रामाणिकता, कार्यशील परिणाम, पूर्व के पुनर्भुगतान का इतिहास, अधिदेय राशि इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाना

चाहिये। 2008-13 के दौरान वर्ष के अंत में बकाया देयताओं[12] एवं पुनर्निर्धारित ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में बकाया देयताएं	वर्ष के दौरान पुनर्निर्धारित किये गये ऋण		
		राशि	प्रकरणों की संख्या	प्रतिशतता
2008-09	646.48	38.74	39	5.99
2009-10	713.50	91.55	51	12.83
2010-11	667.64	95.41	27	14.29
2011-12	693.18	73.96	31	10.67
2012-13	651.24	71.81	24	11.03
योग		**371.47**	**172**	**11.01**

(स्रोतः निदेशकों के प्रतिवेदन)

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2008-13 के दौरान पुनर्निर्धारित किये गये 172 ऋण खातों में से 121 ऋण खाते (70.35 प्रतिशत) एलडीआर से आगे नौ से 96 महीनों के मध्य तक पुनर्निर्धारित किए गये थे। छः[13] शाखा कार्यालयों में पुनर्निर्धारित किए गये 85 ऋण खातों के हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 24 खाते द्वितीय बार पुनर्निर्धारित किये गये थे एवं तीन खाते तृतीय बार पुनर्निर्धारित किये गये थे। साथ ही, मई 2013 को 85 पुनर्निर्धारित खातों में से 18 उधारकर्ताओं ने ₹ 20.37 करोड़ की देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की। चूककर्ताओं में पाँच[14] उधारकर्ता एवं दो[15] उधारकर्ता वह भी थे जहाँ पुनर्निर्धारण क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय बार किया गया था। यह ऋणों का पुनर्निर्धारण करते समय उधारकर्ताओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अनुचित आंकलन को दर्शाता है।

सरकार ने कहा कि निगम ने प्रामाणिक उधारकर्ताओं की मूलधन राशि का पुनर्निर्धारण किया एवं यह सुनिश्चित किया गया था कि उधारकर्ता द्वारा ऋण खाते के पुनर्निर्धारण से पूर्व सम्पूर्ण ब्याज का भुगतान कर दिया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि ऋणों का पुनर्निर्धारण एलडीआर से आगे तक किया गया था एवं जहाँ ऋण द्वितीय व तृतीय बार पुनर्निर्धारित किए गये थे, वहाँ भी उधारकर्ता द्वारा चूक करने ने उधारकर्ताओं की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अनुचित आंकलन को इंगित किया।

ऋण खातों का निपटान

3.16 निगम ने दीर्घकालीन अधिदेयताओं की वसूली एवं उच्च वसूली लागत को टालने के उद्देश्य से समय-समय पर ओटीएस योजनाओं को अपनाया। निगम ने 2008-09 से 2011-12 के दौरान

12 वर्ष के दौरान किये गये वितरणों को छोड़कर।

13 जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), सीतापुरा, भिवाड़ी, कोटा, दौसा।

14 नारायण कृपा बिल्डस्टेट (जयपुर-शहर), इण्डो क्रिस्टल प्राईवेट लिमिटेड (जयपुर-ग्रामीण), सौरभ इण्डस्ट्रीज (सीतापुरा), श्री गणेश क्राफ्ट (भिवाड़ी) एवं अजय फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, (भिवाड़ी)।

15 भिवाड़ी में जाग्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं राजस्थान ऑटोमोबाईल्स।

₹ 5 लाख तक के वितरण वाले 2330 ऋण खातों का निपटान ₹ 4.83 करोड़ में किया। ओटीएस में नहीं आने वाले प्रकरणों का निपटान निगम की राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) एवं प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति (एचओएलसी) द्वारा किया गया था। इसके अलावा, बीओडी ने भी ₹ 2 लाख तक की ऋण राशि वाले 2488 पुराने छोटे ऋण खातों, जिनमें ₹ 89.33 करोड़ (₹ 9.33 करोड़ का मूलधन, ₹ 79.51 करोड़ का ब्याज एवं ₹ 0.49 करोड़ की अन्य धनराशि) की देयताएं शामिल थी, को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2012)। 2008-13 के दौरान एसएलसी एवं एचओएलसी द्वारा निपटान किए गये ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटान किये गये प्रकरणों की संख्या	निपटान के समय बकाया देयताएं	निपटान राशि	हानि	बकाया से हानि की प्रतिशतता	निपटान के समय प्रतिभूति की एमआरवी[16]
2008-09	113	44.63	15.91	28.72	64.35	26.45
2009-10	65	33.21	10.01	23.20	69.86	18.36
2010-11	47	14.33	7.15	7.18	50.10	9.19
2011-12	35	6.89	2.00	4.89	70.97	4.31
2012-13	57	69.65	10.83	58.82	84.45	20.51
योग	**317**	**168.71**	**45.90**	**122.81**	**72.79**	**78.82**

(स्रोतः निदेशकों के प्रतिवेदन)

यह देखा जा सकता है कि 2008-13 के दौरान निगम की दो समितियों ने निपटान के समय ₹ 168.71 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष 317 प्रकरणों का निपटान ₹ 45.90 करोड़ में किया एवं इस प्रकार ₹ 122.81 करोड़ (72.79 प्रतिशत) की राशि का त्याग किया। अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 39 प्रकरणों में निपटान मूलधन (₹ 4.39 करोड़) की राशि से कम में ₹ 2.90 करोड़ में किया गया था एवं अन्य 158 प्रकरण, ₹ 72.06 करोड़ की एमआरवी की प्रतिभूति (प्राथमिक व समानान्तर) की उपलब्धता के बावजूद, ₹ 121.13 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष मात्र ₹ 29.93 करोड़ में निस्तारित किए गये थे। हमारे द्वारा समीक्षा किए गये 158 प्रकरणों के सम्बन्ध में निगम ने प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति का विक्रय कर ₹ 42.13 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूलने का अवसर खो दिया था।

यह दर्शाता है कि निपटान निगम के हित में नहीं किए गये थे क्योंकि प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद खातों का निपटान मूलधन राशि से कम में किया गया था।

सरकार ने कहा कि एमआरवी मात्र एक प्रदर्शक तत्व था एवं प्रकरण का निर्धारण एमआरवी के आधार पर नहीं किया जाना था। एमआरवी की गणना एक निर्धारित क्रियाविधि है परन्तु प्रतिभूति की वसूली उसकी स्थिति, आधारभूत संरचना एवं भविष्य में सम्पत्ति के आसपास के विकास पर निर्भर करती है। निगम ने केवल उन्हीं मामलों का निपटान मूलधन राशि से कम पर किया जहाँ वसूली अत्यधिक कठिन एवं समय लेने वाली थी। उत्तर लागू प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं था

16 बाजार के अनुसार वसूलने योग्य कीमत।

क्योंकि निगम को सम्पत्ति की एमआरवी की गणना के लिए ऐसे सभी तत्वों यथा स्थिति, आधारभूत संरचना, भावी विकास एवं बाजार स्थिति को ध्यान में रखना था। गणना की निर्दिष्ट प्रक्रिया से विचलन न केवल अनुचित आंकलन अपितु दोषी उधारकर्ताओं से देयताओं की वसूली हेतु पर्याप्त प्रयत्नों के अभाव को भी दर्शाता है। मूलधन राशि से कम पर प्रकरणों के निपटान के सम्बन्ध में निगम ने प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति उपलब्धता के बावजूद अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं की।

धारा 29 का प्रवर्तन एवं उधारकर्ताओं को वापस सुपुर्द की गई इकाइयों की स्थिति

3.17 एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत दोषी इकाईयों का अधिग्रहण करने एवं विक्रय करने के अलावा निगम, यदि मूल उधारकर्ता के द्वारा इकाई के पुनर्जीवित होने से आश्वस्त हो, तो बकाया देयताओं के कम से कम 25 प्रतिशत (परिवहन ऋण के मामले में 50 प्रतिशत) के साथ ही उस अवधि, जितने समय इकाई निगम के कब्जे में रही, के साधारण ब्याज के भुगतान करने पर कब्जा वापस सुपुर्द करती है। 1 अप्रैल 2008 को ₹ 86.94 करोड़ की बकाया राशि वाली 180 इकाईयाँ देयताओं की वसूली के लिए निगम के कब्जे में थी। 2008-13 के दौरान अधिगृहित, विक्रय की गई, मूल उधारकर्ताओं को वापस सुपुर्द की गई इकाईयों एवं निगम के कब्जे में पड़ी हुई इकाईयों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान अधिकार में ली गई इकाईयाँ		वर्ष के दौरान बेची गई इकाईयाँ			उधारकर्ताओं को वापस सुपुर्द की गई इकाईयाँ		वर्ष के अंत में कब्जे में रही इकाईयाँ	
	संख्या	बकाया	संख्या	बकाया	वसूली	संख्या	बकाया	संख्या	बकाया
2008-09	64	20.27	52	13.58	6.01	58	25.40	134[17]	68.23
2009-10	31	29.40	32	37.24	7.78	31	4.71	102	54.65
2010-11	15	13.86	16	9.41	5.15	28	4.38	73	52.87
2011-12	27	13.23	6	1.02	11.20	19	4.95	72	58.79
2012-13	13	22.20	3	0.87	0.55	31	10.89	51	75.62
योग	**150**	**98.96**	**109**	**62.12**	**30.69**	**167**	**50.33**		

(स्रोतः निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना)

यह देखा जा सकता है कि 2008-13 के दौरान निगम ने ₹ 185.90 करोड़[18] की बकाया देयताओं की वसूली हेतु उपलब्ध 330 इकाईयों में से ₹ 62.12 करोड़ की बकाया देयता रखने वाली 109 इकाईयों का विक्रय ₹ 30.69 करोड़ में किया एवं ₹ 50.33 करोड़ की बकाया देयताओं वाली 167 इकाईयाँ मूल उधारकर्ताओं को वापिस सुपुर्द कर दी गई थी। मार्च 2013 को ₹ 75.62 करोड़ के बकाया देयता वाली 51 इकाईयाँ निगम के कब्जे में थी (**अनुबन्ध-15**)।

17 1 अप्रैल 2008 को कब्जे में रही 180 इकाईयों को सम्मिलित करते हुये।

18 1 अप्रैल 2008 को कब्जे में रही 180 इकाईयों के समक्ष ₹ 86.94 करोड़ की राशि को शामिल करते हुये।

2008-13 के दौरान विक्रय की गई 109 इकाईयों के हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 87 इकाईयाँ पाँच वर्षों के भीतर विक्रय की गई थी, 13 इकाईयाँ पाँच से 10 वर्षों के मध्य विक्रय की गई थी, आठ इकाईयाँ 10 से 20 वर्षों के मध्य एवं एक इकाई 20 से भी अधिक वर्षों के व्यतीत होने पर विक्रय की गई थी। निगम ने 52 इकाईयों का विक्रय मूलधन राशि की वसूली किए बिना ही किया एवं इन इकाईयों से मूलधन के पेटे बकाया ₹ 3.69 करोड़ का त्याग किया। साथ ही, चयनित शास्त्रा कार्यालयों में 2008-13 के दौरान अधिगृहित की गई 50 इकाईयों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उधारकर्ताओं द्वारा चूक प्रारम्भ करने से धारा 29 के तहत कानूनी नोटिस जारी करने में 100 महीनों तक का विलम्ब था। साथ ही, निगम द्वारा दोषी इकाई को प्रथम नोटिस जारी करने एवं अधिगृहित करने के मध्य 109 महीनों तक का समय अन्तराल रहा था।

दोषी उधारकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने में एवं इकाईयों के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब निगम द्वारा बकाया की वसूली में गंभीर कमियों को दर्शाता है। जान-बूझकर दोष करने वाले उधारकर्ताओं ने भी प्रचलित प्रणाली का लाभ उठाया क्योंकि उन्होनें नोटिस जारी होने पर या तो कुछ राशि का भुगतान कर अथवा ऋणों को पुनर्निर्धारित करवा कर स्वयं को कानूनी कार्यवाही से बचाया। जिस समय तक आगामी नोटिस जारी किए गये थे अथवा भौतिक अधिग्रहण किए गये थे, सम्पत्तियाँ/प्रतिभूति बेच दी गई अथवा उनकी हेरा-फेरी कर दी गई थी जैसा कि अनुच्छेद 3.20.2, 3.20.9 एवं 3.20.10 में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा कि निगम राज्य में औद्योगीकरण को समर्थन देता है एवं सम्पत्तियों का अधिग्रहण एवं उनका बेचान करना इसका अधिदेश नहीं है। न्यायालय के हस्तक्षेप, इकाई की स्थिति, बाजार में न बिकने योग्य एवं इकाई के आस-पास विकासकारी गतिविधियों के नहीं होने के कारण इकाईयों के निस्तारण में समय अन्तराल रहा था। प्रथम नोटिस जारी करने एवं सम्पत्ति को अधिकार में लेने के मध्य अंतराल के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि निगम प्रमुखतः इकाईयों का अस्तित्व बनाए रखने हेतु कुल देयताओं के समक्ष आंशिक भुगतान स्वीकार करके निगम की देयताओं के भुगतान हेतु उधारकर्ताओं को सुविधा प्रदान करता है। अधिदेश के सम्बन्ध में दिये गये तर्क न्यायसंगत नहीं है क्योंकि एसएफसी अधिनियम, 1951 एवं निगम की 'प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका' में विशेषतः सम्पत्तियों के अधिग्रहण व उनके बेचान को सम्मिलित करते हुए निगम के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए विविध प्रावधानों का वर्णन है। इसके अलावा निगम को जान-बूझकर दोष करने वाले उद्यमियों के बजाए प्रामाणिक उद्यमियों को समर्थन देना चाहिए। साथ ही, इकाईयों के विक्रय एवं कानूनी नोटिस जारी करने में असामान्य देरी, देयताओं की वसूली के पेटे निगम की उदासीनतापूर्ण कार्यवाही को दर्शाता है।

आयु-वार विश्लेषण

3.18 मार्च 2013 को निगम के अधिग्रहण में पड़ी हुई 51 इकाईयों का विवरण **अनुबन्ध-15** में दिया गया है। इन इकाईयों का आयु-वार संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है:

अधिग्रहण की अवधि	इकाईयों की संख्या	सम्पत्तियों की एमआरवी[19]	बकाया राशि			
			मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	योग
5 वर्षों तक	16	95.05	30.22	35.24	0.63	66.09
5 से10 वर्ष	15	5.15	2.41	2.03	0.21	4.65
10 से 20 वर्ष	14	6.74	2.15	1.58	0.43	4.16
20 वर्षों से अधिक	6	12.22	0.26	0.42	0.04	0.72
योग	51	119.16	35.04	39.27	1.31	75.62

(स्रोतः निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना)

हमने पाया कि इकाईयाँ नवम्बर 1987 से भी पहले से अधिग्रहण में थी परन्तु लम्बी अवधि से लम्बित कानूनी विवादों एवं नीलामी के दौरान उचित प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण निगम इकाईयों के निस्तारण द्वारा अपनी देयताऐं वसूल नहीं कर सका। अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि अधिगृहित 51 इकाईयों में से 21 इकाईयों (₹ 7.31 करोड़) का नवीनतम बाजार मूल्य (एमआरवी) बकाया देयताओं (₹ 21.99 करोड़) को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं था एवं देयताओं की वसूली के पेटे ₹ 14.68 करोड़ की कमी थी। हमारे विश्लेषण से विदित हुआ कि अप्रैल 1995 से मार्च 2013 के मध्य अधिगृहित की गई 16 इकाईयाँ मुकदमेबाजी से मुक्त थी परन्तु मार्च 2013 तक इन्हें 56 बार नीलामी में रखने के बावजूद उचित प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण निस्तारित नहीं की जा सकी। निगम की ₹ 46.24 करोड़ की देयताओं के समक्ष इन 16 इकाईयों की नवीनतम एमआरवी ₹ 72.86 करोड़ थी। निगम ने 16 इकाईयों में से ₹ 65.41 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 42.80 लाख की एमआरवी रखने वाली तीन[20] इकाईयों की नीलामी को बंद कर दिया (दिसम्बर 1997 से अक्टूबर 2007 के मध्य)। तथापि, निगम ने बारम्बार नीलामियों में रखने के बावजूद इकाईयों के निस्तारण नहीं होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करने एवं इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने के लिए समिति गठित की गई है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (आरएलआर अधिनियम) के तहत वसूली

3.19 एसएफसी अधिनियम की धारा 32-जी निगम को अपनी देयताओं की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करने की शक्ति प्रदान करता है। धारा 32-जी के प्रावधानों को लागू करने हेतु निगम को ऋण प्रपत्र एवं धारा 30 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिसों की प्रतिलिपियों के साथ

19 निगम के पास उपलब्ध एमआरवी के नवीनतम आंकलन के अनुसार।

20 जैन प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, बारां (₹ 4.10 लाख की देयताएं व ₹ 8.27 लाख की एमआरवी), उपेन्द्र कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री, धौलपुर (₹ 48.34 लाख की देयताएं व ₹ 31.22 लाख की एमआरवी) एवं कृष्णा ऑयल मिल, मकराना (₹ 12.97 लाख की देयताएं व ₹ 3.31 लाख की एमआरवी)।

निर्धारित प्रारूप में निवेदन-पत्र जिलाधीश को भेजना होता है। शाखा कार्यालय द्वारा प्रकरणों को अग्रेषित करने के आधार पर निगम का प्रधान कार्यालय जिलाधीश के पास प्रकरणों को धारा 32-जी के तहत पंजीकृत करवाने की कार्यवाही करता है। 1 अप्रैल 2008 को धारा 32-जी के तहत निस्तारण हेतु ₹ 266.57 करोड़ की देयताओं के 2818 प्रकरण लम्बित थे। 2008-13 के दौरान दायर किए गये एवं निस्तारित किये गये प्रकरणों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के दौरान दायर किये गये प्रकरण		वर्ष के दौरान वसूल/निपटान किए गये प्रकरण		वर्ष के अंत में वसूली हेतु लम्बित प्रकरण[21]	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2008-09	277	15.35	411	15.53	2647	255.76
2009-10	167	21.64	421	10.82	2309	240.37
2010-11	51	19.37	639	22.00	1709	225.78
2011-12	19	1.51	396	16.41	1292	207.05
2012-13	15	4.21	209	12.51	1098	198.75
योग	**529**	**62.08**	**2076**	**77.27**		

(स्रोतः निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना)

यह देखा जा सकता है कि धारा 32-जी के तहत वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों की स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि 1 अप्रैल 2008 को वसूली हेतु लम्बित 2818 प्रकरणों में से मार्च 2013 को वसूली हेतु लम्बित 1098 मामलों को छोड़ते हुए, 2076 प्रकरणों (62.03 प्रतिशत) का निपटान किया गया था। निगम द्वारा वसूली हेतु धारा 32-जी के तहत एक वर्ष में दायर किये गये प्रकरणों की संख्या भी 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 277 से घटकर 15 हो गई। तथापि, 2008-13 के दौरान प्रवर्तकों/जमानतियों के नाम से सम्पत्तियों की पहचान नहीं होने के कारण 173 मांग के निवेदन-पत्र (आरओडी) जिलाधीश द्वारा वापस किए गये थे। बीओडी ने भी 127 ऋण खातों, जिनके सम्बन्ध में या तो निगम द्वारा आरओडी दायर नहीं की गई थी अथवा राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तकों/जमानतियों के सम्बन्ध में विवरण या उनके नाम में चिन्हित सम्पत्तियों की अनुपलब्धता के कारण वापस किए गये थे, से सम्बन्धित ₹ 11.94 करोड़ की राशि को अपलिखित करने का निर्णय लिया (22 मार्च 2013)। 16 ऋण खातों के मामले में, सम्पत्तियों/प्रवर्तकों/जमानतियों के गुमशुदा होने के कारण ₹ 0.62 करोड़ की राशि भी अपलिखित की गई थी।

निगम मुख्यतः प्रवर्तकों/जमानतियों के पते की अनुपलब्धता, प्रवर्तकों/जमानतियों के नाम से अन्य सम्पत्तियों की पहचान नहीं होने के कारण आरएलआर अधिनियम के तहत राजस्व प्राधिकारियों की सहायता से घाटे वाली देयताओं की त्वरित एवं समयोचित वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका।

21 समीकरण यथा वर्ष के प्रारम्भ में निपटान हेतु लम्बित प्रकरण + वर्ष के दौरान दायर किये गये प्रकरण - वर्ष के दौरान निपटान किये गये प्रकरण = वर्ष के अन्त में निपटान हेतु लम्बित प्रकरण, मेल नहीं करेगा क्योंकि इसमें वर्ष के दौरान जिलाधीश द्वारा वापस की गई आरओडी शामिल नहीं है।

आरएलआर अधिनियम के तहत लम्बित 1098 प्रकरणों में से नौ शाखा कार्यालयों से सम्बन्धित 334 प्रकरण विस्तृत संवीक्षा के लिए चुने गये थे। 31 मार्च 2013 को इन प्रकरणों का आयु-वार विश्लेषण इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विलंबन की अवधि	धारा 32जी के तहत लम्बित कुल प्रकरण		प्रतिभूति वाले प्रकरण		
	संख्या	बकाया मूलधन	संख्या	सम्पति की कीमत	बकाया मूलधन
5 वर्षों तक	136	24.09	1	0.10	0.09
5 से 10 वर्ष	185	21.20	9	1.55	0.54
10 वर्ष से अधिक	13	0.72	1	0.42	0.78
योग	**334**	**46.01**	**11**	**2.07**	**1.41**

(स्रोत: निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना)

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 334 प्रकरणों में से 323 प्रकरणों में निगम या तो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं रखता था अथवा प्रवर्तकों/जमानतियों की अन्य सम्पत्तियाँ चिन्हित नहीं की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कोपू ने राजस्व प्राधिकारियों के पास लम्बित प्रत्येक प्रकरण की जाँच करने एवं कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया था (सितम्बर 2013)। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित करने हेतु प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग के पास अग्रेषित किया गया है एवं इन प्रकरणों पर अंतिम निर्णय समिति की सिफारिशों के अनुसार लिया जायेगा।

प्रकरणों का अध्ययन

3.20 वसूली प्रक्रिया में कमियों को उजागर करने वाले कुछ प्रकरणों पर नीचे एवं **अनुबन्ध-16** में चर्चा की गई है:

खबरोस स्टील्स (इंडिया) लिमिटेड, भिवाड़ी (केएसआईएल)

3.20.1 निगम ने उधारकर्ता को ₹ 30 लाख के कोष स्वीकृत एवं वितरित किये (मई 1985)। उधारकर्ता एक स्वैच्छिक चूककर्ता था एवं मार्च 2007 तक केवल ₹ 3.15 लाख का भुगतान किया। हमने पाया कि उधारकर्ता इकाई एक रुग्ण इकाई बन गई एवं बीआईएफआर[22] द्वारा अगस्त 2000 में समापन के आदेश जारी किये गये थे। उधारकर्ता ने अपना प्रकरण ₹ 9.22 लाख अग्रिम शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ओटीएस के तहत निगम में दर्ज करवाया (मार्च 2007)। उधारकर्ता के विरुद्ध ₹ 3.83 करोड़ की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की भारी देयताओं को ध्यान में रखते हुये एसएलसी ने ₹ 4.72 करोड़ (1 मार्च 2007 को) की बकाया देयताओं के समक्ष प्रकरण का निपटान ₹ 1.18 करोड़ में करने का प्रस्ताव दिया (मई 2007)। उधारकर्ता ने एसएलसी के प्रस्ताव का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया एवं प्रकरण को पुनः ओटीएस के तहत निर्णय हेतु सम्पर्क किया तथा

22 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल।

देयताओं के पेटे ₹ 80 लाख जमा करवाये (मई 2008)। एसएलसी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की भारी बकाया देयताओं एवं रीको द्वारा किये गये निपटान के आधार पर प्रकरण को ₹ 5.48 करोड़ (1 जून 2008 को) की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 43.20 लाख में निर्णित किया (जून 2008)। उधारकर्ता द्वारा निपटान राशि का भुगतान कर दिया गया (जुलाई 2008) था।

हमने देखा कि निगम ने उधारकर्ता के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देयताओं की सही स्थिति एसएलसी को नहीं बताई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा मई 2004 में ज्ञापन सूचना पत्र के माध्यम से ₹ 3.83 करोड़ की राशि बताई गई थी जिसके विरुद्ध अंतिम मांग (सितम्बर 2006) केवल ₹ 15.87 लाख की थी। इसके अलावा, एसएलसी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयताओं को अत्यधिक महत्व देने का निर्णय न्यायोचित नहीं था क्योंकि देयताओं की वसूली के पेटे केन्द्रीय उत्पाद विभाग का अधिकार निगम के अधिकार के बाद था। साथ ही, एसएलसी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि इकाई की एमआरवी ₹ 6.24 करोड़ थी (1 जून 2008 को)। निगम ने ₹ 3.40 करोड़ की कम वसूली की थी।

सरकार ने कहा कि निगम एनपीए से उबरने हेतु अधिगृहित/विक्रय के तहत/32-जी/ बीआईएफआर/न्यायालय प्रकरणों के निपटान हेतु सदैव ओटीएस के तहत निपटान को प्राथमिकता देता है। तथ्य यही रहा कि निगम अपने वित्तीय हितों को सुरक्षा करने में विफल रहा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयताओं के बारे में गलत सूचना के आधार पर प्रकरण का निपटान किया।

मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमआईसीएल)

3.20.2 निगम ने ₹ 8.24 करोड़ (जनवरी 2012 को) की बकाया देयताओं की वसूली हेतु धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की (जनवरी 2012)। ₹ 247 करोड़ एमआरवी की सम्पत्तियाँ चिन्हित की गई थी परन्तु निगम द्वारा प्राथमिक प्रतिभूति (50 एकड़ भूमि) के विक्रय द्वारा देयताओं की वसूली के सम्बन्ध में न्यायालय के यथास्थिति बनाये रखने के आदेशों (जुलाई 2007) के कारण वसूली नहीं की जा सकी (जून 2013)। हमने पाया कि उधारकर्ता ने न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की थी एवं त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम के माध्यम से भूमि का एक भाग ₹ आठ करोड़ (टोकन राशि) में विक्रय कर दिया (जून 2008) एवं 38.50 एकड़ भूमि का मुख्तारनामा हस्तान्तरित कर दिया (अक्टूबर 2009)। तथापि, निगम ने आदेशों के उल्लंघन पर न्यायालय से सम्पर्क नहीं किया था एवं साथ ही प्रवर्तकों की ₹ 100 करोड़ की एमआरवी वाली सम्पति के विक्रय से देयताओं की वसूली हेतु कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की थी।

सरकार ने कहा कि निगम ने 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की परन्तु उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर स्थगन आदेश प्रदान कर दिया। तथ्य यही रहा कि उधारकर्ता कम्पनी ने सम्पति के विक्रय का प्रबन्ध कर लिया एवं निगम ने आदेशों के उल्लंघन करने पर अवमानना याचिका दायर नहीं की थी।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर

3.20.3 हमने पाया कि निगम ने निदेशकों की वैयक्तिक जमानत लिये बिना एवं कम्पनी के बारे में पर्याप्त सूचना, यथा कम्पनी के समापन हेतु एक याचिका लम्बित थी (दिसम्बर 1980), के बिना

₹ 19.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 1981) एवं ₹ 18.87 लाख का वितरण किया। निगम को समापन की कार्यवाही (आदेश 2 दिसम्बर 1983 को पारित किया गया) के बारे जानकारी नवम्बर 1983 के पश्चात कम्पनी द्वारा चूक किये जाने के बाद ही हुई। सरकारी परिसमापक ने दावे आमंत्रित किये (फरवरी 1985) परन्तु निगम ने छः वर्षों के विलम्ब के पश्चात् दावे दायर किये (मार्च 1991)। सरकारी परिसमापक ने निगम द्वारा प्रस्तुत ₹ 1.21 करोड़ के दावों के समक्ष मात्र ₹ 28 लाख के दावे स्वीकार किये (अगस्त 1991)। दावे वसूली के लिये लम्बित थे (जुलाई 2013)। सितम्बर 2012 को कम्पनी के विरुद्ध संचित बकाया देयताएं ₹ 66.32 करोड़ की थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि मामला सरकारी परिसमापक के पास लम्बित था।

अशोका आधार कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, सिरोही

3.20.4 निगम ने ₹ 56.29 लाख एवं ₹ 30.10 लाख के दो ऋण स्वीकृत (अक्टूबर 1989 एवं मार्च 1990) एवं वितरित किये। उधारकर्ता एक स्वैच्छिक चूककर्ता था एवं निगम द्वारा ₹ 22.69 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष इकाई को ₹ 89 लाख में विक्रय (सितम्बर 2009) किये जाने तक कभी भी एक भी किश्त जमा नहीं कराई थी। स्वीकृति से इकाई के विक्रय तक की अवधि में, उधारकर्ता ने उत्तर दिनांकित चैक, जिनमें से अधिकतर अनादरित हुये थे, प्रस्तुत करके निगम को गुमराह किया। चैकों के अनादरण के बावजूद, जब भी किश्त देय हुई, निगम ने चैक स्वीकार करना जारी रखा एवं पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ाया। इसी मध्य, निगम ने इकाई को दो बार (जुलाई 2000 एवं मार्च 2008) अधिगृहित किया परन्तु उधारकर्ता द्वारा प्रतिबद्धता दर्शाने एवं उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत करने पर इकाई को पुनः उधारकर्ता को वापस सौंप दिया। अंत में, इकाई को ₹ 21.80 करोड़ के घाटे के साथ ₹ 89 लाख में विक्रय किया गया था (सितम्बर 2009)। निगम ने विलम्ब से (फरवरी 2013) धारा 32-जी के तहत शेष बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसका परिणाम लम्बित था (जून 2013)।

निरन्तर चूकों के बावजूद उत्तर दिनांकित चैकों को स्वीकार करने एवं इकाई के विक्रय के माध्यम से वसूली में हुये विलम्ब के मुद्दों पर सरकार का उत्तर मौन था। तथापि, इसने कहा कि शेष बकाया राशि की वसूली हेतु धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी परन्तु वैधानिक उत्तराधिकारियों ने निगम के विरुद्ध मामला दायर कर दिया, जो कि लम्बित है।

नाकोड़ा गैसेज लिमिटेड, बालोतरा

3.20.5 निगम ने ₹ 57 लाख की स्वीकृति (अगस्त 1996) के समक्ष ₹ 52.52 लाख के कोष (जनवरी 1999 तक) का वितरण किया। चूक होने पर, निगम ने विलम्ब से इकाई को अधिगृहित किया (मार्च 2008) जब तक उधारकर्ता ने ब्याज के पेटे मात्र ₹ 6.33 लाख का भुगतान किया था। अधिग्रहण के पश्चात, उधारकर्ता ने ₹ 10.58 लाख का भुगतान कर प्रकरण को एसएलसी में दर्ज करवाया (मार्च 2008) एवं एसएलसी ने ₹ 3.71 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष प्रकरण को ₹ एक करोड़ में निपटाने का प्रस्ताव दिया (मार्च 2008)। तथापि, उधारकर्ता ने अपनी सहमति नहीं दी एवं परिणामस्वरूप निगम ने प्राथमिक सम्पत्तियों का विक्रय ₹ 33.60 लाख में किया (जुलाई

2009)। उद्योग मंत्री की अनुशंसा पर प्रकरण को पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना पुनः एसएलसी के समक्ष दर्ज किया गया एवं एसएलसी ने प्रकरण को ₹ 66.40 लाख व अप्रैल 2008 से साधारण ब्याज पर निपटान करने का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2010) परन्तु उधारकर्ता को यह भी स्वीकार नहीं था। निगम ने उद्योग मंत्री के साथ बैठक में एकबार पुनः प्रकरण को ₹ 52.60 लाख में निपटाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2010) परन्तु उधारकर्ता ने अपनी सहमति नहीं दी थी। हमने देखा कि उद्योग मंत्री की अनुशंसा पर निगम द्वारा अनुकूल रूप से विचार करने के पश्चात् भी उधारकर्ता का देयताओं के भुगतान का कोई इरादा नहीं था फिर भी निगम द्वारा ₹ 45 लाख की समानान्तर प्रतिभूतियों (मार्च 2008 के दौरान आंकलनानुसार) से देयताओं की वसूली हेतु एवं धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी (जून 2013)।

देयताओं की वसूली हेतु उचित कार्यवाही में विलम्ब के मुद्दे पर सरकार का उत्तर मौन था। तथापि, इसने कहा कि न्यायालय के आदेशों के कारण समानान्तर प्रतिभूति का विक्रय नहीं किया जा सका। निगम ने धारा 32-जी के तहत दावा दायर किया है एवं राजस्व प्राधिकारियों से सम्पत्तियों के विक्रय हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री गणपति पीवीसी पाईप इंडिया लिमिटेड, जयपुर

3.20.6 उधारकर्ता एक स्वैच्छिक चूककर्ता था क्योंकि इसने पुनः निर्धारण (2003-04 एवं 2007-08) की शर्तों एवं मई 2010 में प्रदान किये गये समझौते के अवसर की पालना नहीं की थी। तथापि, निगम ने उद्योग मंत्री के बारम्बार मध्यस्थता के कारण प्रकरण को ₹ 4.70 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 1.10 करोड़ में निपटाया (जनवरी 2011) एवं विलम्ब अवधि हेतु ब्याज के पेटे ₹ 33.49 लाख की राशि का परित्याग भी किया। साथ ही, निपटारा राशि के पुनर्भुगतान में भी चूक करने पर, न्यायालय ने उधारकर्ता को सितम्बर 2011 तक ₹ 3.69 करोड़ की राशि जमा करवाने का आदेश दिया (जून 2011)। आदेशों की पालना नहीं की गई थी। तथापि, निगम ने प्राथमिक एवं समानान्तर प्रतिभूति के विक्रय द्वारा वसूली करने के बजाय, ₹ 1.10 करोड़ की निपटारा राशि का भुगतान टुकड़ों में मार्च 2013 तक बार-बार विस्तार देकर स्वीकार किया। इस प्रकार, ₹ 1.48 करोड़ (सितम्बर 2011 को) मूल्य की प्राथमिक एवं समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद अविवेकपूर्ण निपटान के कारण ₹ 3.93 करोड़ की कम वसूली हुई।

सरकार ने कहा कि निगम ने इसी प्रकृति के अन्य प्रकरणों में एसएलसी द्वारा ब्याज के परित्याग को देखते हुये उधारकर्ता के निवेदन पर अनुकूल रूप से विचार किया। तथ्य यही रहा कि प्राथमिक एवं समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद निगम अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रहा।

खडेरिया केमिकल एण्ड मेटल इण्डस्ट्री (केसीएमआई) एवं मदराईया केमिकल एण्ड मेटल इण्डस्ट्री (एमसीएमआई)

3.20.7 केसीएमआई एवं एमसीएमआई को वितरित किये गये ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति, वितरण एवं निगरानी में कई दोष थे जिसके कारण इकाईयों को ₹ 23.70 लाख के घाटे पर विक्रय करना पड़ा। मूल्यांकन, स्वीकृति, वितरण एवं निगरानी में कमियाँ निम्न प्रकार हैः

- एमसीएमआई के ऋण के जमानती का स्वीकृति से 10 वर्ष पूर्व ही देहान्त हो गया था। इस प्रकार, गारन्टी जाली थी। साथ ही, केसीएमआई एवं एमसीएमआई दोनों के प्रवर्तक एक ही थे एवं केसीएमआई दिसम्बर 2003 से ही पुनर्भुगतान में चूक कर रहा था फिर भी निगम ने मई 2003 से अप्रैल 2004 के दौरान एमसीएमआई को ₹ 26.75 लाख का ऋण वितरण किया। शाखा कार्यालय द्वारा चूक के तथ्य को छुपाया गया था।
- एमसीएमआई ने भी प्रारम्भ से ही पुनर्भुगतान में चूक की एवं दोनों इकाईयों को धारा 29 व 30 के तहत कानूनी नोटिस जारी किये गये थे। साथ ही, निगम द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान (सितम्बर 2004) यह पाया गया कि दोनों इकाईयाँ अगस्त 2004 से बंद पड़ी हुई थी।
- निगम ने दिसम्बर 2005 एवं जनवरी 2006 में दोनों इकाईयों का कब्जा लेने का निर्णय किया परन्तु उत्तर दिनांकित चैकों, वह भी बाद में अनादरित हो गये, को स्वीकार कर निर्णय आस्थगित कर दिया गया था।
- निगम द्वारा ₹ 17.98 लाख मूल्य की संपत्तियाँ (₹ 12.29 लाख एमसीएमआई एवं ₹ 5.69 लाख केसीएमआई) लापता पाई गई थी (मार्च 2008) परन्तु एफआईआर दायर नहीं की गई जो कि अधिगृहित इकाईयों की निगरानी एवं सतर्कता में कमी को इंगित करता है।
- प्रवर्तकों ने मध्यप्रदेश वित्त निगम (एमपीएफसी) में ऋण के लिए आवेदन किया (मार्च 2007) परन्तु निगम ने अपने ऋणों की वसूली हेतु एमपीएफसी से प्रवर्तकों की समानान्तर सम्पत्तियों के बारे में पूछताछ नहीं की थी।
- केसीएमआई एवं एमसीएमआई की ₹ 18.50 लाख एवं ₹ 36.86 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष इकाईयाँ क्रमशः ₹ 14.75 लाख एवं ₹ 18.51 लाख के प्रतिफल पर विक्रय की गई थी (जनवरी 2010 एवं मार्च 2010)।

सरकार का उत्तर मूल्यांकन, स्वीकृति, वितरण एवं निगरानी में हुई कमियों पर मौन था। तथापि, इसने कहा कि निगम ने ऋणों की वसूली हेतु धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की थी (सितम्बर 2010) एवं इकाई कार्यालय शीघ्र ही प्रधान कार्यालय को आरओडी प्रेषित करेगा। तथ्य यही रहा कि निगम वसूली के प्रति गंभीर नहीं था क्योंकि सितम्बर 2010 में कार्यवाही प्रारम्भ करने के बावजूद निगम के प्रधान कार्यालय को आरओडी प्रेषित नहीं की गई थी (अक्टूबर 2013)।

आयुष होस्पिटेलिटी एवं हैल्थ सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर

3.20.8 निगम ने उधारकर्ता को एक ही परियोजना (होटल उद्योग) के लिए ₹ 77.24 लाख (जनवरी 2005 से नवम्बर 2006) एवं ₹ 37 लाख (मार्च 2007 से मई 2008) के दो ऋण वितरित किये। दोनों ऋणों के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता द्वारा चूक (सितम्बर 2008) करने पर उपमहाप्रबन्धक (एफआर) ने उधारकर्ता की संदिग्ध साख को ध्यान में रखते हुए इकाई को अधिगृहित करने की अनुशंसा की (दिसम्बर 2008)। तथापि, सीएमडी ने अनुशंसा पर संज्ञान नहीं दिया था एवं उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋणों का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 2009)। उधारकर्ता ने

पुनर्निर्धारण की शर्तों की पालना नहीं की एवं किश्तों के पुनर्भुगतान में लगातार (मार्च 2009 से दिसम्बर 2012) चूक की। निगम ने इस अवधि के दौरान एसएफसी अधिनियम की धारा 29, 30 एवं पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138(ख) के तहत अनेक बार नोटिस जारी किये। साथ ही, प्रत्येक चूक पर इकाई को अधिगृहित करने के निर्णय लिये गये थे परन्तु इन पर या तो उद्योग मंत्री के निर्देशों पर अथवा उधारकर्ता द्वारा की गई प्रतिबद्धता के कारण कार्यवाही नहीं की गई थी। इसी मध्य ऋण जुलाई 2009 में पुनर्निर्धारित भी किया गया। जून 2013 को उद्योग मंत्री की अनुशंसा पर एलडीआर का पाँच वर्षों का विस्तार यथा जनवरी 2019 तक के साथ ऋण के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव निगम के पास निर्णय हेतु लम्बित था।

निगम द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं करने के कारण सितम्बर 2008 में ₹ 5.66 लाख की देयताएं बढ़कर जून 2013 में ₹ 86.29 लाख हो गई।

सरकार ने कहा कि उधारकर्ता ने अधिदेय ब्याज का भुगतान कर दिया है एवं ऋण को एलडीआर में तीन वर्षों का विस्तार कर पुनर्निर्धारित (सितम्बर 2013) किया गया है। तथ्य यही रहा कि निगम ने उद्योग मंत्री की अनुशंसा पर स्वैच्छिक चूककर्ता के ऋण को पुनः पुनर्निर्धारण किया।

सोमा इंडस्ट्रियल पैक्स प्राईवेट लिमिटेड

3.20.9 निगम ने लगातार चूकों के बावजूद इकाई का भौतिक कब्जा लेने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। निगम ने न्यायालय के निर्देशों पर उधारकर्ता को दो बार (मार्च 2004 एवं जनवरी 2008) पुनर्वास पैकेज भी अनुमत्य किया परन्तु उधारकर्ता ने पैकेज का लाभ लेने हेतु आवश्यक राशि जमा नहीं करवाई थी। इसके अलावा, उधारकर्ता ने निगम की अनुमति के बिना समानान्तर प्रतिभूति (सितम्बर 1996 में स्वीकृति के समय कीमत ₹ 20 लाख आंकलित की गई) का विक्रय कर दिया (मई 2004)।

हमने देखा कि एचओएलसी ने ₹ 1.13 करोड़ (1 जून 2008 को) की बकाया देयताओं के समक्ष प्रकरण का निपटान ₹ 55.25 लाख में करने का प्रस्ताव भी दिया था (जुलाई 2008) परन्तु उधारकर्ता ने इस पर सहमति नहीं दी थी। निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देशों पर इकाई का अधिग्रहण किया (फरवरी 2009) एवं ₹ 1.28 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 55 लाख में इकाई की नीलामी की (फरवरी 2010)। तत्पश्चात्, ₹ 72.85 लाख की शेष बकाया राशि की वसूली करने हेतु 32-जी के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (अक्टूबर 2013)।

इस प्रकार, वसूली के प्रयासों एवं सतर्कता के अभाव के परिणामस्वरूप देयताओं की वसूली नहीं हो सकी क्योंकि ना तो 2001-09 के दौरान सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लिया गया था ना ही समानान्तर प्रतिभूति का उपयोग किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम ने 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की थी परन्तु पक्षकार ने उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया। इसने आगे कहा कि स्थगन को हटवाने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

चेतक ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, हनुमानगढ़

3.20.10 निगम ने ₹ 82.83 लाख की बकाया देयताओं की वसूली करने हेतु इकाई को अधिगृहित किया (फरवरी 2000)। इकाई को नीलाम करने के प्रारंभिक प्रयासों (सितम्बर 2000 से मार्च 2001) के पश्चात् न्यायालय द्वारा विक्रय पर स्थगन को ध्यान रखते हुये नवम्बर 2008 तक कोई प्रयास नहीं किये गये, हालांकि स्थगन केवल संयंत्र एवं मशीनरी के विक्रय पर ही था। इकाई का विक्रय ₹ 34.51 लाख में किया गया था (दिसम्बर 2009)। प्रकरण को धारा 32-जी में दर्ज (सितम्बर 2010) करवाने के पश्चात्, निगम को यह ज्ञात हुआ कि समानान्तर प्रतिभूति (हरियाणा राज्य में कृषि भूमि) का, जो स्वीकृति के समय (1997) ₹ 40 लाख में मूल्यांकित की गई थी, प्रवर्तकों द्वारा निगम से अनुमति लिये बिना पूर्व में ही विक्रय कर दिया गया था। मार्च 2013 को, प्रवर्तकों/जमानतियों की संपत्तियों को चिन्हित नहीं किये जाने के कारण ब्याज के अतिरिक्त ₹ 63.52 लाख की शेष बकाया राशि वसूली हेतु लम्बित थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि राजस्व प्राधिकारियों के साथ अनुसरण कर शेष बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

सुजाता मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर

3.20.11 निगम ने इकाई को अधिगृहित (मई 2005) करके इसका विक्रय ₹ 57.21 लाख में किया (नवम्बर 2005)। ₹ 4.91 करोड़ की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु प्रकरण धारा 32-जी के तहत दर्ज किया गया था (फरवरी 2009) एवं उप-कार्यालय (दिल्ली) द्वारा प्रवर्तकों की दिल्ली स्थित सम्पत्तियाँ भी चिन्हित कर ली गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा राजस्व प्राधिकारियों के साथ प्रकरण के अनुसरण नहीं करने के कारण वसूली नहीं की जा सकी थी (जून 2013)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि उप कार्यालय (दिल्ली) अपने स्तर पर देयताओं की वसूली हेतु प्रयास कर रहा है एवं प्रकरण का नियमित रूप से शाखा कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है। सरकार का उत्तर स्पष्ट रूप से प्रवर्तकों की सम्पत्तियों को चिन्हित करने के बावजूद भी देयताओं की वसूली के सम्बन्ध में निगम की उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को इंगित करता है।

उपरोक्त वर्णित प्रकरणों से यह देखा जा सकता है कि निगम ऋण आवेदन पत्रों के दोषपूर्ण मूल्यांकन, नियमों एवं विनियमों के अनुसार समय पर वैधानिक कार्यवाही करने में विलम्ब, उचित निगरानी के अभाव एवं अपर्याप्त प्राथमिक एवं समानान्तर प्रतिभूति के कारण देयताओं की वसूली नहीं कर सका।

निगम को ऋण आवेदन पत्रों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित रूपरेखा की अनुपालना करनी चाहिये एवं ऋणों के पुनर्निर्धारण से पूर्व दोषी उधारकर्ताओं की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करना चाहिये। निगम को देयताओं की शीघ्र वसूली हेतु समय पर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु उपाय करने चाहिये।

आन्तरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन

3.21 निगम को प्राथमिक रूप से अनेक जोखिमों, जैसे कि उधार जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम जो कि पुनर्भुगतान में चूक, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव एवं प्रबंधन की कमियों के कारण उत्पन्न होती हैं, का सामना करना पड़ता है। एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं सुदृढ़ आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियायें न केवल जोखिम को न्यूनतम करती है अपितु वित्तीय सुदृढ़ता एवं लाभप्रदता प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश, 2002, प्रत्येक वर्ष निगम द्वारा तैयार की गई वसूली रणनीति, ऋण नीतियाँ एवं एसएफसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधान प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण व जोखिमों के न्यूनीकरण के लिये रूपरेखा प्रदान करते हैं। तथापि, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्न कमियाँ पाई गईः

3.21.1 एसएफसी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार,निगम कम्पनी/कॉरपोरेशन/सहकारी समिति के मामले में ₹ 10 करोड़ एवं अन्य मामलों में ₹ 4 करोड़ की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है (मार्च 2010 में संशोधित)। इन सीमाओं से अधिक, दुगुने तक, वित्तीय सहायता सिडबी से अनुमोदन के पश्चात् प्रदान की जा सकती है। तथापि, निगम ने इस वैधानिक प्रावधान की अनुपालना नहीं की थी एवं सिडबी द्वारा अनुरोध को अस्वीकृत करने के बावजूद निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक सहायता प्रदान[23] की।

सरकार ने कहा कि कम्पनी/कॉरपोरेशन/सहकारी समितियों के मामले में निगम ₹ 20 करोड़ एवं अन्य मामलों में ₹ 8 करोड़ तक की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत था (अप्रैल 2011)। उत्तर सही नहीं था क्योंकि सिडबी ने अपनी अनुमति के बिना ₹ 10 करोड़ एवं ₹ 4 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु निगम को प्राधिकृत नहीं किया (अप्रैल 2011) था।

3.21.2 निगम में ऋणों की स्वीकृति, वितरण, वेतन रजिस्टर, एमआईएस प्रतिवेदन, अन्तर-शाखा समंक हस्तांतरण, वेबसाईट प्रबंधन इत्यादि से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन एवं शीर्ष प्रबंधन के स्तर पर निगरानी हेतु सामयिक प्रतिवेदनों के सृजन हेतु एकीकृत प्रणाली का अभाव था। यद्यपि निगम ने ऑनलाईन एकीकृत प्रणाली को विकसित किये जाने हेतु कार्यादेश प्रदान किया (नवम्बर 2004) एवं ₹ 3.91 करोड़ का व्यय किये (नवम्बर 2004 से नवम्बर 2012) परन्तु कार्य अभी तक प्रगति पर ही है (नवम्बर 2013)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ऑनलाईन कम्प्यूटरीकरण का कार्य केनसॉफ्ट इन्फोटेक को प्रदान किया गया था (नवम्बर 2004) परन्तु विभिन्न कारणों से परियोजना पूर्ण नहीं हो सकी। एक नवीन अध्ययन किया गया है एवं राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को निगम के लिये एक सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

23 निमाई डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (2011 में ₹ 10.50 करोड़) एवं सिद्धि होम्स, जयपुर (2011 में ₹ 5.24 करोड़)

3.21.3 जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिकांश कमियाँ अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति, प्रवर्तकों से समतुल्य अंशदान लिये बिना वितरण, गलत क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ऋण की स्वीकृति, अपर्याप्त प्रतिभूति इत्यादि से सम्बन्धित है। उपरोक्त में से कोई भी कमी आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा कि विभिन्न इकाईयों का आंतरिक अंकेक्षण सामयिक रूप से किया गया था एवं कमियाँ अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाई गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि आन्तरिक अंकेक्षण स्वीकृति, वितरण एवं देयताओं की वसूली, जो कि व्यवसाय परिचालन के अभिन्न अंग है, में कमियों को उजागर करने में विफल रहा था।

3.21.4 निगम ऋणों के मूल्यांकन हेतु एक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली का उपयोग करता है। मॉडल में प्रबन्ध जोस्विम, उद्योग जोस्विम एवं व्यवसाय जोस्विम का 1 से 100 तक के पैमाने पर प्राप्तांक निर्धारित हैं। श्रेणी 'एएए' (85 प्रतिशत एवं अधिक) से 'बी' (45 प्रतिशत से नीचे) तक प्रदान की जाती है। हमने पाया कि सम्बद्ध जोस्विम की श्रेणी के आधार पर ब्याज दर के निर्धारण के स्थान पर उधारकर्ताओं द्वारा अर्जित प्राप्तांकों को ध्यान में रखे बिना निगम द्वारा ब्याज की एक समान दर पर ऋण प्रदान किया गया था।

सरकार ने कहा कि योजना विशेष के प्रावधानों के अनुसार एक समान दर प्रभारित की गई थी क्योंकि रेटिंग प्रदान करने हेतु लागू की गई प्रणाली में व्यक्तिपरक पहलुओं को भी समाहित किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि उधारकर्ता जिनके पास उच्च व्यवसाय जोस्विम वाले क्षेत्रों में प्राप्तांकों का अभाव था, को भी अच्छे उधारकर्ताओं की दर पर ऋण प्रदान किया गया था।

निष्कर्ष

निगम में वित्त के स्रोतों का अभाव था एवं इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय निष्पादन में 2008-13 के दौरान तीव्र गिरावट हुई। स्वीकृतियाँ ₹ 473 करोड़ से घटकर (75.90 प्रतिशत) ₹ 114 करोड़ हो गई जबकि इसी अवधि में वितरण ₹ 340 करोड़ से घटकर (59.12 प्रतिशत) ₹ 139 करोड़ हो गये। एनपीए, त्रिपक्षीय एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर नहीं लाये जा सके। एनपीए की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता 2008-13 के दौरान 21.06 से 30.47 के मध्य रही। निर्दिष्ट मानदण्डों की अनुपालना नहीं करने से ऋणों का दोषपूर्ण मूल्यांकन/स्वीकृति एवं वितरण के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किये गये जिससे ऋणों की वसूली में कठिनाईयाँ हुई। नियमों व विनियमों की अनुपालना नहीं किये जाने एवं वैधानिक कार्यवाही करने में विलम्ब, उचित निगरानी के अभाव एवं प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति की अपर्याप्तता के कारण देयताओं की वसूली नहीं हो सकी। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अन्तर्निहित व्यवसाय जोखिमों का सामना करने हेतु पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं थी।

अनुशंसायें

हम अनुशंसा करते हैं कि निगम को:

- एमएसएण्डएमई क्षेत्र के संवर्धन हेतु वितरणों में सुधार के लिये वित्त के वैकल्पिक स्त्रोत की तलाश करनी चाहिये;
- खातों के एनपीए श्रेणी में परिवर्तन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु मानक सम्पत्तियों की सघन निगरानी करनी चाहिये;
- जोखिम को न्यूनतम करने हेतु स्वीकृति एवं वितरणों के मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिये;
- नियमों के अनुसार देयताओं की वसूली हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण व आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिये।

अध्याय IV

व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय IV

4. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जाँच के फलस्वरूप ज्ञात हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.1 अतार्किक मूल्य विचलन फार्मूला के कारण हानि

अविविनिलि एवं जविविनिलि द्वारा स्टील हेतु निर्धारित फार्मूले के स्थान पर अल्यूमिनियम ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूले के आधार पर मीटर बॉक्स पर मूल्य विचलन प्रदान किये जाने के कारण ₹ 78.02 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विद्युत कम्पनियाँ, कच्चे माल की मौलिक दरों में निविदा की अवधि से आपूर्ति की तिथि तक विचलन हेतु आपूर्तिकर्ताओं के दावों के निपटान हेतु, आईईईएमए[1] मूल्य विचलन (पीवी) वाक्यांशों का उपयोग करती हैं। मूल्य विचलन वाक्यांश, कच्चे माल के मूल्य के दिये गये फार्मूले में उचित प्रतिस्थापन द्वारा मूल्यों में दोनों तरफ, या तो ऊपर अथवा नीचे, विचलन प्रदान करता है।

राजस्थान की विद्युत वितरण कम्पनियों[2] (डिस्कॉम्स) ने वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स को एक इकाई के रूप में मानने का निर्णय किया (जनवरी/फरवरी 2011)। इस प्रकार मीटर बॉक्स का मूल्य, मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु परिवर्तनशील बनाया गया था एवं ट्रांसफॉर्मर की लागत में सम्मिलित किया गया। यह निर्णय स्टील के मूल्यों में बार-बार होने वाले परिवर्तनों से उबरने हेतु 'राजस्थान ट्रांसफॉर्मर निर्माता संघ' के अभ्यावेदन पर लिया गया था (29 जनवरी 2011)। इस निर्णय के पूर्व, डिस्कॉम्स ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर बॉक्स का प्रापण पृथक इकाईयों के रूप में करते थे। ट्रांसफॉर्मर्स का मूल्य आईईईएमए के मूल्य विचलन फार्मूला[3] के अनुसार परिवर्तनशील था जबकि मीटर बॉक्स का मूल्य स्थिर था क्योंकि आईईईएमए ने मीटर बॉक्स हेतु कोई मूल्य विचलन फार्मूला निर्धारित नहीं किया था।

हमने पाया (मार्च 2013) कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि) ने तीनों डिस्कॉम्स की तरफ से, 16 केवीए अल्यूमिनियम बंधित चार सितारा श्रेणी के 87473 वितरण

1 इंडियन इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन।

2 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनिलि) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोविविनिलि)।

3 पी$_{ओ}$/100(13+15एएल/एएल$_{ओ}$+42ईएस/ईएस$_{ओ}$+10आईएस/आईएस$_{ओ}$+2आईएम/आईएम$_{ओ}$+6टीओ /टीओ$_{ओ}$+12डब्ल्यू/डब्ल्यू$_{ओ}$)।

ट्रांसफॉर्मर्स मीटर बॉक्स सहित क्रय करने हेतु निविदा (टीएन-2138) आमंत्रित की (अप्रैल 2011)। आपूर्तिकर्ताओं के लिये दोनों मदों (ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स) की एक दर उद्दृत करना अनिवार्य था एवं उद्दृत मूल्य, आईईईएमए के मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार, बिना किसी सीमा के, परिवर्तनशील थी। मूल्य निविदायें खोली गई (सितम्बर 2011) जिसमें प्रति इकाई न्यूनतम उद्दृत मूल्य ₹ 38525 था। तथापि, निगम स्तरीय क्रय समिति ने इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर्स की प्रथम बार क्रय को दृष्टिगत रखते हुये ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर बॉक्स की अनुमानित लागत का आंकलन करने हेतु आंतरिक लागत विश्लेषण किये जाने का निर्णय लिया (15 सितम्बर 2011)। आंतरिक विश्लेषण में प्रति इकाई लागत ₹ 37795 आंकी गई जिसमें मीटर बॉक्स की लागत ₹ 2700 सम्मिलित थी। बोलीदाताओं द्वारा आंतरिक दरों को स्वीकार किये जाने पर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) ने 22741 ट्रांसफॉर्मर्स (10741 ट्रांसफॉर्मर्स के पुनः आदेश सहित) के क्रयादेश प्रदान किये (नवम्बर 2011/दिसम्बर 2012) एवं जविविनिलि ने 66773 ट्रांसफॉर्मर्स के क्रयादेश प्रदान किये (नवम्बर 2011)। कुल आदेशित मात्रा के समक्ष अविविनिलि ने मार्च 2013 तक 20728 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति प्राप्त की जबकि जविविनिलि ने नवम्बर 2011 से जनवरी 2013 तक की अवधि के दौरान 47104 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति प्राप्त की। अविविनिलि एवं जविविनिलि दोनों ने आपूर्तिकर्ताओं को ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर बॉक्स की सम्मिश्रित मूल्य पर, अल्यूमिनियम ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार प्रयोज्य मूल्य विचलन भी अनुमत्य किया।

हमने देखा कि सम्मिश्रित मूल्य पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने का डिस्कॉम्स का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि यह केवल अल्यूमिनियम बंधित ट्रांसफॉर्मर्स हेतु लागू एवं निर्धारित था। समिति ने इस तथ्य को अनदेखा किया कि मूल्य विचलन फार्मूला अल्यूमिनियम, ट्रांसफॉर्मर्स तेल एवं अन्य घटक,जो कि मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होते हैं, के मूल्यों में वृद्धि/कमी हेतु व्यवस्था प्रदान करता है। निर्माता संघ की चिंताओं को ध्यान में रखते हुये, समिति को स्टील निर्माण हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला[4] के अनुसार मूल्य विचलन अनुमत्य किया जाना चाहिये था क्योंकि यह ही मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

अल्यूमिनियम बंधित ट्रांसफॉर्मर्स हेतु निर्धारित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार, मीटर बॉक्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने के निर्णय से आपूर्तिकर्ताओं को, मीटर बॉक्स के निर्माण हेतु उपभोग किये गये स्टील पर न्यायोचित देय मूल्य विचलन को ध्यान में रखने के पश्चात् भी, आपूरित मात्रा पर ₹ 78.02 लाख[5] का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार/प्रबन्धन ने जविविनिलि के सम्बन्ध में कहा (जून/नवम्बर 2013) कि ट्रांसफॉर्मर्स हेतु मूल्य विचलन फार्मूला में 17 प्रतिशत लौह धातु तत्व सम्मिलित है एवं ट्रांसफॉर्मर्स की लागत में मीटर बॉक्स का मूल्य, जब लौह धातु मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु फार्मूला में सम्बद्ध तत्व हो, शामिल किये जाने से कोई हानि नहीं है। अविविनिलि के प्रबन्धन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2013) कि आईईईएमए ने मीटर संरक्षण बॉक्स के लिये कोई फार्मूला जारी नहीं किया है एवं डिस्कॉम्स की साधारण स्पेशीफिकेशन समिति ने मीटर बॉक्स को ट्रांसफॉर्मर्स का सम्बद्ध भाग मानते हुये, मीटर बॉक्स एवं ट्रांसफॉर्मर्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किया। उत्तर

4 $पी_{ओ}$ (0.11+0.66(एसबीआई/$एसबीआई_{ओ}$)+0.23 (एल/$एल_{ओ}$)।

5 अविविनिलि ₹ 15.19 लाख एवं जविविनिलि ₹ 62.83 लाख।

सहमतिकारक नहीं है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स में प्रयुक्त लौह धातु, मीटर बॉक्स में उपयोग किये जाने वाले स्टील से भिन्न होती है। यदि जविविनिलि के दृष्टिकोण पर विचार किया जाये तब भी डिस्कॉम्स मीटर बॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त नहीं की गई 83 प्रतिशत सामग्री पर अनावश्यक रूप से मूल्य विचलन का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा, इस निविदा से पूर्व डिस्कॉम्स ट्रांसफॉर्मर्स एवं मीटर संरक्षण बॉक्स को पृथक मदों के रूप में क्रय कर रहे थे।

छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड

4.2 तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से हानि

आपूर्ति आदेशों में तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से कम्पनी ने ₹ 33.51 लाख की न्यूनतम हानि वहन की।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (राराविउनिलि) की सहायक कम्पनी, छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (कम्पनी), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से फर्नेस ऑयल[6] का प्रापण करती है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान कम्पनी ने इन ऑयल कम्पनियों से 20033.06 किलोलीटर[7] फर्नेस ऑयल का प्रापण किया।

फर्नेस ऑयल अत्यधिक गाढ़ा होता है एवं इस कारण इसके बहाव में सुधार हेतु शोधनशालाओं द्वारा इसका भराव गरम करके (फर्नेस ऑयल का भराव, सामान्य भराव तापमान से अधिक तापमान पर किया जाता है) किया जाता है। फर्नेस ऑयल की आपूर्ति आयतन के आधार पर की जाती है एवं गरम लदान की परिणीति आयतन का विस्तार के साथ ठंडा होने पर संकुचित होती है। इस विचलन से उबरने एवं प्राप्तकर्ता को अनावश्यक हानि नहीं होने देने हेतु तेल कम्पनियाँ बीजकों में तापमान विचरण समायोजन (टीवीए) का लाभ प्रदान करती है।

हमारी जाँच में विदित हुआ (फरवरी 2013) कि कम्पनी ने आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल को जारी किये गये आपूर्ति आदेशों में इस प्रकार का कोई वाक्यांश सम्मिलित नहीं किया था यद्यपि राराविउनिलि द्वारा सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (एसएसटीपीएस) पर आपूर्ति के मामले में जारी किये गये आपूर्ति आदेशों में यह सम्मिलित किया गया था। साथ ही, टीवीए एक सामान्य अवधारणा है परन्तु तेल कम्पनियों ने (एचपीसीएल के सिवाय) न तो बीजकों में लदान तापमान बताने वाले जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये न हीं बीजकों में टीवीए अनुमत्य किया जैसा कि एसएसटीपीएस को की गई आपूर्तियों पर दिया गया था। एचपीसीएल द्वारा प्रस्तुत टीवीए के जाँच प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र अपूर्ण थे एवं उनमें लदान के समय के तापमान का उल्लेख नहीं किया गया था।

तथापि, आईओसीएल के मामले में हमने पाया कि आपूर्ति कोयली एवं मथुरा शोधनशाला से की

6 फर्नेस ऑयल एक गरिष्ठ ईंधन ऑयल (एचएफओ) है एवं नियंत्रक विस्फोटक के वर्गीकरण के अनुसार 'सी' श्रेणी वर्ग में आता है।

7 आईओसीएल-5816.03 किलोलीटर, बीपीसीएल-2881.18 किलोलीटर एवं एचपीसीएल-11335.85 किलोलीटर।

गई थी जहाँ पर फर्नेस ऑयल गरम करके लादा गया था एवं आईओसीएल ने एसएसटीपीएस को 3.17 से 3.49 प्रतिशत के मध्य टीवीए अनुमत्य किया था। न्यूनतम टीवीए 3.17 प्रतिशत, जैसा कि आईओसीएल द्वारा एसएसटीपीएस को अनुमत्य किया गया, को ध्यान में रखते हुये, कम्पनी को कोयली एवं मथुरा शोधनशाला से इसे आपूर्ति किये गये 5816.03 किलोलीटर (₹ 21.56 करोड़) फर्नेस ऑयल पर न्यूनतम ₹ 68.36 लाख[8] की हानि वहन करनी पड़ी। अपूर्ण प्रतिवेदनों/जाँच प्रतिवेदनों के अभाव में हम बीपीसीएल एवं एचपीसीएल से प्राप्त आपूर्तिओं पर टीवीए की प्रयोज्यता/हानि का आंकलन नहीं कर सके।

हमारे द्वारा ध्यान आकर्षित किये जाने के पश्चात् कम्पनी ने इस मुद्दे को आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष उठाया (मई 2013)। आईओसीएल ने इसकी कोयली शोधनशाला से की गई आपूर्ति पर हमारे द्वारा आंकलित ₹ 34.85 लाख के समक्ष ₹ 22.74 लाख की क्रेडिट प्रदान की। मथुरा शोधनशाला से की गई आपूर्ति हेतु ₹ 33.51 लाख का टीवीए समायोजन लम्बित था (नवम्बर 2013)। अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने हानि हेतु क्षतिपूर्ति नहीं दी थी एवं कहा कि कोई टीवीए लागू नहीं था क्योंकि लदान उपयुक्त तापमान पर किया गया था।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (सितम्बर/अगस्त 2013) कि आईओसीएल (मथुरा शोधनशाला) से की गई आपूर्तिओं का मामला उनके पास विचाराधीन था। तथापि, प्रबन्धन ने आईओसीएल से गणना का आधार एवं बीपीसीएल व एचपीसीएल से जाँच प्रतिवेदन नहीं मांगे थे।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.3 मूल्य विचलन के पेटे आधिक्य भुगतान

कम्पनी द्वारा जनवरी 2012 माह हेतु संशोधित मूल्य विचलन, मूल्य विचलन फार्मूले के अनुसार अनुमत्य नहीं किये जाने से मूल्य विचलन के पेटे ₹ 1.03 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने वर्ष 2011-12 के दौरान 33 केवी तक के चार सितारा श्रेणी के अल्यूमिनियम बंधित वितरण ट्रांसफॉर्मर्स के क्रय हेतु 34 क्रयादेश (टी.एन.2138 के अन्तर्गत) कई वितरकों को विभिन्न दिनांकों पर प्रदान किये। क्रयादेश के नियमों व शर्तों में वर्णित था कि मूल्य आईईईएमए[9] द्वारा निर्धारित मूल्य विचलन (पीवी) फार्मूले के अनुसार परिवर्तनशील थे एवं मूल्य विचलन फार्मूले में परिवर्तन के मामले में मूल्य विचलन हेतु वही लागू होगा। आईईईएमए ने ''बीईई तीन सितारा एवं उससे ऊपर'' श्रेणीबद्ध अल्यूमिनियम व ताँबा बंधित 33 केवी तक के वितरण ट्रांसफॉर्मर्स हेतु मूल्य विचलन फार्मूला संशोधित किया (मार्च 2012)। संशोधित फार्मूले 1 जनवरी 2012 से लागू[10] किये गये थे।

8 कोयली शोधनशाला से ₹ 34.85 लाख (2939.75 किलोलीटर x ₹ 37395.30 प्रति किलोलीटर x 3.17/100) एवं मथुरा शोधनशाला से ₹ 33.51 लाख (2876.28 किलोलीटर x ₹ 36750 प्रति किलोलीटर x 3.17/100)।

9 इंडियन इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन।

10 आईईईएमए द्वारा जनवरी 2012 में मसौदा फार्मूला एसईबीएस/उपक्रमों एवं सूचीबद्ध क्रय संगठनों को विचार एवं टिप्पणियों हेतु परिचालित किये गये थे। तथापि ,किसी प्रतिकूल टिप्पणियों के न होने को देखते हुये यह 1 जनवरी 2012 से लागू किये गये थे।

अभिलेखों की हमारी जाँच (अप्रैल 2013) से विदित हुआ कि कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को माह फरवरी 2012 से संशोधित फार्मूला के आधार पर मूल्य विचलन इस तर्क पर अनुमत्य किया कि आईईईएमए ने नये सूचकांक 1 जनवरी 2012 से लागू कर जारी किये एवं तदनुसार मूल्य विचलन दिये जाने हेतु लागू माह फरवरी 2012 होगा। हमने देखा कि कम्पनी का यह तर्क सही नहीं था क्योंकि आईईईएमए ने संशोधित फार्मूला में केवल गुणांक कारकों में परिवर्तन[11] किया था जबकि सूचकांकों में कोई परिवर्तन नहीं था। साथ ही, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इसी निविदा के तहत कार्यादेश जारी किये थे एवं हमारे द्वारा इंगित किये जाने (अप्रैल 2013) के पश्चात् इसने जनवरी माह हेतु किये गये मूल्य विचलन के पेटे ₹ 14.60 लाख के आधिक्य भुगतान की वसूली की थी (जून 2013)।

कम्पनी द्वारा जनवरी 2012 माह हेतु मूल्य विचलन संशोधित मूल्य विचलन फार्मूला के अनुसार अनुमत्य नहीं किये जाने से 9058 ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति पर मूल्य विचलन के पेटे ₹ 1.03 करोड़ का आधिक्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धन/सरकार ने उत्तर (अक्टूबर/अगस्त 2013) में अपने तर्क को दोहराया कि आईईईएमए ने नये सूचकांक 1 जनवरी 2012 से परिचालित किये थे अतः इन सूचकांकों हेतु प्रस्ताव माह फरवरी 2012 माना गया था। तथापि, अविविनिलि लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से सहमत हुआ एवं 1 जनवरी 2012 से संशोधित फार्मूला लागू किया जैसा कि पहले ही ऊपर वर्णित किया गया है।

4.4 अल्पावधि विद्युत का उच्च कीमत पर क्रय

आरडीपीपीसी द्वारा एचजेडएल के प्रस्ताव पर समयोचित कार्यवाही नहीं करने एवं तत्पश्चात् एचजेडएल से उच्च लागत की विद्युत क्रय करने के कारण ₹ 26.43 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रबी के मौसम के दौरान विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु, राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र (आरडीपीपीसी) ने विभिन्न व्यापारिक अनुज्ञापत्रधारियों/उत्पादकों/राज्य उपक्रमों/सीपीपी[12]/ वितरण अनुज्ञापत्रधारियों/एसईबी[13] से 1 नवम्बर 2011 अथवा उसके पश्चात् किसी तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2012 तक अल्पकालिक दैनिक विद्युत (0600-1700 घंटे) स्थिर दर के आधार पर क्रय करने हेतु निविदाएं आमन्त्रित (22 जून 2011) की। एक ही स्रोत से प्रस्तावित न्यूनतम मात्रा, राज्य से बाहर स्थित उत्पादकों के मामले में 5 मेगावाट एवं राजस्थान के भीतर स्थित उत्पादकों हेतु 1 मेगावाट थी। प्रत्युत्तर में, 10 बोलीदाताओं ने विभिन्न महीनों के लिये आपूर्ति की विविध मात्रा हेतु ₹ 4.60 एवं ₹ 9.40 प्रति इकाई के मध्य विचरित दरों के प्रस्ताव दिये (निविदाएं 11 जुलाई 2011 को खोली गई)।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि आरडीपीपीसी ने बोलीदाताओं के साथ मोलभाव किया (21

11 अल्यूमिनियम बन्धित वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मूल्य विचलन अनुमत्य किये जाने हेतु पुराना फार्मूला था पी=पी$_{ओ}$/100(13+15एएल/एएल$_{ओ}$+42ईएस/ईएस$_{ओ}$+10एफई/एफई$_{ओ}$+2आईएम/आईएम$_{ओ}$+6टीओ/टीओ$_{ओ}$+12डब्ल्यू/डब्ल्यू$_{ओ}$) जबकि नया फार्मूला था पी=पी$_{ओ}$/100(12 +18एएल/एएल$_{ओ}$ +26ईएस/ईएस$_{ओ}$ + 17एफई/एफई$_{ओ}$+4आईएम/आईएम$_{ओ}$+12टीओ/टीओ$_{ओ}$+11डब्ल्यू/डब्ल्यू$_{ओ}$)।

12 कैप्टिव पावर संयंत्र।

13 राज्य विद्युत मण्डल।

जुलाई 2011) एवं ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर का प्रस्ताव दिया। बोलीदाताओं को 3 अगस्त 2011 तक संशोधित प्रस्ताव देने हेतु पत्र भी निर्गमित किये गये थे (27 जुलाई 2011)। तथापि, केवल एक बोलीदाता, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर से 3 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव (3 अगस्त 2011) दिया। एचजेडएल का प्रस्ताव 10 अगस्त 2011 तक वैध था।

अभिलेखों की हमारी जाँच से विदित हुआ कि एचजेडएल का प्रस्ताव 3 अगस्त 2011 को प्राप्त हुआ था लेकिन प्रस्ताव की वैधता के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। मामला विलम्ब से 19 अगस्त 2011 को अध्यक्ष डिस्कॉम्स के समक्ष रखा गया जिसने मुख्य अभियन्ता (आरडीपीपीसी) से विचार-विमर्श के पश्चात् (5 सितम्बर 2011) सभी बोलीदाताओं को ₹ 3.75 प्रति इकाई की दर का प्रस्ताव देने हेतु निर्देशित किया। दरें सभी बोलीदाताओं को प्रस्तावित की गई थी (6 सितम्बर 2011) परन्तु कोई भी बोलीदाता प्रस्तावित दर पर सहमत नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, आरडीपीपीसी ने रबी मौसम के दौरान विद्युत कमी की पूर्ति हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम्स के निर्देशों पर 13 अक्टूबर 2011 से 22 नवम्बर 2011 की अवधि के दौरान प्रति प्रस्ताव में तीन[14] बार वृद्धि की। सभी प्रति प्रस्तावों पर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, सिवाय ₹ 4.15 प्रति इकाई के एक अन्तिम प्रति प्रस्ताव को छोड़कर, जिसमें एचजेडएल ने दिसम्बर 2011 माह के दौरान 30 मेगावाट दैनिक विद्युत की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया (5 दिसम्बर 2011)। आरडीपीपीसी ने एचजेडएल के प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं 9 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 के दौरान उक्त दरों पर 30 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हेतु आशय पत्र (एलओआई) जारी किया था (7 दिसम्बर 2011)। तत्पश्चात्, आरडीपीपीसी ने पुनः विद्युत कमी की पूर्ति हेतु, एचजेडएल के अगले प्रस्ताव[15] को स्वीकार किया (19 दिसम्बर 2011) एवं बोलीदाताओं के साथ भी मोलभाव[16] किया (3 जनवरी 2012) तथा ₹ 4.15 प्रति इकाई व ₹ 4.25 प्रति इकाई की दर से विद्युत क्रय की।

हमने देखा कि आरडीपीपीसी ने विभिन्न वार्तालापों एवं विभिन्न दरों पर प्रति प्रस्तावों के पश्चात् ₹ 4.15 प्रति इकाई (9 दिसम्बर 2011 से 31 जनवरी 2012 तक) एवं ₹ 4.25 प्रति इकाई (जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक) की दरों से विद्युत क्रय की। यदि ₹ 3.50 प्रति इकाई की दर से 3 मेगावाट दैनिक विद्युत के क्रय हेतु एचजेडएल के प्रस्ताव पर समायोचित कार्यवाही की गई होती, डिस्कॉम्स विद्युत के क्रय पर ₹ 26.43 लाख[17] के अतिरिक्त व्यय को टाल सकते थे।

सरकार/प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2013) कि गम्भीर वित्तीय संकट के कारण, एचजेडएल से विद्युत क्रय नहीं की जा सकी। अतिरिक्त विद्युत अक्टूबर 2011 माह में सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के पश्चात् ही क्रय की गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि 1

14 ₹ 4.00 प्रति इकाई (13 अक्टूबर 2011), ₹ 4.10 प्रति इकाई (17 नवम्बर 2011) एवं ₹ 4.15 प्रति इकाई (22 नवम्बर 2011)

15 एचजेडएल ने दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के दौरान क्रमशः 15 मेगावाट एवं 30 मेगावाट की आपूर्ति ₹ 4.15 प्रति इकाई की दर से करने हेतु प्रस्ताव दिया (17 दिसम्बर 2011)।

16 आरडीपीपीसी ने 3 जनवरी 2012 को बोलीदाताओं के साथ वार्तालाप की एवं ₹ 4.25 प्रति इकाई की दर से प्रस्ताव दिया। दर एचजेडएल एवं पीटीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा जनवरी से मार्च 2012 के दौरान आपूर्ति हेतु स्वीकार की गई थी।

17 3 मेगावाट×1000×54दिन×11 घंटे×(₹ 4.15 - ₹ 3.50) प्रति इकाई *जोड़ें* 3 मेगावाट×1000× 60दिन × 11 घंटे × (₹ 4.25 - ₹ 3.50) प्रति इकाई।

नवम्बर 2011 से विद्युत की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं आरडीपीपीसी ने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पहले, एचजेडएल की तुलना में बढ़ी हुई दर से (₹ 3.75 प्रति इकाई) प्रस्ताव दिये थे (5 सितम्बर 2011)।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.5 सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा में प्रणालीगत दोष

कम्पनी ने सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं की जिसके कारण तीन वृत्तों में उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणियों में ₹ 18.05 करोड़ की कमी रही।

''विद्युत की आपूर्ति के लिये नियम एवं शर्तें -2004'' (टीसीओएस) की धारा 16 (डी) में आपूरित विद्युत के सम्बन्ध में सुरक्षा राशि की वार्षिक समीक्षा हेतु प्रावधान है। इस धारा में प्रावधान है कि डिस्कॉम्स वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, पिछले बारह महीनों के दौरान विद्युत के वास्तविक औसत उपभोग के आधार पर, सुरक्षा राशि की पर्याप्तता की समीक्षा करेंगे एवं उपभोक्ता को सूचित करेंगे। साथ ही, धारा 16(ई) में प्रावधान है कि यदि वार्षिक समीक्षा के आधार पर सुरक्षा राशि अपर्याप्त है एवं इस गणना व डिस्कॉम्स के पास पूर्व में जमा सुरक्षा राशि के मध्य अन्तर, ₹ 500 अथवा विद्यमान सुरक्षा राशि के दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक है तो उपभोक्ता को नोटिस दिये जाने के 30 दिवस के भीतर अन्तर राशि जमा करने हेतु, नोटिस जारी करेंगे। इसके अलावा, बिलिंग एजेंसियों के साथ हुये करार (9 सितम्बर 2012) में वर्णित है कि उपभोक्ताओं, जिनको बढ़ी सुरक्षा राशि के लिये नोटिस दिया जाना है, के अद्यतन खाते प्रदान करते समय एक वित्तीय वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में दो बार मुद्रित किया जाना आवश्यक है। तथापि, टीसीओएस की धारा 23(ए) के अनुसार रेलवे सहित राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभाग सुरक्षा राशि जमा कराने से विमुक्त थे।

वर्ष 2012-13 में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) में सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा से संबंधित टीसीओएस के प्रावधानों की अनुपालना के आंकलन हेतु, हमने नौ वृत्तों में से तीन वृत्तों (पाली, जोधपुर शहर एवं बीकानेर) के वर्ष 2011-12 के निम्न तनाव (एलटी) उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग समंक संग्रहित (मई 2013) किये। (1) मध्यम औद्योगिक सेवा (एमआईपी), (2) अघरेलू सेवा (एनडीएस), (3) मिश्रित भार (मिक्स) हेतु थोक आपूर्ति एवं (4) लघु औद्योगिक सेवा (एसआईपी) श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध मे बिलिंग समंकों का ''इण्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एवं एनालाईसिस'' (आइडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर विश्लेषण किया गया। साथ ही, इन श्रेणी के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को चयनित किया गया था जिनके मई 2011 से अप्रैल 2012 तक के बिलिंग चक्र के दौरान सभी बारह महीनों के समंक उपलब्ध थे।

अभिलेखों एवं बिलिंग समंकों की जाँच से विदित हुआ कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2010-11 में एमआईपी उपभोक्ताओं (सभी वृत्तों में) को छोड़कर उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणी की लिये सुरक्षा निधि की समीक्षा पिछले कई वर्षों से नहीं की गई थी। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में, छः वर्षों की अवधि के पश्चात् राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा संशोधित टैरिफ अनुमोदित (सितम्बर 2011) किये जाने के कारण सुरक्षा निधि की वार्षिक समीक्षा अपरिहार्य थी। साथ ही, बिलिंग एजेंसी ने न तो बढ़ी हुई सुरक्षा राशि हेतु नोटिस मुद्रित/जारी

किये एवं न ही उन उपभोक्ताओं के अधतन खाते प्रदान किये जिनसे अतिरिक्त सुरक्षा राशि की आवश्यकता थी। तीन चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं का श्रेणी-वार विश्लेषण **अनुबंध-17** में दिया गया है एवं आईडिया से निकाले गये संक्षिप्त परिणाम नीचे दिये गये है:

विवरण	वृत्त का नाम			योग
	पाली	जोधपुर शहर	बीकानेर	
चयनित श्रेणी में कुल उपभोक्ता	34543	32044	5510	72097
घटायें: उपभोक्ता, जिनकी प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य है	9284	8982	601	18867
घटायें: विमुक्त उपभोक्ता एवं पर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ता	11909	9224	1743	22876
शेष उपभोक्ता, जिनकी सुरक्षा निधि अपर्याप्त है	13350	13838	3166	30354
सुरक्षा निधि की आवश्यकता[18] (₹ करोड़ में)	8.23	14.00	3.69	25.92
उपलब्ध सुरक्षा निधि (₹ करोड़ में)	2.42	4.48	0.97	7.87
कमी (₹ करोड़ में)	5.81	9.52	2.72	18.05

यह देखा जा सकता है कि कम्पनी विमुक्त श्रेणी सहित केवल 31.73 प्रतिशत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा निधि रखती थी। शेष रहे उपभोक्ताओं में से 42.10 प्रतिशत में पर्याप्त सुरक्षा निधि का अभाव था एवं 26.17 प्रतिशत वह उपभोक्ता थे, जिनके बिलिंग समंकों में प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य वर्णित की गई थी। शून्य प्रारम्भिक सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ताओं के समंक गलत प्रतीत होते है क्योंकि कम्पनी सुरक्षा निधि के भुगतान के बिना विद्युत सम्बन्ध जारी नहीं करती है। अपर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, सुरक्षा निधि के पेटे ₹ 18.05 करोड़ की कमी थी जबकि उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जहाँ बिलिंग समंकों में सुरक्षा निधि शून्य इंगित थी, हम कमी की गणना करने में समर्थ नहीं थे। साथ ही बिलिंग एजेन्सी उन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जहाँ समंकों में सुरक्षा निधि शून्य इंगित थी, अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि की आवश्यकता का आंकलन करने में समर्थ नहीं होगी क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक निधि के समंक उपलब्ध नहीं करवाये गये थे।

हमने देखा कि पर्याप्त सुरक्षा निधि कम्पनी को विद्युत के उपभोग हेतु उपभोक्ताओं के समक्ष न्यूनतम वित्तीय संरक्षण प्रदान करती है।

साथ ही, हमने देखा कि मार्च 2012 में, तीन वृत्तों में चयनित श्रेणियों में स्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेद किये गये ₹ 11.68 करोड़ बकाया रखने वाले 15156 उपभोक्ता थे। इन उपभोक्ताओं के समक्ष उपलब्ध सुरक्षा निधि ₹ 9.99 करोड़ की कमी को छोड़ते हुये मात्र ₹ 1.69 करोड़ की थी। वित्तीय विवरणों के अनुसार समग्र कम्पनी हेतु स्थायी रूप से सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं के समक्ष ₹ 82.80 करोड़ की बकाया राशि थी (मार्च 2012)।

इस प्रकार, सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं किये जाने से कम्पनी वर्ष 2012-13 में चयनित वृत्तों में ₹ 18.05 करोड़ की सीमा तक वित्तीय रूप से असुरक्षित थी। कम्पनी को विद्युत की आपूर्ति के समक्ष न्यूनतम वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता द्वारा दी गई सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा करनी चाहिये।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त/जुलाई 2013) एवं कहा कि बिलिंग एजेंसी

18 बारह माह का औसत उपभोग X 2 X लागू टैरिफ।

को अतिरिक्त सुरक्षा निधि हेतु नोटिस मुद्रित करने एवं ऐसे उपभोक्ताओं, जिनसे अतिरिक्त सुरक्षा निधि वांछित है, के अद्यतन खाते प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है (जून 2013)। यह भी कहा गया था कि विद्यमान श्रमशक्ति सदैव दिन-प्रतिदिन के तकनीकी एवं राजस्व सम्बन्धी गतिविधियों में व्यस्त रही एवं पर्याप्त श्रमशक्ति के अभाव में विभिन्न स्तरों पर उचित निगरानी सम्भव नहीं थी।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

4.6 निर्माण पूर्ण करने व उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने एवं प्रतिधारित प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत दोष

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु भूमि का विकास करने हेतु राजस्थान सरकार की एकमात्र एजेन्सी है। उद्यमियों को भूमि का आवंटन, कम्पनी के द्वारा बनाये गये 'रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979' (निस्तारण नियम) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कम्पनी ने स्थापना (मार्च 1969) के पश्चात् से फरवरी 2013 तक राजस्थान के विभिन्न भागों में इसके द्वारा विकसित किये गये 323 औद्योगिक क्षेत्रों में 52030 भूखण्ड आवंटित किये। आवंटित भूखण्डों में से, 9833 भूखण्ड खाली पड़े हुये थे एवं 3703 भूखण्डों में उद्यमियों ने उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की थी।

वर्तमान अध्ययन यह मूल्यांकन करने के लिये किया (अप्रैल 2013 से मई 2013 तक) गया था कि:

- कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्यमियों ने निर्माण गतिविधियाँ प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु नियत समय की अनुपालना की है, एक दक्ष एवं प्रभावी तन्त्र विकसित किया है;
- निर्माण गतिविधियों के प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु समय की वृद्धि, निस्तारण नियमों के अनुरूप प्रदान की थी; एवं
- कम्पनी ने निस्तारण नियमों के अनुरूप प्रतिधारित प्रभारों की वसूली एवं दोषी उद्यमियों के विरूद्व उचित कार्यवाही की थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं मापदण्ड

वर्तमान अध्ययन उद्यमियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ/पूर्ण करने एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने की नियत समय-सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा विकसित प्रणाली की समीक्षा करता है। लेखापरीक्षा जाँच में कम्पनी की 26 इकाईयों में से सांयोगिक रूप से चयन की गई पाँच[19] इकाईयों एवं मुख्यालय पर 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि हेतु अभिलेखों की संवीक्षा समाहित है। साथ ही, चयनित इकाईयों में 50 मामले सांयोगिक रूप से चयनित एवं विश्लेषण किये गये थे। लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत थे;

- निर्माण गतिविधियों के प्रारम्भ एवं पूर्ण होने तथा उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ होने की

19 सीतापुरा, जयपुर(उत्तर), भिवाड़ी-I, भिवाड़ी-II एवं बोरानाड़ा।

समयावधि सम्बन्धी निस्तारण नियमों का नियम 21;

- उत्पादन गतिविधि अथवा गतिविधि, जिस हेतु भूखण्ड का आवटंन किया गया है, के प्रारम्भ होने में विलम्ब हेतु समयावृद्धि सम्बन्धी निस्तारण नियमों का नियम 23(सी);
- किराया/शास्ति/स्थानान्तरण/पुनःस्थापन/अन्य प्रभारों के समक्ष लेखा प्रभारी द्वारा वसूली के सत्यापन सम्बन्धी लेखांकन एवं व्यवसाय नियमों 1999 का नियम 4(सी);
- निदेशक मण्डल, आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) एवं परित्याग समिति की बैठकों के एजेण्डा एवं कार्यवृत्त; एवं
- एमआईएस एवं व्यक्तिगत उद्यमियों की आवंटन पत्रावलियाँ।

लेखापरीक्षा परिणाम

निर्माण गतिविधि का प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों का प्रारम्भ होना

निस्तारण नियमों के नियम 21 में दिया गया है कि सामान्य प्रावधान के अनुसार, एक आवंटी को कब्जे की दिनांक या पट्टा विलेख का निष्पादन, जो भी पहले हो, के दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण गतिविधियाँ पूर्ण करनी एवं तीन वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करनी होगी। 19 मई 2006 अथवा इसके पश्चात् एनसीआर[20] में आवंटनों के मामलों में एक विशेष प्रावधान के अनुसार, आवंटियों को कब्जे की दिनांक अथवा पट्टा विलेख के निष्पादन, जो भी पहले हो, के छः माह के भीतर निर्माण गतिविधियाँ प्रारम्भ करना, 18 माह के भीतर निर्माण पूर्ण करना एवं 24 माह के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक था। साथ ही, 2 फरवरी 2004 से पूर्व किये गये आवंटनों के मामलों में, एक विशेष प्रावधान के तहत, आवंटियों को कब्जे की दिनांक अथवा पट्टा विलेख का निष्पादन, जो भी पहले हो, के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करनी आवश्यक थी।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि कम्पनी ने उद्यमियों द्वारा समय पर निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निगरानी रखने एवं स्वयं की संतुष्टि हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया था। समय सीमा की अनुपालना नहीं किये जाने सम्बन्धी मामले कम्पनी के ध्यान में इकाई प्रमुखों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में किये गये निरीक्षणों/दौरों के दौरान आये थे। इकाई कार्यालयों के द्वारा तैयार की गई एमआईएस में केवल खाली भूखण्डों एवं भूखण्डों की संख्या, जहाँ उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया था, ही इंगित की गई थी। आवंटियों द्वारा निर्दिष्ट समयावधि की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आवंटन की दिनांक एवं निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता की तथा उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की निर्दिष्ट दिनांक सम्बन्धी भूखण्ड-वार विवरण संधारित नहीं किया गया था।

50 चयनित मामलों की विस्तृत संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि भूखण्ड वर्ष 1989 एवं 2010 के मध्य आवंटित किये गये थे लेकिन फरवरी 2013 तक केवल 24 भूखण्डों में उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ हुई थी। पूर्वतम आवंटित भूखण्ड, जहाँ उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं हुई थी (जून 2013), वर्ष 1991 से संबंधित था। उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने में एक से 20 वर्षों के मध्य का विलम्ब हुआ।

20 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।

समयावृद्धि एवं प्रतिधारित प्रभारों का आरोपण

निस्तारण नियमों के नियम 23(सी) में आवंटियों को प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान पर समयावृद्धि, चाहे भूखण्ड 9 मई 2005 तक अथवा इसके बाद आवंटित किया गया था, का प्रावधान है। 9 मई 2005 तक आवंटन के मामले में, इकाई प्रमुखों को एक समय में तीन वर्षों की निर्धारित अवधि अथवा औद्योगिक क्षेत्र के संतृप्त घोषित किये जाने तक, जो भी बाद में हो, से आगे अधिकतम दो वर्ष एवं पाँच वर्षों से अधिक नहीं हेतु वृद्धि अनुमत्य करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कार्यकारी निदेशक अगले पाँच वर्षों तक समयावृद्धि कर सकता था एवं प्रबन्ध निदेशक को समयावृद्धि हेतु पूर्ण अधिकार था। 9 मई 2005 के पश्चात् किये गये आवंटनों के मामले में, इकाई प्रमुख श्रेणी-ए में एक वर्ष, श्रेणी-बी में दो वर्ष एवं श्रेणी-सी के औद्योगिक क्षेत्रों में तीन वर्षों तक अधिकतम समयावृद्धि प्रदान करने हेतु अधिकृत थे। कार्यकारी निदेशक, इकाई प्रमुखों द्वारा प्रदान की गई समयावृद्धि से आगे औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी-ए में एक समय में एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष, श्रेणी-बी में तीन वर्ष तथा श्रेणी-सी में पाँच वर्षों तक समयावृद्धि अनुमत्य कर सकता था। अधिकतम निर्धारित अवधि के आगे कोई समयावृद्धि प्रदान नहीं की जानी थी एवं यदि ऐसी बढ़ाई गई अवधि के व्यतीत होने पर, निर्माण गतिविधियों की पूर्णता/उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की शर्त की अनुपालना नहीं किये जाने पर, आवंटन निरस्त किया जाना था। नियम में यह भी प्रावधान था कि इकाई प्रमुख निर्माण गतिविधियों की पूर्णता/उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की निर्धारित/बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के छः माह पूर्व भूखण्ड आवंटियों को स्मरण-पत्र के रूप में, नोटिस जारी करेंगे। आवंटियों के लिये या तो शर्तों को पूर्ण करना अथवा प्रतिधारित प्रभारों का भुगतान कर सक्षम अधिकारी से निर्दिष्ट समय में वृद्धि करवाना आवश्यक था, इसमें विफल रहने पर भूखण्ड निरस्त किये जाने योग्य होगा।

चयनित मामलों, जहाँ आवंटन 9 मई 2005 के पश्चात् किया गया था, के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने नियमों के उल्लंघन में तीन वर्षों की अधिकतम समयावधि से आगे समयावृद्धि अनुमत्य की। चयनित मामलों में से कुल 19 मामलों में, कम्पनी ने छः मामलों में 41 से 69 माह के मध्य समयावृद्धि अनुमत्य की जबकि पाँच अन्य मामलों में, इकाई प्रमुखों ने 30 माह तक समयावृद्धि प्रदान की। शेष आठ मामलों में, उत्पादन गतिविधियाँ तीन वर्षों की विस्तारित अवधि में प्रारम्भ हो गई थी।

हमने पाया कि किस दिनांक को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी किये गये थे, यह ज्ञात करने के लिये कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने से पूर्व स्मरण-पत्र जारी किया जाना नहीं पाया गया था। 46 मामलों में हमने पाया कि दोषी उद्यमियों को निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने के पश्चात् जारी किये गये एससीएन में दो से 162 माह के मध्य विलम्ब हुआ। चार मामलों में, निर्माण की निर्दिष्ट अवधि के मई 2001 से जून 2009 के दौरान समाप्त हो जाने के बावजूद भी एससीएन जारी नहीं किये गये थे (अप्रैल 2013)।

उद्यमियों को जारी किये गये एससीएन के नियमों एवं शर्तों में, आवंटन के नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन में विलम्ब हेतु प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान द्वारा प्रत्युत्तर देने हेतु 30 दिवस का प्रावधान था जिसमें विफल रहने पर बिना किसी अन्य नोटिस अथवा सूचना के आवंटन निरस्त किया जाना था। अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि उद्यमियों ने या तो एससीएन

का कोई उत्तर नहीं दिया था अथवा विलम्ब से उत्तर दिया था। तथापि, कम्पनी ने दोषी उद्यमियों के, सिवाय एससीएन पुनः जारी किये जाने के, भूखण्डों को निरस्त नहीं किया था। तीन मामलों में भूखण्डों को निरस्त किया गया था लेकिन उद्यमियों द्वारा प्रतिधारित एवं पुनः नवीनीकरण प्रभारों का भुगतान किये जाने पर यह पुनः स्थापित कर दिये गये थे।

प्रतिधारित प्रभारों की कम वसूली

निस्तारण नियमों का नियम 23 (सी) प्रतिधारित प्रभारों के भुगतान पर समयावृद्धि की अनुमति देता है। 9 मई 2005 तक किये गये आवंटनों के मामले में, प्रतिधारित प्रभार प्रति तिमाही विलम्ब हेतु विकास शुल्क की प्रचलित दर के 0.50 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से लगाये जाने थे। 9 मई 2005 के पश्चात् हुये आवंटनों हेतु इकाई प्रमुखों द्वारा समयावृद्धि प्रदान किये जाने के मामले में निर्माण एवं उत्पादन हेतु प्रति तिमाही विलम्ब के लिये प्रतिधारित प्रभार विकास शुल्क की प्रचलित दर के क्रमशः 0.75 प्रतिशत एवं 0.50 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से आरोपित किये जाने थे। यदि समयावृद्धि कार्यकारी निदेशक द्वारा दी गई थी, निर्माण एवं उत्पादन हेतु प्रति तिमाही विलम्ब के लिये प्रतिधारित प्रभार विकास शुल्क की प्रचलित दर के क्रमशः एक प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर की दर से आरोपित किये जाने थे।

चयनित इकाई कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रतिधारित प्रभार नियमानुसार आरोपित नहीं किये गये थे एवं कम्पनी द्वारा 13 मामलों में ₹ 2.68 करोड़ के प्रतिधारित प्रभार कम लगाये गये थे जबकि 16 मामलों में ₹ 1.02 करोड़ के प्रतिधारित प्रभार नहीं लगाये गये थे।

लेखांकन एवं व्यवसाय नियम, 1999 के नियम 4 (सी) के अनुसार, लेखा प्रभारी को किराया/शास्ति/हस्तांतरण/पुनः स्थापन/अन्य प्रभारों, जैसा भी मामला हो, के पेटे होने वाली वसूली की राशि की जाँच एवं सत्यापन करना चाहिये। तथापि, आरोपित किये गये प्रतिधारित प्रभारों की स्थानीय वित्तीय प्रकोष्ठ द्वारा कभी भी जाँच एवं निरीक्षण नहीं किया गया था। साथ ही, 9 मई 2005 के पूर्व अथवा इसके पश्चात् किये गये आवंटनों हेतु प्रतिधारित प्रभारों की गणना परिपत्रों/नियमों को दृष्टिगत रखे बिना की गई थी।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

कम्पनी निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने सम्बन्धी प्रावधानों की अनुपालना की निगरानी करने हेतु एक दक्ष एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करने में विफल रही। स्मरण-पत्र एवं एससीएन जारी करने हेतु कोई उचित तन्त्र नहीं था। साथ ही, उद्यमी कई बार समयावृद्धि प्रदान किये जाने के बावजूद निर्माण पूर्ण करने/उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ करने में विफल रहे जिसने राज्य में त्वरित औद्योगीकरण के मूलभूत उद्देश्य को निष्फल किया।

कम्पनी को यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्यमी निर्माण के प्रारम्भ/पूर्णता एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ होने की समय-सीमा की अनुपालना करें, एक दक्ष एवं प्रभावी प्रणाली विकसित करनी चाहिये। इसे समयावृद्धि, प्रतिधारित प्रभारों का आरोपण नियमानुसार करना चाहिये एवं औद्योगीकरण की गति को बनाये रखे जाने के लिये दोषी उद्यमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार एवं प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

4.7 जल प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियाँ

नियमों के क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियाँ, जल प्रभारों में संशोधन एवं नियमों में स्पष्टता के अभाव के परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति में कम्पनी ने हानि उठाई।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में औद्योगिक संवर्द्धन के लिए राजस्थान सरकार की एक नोडल एजेन्सी है। कम्पनी राज्य के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है एवं औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सहायक सेवायें यथा जल, विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था प्रदान कर औद्योगिक इकाईयों को सुविधाएं प्रदान करती है। औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति या तो कम्पनी द्वारा स्वयं के खोदे गये कुओं के संचालन से अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से बड़ी मात्रा में आपूर्ति लेकर करती है। मार्च 2013 तक कम्पनी ने 323 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया था जिसमें से 162 क्षेत्रों में जल-आपूर्ति स्वयं के खोदे गये कुओं के माध्यम से जबकि शेष क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पीएचईडी द्वारा की जा रही थी।

जल आपूर्ति सुविधा की संवीक्षा (अप्रैल 2013 से मई 2013) यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि:

- कम्पनी ने जल प्रभारों की वसूली हेतु एक प्रभावी व दक्ष प्रणाली विकसित की थी, जल आपूर्ति की दरें इसके समक्ष किये गये व्ययों के अनुरूप निर्धारित एवं संशोधित की गई थी;, एवं
- बिलिंग प्रणाली दक्ष थी, खराब मीटरों को समय पर बदला गया था एवं कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा निधि पर्याप्त थी।

कार्य क्षेत्र एवं मापदण्ड

कम्पनी की कुल 26 इकाईयों में से, जहाँ जल आपूर्ति सुविधा दी जा रही थी, पाँच[21] इकाईयाँ (19 प्रतिशत) हानि, अधिकतम बकाया जल प्रभार, अभिलेख अनुरक्षण की गुणवत्ता एवं नये व पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के मिश्रण के आधार पर अभिलेखों की विस्तृत जाँच हेतु चयनित की गई थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी मुख्यालय पर उपलब्ध अभिलेख भी जल आपूर्ति की सम्पूर्ण प्रणाली की संवीक्षा हेतु जाँचे गये थे। लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत थे:

- जल आपूर्ति नियम, 1976[22]
- रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979, एवं
- रीको लेखांकन एवं व्यवसाय नियम, 1999 एवं समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र।

लेखापरीक्षा परिणाम

जल आपूर्ति सुविधा पर राजस्व/व्यय एवं अधिशेष/कमी

मार्च 2013 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान जल आपूर्ति सुविधा पर राजस्व/व्यय एवं

21 सीतापुरा, जयपुर(उत्तर), भिवाड़ी-I, भिवाड़ी-II एवं बोरानाड़ा।

22 तात्कालिक राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाये गये।

अधिशेष/कमी की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वसूली	व्यय	अधिशेष/(कमी)	राजस्व पर व्यय की प्रतिशतता
2008-09	5.36	11.04	(5.68)	205.97
2009-10	5.48	11.43	(5.95)	205.58
2010-11	5.46	11.85	(6.39)	217.03
2011-12	6.29	10.29	(4.00)	163.59
2012-13	6.57	9.90	(3.33)	150.68
योग	**29.16**	**54.51**	**(25.35)**	**185.25**

यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक इकाईयों को जल आपूर्ति पर किये गये व्यय एवं जल प्रभारों की वसूली के मध्य व्यापक अन्तर था जिसके कारण मार्च 2013 को समाप्त गत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 25.35 करोड़ का घाटा हुआ। साथ ही, वित्तीय विवरणों से प्रकट हुआ कि मार्च 2012 को ₹ 1.08 करोड़ की उपलब्ध सुरक्षा निधि के समक्ष बकाया जल प्रभार ₹ 1.34 करोड़ के थे।

हमने पाया कि कम्पनी ने भूजल की निकासी, वितरण, उद्यमियों से सुरक्षा निधि इत्यादि के अभिलेखों के संधारण के सम्बन्ध में प्रभावी, दक्ष एवं एकरूप प्रणाली विकसित नहीं की थी। चयनित इकाईयों में या तो उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे अथवा उद्यमियों को की गई जलापूर्ति की स्थिति के आंकलन हेतु अपर्याप्त अभिलेख थे। पाँच चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा नियमों के लागू किये जाने में एकरूपता का अभाव था जैसे कि भिवाड़ी-II एवं जयपुर (उत्तर) इकाई कार्यालयों द्वारा द्विमासिक बिल जारी किये गये थे जबकि मासिक बिल जारी किये जाने थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) एवं कहा कि विद्युत प्रभारों तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के कारण जल आपूर्ति प्रदान करने में हानि हुई थी।

जल प्रभारों का संशोधन नहीं किया जाना

जल आपूर्ति नियम, 1976 के नियम 17 में कम्पनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार जल प्रभार लगाये जाने हेतु प्रावधान है।

हमने पाया कि कम्पनी ने जल की आपूर्ति पर किये गये व्यय के आनुपातिक रूप से जल प्रभारों में संशोधन हेतु कोई नीति/प्रणाली निर्धारित नहीं की। जल आपूर्ति योजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर कभी काम नहीं किया गया था एवं कम्पनी ने जल प्रभार लगाये जाने हेतु पीएचईडी दरों का अनुसरण किया। अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इकाई कार्यालयों ने मार्च 2013 को समाप्त गत 15 वर्षों के दौरान अनेक बार दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा लेकिन बोरानाड़ा के पाँच[23] एवं मन्डोर के एक औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ मई 2004 में दरें संशोधित की गई थी, को छोड़कर प्रभार दिसम्बर 1998 के पश्चात् केवल नवम्बर 2012 में संशोधित किये गये थे। इन क्षेत्रों में संशोधन पीएचईडी से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में आपूर्ति लेने एवं तत्पश्चात् औद्योगिक इकाईयों को स्वयं के तंत्र से वितरण के कारण जलापूर्ति की भारी लागत

23 (1) औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा, (2) एक्सपोर्ट प्रमोशन औद्योगिक पार्क बोरानाड़ा, (3) विशेष आर्थिक क्षेत्र बोरानाड़ा, (4) एग्रो फूड पार्क बोरानाड़ा, (5) शिल्पग्राम बोरानाड़ा, एवं (1) औद्योगिक क्षेत्र मण्डोर।

के कारण था। साथ ही, यह देखा गया था कि कम्पनी दरों को पीएचईडी दरों के समतुल्य बनाए रखने में भी विफल रही क्योंकि पीएचईडी ने सितम्बर 2007 में दरों में संशोधन किया था परन्तु संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव कम्पनी के अभिलेखों पर नहीं पाया गया था।

हमने देखा कि कम्पनी औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति पर होने वाली हानियों हेतु बाध्य थी क्योंकि पीएचईडी की दरें राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक रियायती थी। साथ ही, कम्पनी को पीएचईडी से एक स्थान पर बड़ी मात्रा में आपूर्ति प्राप्त कर जल की आगे आपूर्ति पर श्रमशक्ति, पम्पिंग, रखरखाव इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। इस कारण जलापूर्ति पर किये गये व्यय एवं वसूली के मध्य व्यापक अन्तर रहा। मार्च 2013 को समाप्त गत पाँच वर्षों में व्यय की वसूली पर प्रतिशतता 150.68 एवं 217.03 प्रतिशत के मध्य रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी यह सुनिश्चित करने के लिये कि हानियाँ कम करने हेतु जल-प्रभारों की सामयिक रूप से समीक्षा की जा रही है, एक प्रणाली का अनुसरण करेगी।

कम्पनी को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पर किये गये व्यय के अनुसार दरों में संशोधन हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

दोषपूर्ण मीटर

जल आपूर्ति नियम, 1976 के नियम 22 में प्रावधान है कि पानी के मीटर के माध्यम से किया गया उपभोग सभी उद्देश्यों के लिये प्रथम दृष्टया अभिलेख है एवं मीटर खराब होने अथवा प्रतिवेदित किये जाने के मामले में उपभोग की गणना निर्धारित मानकों के आधार पर की जानी चाहिये। निर्धारित मानकों में (i) तात्कालिक गत माह का औसत या गत तीन महीनों का औसत, (ii) पिछले वर्ष में इसी अवधि का उपभोग, एवं (iii) ऐसे विश्वसनीय समंक जिस पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विचार किया जा सकता है, सम्मिलित है। साथ ही, नियम 16 (ई) में प्रावधान है कि उपभोक्ता दोषपूर्ण मीटर की मरम्मत अथवा बदलाव स्वयं की लागत पर करवायेगा जिसमें विफल रहने पर जल-सम्बन्ध विच्छेदित कर दिया जायेगा एवं वसूली लोक माँग वसूली अधिनियम, 1952 या कम्पनी के नियमों के अनुसार की जायेगी। मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान कुल कनेक्शनों की संख्या व दोषपूर्ण मीटर की स्थिति नीचे दी गई है:

इकाई का नाम	वर्ष के अन्त में सम्बन्ध			वर्ष के अन्त में दोषपूर्ण मीटर/सम्बन्ध			कुल सम्बन्धों पर दोषपूर्ण मीटर की प्रतिशतता		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
सीतापुरा	1544	1544	1544	381	416	448	24.68	26.94	29.02
जयपुर (उत्तर)	1545	1697	1776	227	219	228	14.69	12.91	12.84
बोरानाड़ा	630	661	690	145	151	118	23.02	22.48	17.10
भिवाड़ी-I	1166	1171	1173	48	52	68	4.12	4.44	5.80
भिवाड़ी-II	272	190	215	70	84	94	25.74	44.21	43.72

यह देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान चयनित इकाईयों में दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता 4.12 प्रतिशत (भिवाड़ी-I) एवं 44.21 प्रतिशत (भिवाड़ी-II) के मध्य रही। अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि दोषपूर्ण मीटरों के मामलों में कम्पनी निर्धारित मानकों के अनुरूप जल प्रभार की बिलिंग कर रही थी। तथापि, इकाईयों ने निर्धारित

मानकों को लागू करने में एकरूपता नहीं रखी थी क्योंकि जयपुर (उत्तर) के अलावा चयनित इकाईयों ने निर्धारित मानकों के अनुसार गणन की गई अधिकतम दरें प्रभारित की थी, जबकि जयपुर (उत्तर) ने पूर्व के तीन महीनों का औसत के आधार पर या अन्य कोई दर, जो नियमों के अनुरूप नहीं थी, से बिलिंग की थी।

हमने पाया कि नियमों में न तो दोषपूर्ण मीटरों की मरम्मत/बदलवाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित थी तथा न ही मरम्मत एवं बदलवाने में विफल होने पर किसी शास्ति का प्रावधान था। नियमों में स्पष्टता के अभाव में मीटर 48 माह तक दोषपूर्ण रहे एवं कम्पनी ने जल आपूर्ति विच्छेदित भी नहीं की थी। कम्पनी की सीकर इकाई व सिविल इकाई के मध्य हुये आन्तरिक पत्राचार (जून 2006) से ज्ञात हुआ कि पूर्व में, उद्यमी को समय पर मरम्मत/बदलाव करवाने के लिए बाध्य करने हेतु बिल राशि में 10 प्रतिशत प्रतिमाह, जब तक मीटर की मरम्मत/बदलाव न हो, बढ़ाये जाने का प्रावधान था। तथापि, इस प्रावधान को हटा दिया गया था लेकिन इसे बन्द किये जाने की प्रभावी तिथि को दर्शाने वाला कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी ने सभी इकाईयों को निर्देश जारी किये थे एवं जल आपूर्ति नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही प्रधान कार्यालय स्तर पर की जायेगी।

कम्पनी को गलत मीटर पठन के कारण होने वाली किसी सम्भावित हानि को टालने हेतु दोषपूर्ण मीटरों का समयोचित प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना चाहिये।

सुरक्षा निधि

कम्पनी ने तीन महीनों का सकल न्यूनतम प्रभार, न्यूनतम ₹ 500 प्रति प्रतिष्ठान, के समकक्ष सुरक्षा निधि रखने का निर्णय लिया (मई 1998)। दिसम्बर 1998 के दौरान टैरिफ संशोधन के समय सुरक्षा निधि की न्यूनतम सीमा घटाकर ₹ 200 प्रति प्रतिष्ठान कर दी गयी थी। तथापि, इकाई कार्यालयों द्वारा दोनों परिपत्रों/मानकों के आधार पर सुरक्षा निधि स्वीकार की थी।

हमने पाया कि चयनित इकाईयों में सम्बन्ध-विच्छेदित उपभोक्ताओं के मामले में मार्च 2013 को ₹ 24.77 लाख की जल प्रभार राशि वसूली हेतु बकाया थी। 50 सम्बन्ध-विच्छेदित उपभोक्ताओं के अभिलेखों की नमूना जाँच से विदित हुआ कि ₹ 2.36 लाख के बकाया जल प्रभार के समक्ष केवल ₹ 0.28 लाख की सुरक्षा निधि उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने उन उपभोक्ताओं को जलापूर्ति जारी रखी जिन्होंने 12 माह से भी अधिक समय से पानी के बिलों का भुगतान नहीं किया था।

हमने देखा कि सुरक्षा निधि वाक्यांश कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त नहीं था क्योंकि जल के वास्तविक उपभोग के स्थान पर यह तीन माह का सकल न्यूनतम प्रभार पर आधारित था। साथ ही, भिवाड़ी-I इकाई में सुरक्षा निधि तीन माह के सकल न्यूनतम प्रभार के स्थान पर ₹ 500 या तीन माह के शुद्ध न्यूनतम शुल्क की दर से एकत्रित की जा रही थी। इसके कारण सुरक्षा निधि का कम आरोपण एवं विभिन्न इकाईयों द्वारा आदेशों के क्रियान्वयन में असमानता देखी गई। सेवा सम्बन्ध/पाईप के आकार की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम प्रभार निर्धारित किये जाने के कारण पूर्व के उपभोग के अनुसार सुरक्षा निधि का पुनरीक्षण किये जाने हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि कम्पनी सुरक्षा निधि राशि के सामयिक संशोधन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली अपनायेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को अपने उपभोक्ताओं के वास्तविक उपभोग की समीक्षा समय-समय पर करनी चाहिये एवं तदनुसार सुरक्षा निधि संशोधित करनी चाहिए।

इस प्रकार कम्पनी ने समय-समय पर टैरिफ संशोधन नहीं किये जाने के कारण औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति पर भारी हानि उठाई एवं जल प्रभारों की वसूली व व्यय के मध्य अन्तर के कारण मार्च 2013 के अन्त में ₹ 25.35 करोड़ का घाटा हुआ। उपभोक्ताओं के मीटर 48 माह से भी अधिक समय तक खराब पड़े रहे परन्तु न तो यह उपभोक्ताओं द्वारा बदले गये थे तथा न ही उनकी आपूर्ति विच्छेदित की गई थी। इसके अलावा अपर्याप्त सुरक्षा निधि के कारण सम्बन्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया जल प्रभारों की वसूली नहीं हो सकी।

4.8 नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन

कम्पनी ने नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन किया एवं ₹ 1.02 करोड़ की हानि उठाई।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) के रीको भूमि निस्तारण नियमों, 1979 का नियम 3(डब्ल्यू) में भूमि का आवंटन इस शर्त पर किये जाने का प्रावधान है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पूर्व भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं दी जायेगी। कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स प्राइवेट लिमिटेड (श्रीराम केबिल्स) को एक ''तार व केबिल के निर्माण'' की इकाई लगाने हेतु 25 प्रतिशत विकास शुल्क जमा करने पर औद्योगिक क्षेत्र पथरेड़ी में नियम 3(डब्ल्यू) के अन्तर्गत 28000 वर्गमीटर भूमि ₹ 6.35 करोड़ में आवंटित की (28 नवम्बर 2007)। आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार श्रीराम केबिल्स को शेष 75 प्रतिशत विकास शुल्क 60 दिनों के भीतर जमा करना था, निर्माण गतिविधि छः माह के भीतर एवं उत्पादन गतिविधियाँ अगले 18 माह में प्रारम्भ करनी आवश्यक थी। साथ ही, उत्पादन प्रारम्भ होने से पूर्व खाली भूखण्ड का हस्तान्तरण अनुमत्य नहीं था एवं नियमों व शर्तों की अनुपालना करने में विफल रहने पर, आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाना था तथा जमा राशि जब्त कर ली जानी थी।

हमने पाया (मई 2013) कि श्रीराम केबिल्स ने आवंटन के उपर्युक्त वर्णित नियमों व शर्तों में से किसी का पालन नहीं किया था। विकास शुल्क के पेटे शेष ₹ 4.76 करोड़ का भुगतान 60 दिनों की समय सीमा के भीतर नहीं किया गया था। कम्पनी ने भी विलम्ब से (1 अगस्त 2008) नोटिस जारी किया जिसके प्रत्युत्तर (18 अगस्त 2008) में श्रीराम केबिल्स ने किश्तों में भुगतान करने हेतु गणना पत्रक की मांग की। कम्पनी ने 31 दिसम्बर 2009 को समाप्त होने वाली छः त्रैमासिक किश्तों में भुगतान हेतु अनुमति दी (17 सितम्बर 2008) लेकिन यह भुगतान नहीं की गई थी। आवंटन के नियमों व शर्तों की अवहेलना हेतु एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भी जारी किया गया (23 दिसम्बर 2008), जो भी अनुत्तरित रहा था। बाद में, श्रीराम केबिल्स ने 29 जून 2009 को चार किश्तें तथा दो किश्तें ब्याज व अन्य देयताओं सहित 2 जुलाई 2009 को जमा करवायीं। तदनुसार, पट्टा विलेख 7 जुलाई 2009 को निष्पादित किया गया था।

हमने आगे पाया कि कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स को उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं करने हेतु

एससीएन जारी किया (1 नवम्बर 2011) एवं इसके प्रत्युत्तर में यह सूचित किया गया था (18 नवम्बर 2011) कि भूमि का बेचान लोरोम इण्डिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एलआईसीपीएल) को ₹ 8.90 करोड़ के प्रतिफल में पूर्व में ही किया जा चुका था। दिनांक 7 अगस्त 2009 के विक्रय प्रलेख की एक प्रति, इस निवेदन के साथ कि भूमि एलआईसीपीएल के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी जाये, भी प्रस्तुत की गई थी।

कम्पनी की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने एलआईसीपीएल को भूमि के हस्तांतरण की अनुमति एक विशेष मामले के रूप में दी (जून 2012)। आईडीसी ने एलआईसीपीएल से प्रचलित विकास शुल्क के 18.75 प्रतिशत की दर से केवल ₹ 1.62 करोड़ का हस्तान्तरण शुल्क वसूल किये जाने का भी निर्णय किया एवं इसके निवेदन पर ₹ 43.09 लाख के लागू प्रतिधारित प्रभार परित्याग किये गये थे। साथ ही, हस्तान्तरण प्रभार संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की प्रार्थना (14 अगस्त 2012) पर घटा कर (जनवरी 2013) 15 प्रतिशत कर दिये गये थे।

हमने देखा कि श्रीराम केबिल्स का प्रस्तावित व्यवसाय प्रारम्भ करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि एलआईसीपीएल को भूमि के विक्रय किये जाने तक निर्माण गतिविधि भी प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसने नियम 3(डब्ल्यू) के तहत आवंटन के मूलभूत उद्देश्य को विफल किया क्योंकि प्राथमिकता पर आवंटन, समाचार पत्रों में रूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित किये जाने की आवश्यकता को हटाने के पश्चात् किया गया था। कम्पनी ने नियमों के अनुरूप कार्यवाही नहीं करके श्रीराम केबिल्स को आवंटन की शर्तों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय करने का अवसर प्रदान किया। श्रीराम केबिल्स ने सभी किश्तों का पूर्ण भुगतान, केवल जब इसने एलआईसीपीएल को 8 मई 2009 को भूमि बेच दी थी, जिसका भुगतान इसे 8 मई 2009 से 7 जुलाई 2009 के दौरान तीन[24] किश्तों में ₹ 6.69 करोड़ एवं शेष ₹ 2.21 करोड़ का भुगतान 7 अगस्त 2009 को प्राप्त हुआ, दिनांक 29 जून 2009 (₹ 4.30 करोड़)/2 जुलाई 2009 (₹ 1.37 करोड़) को किया।

श्रीराम केबिल्स ने ₹ 1.66 करोड़[25] के निवेश पर ₹ 1.57 करोड़[26] का लाभ अर्जन किया था क्योंकि इसने कम्पनी को शेष राशि का भुगतान एलआईसीपीएल से विक्रय के करार एवं विक्रय प्रतिफल के पेटे एलआईसीपीएल से दो किश्तों की प्राप्ति के पश्चात् किया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.09 लाख के प्रतिधारित प्रभारों का परित्याग एवं एलआईसीपीएल को हस्तांतरण शुल्क के भुगतान में 3.75 प्रतिशत (₹ 32.32 लाख) की छूट प्रदान करने का आईडीसी का निर्णय निर्दिष्ट नियमों के विपरीत था।

कम्पनी ने श्रीराम केबिल्स का आवंटन निरस्त करने के बजाय नियमों की अवहेलना में विक्रय का नियमन कर अदेय लाभ दिया था। यदि कम्पनी एलआईसीपीएल को विकास शुल्क की

24 ₹ 2.28 करोड़ 8 मई 2009, ₹ 2.20 करोड़ 18 जून 2009 एवं ₹ 2.21 करोड़ 7 जुलाई 2009 को।

25 नवम्बर 2007 में आवंटन प्राप्त करने हेतु श्री राम केबिल्स द्वारा जमा कराये गये ₹ 16604085 में 25 प्रतिशत विकास शुल्क के पेटे ₹ 15786000 एवं भूमि हेतु सुरक्षा राशि, आर्थिक किराया इत्यादि के पेटे ₹ 728085 ।

26 श्रीराम केबिल्स द्वारा एलआईसीपीएल से प्राप्त ₹ 8.90 करोड़ का विक्रय प्रतिफल घटायें श्रीराम केबिल्स द्वारा कम्पनी को भुगतान की गई ₹ 7.33 करोड़ की राशि।

प्रचलित दरों से नया आवंटन करती तो यह ₹ 1.02 करोड़[27] का राजस्व अर्जित कर सकती थी।

सरकार एवं प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

4.9 नियमों की अवहेलना में बड़े आकार के भूखण्ड पर छूट

आईडीसी ने औद्योगिक क्षेत्र की संतृप्तता के नियम की अवहेलना में बड़े आकार के भूखण्ड हेतु ₹ 48.83 लाख की छूट अनुमत्य की।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने एक औद्योगिक क्षेत्र को 'संतृप्त' वर्गीकृत किये जाने के मानदण्डों को संशोधित किया (5 सितम्बर 2011)। नये मानदण्डों के अनुसार, एक औद्योगिक क्षेत्र, 90 प्रतिशत की विद्यमान उच्चतम सीमा के बजाए विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि के एक बार 80 प्रतिशत से अधिक आवंटित किये जाने पर, संतृप्त था। इसी बैठक में (5 सितम्बर 2011) आईडीसी ने हारमोनी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड (एचएसपीएल) को रामचन्द्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एक डिजाइन संस्थान स्थापित किये जाने हेतु रीको भूमि निस्तारण नियमों, 1979 (निस्तारण नियमों) के नियम 3(ई) के तहत 11000 वर्ग मीटर भूमि के प्राथमिक आवंटन हेतु अनुमति का भी अनुमोदन किया। अनुमोदन नियम 3(ई) के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर एक विशेष मामला मानते हुए किया गया था क्योंकि प्रस्तावित डिजाइन संस्थान, शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा में नहीं आता था।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि आईडीसी ने एचएसपीएल को भूमि नियम 3(ई)(iii)[28] के तहत बड़े आकार के भूखण्ड हेतु छूट अनुमत्य किये बिना शैक्षणिक संस्थान हेतु प्रचलित दर पर आवंटित की। तदनुसार, इकाई कार्यालय ने एचएसपीएल को ₹ 4500 प्रति वर्गमीटर की दर पर 10851 वर्गमीटर भूमि हेतु आवंटन पत्र जारी किया (23 सितम्बर 2011)। तत्पश्चात्, एचएसपीएल ने नियम 3(ई)(iii) के तहत दर में छूट अनुमत्य किये जाने हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (5 नवम्बर 2011)। इकाई कार्यालय द्वारा निवेदन की जाँच की गयी थी जिसने अवलोकित किया कि एचएसपीएल छूट के लिए योग्य नहीं था क्योंकि संतृप्तता के संशोधित मानकों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र संतृप्त[29] था। इसके बजाए मुख्य कार्यालय ने आईडीसी को इस तर्क पर छूट अनुमत्य किये जाने हेतु अनुशंसा की कि एचएसपीएल ने क्षेत्र को संतृप्त घोषित किये जाने से पूर्व भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था (16 अगस्त 2011)। आईडीसी ने अनुशंसा को अनुमोदित किया (9 मार्च 2012) एवं एचएसपीएल को ₹ 48.83 लाख की छूट अनुमत्य की गई थी।

27 [प्रचलित दर (₹ 3100 प्रति वर्गमीटर) घटायें आवंटन दर (₹ 2268 प्रति वर्गमीटर)] X भूखण्ड का क्षेत्र (27800 वर्ग मीटर) घटायें एलआईसीपीएल से वसूल किया गया हस्तान्तरण शुल्क (₹ 12927000)।

28 नियम 3(ई)(iii) में प्रावधान है कि असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने पर विकास प्रभार की दर में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 10000 वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन हेतु छूट में 0.5 प्रतिशत प्रति 1000 वर्गमीटर से वृद्धि की जायेगी, जो कि दोनों गणनाओं को साथ रखते हुये अधिकतम छूट 25 प्रतिशत की होगी।

29 एचएसपीएल को आवंटन किये जाते समय विक्रय योग्य क्षेत्र का 86 प्रतिशत पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका था।

हमने देखा कि प्रबन्धन का तर्क सही नहीं था क्योंकि एचएसपीएल को उक्त भूमि के आवंटन की दिनांक को नये संशोधित संतृप्तता मापदण्ड प्रभाव में आ गये थे। चूंकि संतृप्तता मानकों को संशोधित करने एवं आवंटन का निर्णय उसी दिन (5 सितम्बर 2011) किया गया था, आईडीसी को नियम 3(ई)(iii) के तहत छूट उसी तिथि को अनुमत्य की जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया था। पूर्व में ही संतृप्त औद्योगिक क्षेत्र में छूट अनुमत्य किये जाने का आईडीसी का निर्णय इसके स्वयं के निर्णय एवं नियम 3(ई)(iii) के उल्लंघन में था अलावा इसके कम्पनी को ₹ 48.83 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आईडीसी ऐसे मामलों में निर्णय लेने हेतु संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत सक्षम समिति थी। आईडीसी ने आवंटन की दर में 10 प्रतिशत छूट का अनुमोदन पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् किया। तथ्य यही रहा कि आईडीसी ने अपने स्वयं के निर्णय एवं निस्तारण नियमों के नियम 3(ई)(iii) के उल्लंघन में छूट अनुमत्य की।

4.10 न्यायालय के बाहर समझौते द्वारा बोलीदाताओं को अदेय लाभ

कम्पनी ने न्यायालय के बाहर समझौता कर बोलीदाताओं को अदेय लाभ पहुंचाया एवं जून 2011 में जुलाई 2009 की दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जाने से न्यूनतम ₹ 30.42 लाख की हानि वहन की।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) की भीलवाड़ा इकाई ने संवर्धन केन्द्र, हमीरगढ़ के 18 अन्य भूखण्डों के अलावा भूखण्ड संख्या ई-492 (3308 वर्गमीटर) एवं ई-493 (3233 वर्गमीटर) की नीलामी हेतु सूचना प्रकाशित की (28 मई 2009)। नीलामी सूचना के नियमों एवं शर्तों में स्पष्ट रूप से दिया गया था कि कम्पनी किसी नीलामी अथवा बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखती है। नीलामी के दौरान दो बोलीदाताओं[30] ने आरक्षित मूल्य ₹ 400 प्रति वर्गमीटर के समक्ष भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 हेतु क्रमशः ₹ 406 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 408 प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोली लगाई। तथापि, नीलामी समिति ने बोलियों को निरस्त करने एवं विज्ञापन के पश्चात् पुनः नीलामी की अनुशंसा की। प्रबन्ध निदेशक ने भी बोलियों को, सलाहकार (इन्फ्रा) की अनुशंसा पर इन्हें अप्रतिस्पर्द्धात्मक मानते हुए अस्वीकृत किया एवं नीलामी हेतु नयी सूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया (6 जुलाई 2009)। सूचना जारी की गयी थी (15 जुलाई 2009) एवं 30 जुलाई 2009 को पुनः नीलामी की गई थी जिसमें भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 हेतु क्रमशः ₹ 825 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 1100 प्रति वर्गमीटर की उच्चतम बोलियाँ प्राप्त हुई थी। तथापि, बोलीदाताओं[31] ने नीलामी के नियमों व शर्तों के अनुसार राशि जमा नहीं की थी एवं इस प्रकार बोलियाँ निरस्त की गई थी।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि दिनांक 28 मई 2009 की नीलामी के दोनों उच्चतम बोलीदाताओं ने भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 की पुनः नीलामी से कम्पनी को रोकने हेतु सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) के न्यायालय, भीलवाड़ा में एक सिविल वाद दायर किया (20 जुलाई 2009)। तथापि, याचिकायें 30 जुलाई 2009 को खारिज कर दी गई थी। खारिज किये जाने पर, उन्होंने न्यायालय जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष एक याचिका दायर की

30 भूखण्ड संख्या ई-492 हेतु श्रीमती संगीता बापना एवं भूखण्ड संख्या ई- 493 हेतु श्री सारांश बापना।

31 भूखण्ड संख्या ई-492 हेतु विमला देवी बापना एवं भूखण्ड संख्या ई- 493 हेतु विमला देवी।

(12 अगस्त 2009) जहाँ कम्पनी को याचिका के निस्तारण तक कोई नीलामी कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था (23 सितम्बर 2009)। कम्पनी ने जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व एक याचिका जोधपुर उच्च न्यायालय में दायर की (जनवरी/फरवरी 2010)।

जबकि याचिका उच्च न्यायालय के सामने लम्बित थी दोनों आवेदकों ने उनकी दिनांक 28 मई 2009 की बोली के अनुसार उन्हें भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु विचार करने के लिए अभ्यावेदन, मामले वापस लिये जाने के प्रस्ताव के साथ, प्रस्तुत किया (15 नवम्बर 2010)। मामला राज्य स्तरीय निस्तारण समिति[32] (एसएलएससी) के समक्ष भूखण्ड संख्या ई-492 एवं ई-493 को ₹ 755 प्रति वर्गमीटर व ₹ 672.66 प्रति वर्गमीटर (30 जुलाई 2009 को की गई द्वित्तीय नीलामी के दौरान प्राप्त आवंटन की औसत दर) पर आवंटित किये जाने पर विचार करने के लिए रखा गया था (24 मार्च 2011)। तथापि, एसएलएससी ने आवेदकों के निवेदन, इस आधार पर कि उनकी बोलियाँ अप्रतिस्पर्द्धात्मक पायी गई थी एवं नीलामी समिति द्वारा खारिज कर दी गई थी, अस्वीकृत कर दिये। तत्पश्चात् मामले पर उद्योग मंत्री द्वारा आवेदकों एवं कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया गया (11 अप्रैल 2011) था जहाँ उन्हें एसएलएससी द्वारा आवेदकों के निवेदन अस्वीकृत किये जाने के बारे अवगत कराया गया था। यह भी अवगत कराया गया था कि नीलामी समिति ने 28 मई 2009 को हुई नीलामी में आरक्षित दर के ऊपर बोलियों को निरस्त किये जाने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया था। मंत्री ने निर्देश दिये (11 अप्रैल 2011) कि मामले को पुनः एसएलएससी के समक्ष रखा जाये।

उद्योग मंत्री के साथ हुई बैठक के पश्चात्, प्रबन्धन ने मामले की पुनः जाँच की एवं पाया कि बोलियों को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था क्योंकि नीलामी समिति द्वारा कोई कारण नहीं बताये गये थे। इसने मामले को आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया। आईडीसी ने दोनों भूखण्डों को ₹ 805 प्रति वर्गमीटर की दर, ई-492 एवं ई-493 भूखण्डों हेतु नीलामी दर के अलावा 30 जुलाई 2009 को हुई नीलामी में प्राप्त हुई उच्चतम दर, से आवंटन किये जाने का निर्णय लिया (9 जून 2011)।

हमने देखा कि कम्पनी, उद्योग मंत्री को बोलियाँ निरस्त किये जाने के सही कारणों के बारे में अवगत कराये जाने में विफल रही क्योंकि स्वयं प्रबन्ध निदेशक ने अप्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियों के कारण नीलामी समिति एवं सलाहकार (इन्फ्रा) की अनुशंसाओं पर पुनः नीलामी अनुमोदित की थी। साथ ही, मामले को एसएलएससी के समक्ष रखने के बजाए, मामला (9 जून 2011) आईडीसी के समक्ष, इस अनुशंसा के साथ कि निरस्तीकरण न्यायोचित नहीं था, रखा गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने इस तथ्य को, कि आवेदकों ने 30 जुलाई 2009 को हुई नीलामी की बोली प्रक्रिया को प्रभावित किया था, पूर्णरूप से अनदेखा किया। बोली प्रपत्र के सत्यापन से यह स्पष्ट था कि व्यक्ति, जिसने भूखण्ड ई-492 हेतु उच्चतम बोली प्रस्तुत की, वही था जिसने 28 मई 2009 को आवेदकों की ओर से उच्चतम बोली प्रस्तुत की थी। आवेदकों ने, इस प्रकार, उच्चतम बोली प्रस्तुत कर एवं राशि जमा नहीं करवाकर बोली प्रक्रिया को अव्यवस्थित कर दिया जिससे कि 28 मई 2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों पर आवंटन प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार, कम्पनी ने न्यायालय के बाहर समझौता कर बोलीकर्ताओं को अदेय लाभ पहुंचाया एवं जून 2011 में भूखण्डों का आवंटन जुलाई 2009 की दरों पर कर न्यूनतम ₹ 30.42

32 एसएलएससी में आयुक्त उद्योग, आयुक्त (निवेश व एनआरआई), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (आरएफसी), प्रधान सचिव खान व पेट्रोलियम एवं प्रबन्ध निदेशक (रीको) थे।

लाख[33] की हानि वहन की, जबकि मार्च 2011 के दौरान की गई नीलामियों में प्राप्त दरें ₹ 877 प्रति वर्गमीटर एवं ₹ 2351 प्रतिवर्गमीटर के मध्य थी। चूंकि कम्पनी नीलामी या बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखती थी एवं उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, भूमि विवाद को निस्तारित करने की इसकी कार्यवाही संदेहास्पद थी।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि आईडीसी ने मामले का न्यायालय के बाहर समाधान करने का निर्णय कम्पनी के हित में लिया। तथापि, तथ्य यही रहा कि आईडीसी ने न्यायालय के बाहर समाधान करते समय प्रचलित दरों को ध्यान में नहीं रखा था।

सांविधिक निगम

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

4.11 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

करार के नियमों व शर्तों तथा नीति के अनुसार पुनः आदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण निगम को ₹ 68.78 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) की बस बॉडी निर्माण नीति में प्रावधान है कि बस के ढाँचों के निर्माण हेतु निविदायें निश्चित मात्रा के लिये आमंत्रित की जानी चाहिये एवं दरें 12 माह हेतु अथवा निर्दिष्ट मात्रा हेतु, जो भी बाद में हो, के लिये वैध होनी चाहिये। निगम ने (अ) 840 सुपर द्रुतगामी ब्ल्यू लाईन बसों के चेसिस के प्रापण हेतु एवं (ब) प्रापण किये गये चेसिस पर बस के ढाँचों के निर्माण हेतु निविदाऐं आमंत्रित की (मई 2011)। बस के ढाँचों के निर्माण हेतु वित्तीय बोलियाँ 4 अगस्त 2011 को खोली गई थी जिसमें 'एशिया बॉडी बिल्डर्स एवं मैन्युफैक्चर्स, जयपुर' (एबीबीएम) का, कर को शामिल नहीं करते हुये ₹ 356500 प्रति बस की दर पर प्रतिमाह 30 बसों के ढाँचे निर्माण की क्षमता का, प्रस्ताव न्यूनतम पाया गया था। बस बॉडी निर्माण समिति (बीबीसी) ने एबीबीएम को सुपर द्रुतगामी ब्ल्यू लाईन बसों के ढाँचे निर्माण की वर्धित क्षमता प्रस्तुत करने का निवेदन किया (10 अगस्त 2011)। न्यूनतम दर अन्य बोलीदाताओं को भी प्रस्तावित की गई थी परन्तु किसी भी बोलीदाता ने स्वीकार नहीं की। तथापि, एबीबीएम ने अपनी क्षमता 11 चक्रों (महीनों) में 420 संशोधित की (16 अगस्त 2011)।

हमने पाया (मई 2013) कि बीबीसी ने एबीबीएम को इसकी संशोधित क्षमता के अनुसार आदेश प्रदान किये जाने के बजाए केवल 240 बसों के ढाँचों के लिये आदेश प्रदान करने एवं शेष 600 बस ढाँचों हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया (30 अगस्त 2011)। 240 बस ढाँचों के निर्माण हेतु एबीबीएम के साथ एक करार 12 सितम्बर 2011 को निष्पादित किया गया था एवं कार्यादेश 15 सितम्बर 2011 को दिया गया था। करार के नियमों व शर्तों में प्रावधान था कि करार को हस्ताक्षरित किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान आदेशित मात्रा के अलावा बस के ढाँचों के निर्माण हेतु पुनः आदेश उन्हीं दरों पर सदैव प्रदान

33 7, 9 एवं 11 मार्च 2011 को हुई नीलामी के दौरान नीलामी की भारित औसत दर के अनुसार।

किया जा सकेगा एवं एबीबीएम इसे स्वीकार करने के लिये बाध्य थी अन्यथा धरोहर राशि एवं सुरक्षा जमा जब्त कर ली जायेगी। एबीबीएम ने 240 बस ढाँचों की आदेशित मात्रा का निर्माण निगम द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार सितम्बर 2012 तक कर दिया था।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से विदित हुआ कि निगम ने अपने निर्णय के अनुसार 600 बस-ढाँचों की शेष संख्या हेतु अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित की (सितम्बर 2011)। न्यूनतम उद्धृत दर, एबीबीएम से प्रतिमाह पाँच बस-ढाँचे हेतु ₹ 3.70 लाख प्रति बस थी। तथापि, बीबीसी ने ₹ 3.65 लाख प्रति बस की दर (पिछली निविदा का द्वितीय न्यूनतम) का प्रति-प्रस्ताव दिया (10 अक्टूबर 2011) जिसे चार फर्मों ने स्वीकार कर लिया था एवं 127 बस ढाँचों हेतु कार्यादेश दिसम्बर 2011 में प्रदान किये गये थे। साथ ही, बीबीसी ने अगस्त 2012 में तीन[34] फर्मों पर 60 बस-ढाँचे, सितम्बर 2012 में एबीबीएम पर 80 बस-ढाँचों एवं पाँच अन्य फर्मों पर 86 बस-ढाँचों हेतु ₹ 3.65 लाख प्रति बस की दर पर आदेश प्रदान किये। निगम ने शेष 247 बस-ढाँचों हेतु निविदायें पुनः आमंत्रित की (सितम्बर 2012) एवं छः[35] फर्मों पर ₹ 4.15 लाख प्रति बस वेट सहित आदेश प्रदान किये गये थे (मार्च 2013)।

हमने देखा कि बीबीसी का एबीबीएम पर 420 बसों की क्षमता के समक्ष केवल 240 बस ढाँचों हेतु आदेश प्रदान किये जाने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि प्रस्तावित दर इस आदेश से पूर्व की दर (₹ 4.22 लाख प्रति बस), जिस पर बस ढाँचे निर्माण किये गये थे, की तुलना में कम थी। साथ ही, सितम्बर 2011 में अल्पकालिक निविदायें आमंत्रित किये जाने का निर्णय सही नहीं था क्योंकि निगम एबीबीएम को पुनः आदेश प्रदान कर सकती थी एवं एबीबीएम करार के हस्ताक्षरित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पुनः आदेश को स्वीकार करने के लिये बाध्य था। इसके अतिरिक्त, यदि 420 बसों के लिये आदेश प्रदान किया जाता, एबीबीएम को यह ₹ 356500 प्रति बस की दर पर निगम द्वारा दी गई सारणी के दौरान पूर्ण करना था।

इस प्रकार, करार के नियमों व शर्तों एवं नीति के अनुसार एबीबीएम पर 240 और अधिक बस ढाँचों हेतु पुनः आदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण निगम को ₹ 68.78 लाख[36] का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था।

सरकार/प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त/जुलाई 2013) एवं कहा कि बस ढाँचों की शेष 600 संख्या हेतु अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय, कम निर्माण दरों की प्रत्याशा में लिया गया था।

34 प्रत्येक 20 चेसिस हेतु महिन्द्रा कोचेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर, भारत मेटल फेब्रिकेटर्स, जयपुर एवं श्याम कोच इंजीनियर्स, जयपुर को 7 अगस्त 2012 को आदेश प्रदान किये गये थे।

35 महिन्द्रा कोचेज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर (96 बस ढाँचे), एशिया बॉडी बिल्डर्स एंड मैन्युफैक्चर्स जयपुर (48 बस ढाँचे), श्याम कोच इंजीनियर्स, जयपुर (48 बस ढाँचे), भारत मेटल फेब्रिकेटर्स, जयपुर (45 बस ढाँचे) एवं अमेरिया ब्रदर्स, जयपुर (10 बस ढाँचे)।

36 (₹ 365000-₹ 356500) X 80 बस एवं (₹ 395238 कर को छोड़ते हुये -₹ 356500) X 160 बस।

सामान्य अनुच्छेद

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया प्रत्युत्तर

4.12.1 सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में संधारित अभिलेखों एवं लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा प्रक्रिया, जो कि प्रारम्भिक जाँच से शुरू होती है, के चरमोत्कर्ष को भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रबंधन से शीघ्र एवं उचित प्रत्युत्तर प्राप्त किया जावे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) तथा कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुतिकरण के तीन माह के अन्दर प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर लिए गए अथवा प्रस्तावित सुधारात्मक/उपचारात्मक उपायों को दर्शाते हुए उत्तर लेखापरीक्षा से संवीक्षा के पश्चात् प्रस्तुत करें।

वर्ष 2011-12 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान मण्डल में मार्च 2013 में प्रस्तुत किया गया था एवं सरकार से 14 ड्राफ्ट अनुच्छेदों तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थी।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

4.12.2 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों को, जिनका हाथों-हाथ निपटारा नहीं हो सका, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के प्रमुखों को भेजा जाता है। पीएसयूज के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रत्युत्तर चार सप्ताह की अवधि में संबंधित विभागों के प्रमुख के माध्यम से भिजवाना होता है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित लेखापरीक्षा आक्षेपों की निगरानी में सहायता के लिए एक अर्द्धवार्षिकी विवरणी संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जाती है।

मार्च 2013 तक जारी तथा सितम्बर 2013 के अन्त में बकाया 26 पीएसयूज से संबंधित 658 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2597 अनुच्छेदों में ₹ 1705.98 करोड़ की राशि सन्निहित थी। यहाँ तक कि चार पीएसयूज से संबंधित 33 अनुच्छेदों के प्रारम्भिक प्रत्युत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। **अनुबन्ध-18** में 30 सितम्बर 2013 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की विभागवार स्थिति दी गई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु 48 पीएसयूज में से 14 में अंकेक्षण समिति का गठन कर दिया गया था। अवधि 2012-13 में अंकेक्षण समिति की 39 बैठकें हुई जिनमें बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर प्रत्युत्तर एवं उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन/प्रशासनिक विभागों से विचार-विमर्श किया गया।

इसी प्रकार, पीएसयूज के काम-काज पर ड्राफ्ट अनुच्छेद एवं निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा प्रेषित कर छः सप्ताह की अवधि में तथ्य एवं आंकड़े सत्यापित करने तथा टिप्पणी प्रेषित करने का आग्रह किया जाता है। तथापि, हमने पाया कि चार ड्राफ्ट अनुच्छेदों एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनको विभिन्न विभागों को अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013 के मध्य भेजा गया, के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2013), जैसा कि **अनुबन्ध-19** में दर्शाया गया है।

सरकार से यह सुनिश्चित करने की संस्तुति की जाती है कि (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेदों पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप प्रत्युत्तर देने में विफल रहने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही की व्यवस्था हो; (ब) हानि/अग्रिम बकाया/अधिक भुगतान को एक निर्धारित समय में वसूल करने की कार्यवाही की जावे एवं (स) लेखा परीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर देने की प्रणाली का पुनर्गठन किया जावे।

(एस. आलोक)

जयपुर — महालेखाकार

दिनांक — (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली — भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक

अनुबन्ध

अनुबन्ध-1

(अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की अद्यतन पूँजी, बकाया ऋणों तथा जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 5 (क) से 6(घ) के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी[$]				वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण[**]				वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	6.33	1.04	0.22	7.59	-	-	-	-	-	238
क्षेत्रवार योग				**6.33**	**1.04**	**0.22**	**7.59**	-	-	-	-	-	**238**
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	6.64	0.27	0.05	6.96	1.01	-	-	1.01	0.15:1 (1.04:1)	201
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	3 मार्च 1984	21.85	-	0.55	22.40	-	-	0.57	0.57	0.03:1 (0.06:1)	31
4	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	22 दिसम्बर 2012	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग				**43.49**	**0.27**	**0.60**	**44.36**	**1.01**	-	**0.57**	**1.58**		**232**
ढांचागत क्षेत्र													
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	210.19	-	-	210.19	-	-	-	-	-	970
6	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8 फरवरी 1979	20.00	-	-	20.00	-	-	618.84	618.84	30.94:1 (22.85:1)	352
7	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	1 दिसम्बर 2004	33.00	-	-	33.00	-	-	-	-	-	24
क्षेत्रवार योग				**263.19**	-	-	**263.19**	-	-	**618.84**	**618.84**		**1346**
विनिर्माण क्षेत्र													
8	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (11) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	खान	19 जनवरी 2007	-	-	20.00	20.00	-	-	1215.09	1215.09	60.75:1 (56.21:1)	5

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी[$]				वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण[**]				वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (ध)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (ध)	7	8
9	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त (आबकारी)	24 फरवरी 2005	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	161
10	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त (आबकारी)	1 जुलाई 1956	36.79	-	0.05	36.84	-	-	-	-	-	1693
11	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	7 मई 1947	77.54	-	0.01	77.55	-	-	-	-	- (0.01:1)	1701
12	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क (11) की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	10 जुलाई 2008	-	-	1.10	1.10	-	-	-	-	-	शून्य
13	राजस्थान राज्य रिफाइनॅरी लिमिटेड	खान एवं पेट्रोलियम	14 सितम्बर 2012	5.10	-	-	5.10	-	-	-	-	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग				**121.43**	–	**21.16**	**142.59**	–	–	**1215.09**	**1215.09**		**3560**
ऊर्जा क्षेत्र													
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	2428.81	-	-	2428.81	840.42	121.61	4345.22	5307.25	2.19:1 (4.75:1)	16700
15	बाँसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	7 अगस्त 2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
16	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	5 जुलाई 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
17	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
18	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	22 नवम्बर 2006	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
19	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (27) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	23 नवम्बर 2006	-	-	200.00	200.00	-	-	252.25	252.25	1.26:1 (2.14:1)	174
20	गुढ़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	16 अप्रैल 2009	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
21	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	2684.85	-	-	2684.85	916.04	-	19571.30	20487.34	7.63:1 (5.75:1)	19607
22	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	2293.84	-	-	2293.84	166.44	149.76	4436.05	4752.25	2.07:1 (6.15:1)	19498
23	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	17 सितम्बर 2010	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी[$]				वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण[**]				वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (ध)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (ध)	7	8
24	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
25	पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (26) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	6 जनवरी 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	शून्य
26	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	2593.00	-	-	2593.00	204.42	-	7193.63	7398.05	2.85:1 (2.86:1)	11806
27	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून 2000	5965.59	-	-	5965.59	138.07	-	11923.25	12061.32	2.02:1 (2.03:1)	3904
28	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रैल 1995	12.94	-	-	12.94	-	-	38.87	38.87	3.00:1	76
29	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	ऊर्जा	2 नवम्बर 2011	-	-	0.05	0.05	-	-	1.00	1.00	20.00:1 (10.00:1)	शून्य
क्षेत्रवार योग				**15979.03**	-	**200.45**	**16179.48**	**2265.39**	**271.37**	**47761.57**	**50298.33**		**71765**
सेवा क्षेत्र													
30	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	7 मई 2008	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	शून्य
31	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	6 फरवरी 2008	-	-	10.00	10.00	-	-	2.89	2.89	0.29:1 (6.59:1)	175
32	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1 जनवरी 2010	1047.04	-	166.00	1213.04	-	-	-	-	-	376
33	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड[Ω]	स्थानीय स्वायत्त शासन	22 दिसम्बर 2006	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	शून्य
34	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार	27 अक्टूबर 2010	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	56
35	राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड	सामान्य प्रशासन एवं नागरिक उडडयन	20 दिसम्बर 2006	1.87	-	-	1.87	-	-	-	-	-	4
36	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	सैनिक कल्याण विभाग	29 मार्च 2012	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	उ.न.
37	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4 मई 2011	5.00	-	-	5.00	53.88	-	-	53.88	10.78:1 (1.00:1)	137

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी[$]				वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण[**]				वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (ध)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (ध)	7	8
38	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम एवं रोजगार	17 अगस्त 2010	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	8
39	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	8 दिसम्बर 2010	50.00	-	-	50.00	55.10	-	-	55.10	1.10:1 (-)	99
40	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	2.16	-	-	2.16	-	-	-	-	-	72
41	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	21.95	-	-	21.95	-	-	4.65	4.65	0.21:1 (0.08:1)	1127
42	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्त शासन	8 जनवरी 2007	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग				**1138.07**	-	**176.70**	**1314.77**	**108.98**	-	**7.54**	**116.52**		**2054**
विविध क्षेत्र													
43	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भू-जल विभाग	25 जनवरी 1984	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	-	33
क्षेत्रवार योग				**1.27**	-	-	**1.27**	-	-	-	-		**33**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**17552.81**	**1.31**	**399.13**	**17953.25**	**2375.38**	**271.37**	**49603.61**	**52250.36**		**79228**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
वित्त क्षेत्र													
1	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	103.31	-	32.42	135.73	-	-	555.18	555.18	4.09:1 (6.09:1)	696
क्षेत्रवार योग				**103.31**	-	**32.42**	**135.73**	-	-	**555.18**	**555.18**		**696**
सेवा क्षेत्र													
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1 अक्टूबर 1964	382.13	26.83	-	408.96	10.00	-	675.80	685.80	1.68:1 (2.42:1)	19822
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	3.93	-	3.92	7.85	-	-	8.75	8.75	1.11:1 (1.11:1)	425
क्षेत्रवार योग				**386.06**	**26.83**	**3.92**	**416.81**	**10.00**	-	**684.55**	**694.55**		**20247**
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**489.37**	**26.83**	**36.34**	**552.54**	**10.00**	-	**1239.73**	**1249.73**		**20943**
कुल योग (क+ख)				**18042.18**	**28.14**	**435.47**	**18505.79**	**2385.38**	**271.37**	**50843.34**	**53500.09**		**100171**

क्र. स.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समामेलन की तिथि	प्रदत्त पूँजी$				वर्ष 2012-13 के अंत में बकाया ऋण**				वर्ष 2012-13 के लिये ऋण पूँजी अनुपात (पिछला वर्ष)	जनशक्ति (31.03.2013 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	6.01	-	-	6.01	3.36	-	-	3.36	0.56:1 (0.52:1)	शून्य
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	डेयरी	31 मार्च 1975	0.16	2.72	-	2.88	-	-	-	-	-	शून्य
क्षेत्रवार योग				**6.17**	**2.72**	-	**8.89**	**3.36**	-	-	**3.36**		शून्य
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**6.17**	**2.72**	-	**8.89**	**3.36**	-	-	**3.36**		शून्य
कुल योग (क+ख+ग)				**18048.35**	**30.86**	**435.47**	**18514.68**	**2388.74**	**271.37**	**50843.34**	**53503.45**		**100171**

उपरोक्त में क्रम संख्या क-30, क-31, क-33 व क-42 पर वर्णित 619-बी कम्पनियाँ एवं क्रम संख्या क-38 पर धारा 25 कम्पनी सम्मिलित है।

$ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि सम्मिलित है।

** वर्ष 2012-13 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को दर्शाते हैं।

Ω क्रम संख्या क-33 पर वर्णित कम्पनी द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कम्पनी से सम्बन्धित उपरोक्त दशार्ये गये आंकड़े 2010-11 से सम्बन्धित हैं।

अनुबन्ध-2

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	32.91	3.22	2.04	27.65	293.06	₹ 0.69 करोड़ से लाभ में कमी	7.59	80.49	88.08	30.87	35.05
क्षेत्रवार योग				**32.91**	**3.22**	**2.04**	**27.65**	**293.06**		**7.59**	**80.49**	**88.08**	**30.87**	
वित्त क्षेत्र														
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	3.04	0.47	0.43	2.14	118.52	₹ 0.01 करोड़ से लाभ में कमी	6.96	-30.67	-11.08	2.61	-
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	0.45	0.05	0.01	0.39	14.18	-	22.40	-52.87	-29.77	0.44	-
4	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.07	-	-	-0.07	-	-	15.00	-0.07	14.93	-0.07	-0.47
क्षेत्रवार योग				**3.42**	**0.52**	**0.44**	**2.46**	**132.70**		**44.36**	**-83.61**	**-25.92**	**2.98**	
ढांचागत क्षेत्र														
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	272.03	0.03	0.61	271.39	862.42	₹ 6.78 करोड़ से लाभ में वृद्धि	210.19	793.64	1325.99	271.42	20.47
6	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	46.74	4.14	10.14	32.46	73.13	-	20.00	55.31	531.14	36.60	6.89

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
7	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.18	-	0.05	0.13	0.27	-	33.00	0.96	33.96	0.13	0.38
क्षेत्रवार योग				**318.95**	**4.17**	**10.80**	**303.98**	**935.82**		**263.19**	**849.91**	**1891.09**	**308.15**	
विनिर्माण क्षेत्र														
8	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(11) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2011-12	2012-13	25.48	17.46	8.48	-0.46	163.43	-	20.00	-1.09	1143.04	17.00	1.49
9	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	5.24	-	0.51	4.73	3122.12	-	2.00	8.54	10.55	4.73	44.83
10	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2012-13	2013-14	16.62	0.37	1.72	14.53	618.98	-	36.84	20.31	59.00	14.90	25.25
11	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2012-13	2013-14	680.42	7.60	56.99	615.83	1246.69	₹ 22.18 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1457.95	1546.34	623.43	40.32
12	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क(11) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	1.10	-0.83	0.27	-0.02	-7.41
13	राजस्थान राज्य रिफाइनॅरी लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	-	5.10	-	5.11	-	-
क्षेत्रवार योग				**727.74**	**25.43**	**67.70**	**634.61**	**5151.22**		**142.59**	**1484.88**	**2764.31**	**660.04**	
ऊर्जा क्षेत्र														
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-1246.52	2433.79	224.42	-3904.73	5851.76	₹ 450.80 करोड़ से हानि में वृद्धि	2428.81	-18407.88	3683.51	-1470.94	-39.93
15	बॉसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.25	-	0.02	-0.27	-	-	0.05	-8.02	-7.97	-0.27	-
16	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	0.71	-	-0.74	-	-	0.05	-6.36	-6.31	-0.03	-
17	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(27) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	-	-	-0.03	-	-	0.05	-0.03	0.02	-0.03	-150.00
18	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(27) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.03	-	-	-0.03	-	-	0.05	-0.03	0.02	-0.03	-150.00

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
19	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क(27) की सहायक कम्पनी)	2010-11	2013-14	-34.20	33.10	0.37	-67.67	30.21	-	0.05	-158.47	181.83	-34.57	-19.01
20	गुढ़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-1.57	0.38	-	-1.95	-	-	0.05	-6.35	-6.30	-1.57	-
21	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-1569.72	2251.04	340.47	-4161.23	6907.14	₹ 101.51 करोड़ से हानि में वृद्धि	2684.85	-17593.38	2852.29	-1910.19	-66.97
22	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-4220.44	1772.21	186.25	-6178.90	4237.08	₹ 153.83 करोड़ से हानि में वृद्धि	1416.68	-13006.16	3718.39	-4406.69	-118.51
23	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	0.05	-1.97	-1.92	-0.02	-
24	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.07	0.01	-	-0.08	-	-	0.05	-0.18	-0.13	-0.07	-
25	पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क(26) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	0.01	-	-0.03	-	-	0.05	-0.15	-0.10	-0.02	-
26	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	727.24	504.46	258.71	-35.93	2035.65	₹ 617.73 करोड़ से हानि में वृद्धि	2144.00	-1670.49	6185.25	468.53	7.57
27	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	1174.69	724.26	491.63	-41.20	6120.81	₹ 87.34 करोड़ से हानि में वृद्धि	4808.59	-548.92	12682.95	683.06	5.39
28	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	30.96	2.71	12.43	15.82	37.96	₹ 2.73 करोड़ से लाभ में कमी	12.94	91.37	125.67	18.53	14.74
29	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (28) की सहायक कम्पनी)	2012-13	2013-14	-0.02	-	-	-0.02	-	-	0.05	-0.02	0.03	-0.02	-66.67
क्षेत्रवार योग				**-5140.03**	**7722.68**	**1514.30**	**-14377.01**	**25220.61**		**13496.37**	**-51317.04**	**29407.23**	**-6654.33**	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
सेवा क्षेत्र														
30	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.02	-	-	0.02	-	-	0.30	0.05	0.35	0.02	5.71
31	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2012-13	2013-14	-32.33	2.59	6.13	-41.05	65.25	-	10.00	-73.57	107.81	-38.46	-35.67
32	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	34.34	-	0.20	34.14	-	-	1213.04	5.93	1218.97	34.14	2.80
33	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	प्रारम्भ से ही पहले लेखे प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2012-13	2013-14	8.23	-	0.19	8.04	11.03	-	5.00	5.84	10.84	8.04	74.17
35	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.37	-	-	-0.37	0.70	-	1.87	-5.89	-4.01	-0.37	-
36	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.17	-	0.02	-0.19	1.00	-	5.00	-0.19	4.81	-0.19	-3.95
37	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	1.61	1.46	0.76	-0.61	10.68	-	5.00	3.09	57.79	0.85	1.47
38	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2012-13	2013-14	-1.15	-	0.04	-1.19	24.95	-	0.05	-0.83	-0.78	-1.19	-
39	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	14.26	0.06	0.03	14.17	16.67	-	50.00	8.41	65.01	14.23	21.89
40	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	0.23	0.04	0.17	0.02	1.45	₹ 0.82 करोड़ से लाभ में वृद्धि	1.91	-5.67	-2.21	0.06	-
41	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	-7.22	1.12	3.31	-11.65	78.30	-	18.45	-72.12	-42.32	-10.53	-
42	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.07	-	-	0.07	0.01	-	0.30	0.15	0.45	0.07	15.56
क्षेत्रवार योग				**17.52**	**5.27**	**10.85**	**1.40**	**210.04**		**1310.92**	**-134.80**	**1416.71**	**6.67**	
विविध क्षेत्र														
43	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-0.15	-	-	-0.15	-	₹ 0.13 करोड़ से हानि में वृद्धि	1.27	-1.36	-0.02	-0.15	
क्षेत्रवार योग				**-0.15**	-	-	**-0.15**	-		**1.27**	**-1.36**	**-0.02**	**-0.15**	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजीμ	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ (+)/ हानि(-)	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ(+)/ हानि (-)							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**-4039.64**	**7761.29**	**1606.13**	**-13407.06**	**31943.45**		**15266.29**	**-49121.53**	**35541.48**	**-5645.77**	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
वित्त क्षेत्र														
1	राजस्थान वित्त निगम	2012-13	2013-14	44.30	35.69	0.19	8.42	111.63	₹ 31.19 करोड़ से लाभ में कमी	135.73	-130.10	735.62	44.11	6.00
क्षेत्रवार योग				**44.30**	**35.69**	**0.19**	**8.42**	**111.63**		**135.73**	**-130.10**	**735.62**	**44.11**	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2012-13	2013-14	-224.37	65.51	43.78	-333.66	1377.90	-	408.96	-1650.88	-524.49	-268.15	-
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2012-13	2013-14	25.44	0.96	3.03	21.45	53.35	-	7.85	-0.25	115.18	22.41	19.46
क्षेत्रवार योग				**-198.93**	**66.47**	**46.81**	**-312.21**	**1431.25**	-	**416.81**	**-1651.13**	**-409.31**	**-245.74**	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**-154.63**	**102.16**	**47.00**	**-303.79**	**1542.88**		**552.54**	**-1781.23**	**326.31**	**-201.63**	
कुल योग (क+ख)				**-4194.27**	**7863.45**	**1653.13**	**-13710.85**	**33486.33**		**15818.83**	**-50902.76**	**35867.79**	**-5847.40**	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	-0.15	1.24	-	-1.39	-		6.01	-48.88	-38.26	-0.15	-
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	-	2.88	-0.21	2.67	-	-
क्षेत्रवार योग				**-0.15**	**1.24**	**-**	**-1.39**	**-**		**8.89**	**-49.09**	**-35.59**	**-0.15**	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**-0.15**	**1.24**	**-**	**-1.39**	**-**		**8.89**	**-49.09**	**-35.59**	**-0.15**	
कुल योग (क+ख+ग)				**-4194.42**	**7864.69**	**1653.13**	**-13712.24**	**33486.33**		**15827.72**	**-50951.85**	**35832.20**	**-5847.55**	**-16.32**

¥ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

μ नियोजित पूँजी से आशय अंशधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उधारियों के योग से है।

अनुबन्ध-3

(अनुच्छेद संख्या 1.15 में संदर्भित)

बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण, वर्ष के दौरान प्राप्त/एवं प्राप्य अनुदान व अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारंटी, देयताओं का परित्याग, अपलेखित ऋण एवं समता पूँजी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2013 के अंत में गारंटी प्रतिबद्धताओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम संख्या 3(क) से 6(घ) की राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ ब्याज/ दंडनीय ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	-	0.09	31.88	-	31.97	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	**0.09**	**31.88**	-	**31.97**	-	-	-	-	-	-
वित्त क्षेत्र													
2	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	-	-	7.22	0.75	-	7.97	-	-	-	-	-	-
3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	3.19	-	3.19	-	-	-	-	-	-
4	राजस्थान राज्य पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**15.00**	-	**7.22**	**3.94**	-	**11.16**	-	-	-	-	-	-
ढांचागत क्षेत्र													
5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	-	-	26.77	-	-	26.77	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	**26.77**	-	-	**26.77**	-	-	-	-	-	-
विनिर्माण क्षेत्र													
6	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	11.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	राजस्थान राज्य रिफाइनॅरी लिमिटेड	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**16.72**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ ब्याज/ दंडनीय ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
ऊर्जा क्षेत्र													
8	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	916.66	371.35	2.46	1772.38	-	1774.84	4981.00	21537.51	-	-	-	-
9	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	969.18	309.23	-	927.32	-	927.32	5002.00	19359.40	-	-	-	-
10	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	877.16	-	-	-	-	-	6267.88	19870.82	-	-	-	-
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	449.00	-	-	2.85	-	2.85	2908.13	7039.03	-	-	-	-
12	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	636.00	-	-	0.03	-	0.03	250.00	2055.43	-	-	-	-
13	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	-	-	16.50	3.05	-	19.55	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**3848.00**	**680.58**	**18.96**	**2705.63**	-	**2724.59**	**19409.01**	**69862.19**	-	-	-	-
सेवा क्षेत्र													
14	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	-	19.00	5.42	2.16	78.15	85.73	-	-	-	-	-	-
15	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	561.00	-	-	-	45.00	45.00	-	-	-	-	-	-
16	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	48.88	-	292.32	-	292.32	-	-	-	-	-	-
18	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	-	-	-	23.00	-	23.00	-	-	-	-	-	-
19	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	55.10	-	6.65	-	6.65	-	-	-	-	-	-
20	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3.50	-	-	-	-	-	-	2.89	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		569.75	122.98	5.42	324.13	123.15	452.70	-	2.89	-	-	-	-
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		**4449.47**	**803.56**	**58.46**	**3065.58**	**123.15**	**3247.19**	**19409.01**	**69865.08**	-	-	-	-
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
वित्त क्षेत्र													
1	राजस्थान वित्त निगम	10.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	15.65	-	15.65

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटीयाँ एवं वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं का परित्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलेखित ऋण अदायगी	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	परित्याग किया हुआ ब्याज/ दंडनीय ब्याज	योग
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क्षेत्रवार योग		**10.00**	–	–	–	–	–	**300.00**	–	–	**15.65**	–	**15.65**
सेवा क्षेत्र													
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	188.90	10.00	-	43.00	-	43.00	500.00	500.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**188.90**	**10.00**	–	**43.00**	–	**43.00**	**500.00**	**500.00**	–	–	–	–
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)		**198.90**	**10.00**	-	**43.00**	–	**43.00**	**800.00**	**500.00**	-	**15.65**	-	**15.65**
कुल योग (क+ख)		**4648.37**	**813.56**	**58.46**	**3108.58**	**123.15**	**3290.19**	**20209.01**	**70365.08**	–	**15.65**	-	**15.65**
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		–	**0.25**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		–	**0.25**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (क+ख+ग)		**4648.37**	**813.81**	**58.46**	**3108.58**	**123.15**	**3290.19**	**20209.01**	**70365.08**	–	**15.65**	-	**15.65**

अनुबन्ध-4

(अनुच्छेद संख्या 1.24 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षो के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान,जिसके लेखे बकाया है, में किया गया निवेश						योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थ-साहाय्य	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	अपलिखित ऋण अदायगी	
1.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	1416.68	2012-13	877.16	-	-	-	-	877.16
2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2011-12	2144.00	2012-13	449.00	-	2.85	-	-	451.85
3.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2010-11	4808.59	2011-12	521.00	2949.87	-	-	-	3470.87
				2012-13	636.00	-	0.03	-	-	636.03
4.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	50.00	2012-13	-	55.10	6.65	-	-	61.75
5.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2011-12	1.91	2012-13	0.25	-	-	-	-	0.25
6.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	18.45	2012-13	3.50	-	-	-	-	3.50
	योग		**8439.63**		**2486.91**	**3004.97**	**9.53**	-	-	**5501.41**

अनुबन्ध-5

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं समता पूँजी सहित)	220.06	220.06	408.96
उधारियाँ			
(सरकार)	-	-	10.00
(अन्य)	453.88	533.54	675.80
निधियाँ[1]	5.26	5.34	31.63
व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधानों सहित)	547.44	638.56	965.09
कुल दायित्व	**1226.64**	**1397.50**	**2091.48**
सम्पत्तियाँ			
सकल ब्लॉक	602.88	625.10	618.44
घटायेः मूल्य ह्रास	317.36	315.72	318.82
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	285.52	309.38	299.62
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	-	2.33	0.92
निवेश	2.48	8.48	4.47
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	65.25	74.86	135.59
संचित हानियाँ	873.39	1002.45	1650.88
कुल सम्पत्तियाँ	**1226.64**	**1397.50**	**2091.48**
नियोजित पूँजी	**(-)181.67**	**(-)235.49**	**(-)524.49**

1 मूल्य ह्रास निधियों के अलावा।

राजस्थान वित्त निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	110.08	110.08	135.73
अंश आवेदन राशि	-	-	-
संचित निधि एवं अन्य संचय व अधिशेष	61.70	62.70	268.15
उधारियाँः			
(i) बॉण्ड एवं ऋण-पत्र	74.95	31.50	300.00
(ii) सावधि जमायें	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	570.98	568.81	40.00
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v) अंश पूँजी के पेटे ऋणः			
(अ) राज्य सरकार	-	-	-
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	119.81	69.79	12.45
अन्य दायित्व एवं प्रावधान (जमाओं सहित)	307.41	304.12	309.81
कुल दायित्व	**1244.93**	**1147.00**	**1066.14**
सम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक शेष	72.84	32.40	97.22
निवेश	1.10	1.10	1.10
ऋण एवं अग्रिम	924.27	888.26	731.41
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	3.16	3.12	2.95
अन्य सम्पत्तियाँ	107.89	91.32	103.36
संचित हानियाँ	135.67	130.80	130.10
कुल सम्पत्तियाँ	**1244.93**	**1147.00**	**1066.14**
नियोजित पूँजी[2]	**882.48**	**828.06**	**735.62**

2 नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, पूँजी के बदले में ऋण, सीड मनी, ऋण-पत्र, संचय (बाहरी निवेश से सर्मर्थित विशेष रूप से जमा निधियों के अतिरिक्त), बॉण्ड्स जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है। मुक्त संचय एवं अधिशेष लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष तक कम कर दिये गये हैं।

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	7.85	7.85	7.85
संचय एवं अधिशेष	64.65	83.64	98.58
उधारियाँ			
(सरकार)	-	-	-
(अन्य)	3.65	8.71	8.75
व्यापारिक बकाया एवं अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	80.34	72.14	65.00
कुल दायित्व	**156.49**	**172.34**	**180.18**
सम्पत्तियाँ			
सकल ब्लॉक	88.44	92.42	100.81
घटायेः मूल्य ह्रास	34.49	37.25	40.19
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	53.95	55.17	60.62
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	0.83	5.87	8.33
अन्य गैर-चालू सम्पत्तियाँ (आस्थगित कर सम्पत्तियाँ)	-	6.80	4.16
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	101.71	104.50	107.07
कुल सम्पत्तियाँ	**156.49**	**172.34**	**180.18**
नियोजित पूँजी	**77.46**	**95.04**	**115.18**

अनुबन्ध-6

(अनुच्छेद संख्या 1.35 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	**परिचालन**			
(क)	राजस्व	1180.22	1334.93	1377.90
(ख)	व्यय	1412.86	1529.06	1772.30
(ग)	अधिशेष/(घाटा)	(232.64)	(194.13)	(394.40)
2	**गैर-परिचालन**			
(क)	राजस्व	46.23	63.19	60.74
(ख)	व्यय[1]	-	-	-
(ग)	अधिशेष/(घाटा)	46.23	63.19	60.74
3	**कुल राजस्व**	**1226.45**	**1398.12**	1438.64
4	**कुल व्यय**	**1412.86**	**1529.06**	1772.30
5	**पूर्व अवधि समायोजनों से पहले लाभ (+)/हानि (-)**	**(186.41)**	**(130.94)**	**(333.66)**
6	जोड़ें/(घटायें): पूर्व अवधि समायोजन	(0.43)	0.05	-
7	**शुद्ध लाभ/(हानि)**	**(186.84)**	**(130.89)**	**(333.66)**
8	पूँजी एवं ऋणों पर ब्याज	39.65	60.40	65.51
9	**नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल**	**(147.19)**	**(70.49)**	**(268.15)**

[1] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों में परिचालन व गैर-परिचालन व्यय को अलग से नहीं दर्शाया गया है।

2. राजस्थान वित्त निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	**आयः**			
(क)	ऋणों पर ब्याज	131.86	128.03	111.63
(ख)	अन्य आय	6.60	5.51	12.38
	कुल आय	**138.46**	**133.54**	**124.01**
2	**व्ययः**			
(क)	दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	69.58	70.72	35.69
(ख)	अन्य व्यय	55.90	57.92	75.44
	कुल व्यय	**125.48**	**128.64**	**111.13**
3	**कर से पूर्व लाभ**	**12.98**	**4.90**	**12.88**
4	कर के लिए प्रावधान	(1.01)	(0.37)	(5.02)
5	अन्य विनियोजन	11.48	1.35	4.46
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	23.45	5.88	3.40
7	लाभांश	-	-	-
8	**नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल**	**94.04**	**76.98**	**44.11**
9	**नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता**	**10.66**	**9.30**	**6.00**

3. राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	**आयः**			
(क)	भण्डार प्रभार	32.34	43.17	53.35
(ख)	अन्य आय	6.27	7.89	6.61
	कुल आय	**38.61**	**51.06**	**59.96**
2	**व्ययः**			
(क)	स्थापना प्रभार	22.03	24.79	28.86
(ख)	अन्य व्यय	6.56	8.02	9.02
	कुल व्यय	**28.59**	**32.81**	**37.88**
3	**कर से पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (1-2)**	**10.02**	**18.25**	**22.08**
4	अन्य विनियोजन	7.93	15.31	19.57
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	2.09	2.94	2.51
6	वर्ष के लिए लाभांश	1.57	1.96	2.36
7	**नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल**	**10.37**	**18.12**	**22.41**
8	**नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता**	**13.39**	**19.07**	**19.46**

अनुबन्ध-7

(अनुच्छेद संख्या 2.6 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
दायित्व					
प्रदत्त पूँजी	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45
पूँजी संचय	-	-	-	-	0.15
आस्थगित राजस्व अनुदान	0.26	7.66	7.29	6.91	6.54
उधारियाँ	11.20	17.20	13.78	11.34	8.12
चालू दायित्व एवं प्रावधान	80.20	80.54	101.75	134.98	140.44
आस्थगित कर दायित्व	3.37	2.02	-	-	-
कुल	**113.48**	**125.87**	**141.27**	**171.68**	**173.70**
सम्पत्तियाँ					
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	42.96	65.13	69.10	68.12	65.44
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	70.52	52.38	38.38	43.09	36.14
संचित हानियाँ	0.00	8.36	33.79	60.47	72.12
कुल	**113.48**	**125.87**	**141.27**	**171.68**	**173.70**

कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आय	49.61	51.53	72.83	88.63	80.50
व्यय	49.42	61.11	99.94	115.53	95.27
पूर्वावधि समायोजन से पूर्व लाभ/हानि	**0.19**	**(9.58)**	**(27.11)**	**(26.90)**	**(14.77)**
पूर्वावधि व असाधारण आय/(व्यय)	0.06	0.16	(0.21)	0.22	3.12
कर पूर्व लाभ/हानि	**0.25**	**(9.42)**	**(27.32)**	**(26.68)**	**(11.65)**
(कर हेतु प्रावधान)/वापसी लेखा	(0.20)	1.06	1.89	-	-
कर प्रश्चात लाभ/हानि	**0.05**	**(8.36)**	**(25.43)**	**(26.68)**	**(11.65)**
नियोजित पूँजी	33.28	36.97	5.73	(23.77)	(38.86)
ब्याज भुगतान	0.00	0.34	1.80	1.49	1.17
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	0.05	(8.02)	(23.63)	(25.19)	(10.48)
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	0.15	(21.69)	(412.39)	-	-

नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणधीन पूँजीगत कार्य को सम्मिलित करते हुए) एवं सहित कार्यशील पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है।

नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, लाभ/हानि खाते से भारित कुल ब्याज को शामिल करते हुए शुद्ध लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है।

अनुबन्ध-8

(अनुच्छेद संख्या 2.9 में सन्दर्भित)

2007-12 की अवधि के दौरान इकाईयों की गतिविधि-वार समग्र निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	आवास			खानपान			बार			परिवहन, नौकायन, काउन्टर आय, सामान्य व्यय एवं मरम्मत व रखरखाव को शामिल करते हुए अन्य			कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध संचालन लाभ/(हानि)
		आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)			
अ होटल्स/मोटल्स																
1	स्वादिम, अजमेर	552.68	305.27	**247.41**	196.28	157.96	**38.32**	366.81	234.82	**131.99**	6.94	184.57	**(177.64)**	1122.71	882.62	240.09
2	मोटल, बर	7.67	15.26	**(7.59)**	134.26	186.22	**(51.96)**	3.25	5.50	**(2.25)**	6.37	46.74	**(40.37)**	151.55	253.72	(102.17)
3	वृंदावति, बूंदी	17.93	39.39	**(21.46)**	9.56	9.11	**0.45**	0.00	0.00	**0.00**	0.19	15.58	**(15.39)**	27.68	64.08	(36.39)
4	चम्बल, कोटा	98.91	103.68	**(4.77)**	36.92	44.74	**(7.82)**	97.15	79.73	**17.42**	4.15	59.13	**(54.98)**	237.13	287.28	(50.15)
5	सरोवर, पुष्कर	158.81	156.67	**2.14**	64.15	58.11	**6.04**	0.00	0.00	**0.00**	0.61	68.70	**(68.09)**	223.57	283.48	(59.91)
6	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	29.19	55.46	**(26.27)**	13.35	16.47	**(3.12)**	0.00	0.00	**0.00**	0.14	35.86	**(35.72)**	42.68	107.79	(65.11)
7	ढोलामारू, बीकानेर	136.80	151.86	**(15.06)**	55.31	49.68	**5.63**	126.93	97.85	**29.08**	12.94	85.50	**(72.56)**	331.98	384.89	(52.91)
8	हवेली, फतेहपुर	21.14	47.52	**(26.38)**	12.76	22.85	**(10.09)**	7.70	12.80	**(5.10)**	0.03	25.50	**(25.47)**	41.63	108.67	(67.04)
9	मोटल, रतनगढ	12.05	32.33	**(20.28)**	22.79	28.39	**(5.60)**	0.00	0.00	**0.00**	0.21	19.48	**(19.27)**	35.05	80.20	(45.15)
10	मूमल, जैसलमेर	324.12	194.60	**129.52**	156.39	117.77	**38.62**	10.28	15.84	**(5.56)**	4.21	98.93	**(94.72)**	495.00	427.14	67.86
11	समधणी, जैसलमेर	72.26	51.76	**20.50**	48.90	28.53	**20.37**	0.70	3.47	**(2.77)**	0.01	16.25	**(16.24)**	121.87	100.01	21.86
12	घूमर, जोधपुर	553.78	343.98	**209.80**	170.68	172.49	**(1.81)**	157.91	123.98	**33.93**	30.96	219.92	**(188.96)**	913.33	860.37	52.96
13	पनिहारिन, पाली	72.22	70.00	**2.22**	40.33	32.35	**7.98**	38.64	37.09	**1.55**	0.45	42.55	**(42.10)**	151.64	181.99	(30.35)
14	मोटल, पोकरण	43.62	45.10	**(1.48)**	52.07	47.33	**4.74**	0.00	0.00	**0.00**	1.24	30.71	**(29.47)**	96.93	123.14	(26.21)
15	सारस, भरतपुर	90.02	142.99	**(52.97)**	56.24	87.62	**(31.38)**	13.29	19.71	**(6.42)**	0.32	86.70	**(86.38)**	159.87	337.02	(177.15)
16	मोटल, धौलपुर	10.35	42.95	**(32.60)**	2.51	1.98	**0.53**	0.00	0.00	**0.00**	0.16	13.41	**(13.25)**	13.02	58.34	(45.32)

क्र सं.	इकाई का नाम	आवास			खानपान			बार			परिवहन, नौकायन, काउन्टर आय, सामान्य व्यय एवं मरम्मत व रखरखाव को शामिल करते हुए अन्य			कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध संचालन लाभ/(हानि)
		आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)			
17	गणगौर, जयपुर	810.89	598.01	**212.88**	730.25	678.34	**51.91**	92.67	83.49	**9.18**	25.30	305.99	**(280.69)**	1659.11	1665.83	(6.72)
18	झील रामगढ़, जयपुर	42.93	76.58	**(33.65)**	16.57	24.72	**(8.15)**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	24.38	**(24.38)**	59.50	125.68	(66.18)
19	स्वागतम, जयपुर	305.79	323.94	**(18.15)**	108.79	135.78	**(26.99)**	50.76	59.55	**(8.79)**	4.71	115.98	**(111.27)**	470.05	635.25	(165.20)
20	मोटल, महुआ	19.43	49.03	**(29.60)**	183.29	270.21	**(86.92)**	23.37	24.88	**(1.51)**	13.68	89.34	**(75.66)**	239.77	433.46	(193.69)
21	सीजेबी, सवाईमाधोपुर	176.99	98.86	**78.14**	129.31	101.22	**28.09**	2.28	4.81	**(2.53)**	2.59	82.96	**(80.37)**	311.17	287.85	23.33
22	विनायक, सवाईमाधोपुर	163.42	75.95	**87.48**	107.58	88.31	**19.27**	1.82	11.86	**(10.04)**	5.09	66.73	**(61.64)**	277.91	242.85	35.07
23	मीनल, अलवर	65.49	83.42	**(17.93)**	25.31	38.75	**(13.44)**	14.89	19.37	**(4.48)**	0.33	43.01	**(42.68)**	106.02	184.55	(78.53)
24	मोटल, बहरोड़	220.74	106.09	**114.65**	1816.88	1328.76	**488.12**	333.55	286.31	**47.24**	550.71	425.91	**124.80**	2921.88	2147.07	774.81
25	दुर्ग कैफे, जयपुर	16.02	9.56	**6.46**	233.77	327.05	**(93.28)**	100.00	89.53	**10.47**	0.01	72.02	**(72.01)**	349.80	498.16	(148.36)
26	तीज, जयपुर	491.99	439.10	**52.89**	187.64	171.39	**16.25**	74.12	68.06	**6.06**	1.79	198.92	**(197.13)**	755.54	877.47	(121.93)
27	टूरिस्ट होटल, जयपुर	29.07	56.55	**(27.48)**	8.74	10.89	**(2.15)**	11.92	14.24	**(2.32)**	0.78	23.57	**(22.79)**	50.51	105.25	(54.74)
28	टाइगर डेन, सरिस्का	190.27	130.74	**59.53**	157.24	120.94	**36.30**	7.15	10.73	**(3.58)**	7.73	96.82	**(89.09)**	362.39	359.23	3.16
29	मोटल, शाहपुरा	27.48	50.84	**(23.36)**	38.98	40.92	**(1.94)**	0.00	0.00	**0.00**	0.20	26.19	**(25.99)**	66.66	117.95	(51.29)
30	लेक पैलेस, सिलिसेढ़	85.64	96.55	**(10.91)**	126.32	107.92	**18.40**	3.77	7.80	**(4.03)**	53.90	100.39	**(46.49)**	269.63	312.66	(43.03)
31	पन्ना, चित्तौड़गढ	152.94	178.41	**(25.47)**	77.22	77.95	**(0.73)**	86.00	62.26	**23.74**	10.25	76.18	**(65.93)**	326.41	394.80	(68.39)
32	मोटल, देवगढ़	7.79	15.86	**(8.07)**	11.13	33.91	**(22.78)**	0.00	0.00	**0.00**	0.23	13.28	**(13.05)**	19.15	63.05	(43.90)
33	शिखर, माऊन्ट आबू	388.17	185.70	**202.47**	179.09	122.75	**56.34**	3.88	12.17	**(8.29)**	7.81	145.02	**(137.21)**	578.95	465.64	113.31
34	गोकुल, नाथद्वारा	95.74	102.12	**(6.38)**	54.82	51.09	**3.73**	58.46	50.13	**8.33**	0.47	41.05	**(40.58)**	209.49	244.39	(34.90)
35	यात्रिका, नाथद्वारा	3.36	9.01	**(5.65)**	0.15	0.07	**0.08**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	3.07	**(3.07)**	3.51	12.15	(8.64)
36	शिल्पी, रणकपुर	33.19	44.47	**(11.28)**	24.68	26.73	**(2.05)**	0.00	0.00	**0.00**	0.66	34.31	**(33.65)**	58.53	105.51	(46.98)
37	मोटल, रतनपुर	12.26	36.83	**(24.57)**	49.04	57.39	**(8.35)**	71.56	56.32	**15.24**	0.35	21.45	**(21.10)**	133.21	171.99	(38.78)
38	गवरी, ऋषभदेव	23.17	45.27	**(22.10)**	25.40	41.13	**(15.73)**	1.27	2.13	**(0.86)**	0.37	22.04	**(21.67)**	50.21	110.57	(60.36)

क्र सं.	इकाई का नाम	आवास			खानपान			बार			परिवहन, नौकायन, काउन्टर आय, सामान्य व्यय एवं मरम्मत व रखरखाव को शामिल करते हुए अन्य			कुल आय	कुल व्यय	शुद्ध संचालन लाभ/(हानि)
		आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)	आय	व्यय	शुद्ध अधिशेष/ (कमी)			
39	कजरी, उदयपुर	528.41	306.09	**222.32**	163.79	137.38	**26.41**	150.68	111.73	**38.95**	95.07	241.06	**(145.99)**	937.95	796.26	141.69
40	होटल, झुंझुनू	13.29	33.53	**(20.24)**	1.61	11.35	**(9.74)**	0.00	0.00	**0.00**	26.43	13.79	**12.64**	41.33	58.67	(17.34)
41	मोटल, दौसा	5.96	5.30	**0.66**	8.56	66.83	**(58.27)**	0.00	0.00	**0.00**	0.03	19.15	**(19.12)**	14.55	91.28	(76.73)
42	चिरमी, चुरू	2.08	34.71	**(32.63)**	0.09	0.82	**(0.73)**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	7.50	**(7.50)**	2.17	43.03	(40.86)
43	मावठ, आमेर	0.00	0.00	**0.00**	2.93	12.84	**(9.91)**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	2.85	**(2.85)**	2.93	15.69	(12.76)
44	चन्द्रावती, झालावाड़	29.94	30.76	**(0.82)**	16.90	14.06	**2.84**	0.00	0.00	**0.00**	1.35	14.48	**(13.13)**	48.19	59.30	(11.11)
45	गावड़ी, झालावाड़	71.20	42.98	**28.22**	64.28	41.70	**22.58**	2.20	9.98	**(7.78)**	0.19	34.44	**(34.25)**	137.87	129.10	8.77
46	रैन बसेरा, झालावाड़	0.00	1.90	**(1.90)**	0.00	0.65	**(0.65)**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.23	**(0.23)**	0.00	2.78	(2.78)
47	कुरजा, नागौर	2.62	29.54	**(26.92)**	3.57	11.13	**(7.56)**	0.00	0.00	**0.00**	0.02	9.92	**(9.90)**	6.21	50.59	(44.38)
48	गनेड़ा टी.वी, पुष्कर	9.71	42.14	**(32.43)**	1.97	5.80	**(3.83)**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	12.04	**(12.04)**	11.68	59.98	(48.30)
49	खड़ताल, बाड़मेर	0.35	15.48	**(15.13)**	0.07	0.17	**(0.10)**	0.00	0.00	**0.00**	0.03	5.70	**(5.67)**	0.45	21.35	(20.90)
कुल (अ)		**6227.88**	**5154.09**	**1073.79**	**5628.47**	**5220.55**	**407.92**	**1913.01**	**1616.14**	**296.87**	**879.01**	**3439.30**	**(2560.29)**	**14648.37**	**15430.08**	**(781.71)**
(ब) विलासिता पर्यटक ट्रेन																
1	पैलेस ऑन व्हील्स													9933.37	5551.27	4382.10
2	हैरिटेज ऑन व्हील्स													137.97	207.35	(69.38)
3	रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स													4455.94	4468.54	(12.60)
कुल (ब)														**14527.28**	**10227.16**	**4300.12**
(स) परिवहन व पैकेज टूर																
1	पैकेज टूर, नई दिल्ली													2470.26	2346.63	123.63
2	यातायात इकाई, जयपुर													531.85	646.66	(114.81)
कुल (स)														**3002.11**	**2993.29**	**8.82**

अनुबन्ध-9

(अनुच्छेद संख्या 2.9 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित होटल्स/मोटल्स की परिचालनात्मक लाभदायकता को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	मोटल, बर	-13.24	-20.58	-24.09	-23.61	-20.65	-102.17	5
2	वृंदावति,बूंदी	-8.80	-7.13	-8.74	-7.27	-4.46	-36.39	5
3	चम्बल, कोटा	-7.74	-9.21	-11.76	-10.29	-11.15	-50.15	5
4	सरोवर, पुष्कर	-5.18	-7.29	-18.99	-10.34	-18.11	-59.91	5
5	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	-10.24	-6.66	-14.20	-15.46	-18.55	-65.11	5
6	ढ़ोलामारू, बीकानेर	-4.56	-16.72	-14.48	-11.73	-5.42	-52.91	5
7	हवेली, फतेहपुर	-6.67	-10.98	-18.04	-15.26	-16.09	-67.04	5
8	मोटल, रतनगढ़	-8.72	-10.22	-7.30	-9.13	-9.78	-45.15	5
9	मोटल, पोकरण	-4.80	-4.38	-8.81	-6.92	-1.30	-26.21	5
10	सारस, भरतपुर	-27.22	-29.38	-44.75	-33.93	-41.87	-177.15	5
11	मोटल, धौलपुर	-4.55	-6.07	-11.34	-12.33	-11.03	-45.32	5
12	झील रामगढ़, जयपुर	-6.01	-8.85	-14.91	-19.30	-17.11	-66.18	5
13	स्वागतम, जयपुर	-4.08	-24.70	-53.39	-37.51	-45.52	-165.20	5
14	मोटल, महुआ	-25.41	-27.20	-40.98	-49.56	-50.54	-193.69	5
15	मीनल, अलवर	-15.05	-18.78	-25.93	-9.34	-9.43	-78.53	5
16	दुर्ग कैफे, जयपुर	-16.96	-22.97	-32.62	-36.74	-39.07	-148.36	5
17	मोटल, शाहपुरा	-9.64	-9.36	-13.65	-10.80	-7.84	-51.29	5
18	लेक पैलेस, सिलीसेढ़	-9.51	-2.34	-11.24	-9.10	-10.84	-43.03	5
19	पन्ना, चित्तौड़	-2.21	-2.64	-18.33	-24.32	-20.89	-68.39	5
20	मोटल, देवगढ़	-6.47	-6.57	-9.56	-8.33	-12.97	-43.90	5
21	गोकुल, नाथद्वारा	-5.90	-3.89	-8.62	-12.38	-4.11	-34.90	5
22	शिल्पी, रणकपुर	-5.93	-7.01	-12.94	-11.72	-9.38	-46.98	5
23	मोटल, रतनपुर	-4.43	-6.53	-7.45	-11.43	-8.94	-38.78	5
24	गवरी, ऋषभदेव	-6.97	-10.07	-12.52	-15.81	-14.99	-60.36	5
25	होटल, झुंझुनू	-3.94	-4.00	-5.33	-2.02	-2.05	-17.34	5
26	मोटल, दौसा	-9.89	-10.36	-19.74	-17.76	-18.98	-76.73	5
27	चिरमी, चुरू	-5.09	-7.79	-8.62	-9.92	-9.44	-40.86	5
28	कुरजा, नागौर	-8.96	-7.26	-7.91	-8.43	-11.82	-44.38	5
29	खड़ताल, बाड़मेर	-3.60	-3.95	-3.63	-5.25	-4.47	-20.90	5
कुल		**-251.77**	**-312.89**	**-489.87**	**-455.99**	**-456.79**	**-1967.31**	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा(-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	पनिहारिन, पाली	-3.81	-6.22	-12.09	-11.27	3.05	-30.35	4
2	तीज, जयपुर	3.42	-5.06	-27.30	-31.11	-61.88	-121.93	4
3	चन्द्रावती, झालावाड	-0.23	1.37	-2.82	-3.65	-5.78	-11.11	4
कुल		**-0.62**	**-9.91**	**-42.21**	**-46.03**	**-64.61**	**-163.38**	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	गणगौर, जयपुर	55.21	32.78	-18.81	-23.46	-52.44	-6.72	3
2	यात्रिका, नाथद्वारा	-3.63	-3.17	-1.84	0.00	0.00	-8.64	3
3	गनेड़ा टी.वी.,पुष्कर	0.00	0.00	-21.43	-14.58	-12.29	-48.30	3
4	खड़ताल, बाड़मेर	-3.60	-3.95	-3.63	-5.25	-4.47	-20.90	3
कुल		**47.98**	**25.66**	**-45.71**	**-43.29**	**-69.19**	**-84.55**	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	सीजेबी, सवाईमाधोपुर	-1.80	0.32	-7.59	9.01	23.39	23.33	2
2	टूरिस्ट होटल, जयपुर	-37.01	-17.73	0.00	0.00	0.00	-54.74	2
3	टाइगर डेन, सरिस्का	-3.04	-1.18	0.41	3.95	3.02	3.16	2
4	मावठ, आमेर	-9.93	-2.83	0.00	0.00	0.00	-12.76	2
कुल		**-51.78**	**-21.42**	**-7.18**	**12.96**	**26.41**	**-41.02**	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	मूमल, जैसलमेर	17.33	7.00	17.81	27.93	-2.21	67.86	1
2	विनायक, सवाईमाधोपुर	0.97	4.50	-3.66	8.64	24.62	35.07	1
3	घूमर, जोधपुर	18.84	4.29	-8.02	31.48	6.37	52.96	1
4	गावड़ी, झालावाड़	1.50	5.38	-5.43	2.13	5.19	8.77	1
5	रैन बसेरा, झालावाड़	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78	1
कुल		**38.64**	**21.17**	**0.70**	**70.18**	**31.19**	**161.88**	

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/घाटा (-)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल	घाटे वाले वर्ष
1	समधणी, जैसलमेर	4.51	3.05	1.75	1.21	11.34	21.86	0
2	स्वादिम, अजमेर	32.78	44.83	46.21	55.07	61.20	240.09	0
3	मोटल, बहरोड़	117.89	102.35	251.83	204.18	98.56	774.81	0
4	शिखर, माऊन्ट आबू	13.86	13.85	8.35	27.51	49.74	113.31	0
5	कजरी, उदयुपर	19.02	22.51	14.05	51.23	34.88	141.69	0
कुल		**188.06**	**186.59**	**322.19**	**339.20**	**255.72**	**1291.76**	

अनुबन्ध-10

(अनुच्छेद संख्या 2.11 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान गतिविधि-वार बजटीय लक्ष्यों की उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

गतिविधि/वर्ष		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आवास	बजटीय आय	11.78	12.82	14.74	14.04	16.53
	बजटीय व्यय	6.38	7.32	8.76	10.67	12.41
	अधिशेष/(कमी)	**5.40**	**5.50**	**5.98**	**3.37**	**4.12**
	वास्तविक आय	11.15	11.72	11.80	13.48	14.12
	वास्तविक व्यय	7.28	8.67	10.94	12.10	12.56
	अधिशेष / (कमी)	**3.87**	**3.05**	**0.86**	**1.38**	**1.56**
खानपान	बजटीय आय	8.90	9.85	10.79	12.65	15.33
	बजटीय व्यय	7.09	8.09	8.76	10.35	12.78
	अधिशेष/(कमी)	**1.81**	**1.76**	**2.03**	**2.30**	**2.55**
	वास्तविक आय	8.73	9.30	11.68	14.07	12.50
	वास्तविक व्यय	8.17	8.76	10.30	12.33	12.64
	अधिशेष / (कमी)	**0.56**	**0.54**	**1.38**	**1.74**	**(0.14)**
बार	बजटीय आय	3.29	3.54	7.25	6.41	5.41
	बजटीय व्यय	2.48	2.62	6.05	4.75	3.95
	अधिशेष/(कमी)	**0.81**	**0.92**	**1.20**	**1.66**	**1.46**
	वास्तविक आय	2.62	2.54	4.33	5.13	4.51
	वास्तविक व्यय	2.23	2.13	3.86	4.36	3.58
	अधिशेष / (कमी)	**0.39**	**0.41**	**0.47**	**0.77**	**0.93**
यातायात व नौकायान	बजटीय आय	1.91	2.19	2.37	4.06	3.20
	बजटीय व्यय	1.64	1.86	2.11	2.78	2.40
	अधिशेष/(कमी)	**0.27**	**0.33**	**0.26**	**1.28**	**0.80**
	वास्तविक आय	1.53	1.48	5.26	16.47	6.89
	वास्तविक व्यय	1.72	1.66	5.18	15.62	6.65
	अधिशेष/(कमी)	**(0.19)**	**(0.18)**	**0.08**	**0.85**	**0.24**
पीओडब्ल्यू	बजटीय आय	19.20	19.55	26.00	22.00	21.50
	बजटीय व्यय	10.45	10.46	14.00	11.00	11.40
	अधिशेष/(कमी)	**8.75**	**9.09**	**12.00**	**11.00**	**10.10**
	वास्तविक आय	19.35	20.15	20.07	17.49	22.28
	वास्तविक व्यय	10.55	10.71	10.74	10.87	12.64
	अधिशेष/(कमी)	**8.80**	**9.44**	**9.33**	**6.62**	**9.64**
आरआरओडब्ल्यू	बजटीय आय	-	13.70	15.50	15.00	20.60
	बजटीय व्यय	-	8.92	15.79	15.20	20.33
	अधिशेष/(कमी)	**-**	**4.78**	**(0.29)**	**(0.20)**	**0.27**
	वास्तविक आय	-	0.97	12.64	14.42	16.53
	वास्तविक व्यय	-	2.52	13.26	14.30	14.60
	अधिशेष/(कमी)	**-**	**(1.55)**	**(0.62)**	**0.12**	**1.93**

अनुबन्ध-11

(अनुच्छेद संख्या 2.12 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान आवास गतिविधि से इकाई-वार लाभदायकता को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ लाख में)

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/(घाटा)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग	घाटे वाले वर्ष
1	मोटल, बर	(1.10)	(1.48)	(2.12)	(0.21)	(2.68)	(7.59)	5
2	वृंदावति,बूंदी	(5.38)	(3.65)	(5.68)	(4.84)	(1.91)	(21.46)	5
3	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	(1.72)	(1.78)	(6.02)	(9.34)	(7.41)	(26.27)	5
4	हवेली, फतेहपुर	(2.43)	(3.50)	(4.72)	(7.19)	(8.54)	(26.38)	5
5	मोटल, रतनगढ़	(2.74)	(4.17)	(2.92)	(4.58)	(5.87)	(20.28)	5
6	सारस, भरतपुर	(6.30)	(10.49)	(10.54)	(10.00)	(15.64)	(52.97)	5
7	मोटल, धौलपुर	(2.64)	(4.10)	(7.90)	(9.45)	(8.51)	(32.60)	5
8	झील रामगढ़, जयपुर	(0.55)	(2.09)	(9.19)	(12.70)	(9.12)	(33.65)	5
9	मोटल, महुआ	(3.74)	(4.03)	(5.87)	(7.85)	(8.11)	(29.60)	5
10	मोटल, शाहपुरा	(4.06)	(5.83)	(5.55)	(6.62)	(1.30)	(23.36)	5
11	लेक पैलेस, सिलीसेढ़	(0.77)	(1.31)	(3.34)	(2.52)	(2.97)	(10.91)	5
12	मोटल, देवगढ़	(1.37)	(1.46)	(1.11)	(2.05)	(2.08)	(8.07)	5
13	शिल्पी, रणकपुर	(1.24)	(3.14)	(3.19)	(1.42)	(2.29)	(11.28)	5
14	गवरी, ऋषभदेव	(0.69)	(2.35)	(4.00)	(6.17)	(8.89)	(22.10)	5
15	होटल, झुंझुनू	(3.14)	(3.35)	(4.34)	(3.84)	(5.57)	(20.24)	5
16	चिरमी, चुरू	(3.13)	(5.93)	(7.20)	(8.37)	(8.00)	(32.63)	5
17	कुरजा, नागौर	(4.32)	(4.69)	(4.98)	(4.97)	(7.96)	(26.92)	5
18	खड़ताल, बाड़मेर	(2.34)	(2.80)	(2.22)	(4.18)	(3.59)	(15.13)	5
19	चम्बल, कोटा	1.41	(0.99)	(2.00)	(1.48)	(1.71)	(4.77)	4
20	मोटल, पोकरण	(0.78)	(1.07)	(2.51)	(3.47)	6.35	(1.48)	4
21	मोटल, रतनपुर	(4.89)	(6.79)	(7.51)	(6.42)	1.04	(24.57)	4
22	सरोवर, पुष्कर	7.53	3.93	(7.71)	(0.37)	(1.24)	2.14	3
23	ढ़ोलामारू, बीकानेर	5.14	1.88	(10.88)	(9.79)	(1.41)	(15.06)	3
24	पनिहारिन, पाली	3.10	(0.44)	(1.23)	(4.41)	5.21	2.23	3
25	स्वागतम, जयपुर	20.46	6.82	(20.96)	(11.91)	(12.56)	(18.15)	3
26	मीनल, अलवर	(5.86)	(9.26)	(7.38)	2.41	2.16	(17.93)	3
27	पन्ना, चित्तौड़गढ़	5.29	1.40	(8.18)	(12.95)	(11.03)	(25.47)	3
28	गोकुल, नाथद्वारा	(0.74)	1.20	(3.53)	(4.99)	1.68	(6.38)	3
29	यात्रिका, नाथद्वारा	(2.37)	(2.01)	(1.27)	सं.न.	सं.न.	(5.65)	3

क्र सं.	इकाई का नाम	अधिशेष/(घाटा)						
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल योग	घाटे वाले वर्ष
30	गनेड़ा,टी.वी.,पुष्कर	सं.न.	सं.न.	(14.11)	(8.65)	(9.67)	(32.43)	3
31	तीज, जयपुर	43.93	34.25	2.50	(5.00)	(22.79)	52.89	2
32	टूरिस्ट होटल, जयपुर	(18.06)	(9.42)	सं.न.	सं.न.	सं.न.	(27.48)	2
33	चन्द्रावती, झालावाड	1.18	2.09	0.01	(0.90)	(3.20)	(0.82)	2
34	समधणी, जैसलमेर	4.94	1.90	4.19	(0.21)	9.68	20.50	1
35	मोटल, दौसा	0.37	0.42	1.15	(1.64)	0.36	0.66	1
36	रैन बसेरा, झालावाड़	सं.न.	सं.न.	सं.न.	सं.न.	(1.90)	(1.90)	1
37	स्वादिम, अजमेर	50.14	54.27	43.34	43.69	55.97	247.41	0
38	मूमल, जैसलमेर	32.69	23.20	30.67	32.81	10.15	129.52	0
39	घूमर, जोधपुर	60.75	51.80	23.17	42.73	31.35	209.80	0
40	गणगौर, जयपुर	85.74	77.77	23.26	18.54	7.57	212.88	0
41	सीजेबी, सवाईमाधोपुर	10.95	8.83	11.79	18.80	27.77	78.14	0
42	विनायक, सवाईमाधोपुर	10.71	11.59	12.31	20.95	31.92	87.48	0
43	मोटल, बहरोड़	31.43	24.95	24.53	18.78	14.96	114.65	0
44	दुर्ग कैफे, जयपुर	2.99	1.50	0.81	0.33	0.83	6.46	0
45	टाइगर डेन, सरिस्का	7.96	8.90	13.42	14.51	14.74	59.53	0
46	शिखर, माऊन्ट आबू	32.27	28.62	36.42	44.45	60.71	202.47	0
47	कजरी, उदयुपर	43.89	47.52	35.84	52.26	42.81	222.32	0
48	गावड़ी, झालावाड़	4.32	8.56	1.50	6.81	7.03	28.22	0

सं.न. संचालित नहीं

अनुबन्ध-12

(अनुच्छेद संख्या 2.29 में संदर्भित)

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं, स्वीकृत राशि, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कम्पनी को जारी की गई राशि, उपयोग की गई राशि एवं परियोजनाओं की पूर्णता स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा परियोजना को स्वीकृत किये जाने की तिथि	स्वीकृत राशि	पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई राशि	कम्पनी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य	31.03.13 तक परियोजना पर किया गया कुल व्यय	स्वीकृति के अनुसार परियोजना की पूर्णता तिथि	परियोजना की पूर्णता तिथि	परियोजना की पूर्णता में देरी (माह में)
1.	मेवाड़ परिसर का विकास, हल्दीघाटी	02 दिसम्बर 2003	2.48	2.48	2.48	2.48	उ.न.	10 सितम्बर 2008	-
2.	एनसीआर पर्यटक सर्किट का विकास	15 फरवरी 2005	7.38	5.26	5.55	5.08	14 फरवरी 2007	31 अक्टूबर 2010	44
3.	हाड़ौती क्षेत्र पर्यटक सर्किट का विकास	22 फरवरी 2005	7.25	5.03	5.51	4.68	21 फरवरी 2007	31 मार्च 2009	25
4.	मेवाड़ बागड़ सर्किट का एकीकृत विकास	20 दिसम्बर 2005	5.80	4.12	4.38	3.83	19 जून 2007	18 अप्रैल 2009	22
5.	पुष्कर(अजमेर) का एकीकृत विकास	28 दिसम्बर 2005	4.68[1]	2.86	3.39	2.90	27 दिसम्बर 2007	28 अक्टूबर 2009	22
6.	बृज भूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास	28 दिसम्बर 2005	4.77	4.09	4.77	3.66	27 दिसम्बर 2007	16 मई 2010	28
7	स्मारकों की फ्लड लाईटिंग का विकास	13 अगस्त 2007	8.00	7.56	8.00	7.43	12 अगस्त 2009	21 जुलाई 2008	--
8	शेखावाटी का विकास	20 नवम्बर 2007	7.54	5.02	7.54	4.50	19 नवम्बर 2009	30 सितम्बर 2012	34
9	अजमेर-पुष्कर का एक बढ़े पर्यटक स्थल के रूप में विकास	20 फरवरी 2009	3.01	2.10	2.84	2.12	19 फरवरी 2012	14 अगस्त 2011	--
10	आरटीडीसी की वे-साइड सुविधाओं का निर्माण	22 मार्च 2010	6.06	4.00	6.06	4.00	17 मई 2011	31 अगस्त 2011	03

1 ₹ 4.34 करोड़ दिसम्बर 2005 में स्वीकृत किये गये एवं ₹ 0.34 करोड़ सितम्बर 2009 में स्वीकृत किये गये।

अनुबन्ध-13

(अनुच्छेद संख्या 3.6 में संदर्भित)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कोष के स्रोत					
अंश पूँजी	86.52	110.08	110.08	110.08	135.73
संचय व अधिशेष	60.70	60.70	61.70	62.70	268.16
बाण्डस व ऋणपत्र	124.80	111.88	74.95	31.50	300.00
उधारियाँ	664.90	667.08	690.79	638.61	52.45
जमा	59.77	72.00	82.44	95.31	89.68
अन्य दायित्व	188.66	189.27	187.70	194.39	193.06
प्रावधान	32.21	28.13	37.27	14.41	27.06
कुल योग	**1217.56**	**1239.14**	**1244.93**	**1147.00**	**1066.14**
कोषों का उपयोग					
नकद व बैंक शेष	57.32	54.45	72.84	32.40	97.22
निवेश	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
ऋण व अग्रिम	998.74	917.15	924.27	888.27	731.41
स्थायी सम्पत्तियाँ	3.34	3.20	3.16	3.12	2.95
अन्य सम्पत्तियाँ	103.48	105.12	107.89	91.32	103.36
लाभ व हानि विनियोग खाता (संचित हानियाँ)	53.58	158.12	135.67	130.79	130.10
कुल योग	**1217.56**	**1239.14**	**1244.93**	**1147.00**	**1066.14**

कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय					
परिचालन से आय	133.72	128.76	131.86	128.03	111.63
अन्य आय	5.94	5.13	6.60	5.51	12.38
कुल योग (अ)	**139.66**	**133.89**	**138.46**	**133.54**	**124.01**
व्यय					
ब्याज व्यय	76.52	72.80	69.57	70.73	35.69
अन्य वित्तीय व्यय	13.69	11.29	7.63	5.90	7.44
कार्मिक व्यय	37.32	44.42	45.27	49.73	54.44
प्रशासनिक व्यय	3.14	3.18	3.01	2.28	13.56
कुल योग (ब)	**130.67**	**131.68**	**125.48**	**128.64**	**111.13**
परिचालन लाभ (स = अ-ब)	**8.99**	**2.21**	**12.98**	**4.90**	**12.88**
प्रावधान					
एनपीए हेतु प्रावधान/(वापसी लेखा)	1.00	104.76	(21.64)	(6.95)	(10.21)
सेवानिवृत्ति परिलाभों हेतु प्रावधान	5.00	2.00	10.00	3.64	15.00
मानक सम्पत्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान (आरक्षित)	0.15	(0.17)	0.16	1.96	(0.32)
कुल प्रावधान (द)	6.15	106.59	(11.48)	(1.35)	4.47
कर पूर्व लाभ/हानि **(स-द)**	2.84	(104.38)	24.46	6.25	8.41
घटायें: कर हेतु प्रावधान	0.48	0.16	1.01	0.37	5.01
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**2.36**	**(104.54)**	**23.45**	**5.88**	**3.40**

अनुबन्ध-14

(अनुच्छेद संख्या 3.14 में संदर्भित)

राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 26, 29, 30, 31 एवं 32-जी के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

धारा 26 समायोजन की सीमा

राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 को लागू किये जाने पर एवं से, धारा 25 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ए), (डी) अथवा (एच) के तहत वित्त निगम किसी औद्योगिक इकाई के साथ किन्हीं व्यवस्थाओं में नहीं जा सकता जो कि ऐसी सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उस इकाई के अंशों व स्कन्ध, चाहे आवेदित हो अथवा आवेदन करने हेतु सहमति हो, के अंकित मूल्य की राशि सहित, अभिगोपन अनुबन्धों एवं आस्थगित भुगतान गारण्टियों के पेटे बकाया दायित्व की कुल राशि निम्न से अधिक होः

(1) किसी कानून के तहत अथवा द्वारा स्थापित निगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में परिभाषित एक कम्पनी अथवा सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या तत्समय सहकारी समिति से सम्बद्ध कोई अन्य प्रवृत्त कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के मामले में पाँच सौ लाख रुपये; एवं

(2) किसी अन्य मामलों में दो सौ लाख रुपयेः

बशर्ते कि वित्त निगम ने लघु औद्योगिक बैंक की पूर्व अनुमति से वाक्यांश (1) अथवा (2) के तहत सीमा चार गुणा तक बढ़ा दी हो।

धारा 29 चूक के मामले में वित्त निगम के अधिकार

(1) जहाँ कोई औद्योगिक इकाई, जो कि एक अनुबन्ध के तहत वित्त निगम के प्रति उत्तरदायी है, किसी ऋण या अग्रिम या उसकी कोई किश्त के पुनर्भुगतान में चूक करने पर अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में इसकी बाध्यताओं की पूर्ति करने में अथवा वित्त निगम के साथ हुये इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर, वित्त निगम को औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन अपने हाथ में लेने अथवा अधिग्रहण अथवा दोनों के अधिकार के साथ ही साथ लीज या विक्रय द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार एवं वित्त निगम को रेहन, गिरवी, बन्धक या सुपुर्द की गई सम्पत्ति से वसूली का अधिकार है।

(2) उप-धारा (1) के तहत इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वित्त निगम द्वारा किये गये सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण से हस्तान्तरित सम्पत्ति में सभी अधिकार, जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी द्वारा किये गये हस्तान्तरण में था, हस्तान्तरिती में निहित होंगे।

(3) वित्त निगम को इसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में रखे गये माल से, निर्मित अथवा पूर्ण या आंशिक उत्पादित माल के सम्बन्ध में वही अधिकार व शक्तियाँ होगी, जैसा कि यह मूल माल के सम्बन्ध में रखता था।

(4) जहाँ उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी औद्योगिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो, सभी लागतें, प्रभार एवं व्यय, जो कि उस तक प्रासंगिक रूप में, वित्त निगम की राय में इसके द्वारा उचित रूप से किये गये हों, औद्यौगिक इकाई से वसूलनीय होंगे एवं राशि

जोकि इसके द्वारा प्राप्त की गई हो, किसी संविदा की प्रतिकूलता के अभाव में, इसके द्वारा सद्-विश्वास में रखी जायेगी जो कि प्रथमतः ऐसी लागतों, प्रभारों एवं व्ययों के भुगतान में, एवं द्वितीय वित्त निगम को देय ऋण के निस्तारण में, एवं ऐसी प्राप्त राशि का शेष इसके हकदार व्यक्ति को भुगतान किया जायेगा।

(5) जहाँ वित्त निगम उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत एक औद्योगिक इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वित्त निगम इकाई द्वारा अथवा इसके विरुद्ध मुकदमे के उद्देश्य हेतु ऐसी इकाई का स्वामी होगा, एवं इकाई के नाम से मुकदमा कर सकेगा तथा इस पर मुकदमा किया जा सकेगा।

धारा 30 नियत अवधि से पूर्व पुनर्भुगतान मांगे जाने की शक्ति

किसी अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य होने के बावजूद, वित्त निगम लिखित में नोटिस द्वारा, किसी औद्योगिक इकाई को, जिसे इसने ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, वित्त निगम के प्रति इसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से तुरन्त निस्तारण करने हेतु कह सकता है,

(ए) यदि मण्डल को यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा, इसके ऋण अथवा अग्रिम के आवेदन-पत्र में, किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, असत्य अथवा भ्रामक सूचना दी गई है; अथवा

(बी) यदि औद्योगिक इकाई, वित्त निगम के साथ ऋण अथवा अग्रिम के मामले में, इसकी संविदा की शर्तों की अनुपालना में असफल रहती है; अथवा

(सी) यदि इस बात की तर्कसंगत आशंका है कि औद्योगिक इकाई इसके ऋणों के भुगतान में असमर्थ है अथवा उसके समापान की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकती है; अथवा

(डी) यदि वित्त निगम को ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में रेहन, गिरवी, बन्धक या सुपुर्द की गई सम्पत्ति का बीमा नहीं है एवं वित्त निगम की सन्तुष्टि हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा बीमित नहीं रखी गई है अथवा इस सीमा तक कीमतों में ह्रास हुआ है कि मण्डल की राय में, मण्डल की सन्तुष्टि हेतु और प्रतिभूति देनी चाहिये एवं ऐसी प्रतिभूति नहीं दी गई हो; अथवा

(ई) यदि, मण्डल की अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र अथवा अन्य उपकरण, जो प्रतिभूति अथवा अन्यथा के भाग के रूप में हों, बिना पुर्नस्थापना के औद्योगिक इकाई के परिसर से हटा दिये गये हों; अथवा

(एफ) यदि किसी कारण से, वित्त निगम के हितों की सुरक्षा हेतु यह आवश्यक हो।

धारा 31 वित्त निगम द्वारा दावों के प्रवर्तन हेतु विशेष प्रावधान

जहाँ एक औद्योगिक इकाई, किसी अनुबन्ध के उल्लंधन में, किसी ऋण अथवा अग्रिम अथवा इसकी किसी किश्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक करती है अथवा निगम द्वारा दी गई किसी गारण्टी के सम्बन्ध में बाध्यता की पूर्ति करने में अथवा वित्त निगम के साथ इसके अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में अन्यथा विफल रहने पर अथवा जहाँ वित्त निगम ने धारा 30 के तहत औद्योगिक इकाई को किसी ऋण या अग्रिम के तुरन्त पुनर्भुगतान करने हेतु कहा हो एवं औद्योगिक इकाई ऐसा पुनर्भुगतान करने में असफल रही हो, तब इस अधिनियम की

धारा 29 के प्रावधानों एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के प्रावधानों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना वित्त निगम का कोई अधिकारी, इस सम्बन्ध में मण्डल द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से अधिकृत, जिला न्यायधीश, जिसके अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर औद्योगिक इकाई इसके व्यवसाय का सम्पूर्ण अथवा सारभूत भाग संचालित करती है, के पास एक अथवा अधिक राहतों, मुख्य रूप से निम्नलिखित, हेतु निवेदन कर सकता है;

(ए) ऋण अथवा अग्रिम हेतु प्रतिभूति के रूप में, वित्त निगम के पास रेहन, गिरवी, बन्धक या सुर्पुद की गई सम्पत्ति के विक्रय के लिये आदेश हेतु; अथवा

(एए) किसी प्रतिभू के दायित्व के प्रवर्तन हेतु; अथवा

(बी) औद्योगिक इकाई का प्रबन्धन वित्त निगम को हस्तान्तरित करने हेतु; अथवा

(सी) औद्योगिक इकाई को इसकी मशीनरी या संयंत्र या उपकरण मण्डल की अनुमति के बिना औद्योगिक इकाई के परिसर से हस्तान्तरित करने अथवा हटाने से प्रतिबन्धित करने हेतु अन्तरिम आदेश हेतु, जहाँ इसे हटाये जाने की आशंका हो।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन में, वित्त निगम के प्रति औद्योगिक इकाई के दायित्व की प्रकृति एवं सीमा, आवेदन पत्र का आधार एवं अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे।

32जी वित्त निगम को देय राशि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली

जहाँ वित्त निगम द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को प्रदान किये गये समायोजन के सम्बन्ध में इसको कोई राशि देय है, वित्त निगम अथवा इसके द्वारा, इस सम्बन्ध में लिखित में, अधिकृत कोई व्यक्ति, वसूली के किसी अन्य तरीके पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना इसको देय राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा, एवं यदि राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया हो, ऐसी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् सन्तुष्ट है तो देय राशि हेतु यह जिलाधीश को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा एवं जिलाधीश उस राशि को भू-राजस्व का बकाया के रूप में वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा।

अनुबन्ध-15

(अनुच्छेद संख्या 3.17 एवं 3.18 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 को अधिग्रहित इकाईयों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र

पाँच वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	उधारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतायें				नवीनतम एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल		
1	जयपुर (शहर)	होटल सूर्य महल पैलेस	4 मई 2012	83.28	330.45	2.54	416.27	1325.22	
2	अलवर	ए एण्ड वी ग्लास इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, अलवर	10 जुलाई 2012	57.45	7.16	0.05	64.66	122.59	
3	उदयपुर	जैन बन्धु स्नेह रिसोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड	19 नवम्बर 2012	241.54	305.01	0.04	546.59	1467.45	
4	जयपुर (ग्रामीण)	बालाजी डेयरी	1 नवम्बर 2012	14.00	1.12	0.02	15.14	38.36	
5	भिवाड़ी	रैप्स हाईजिन (इंडिया) लिमिटेड	28 मार्च 2013	37.50	708	0.08	745.58	101.04	644.54
6	वीकेआईए	शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज	मार्च 2013	55.52	1.69	0.30	57.51	92.9	
7	टोंक	ब्लैक बंजारा मोटल	15 सितम्बर 2011	120.92	10.04	0.43	131.39	526.6	
8	जयपुर (ग्रामीण)	कंचन डेयरी फूड प्रोडक्टस, जयपुर	28 मार्च 2012	11.02	0.54	0.06	11.62	71.59	
9	भीलवाड़ा	केशव इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	11 अप्रैल 2008	478.15	178.10	21.64	677.89	337	340.89
10	जोधपुर (ग्रामीण)	पारस ऑयल इण्डस्ट्रीज, जोधपुर	18 नवम्बर 2008	30.88	19.07	0	49.95	160.11	
11	जयपुर (शहर)	कृष्णा विला प्राईम अपार्टमेण्ट (प्राईवेट) लिमिटेड, जयपुर	15 जनवरी 2010	900.00	877.42	25.16	1802.58	2987.82	
12	भरतपुर	भरतपुर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	4 फरवरी 2010	15.15	139.24	0.08	154.47	14.36	140.11
13	जयपुर (शहर)	रूबी बिल्ड एस्टेट (प्राईवेट) लिमिटेड, जयपुर	23 फरवरी 2010	240.00	213.32	4.68	458.00	530	
14	जयपुर (शहर)	अमय होम सर्विसेज, जयपुर	23 मार्च 2010	725.52	707.30	4.14	1436.96	1498.47	
15	बालोतरा	रोशन पीवीसी इण्डस्ट्रीज, बाड़मेर	21 अक्टूबर 2010	9.28	16.00	2.41	27.69	6.44	21.25
16	भिवाड़ी	डी. पी. स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	15 नवम्बर 2010	1.94	10.03	0.77	12.74	225.53	
कुल योग				**3022.15**	**3524.49**	**62.40**	**6609.04**	**9505.48**	**1146.79**

पाँच से 10 वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	उधारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतायें				नवीनतम एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल		
1	भिवाड़ी	मयूर फरोज प्लास्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, भिवाड़ी	8 दिसम्बर 2003	82.15	41.80	4.56	128.51	76.42	52.09
2	बीकानेर	बी. आदित्य मल्टी प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड	11 दिसम्बर 2003	8.57	4.54	0.31	13.42	42.65	
3	उदयपुर	मैसर्स राज कुमार झा	23 जनवरी 2004	8.00	15.05	1.36	24.41	51.33	
4	भरतपुर	श्री अंबिका स्टोन क्रशर, भरतपुर	31 जनवरी 2004	14.36	6.95	3.34	24.65	17.64	7.01
5	जोधपुर	मैसर्स श्री कैम	21 जून 2005	8.63	23.58	4.03	36.24	118.9	
6	डूंगरपुर	मैसर्स मिलाप यादव, सिमलवाड़ा	19 नवम्बर 2005	16.77	9.47	0.00	26.24	1.3	24.94
7	सीकर	सिराधना ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, भगेगा	6 दिसम्बर 2005	0.47	4.72	0.44	5.63	1.1	4.53
8	जयपुर (ग्रामीण)	रवा सीमेण्ट प्राईवेट लिमिटेड	30 जनवरी 2006	49.76	28.72	3.77	82.25	58.25	24.00
9	बारां	जैन प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, बारां	9 नवम्बर 2006	3.76	0.09	0.25	4.10	8.27	
10	जालौर	मैसर्स शांति ऑयल्स, जालौर	11 जनवरी 2007	7.34	33.20	0.97	41.51	12.73	28.78
11	पाली	मैसर्स मनोहर लाईम	31 जनवरी 2007	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	20.5	
12	जयपुर (सीतापुरा)	अनुराग प्लास्टिक प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड, सीतापुरा	17 अगस्त 2007	32.72	29.33	2.11	64.16	91.36	
13	बारां	निरोग धाम हास्पिटल	5 दिसम्बर 2007	1.84	1.89	0.14	3.87	3.7	0.17
14	हनुमानगढ़	मैसर्स सिंघल टायर कम्पनी	1 मार्च 2008	6.22	3.62	0.12	9.96	4.07	5.89
15	बारां	मैसर्स जैन प्लास्टिक, बारां	26 मार्च 2008	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	7.05	
कुल				**240.59**	**202.96**	**21.40**	**464.95**	**515.27**	**147.41**

10 से 20 वर्षों तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	उधारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतायें				नवीनतम एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल		
1	अलवर	मैसर्स नेशनल गारनेटिंग	15 अप्रैल 1993	5.14	5.85	3.04	14.03	58.15	
2	उदयपुर	राजस्थान ग्लाईसोल	4 जनवरी 1994	44.77	10.67	0.50	55.94	414	
3	भीलवाड़ा	भारत सीमेण्ट पाईप फैक्टरी	21 जनवरी 1994	1.85	4.12	2.28	8.25	5.55	2.70
4	धौलपुर	उपेन्द्र कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्टरी, धौलपुर	21 अप्रैल 1995	22.03	25.21	1.10	48.34	31.22	17.12
5	आबू रोड	शिखर पॉलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1 अगस्त 1995	28.82	33.89	0.32	63.03	उ.न.	-
6	डूंगरपुर	जोशी मार्बल	19 दिसम्बर 1995	2.47	1.06	1.06	4.59	1.15	3.44
7	बांसवाड़ा	नफीस ग्रेनाईट, परतापुर, बांसवाड़ा	30 अगस्त 1996	6.85	0	0.25	7.10	0.4	6.70
8	मकराना	पहाड़िया मार्बल	11 मई 1997	0	0	0.12	0.12	19.13	
9	बांसवाड़ा	के. टी. मार्बल	18 नवम्बर 1997	8.46	0.27	0.83	9.56	2.8	6.76
10	मकराना	कृष्णा ऑयल मिल, नावां	28 जुलाई 1998	2.72	8.81	1.44	12.97	3.31	9.66
11	अजमेर	प्रकाश उद्योग, अजमेर	21 अक्टूबर 1999	1.64	2.61	4.29	8.54	21.45	
12	आबू रोड	चन्द्रावती मधुबन होटल, आबू रोड	28 नवम्बर 2000	0.00	0.00	0.02	0.02	27.02	
13	जयपुर (शहर)	आमेर केबिल, जयपुर	15 दिसम्बर 2000	83.03	60.72	21.25	165.00	42.4	122.60
14	राजसमंद	बलदेव मिनरल प्राईवेट लिमिटेड, राजसमंद	11 अक्टूबर 2001	7.46	4.81	6.80	19.07	47.16	
कुल				**215.24**	**158.02**	**43.30**	**416.56**	**673.74**	**168.98**

20 वर्षों से अधिक तक अधिग्रहण में रही इकाईयाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	उधारकर्ता इकाई का नाम	अधिग्रहण की तिथि	बकाया देयतायें				नवीनतम एमआरवी	बकाया देयताओं से एमआरवी में कमी
				मूलधन	ब्याज	अन्य राशि	कुल		
1	भीलवाड़ा	डिवाईन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	2 नवम्बर 1987	11.34	13.26	1.44	26.04	148.97	
2	जयपुर (शहर)	प्रीमियर मेटल इण्डस्ट्रीज, जयपुर	9 सितम्बर 1988	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	450	
3	सीकर	शेखावाटी ग्वार गम इण्डस्ट्रीज, सीकर	5 अक्टूबर 1988	2.37	2.72	0.40	5.49	1.1	4.39
4	अलवर	अमलोक इंजीनियरिंग वर्क्स	6 अक्टूबर 1988	7.27	22.48	0.84	30.59	222.6	
5	वीकेआईए	मैसर्स खन्ना बिल्डर्स	23 अक्टूबर 1990	0.01	0	0.14	0.15	390.5	
6	टोंक	मैसर्स पारस कंस्ट्रक्शन, टोंक	5 जनवरी 1993	4.50	3.51	1.30	9.31	8.68	0.63
कुल				**25.49**	**41.97**	**4.12**	**71.58**	**1221.85**	**5.02**

वर्ष वार स्थिति का सांराश

5 वर्षों तक	**16**	**3022.15**	**3524.49**	**62.40**	**6609.04**	**9505.48**	**1146.79**
5 से 10 वर्ष	**15**	**240.59**	**202.96**	**21.40**	**464.95**	**515.27**	**147.41**
10 से 20 वर्ष	**14**	**215.24**	**158.02**	**43.30**	**416.56**	**673.74**	**168.98**
20 वर्षों से अधिक	**6**	**25.49**	**41.97**	**4.12**	**71.58**	**1221.85**	**5.02**
समग्र योग	**51**	**3503.47**	**3927.44**	**131.22**	**7562.13**	**11916.34**	**1468.20**

अनुबन्ध-16
(अनुच्छेद संख्या 3.20 में संदर्भित)

वसूली प्रक्रियाओं में कमियों को उजागर करने वाले प्रकरण अध्ययनों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

एनएलपी आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी निगम ने ₹ 37.30 लाख का ऋण स्वीकृत किया (फरवरी 1987 व फरवरी 1988) एवं ₹ 31.34 लाख (जून 1989 तक) का वितरण किया। पुनर्भुगतान में चूक करने पर एवं उधारकर्ता द्वारा अनेक बार की गई प्रतिबद्धताओं की अनुपालना नहीं किये जाने पर, अंततः इकाई का अधिग्रहण अप्रैल 2010 में किया गया था एवं ₹ 5.69 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष प्राथमिक संपत्तियों को ₹ 2.71 करोड़ के प्रतिफल में विक्रय किया गया (मार्च 2011)। निगम ने विलम्ब से (जनवरी 2013) प्रवर्तकों की संपत्तियों एवं पते की पहचान की। तथापि, ₹ 2.98 करोड़ की शेष बकाया राशि की वसूली हेतु अनुच्छेद 32-जी के तहत कोई कार्यवाही नहीं की (जून 2013) गयी थी। सरकार ने अधिग्रहण में एवं शेष बकाया राशि की वसूली में विलम्ब के तथ्यों को स्वीकार किया। तथापि, इसने कहा कि उधारकर्ता को एक नवीन वैधानिक नोटिस जारी किया गया था एवं यदि देयताओं का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, देयताओं की वसूली हेतु आरओडी जिलाधीश को अग्रेषित की जायेगी।
सितारा सीमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 'घाटे के प्रकरणों/डिक्री के प्रकरणों/अपलिखित प्रकरणों के निपटान हेतु योजना 2008-09' में प्रावधान है कि ऐसे मामलों जिनमें प्राथमिक संपत्तियाँ विक्रय कर दी गई थी एवं कोई समानान्तर प्रतिभूति उपलब्ध नहीं थी तथा प्रवर्तकों/जमानतियों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब थी, का निपटान शेष बकाया राशि के मूलधन तत्व, अन्य राशि एवं पाँच प्रतिशत वसूली प्रभार शुल्क पर किया जा सकता है, जहाँ प्रकरण अनुच्छेद 32(जी) के तहत सम्बन्धित जिलाधीश के पास दर्ज करवा दिये गये थे। निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 32-जी के तहत ₹ 87.03 लाख की शेष बकाया राशि, जो प्राथमिक संपत्तियों को ₹ 29.11 लाख के प्रतिफल में विक्रय (मार्च 2003) करने के उपरांत शेष रही, की वसूली हेतु मांग पत्र जिलाधीश के समक्ष दर्ज करवाया। तथापि निगम ने, शाखा कार्यालय द्वारा प्रवर्तकों की संपत्तियों की बाजार कीमत ₹ 1.30 करोड़ सूचित (मार्च 2009) करने के बावजूद प्रकरण का निपटान मात्र ₹ 35 लाख में किया (मई 2009)। साथ ही, योजना के अनुसार ₹ 69.97 लाख की न्यूनतम राशि वसूल की जानी थी। इसके अलावा, निगम ने राजस्थान सरकार की नीति (1990) के तहत प्रदान की गई (मई 1994 एवं अप्रैल 1996) ₹ 18.49 लाख की निवेश अर्थ-साहाय्य, जो इकाई के पाँच वर्षों से कम अवधि तक उत्पादन करने पर वसूलनीय थी, की भी वसूली नहीं की थी। इस प्रकार, निगम ने निर्धारित नियमों के उल्लंघन में प्रकरण का निपटान कर ₹ 53.46 लाख की कम वसूली की थी। सरकार ने कहा कि प्रकरण का निपटान प्रवर्तक की सम्पत्तियों को चिन्हित करने में कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये किया गया था। साथ ही, राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन भी प्रदान किया गया था। तथ्य यही रहा कि निगम ने प्रकरण के निपटान में इसके स्वयं के नियमों का उल्लंघन किया।

घाना कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, भरतपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट के निर्देशों (दिसम्बर 1995) पर इकाई[1] को उत्पादन गतिविधियाँ प्रारम्भ होने से पूर्व ही बंद कर दिया गया था। तथापि, निगम ने ₹ 2.99 लाख की अंतिम किश्त का वितरण किया (फरवरी 1996) जिससे कुल वितरित राशि ₹ 17.61 लाख हो गई। पुनर्भुगतान में चूक करने एवं धारा 29 व 30 के तहत जारी किये गये नोटिसों (अगस्त 2000) की अनुपालना नहीं करने पर, निगम ने धारा 31(1)(एए) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की। जिला न्यायालय ने 1 जनवरी 2001 को ₹ 40.07 लाख की बकाया देयताओं के साथ पुनर्भुगतान किये जाने तक 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की वसूली हेतु निगम के पक्ष में आदेश जारी किया (अप्रैल 2004)। उधारकर्ता ने डिक्री आदेश की पालना नहीं की थी एवं निगम ने डिक्री आदेश के निष्पादन हेतु एक आवेदन पत्र दायर किया (सितम्बर 2005)। जबकि आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष लंबित था, निगम की प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति ने प्रकरण का निपटान ₹ 113.86 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 25 लाख (सात किश्तों में देय) में कर दिया (जुलाई 2008)। इस प्रकार, प्रकरण का न्यायालय से बाहर निपटारा करने के कारण निगम ने ₹ 88.86 लाख की कम वसूली की, इसके अलावा नये उद्यमों हेतु राज्य पूँजी निवेश अर्थ-साहाय्य योजना (1990) के अनुसार उधारकर्ता को प्रदान की गई अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 4.36 लाख (बिना ब्याज के), जो कि इकाई के लगातार पाँच वर्षों तक उत्पादन में नहीं रहने पर वसूलनीय थी, की भी वसूली नहीं की गयी थी।

सरकार ने कहा कि मूल टाईटिल डीड जारी नहीं की गई थी एवं ब्याज के साथ अर्थ-साहाय्य की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। तथापि, उत्तर न्यायालय से बाहर निपटान किये जाने के कारण कम वसूली के मुद्दे पर मौन था।

भरतपुर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

निगम ने ₹ 20 लाख की स्वीकृति (सितम्बर 1995) के समक्ष ₹ 17.23 लाख के कोष वितरित किये (फरवरी 1996 तक)। राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार ₹ 4.64 लाख की निवेश अर्थ-साहाय्य भी वितरित की गई थी (मार्च 1997)। चूक करने पर धारा 29 व 30 के तहत वैधानिक नोटिस जारी किये गये थे (जनवरी 1998) परन्तु न तो उधारकर्ता द्वारा राशि जमा करवायी गई थी एवं न ही निगम द्वारा कब्जा लिया गया था जिसके कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये। प्रारम्भ में उधारकर्ता निपटान के समय (मार्च 2001) ₹ 33.05 लाख की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 15.90 लाख के भुगतान हेतु सहमत था। तथापि, इसने समझौते की पालना नहीं की थी एवं संयंत्र व मशीनरी के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल को जमा करवाने पर सहमति दी। विक्रय प्रतिफल की राशि ₹ 6.80 लाख जमा की गई थी एवं निगम ने शेष देयताओं की वसूली हेतु धारा 31(ए) व (एए) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की थी जो कि न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दी गयी थी कि निगम को पहले धारा 29 के तहत कार्यवाही करनी चाहिये। हमने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रवर्तको की सम्पत्तियाँ ₹ 1.56 करोड़ पर मूल्यांकित की गई थी (अप्रैल 2009)। प्राथमिक व समानान्तर सम्पतियों की एमआरवी ₹ 22.59 लाख थी (सितम्बर 2011) एवं उधारकर्ता ने सितम्बर 2011 को ₹ 1.56 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष एसएलसी में हुये समझौते (मई 2012) की ₹ 18.09 लाख की सहमति राशि का भुगतान नहीं किया था, निगम ने जून 2013 तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी।

1 क्लोरिनेटिड पैराफिन वैक्स एण्ड एचसीएल एसिड।

सरकार ने कहा कि इकाई का अधिग्रहण किया गया था एवं एसएलसी द्वारा प्रस्तावित समझौता निरस्त किया गया था। तथ्य यही रहा कि निगम प्रवर्तकों की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद देयताओं की वसूली नहीं कर सका।

अनुराग प्लास्टो प्रॉडक्ट्स, जयपुर

निगम ने ₹ 59 लाख का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 1998) एवं जनवरी 2002 तक ₹ 56.22 लाख का वितरण किया। उधारकर्ता ने वर्ष 2002 से चूक करना प्रारम्भ कर दिया एवं निगम ने 2002-2005 की अवधि के दौरान धारा 30 के तहत अनेक नोटिस जारी किये। उधारकर्ता से ₹ 0.75 लाख का अन्तिम भुगतान 2004-05 में प्राप्त हुआ। इसके उपरांत मामला न्यायाधीन हो गया एवं उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जनवरी 2005) कि निगम इसके द्वारा बनाई गई नीति एवं कानून के प्रावधानानुसार विवाद का निपटान कर सकता है। एचओएलसी ने ₹ 2.33 लाख का दंड ब्याज माफ करने का प्रस्ताव दिया (मई 2006) परन्तु उधारकर्ता इस पर सहमत नहीं था। प्रधान कार्यालय से इस बारे में दिशानिर्देशों के अभाव में कि क्या इस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा कोई स्थगन था, इकाई अगस्त 2007 तक अधिग्रहित नहीं की जा सकी थी। उधारकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः एक आवेदन दायर किया (2011) जिस पर उधारकर्ता को दो माह की अवधि के भीतर ₹ 48 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया गया था (मार्च 2013) अन्यथा निगम सम्पत्ति को नीलाम किये जाने हेतु स्वतंत्र था। उधारकर्ता ने राशि जमा नहीं करवाई थी (जून 2013) एवं निगम ने भी नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

हमने देखा कि न्यायालय ने कभी भी नीलामी द्वारा वसूली कार्यवाही आस्थगित करने हेतु निर्देशित नहीं किया था परन्तु निगम ने न्यायालय द्वारा स्थगन का हवाला देकर अधिग्रहण करने में विलम्ब किया। अक्टूबर 2012 को, उधारकर्ता के विरुद्ध बकाया देयताएं ₹ 64.12 लाख (अधिग्रहण के पश्चात् से ब्याज को छोड़कर) थी।

सरकार ने कहा कि इकाई मुकदमेबाजी एवं न्यायालय के दिशानिर्देशों के कारण नीलाम नहीं की जा सकी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसे कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किये गये थे, जो इकाई को विक्रय किये जाने से रोकते हों। निगम ने विधिक प्रतिनिधि की राय को न्यायालय के दिशा-निर्देश के रूप में माना जो कि उचित नहीं था।

मुदगल एज्यूकेशन ट्रस्ट, दौसा

निगम ने ₹ 4.85 करोड़ के आवेदित ऋण के समतुल्य समानान्तर प्रतिभूति लेने के प्रारम्भिक निर्णय (फरवरी 2010) के विरुद्ध ₹ 4.85 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2010) के समक्ष मात्र ₹ 1.50 करोड़ की समानान्तर प्रतिभूति प्राप्त की एवं ₹ 4.36 करोड़ वितरित किये (जून 2011 तक)। साथ ही, शाखा प्रबंधक द्वारा आपत्ति करने एवं ऋण का दो बार (मार्च 2012 एवं मार्च 2013) एलडीआर को अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक बढ़ाकर पुनर्निर्धारण किये जाने के तथ्य के बावजूद निगम की देयताओं के पुनर्भुगतान में उधारकर्ता को सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिक सम्पत्ति के उच्च मूल्यांकन (मार्च 2013 में ₹ 6.87 करोड़) को ध्यान में रखते हुये ₹ 93.75 लाख मूल्य की समानान्तर प्रतिभूति मुक्त कर दी थी (जून 2013)। इसके अलावा, इकाई की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि 2010-11 के दौरान इसने मात्र ₹ 1.95 लाख का अल्प लाभ अर्जित किया था एवं उधारकर्ता प्रारम्भिक मूल पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार मूलधन राशि के पेटे ₹ 1.74 करोड़ के समक्ष जून 2013 तक केवल ₹ 29.90 लाख का ही भुगतान कर सका।

सरकार ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार पर्याप्त समानान्तर प्रतिभूति नहीं ली गई थी क्योंकि प्राथमिक सम्पत्तियों का मूल्य ऋण की सुरक्षा हेतु पर्याप्त था। साथ ही, प्रक्रिया के अनुसार पुनर्निर्धारण किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि निगम ने उधारकर्ता की वित्तीय व्यावहार्यता योजना को ध्यान में रखे बिना ही ऋण को दो बार पुनर्निर्धारित किया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उधारकर्ता ने पुनर्निर्धारण के पश्चात् भी चूक की थी।

केशव इंडिया लिमिटेड, भीलवाड़ा

उधारकर्ता द्वारा रीको से लिये गये ₹ 4.61 करोड़ के ऋण को उधारकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता का आंकलन किये बिना परिवर्तित (मार्च 2004) करने में निगम की ओर से लापरवाही थी क्योंकि उधारकर्ता इकाई ने रूग्ण औद्योगिक इकाई घोषित करने हेतु स्वयं को बीआईएफआर में पंजीकृत करवाया था (अप्रैल 2004)। निगम ने इकाई को ₹ 48.26 लाख का एक अन्य ऋण भी वितरित किया (मार्च 2004)। साथ ही, निगम ने लगातार चूकों एवं अक्टूबर 2004 से मई 2005 की अवधि के दौरान चैकों के अनादरण के बावजूद, इकाई को अधिग्रहित करने के बजाय ऋणों का पुनर्निर्धारण किया (अगस्त 2005)। पुनर्निर्धारण के पश्चात् भी लगातार चूक होने पर, इकाई को एसएआरएफएईएसआई[2] अधिनियम, 2002 के तहत अप्रैल 2008 में अधिग्रहित किया गया था। इकाई को नौ बार (अगस्त 2008 से अप्रैल 2013) नीलामी हेतु रखा गया था। सात नीलामियों के दौरान कोई बोलीदाता नहीं आया एवं दो अवसरों पर ₹ 2 करोड़ (फरवरी 2013) एवं ₹ 2.70 करोड़ (अप्रैल 2013) की उच्चतम बोलियाँ प्राप्त हुई थी। तथापि, निगम ने इकाई की एमआरवी, जो कि ₹ 5.74 करोड़ (अगस्त 2008) से ₹ 3.37 करोड़ (अप्रैल 2013) तक कम हो गयी थी, को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावों को अपर्याप्त मानते हुये इकाई का विक्रय नहीं किया था। इकाई का विक्रय नहीं हुआ (जून 2013) एवं मार्च 2013 को, अधिग्रहित अवधि के ब्याज को छोड़ते हुये उधारकर्ता से ₹ 6.88 करोड़ की वसूली लम्बित थी। इसके अलावा, निगम ने सम्पत्तियों की चोरी एवं विलम्बित बीमा के कारण ₹ 41.36 लाख की हानि भी वहन की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि निगम, आवेदनकर्ता के बीआईएफआर से सम्पर्क किये जाने के तथ्य से अवगत नहीं था। खाते को मानक श्रेणी में रखने हेतु ऋण का पुनर्निर्धारण भी किया गया था।

जय बालाजी सीमेण्ट लिमिटेड

निगम की एक रूग्ण इकाई को क्रय करने हेतु निगम ने ₹ 75 लाख का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया (जुलाई 1996)। उधारकर्ता ने कभी भी एक भी किश्त भुगतान नहीं किया परन्तु निगम ने भौतिक कब्जा लेने के बजाए धारा 29 एवं 30 के तहत केवल नोटिस जारी किये। तथापि, एचओएलसी ने समानान्तर प्रतिभूति एवं तृतीय पक्षकार गांरटी की अनुपलब्धता के कारण प्रकरण का निपटान ₹ 7.13 करोड़ की बकाया राशि (अप्रैल 2008 को) के समक्ष ₹ 96.94 लाख में किया (नवम्बर 2008)। इस प्रकार, प्रारम्भिक चूकों के समय भौतिक कब्जा लेने में निष्क्रियता एवं समानान्तर प्रतिभूति व तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना वितरण करने के कारण निगम को ₹ 6.19 करोड़ का त्याग करना पड़ा था। साथ ही, यदि प्रारम्भिक चूकों के समय ही भौतिक कब्जा ले लिया होता तो निगम अपनी सभी देयताओं की वसूली कर सकता था क्योंकि अगस्त 1998 को इकाई की एमआरवी ₹ 1.18 करोड़ थी, अधिदेय ₹ 0.36 करोड़ थे एवं बकाया देयताएं ₹ 0.92 करोड़ थी।

2 वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतियों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002.

सरकार ने कहा कि उधारकर्ता की सम्पत्तियाँ वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) द्वारा बंधंक हुई थी जिसके लिये निगम ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था (अक्टूबर 2000)। न्यायालय ने निगम के पक्ष में निर्णय पारित किया (अप्रैल 2008) परन्तु इसी समय प्रवर्तक ने ऋण के निपटान हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007) एवं एचओएलसी ने प्रकरण का निपटान किया (नवम्बर 2008)। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बारे में अवगत होने के बावजूद कि ऋण के समक्ष कोई समानान्तर प्रतिभूति एवं तृतीय पक्षकार गारंटी उपलब्ध नहीं थी, प्रारम्भिक चूकों के समय भौतिक कब्जा नहीं लेने के कारण निगम को ₹ 6.19 करोड़ का त्याग करना पड़ा था।

धनलक्ष्मी साइलियम प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जालौर

निगम ने इकाई का अधिग्रहण कर (मार्च 2003) ₹ 4.31 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 75.21 लाख में इकाई का विक्रय किया (मार्च 2006)। तत्पश्चात्, निगम ने प्रवर्तकों की ₹ 5.23 करोड़ मूल्य की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद, प्रकरण का निपटान ₹ 3.72 करोड़ की शेष बकाया राशि के समक्ष ₹ 80 लाख में किया (नवम्बर 2009)। इस प्रकार, धारा 32-जी के तहत कार्यवाही करने के बजाए समझौता किये जाने के कारण निगम ₹ 2.92 करोड़ की देयताओं की वसूली नहीं कर सका।

सरकार ने कहा कि समझौते की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी है। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि निगम ने प्रवर्तकों की सम्पत्तियों की पहचान करने के बावजूद धारा 32-जी के तहत कार्यवाही करने के बजाय खाते का निपटान कर दिया।

बी.आर. कॉन्ट्रेक्टर

निगम ने क्रय किये गये संयंत्र व मशीनरी के पूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹ 26 लाख की स्वीकृति (जुलाई 2002) के समक्ष मात्र ₹ 12.20 लाख का ऋण वितरण किया (मार्च 2003)। स्वीकृति एवं वितरण इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद किया गया कि प्राथमिक प्रतिभूति चल सम्पत्ति है एवं प्रस्तुत समानान्तर प्रतिभूति में से एक (गाँव में आवासीय घर) विक्रय योग्य नहीं था। उधारकर्ता ने प्रारम्भ से ही चूक की एवं निगम ने धारा 29 व 30 के तहत अनेक नोटिस जारी किये (नवम्बर 2003 से अक्टूबर 2004) परन्तु उधारकर्ता ने किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। निगम ने अधिग्रहण करने का भी प्रयास किया (दिसम्बर 2004) जो कि सम्बन्धियों के विरोध, मशीनों की संख्या एवं किराये पर खुली जगह के कारण क्रियान्वित नहीं हो सका। उधारकर्ता ने अधिदेय के पेटे ₹ 1.86 लाख का चैक जमा करवाया (दिसम्बर 2004) जो अनादरित हो गया था एवं अंततः ₹ 1.54 लाख की राशि का भुगतान नकद में किया (जनवरी 2005)। आगे की चूकों पर, निगम ने धारा 32-जी के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की (मार्च 2005)। जिलाधीश को आरओडी जारी की गयी थी (नवम्बर 2005) परन्तु यह जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई थी एवं निगम ने आरओडी पुनः जारी की (फरवरी 2007)। निगम ने उधारकर्ता की कृषि भूमि को 13 बार नीलामी में रखा (मार्च 2008 से जून 2012) परन्तु कोई भी बोलीदाता नहीं आया। तत्पश्चात्, भूमि की नीलामी हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे क्योंकि उधारकर्ता ने भूमि को अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया था। हमने देखा कि निगम ने, आवासीय घर के विक्रय योग्य नहीं होने के इसके स्वयं के आंकलन के बावजूद ऋण का वितरण करके, भूमि के अवैध हस्तान्तरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके, ओटीएस के तहत निपटान प्रस्ताव द्वारा अवसर प्रदान करके एवं धारा 32-जी के तहत प्रकरण का अनुसरण नहीं करके उधारकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया था। साथ ही, निगम ने वाणिज्यिक दुकानों के विक्रय हेतु धारा 29 के तहत कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की थी।

मार्च 2013 को उधारकर्ता से ₹ 1.29 करोड़ की वसूली लम्बित थी।

सरकार ने कहा कि स्थल पर कानून व व्यवस्था की समस्या के कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी (दिसम्बर 2004)। भूमि के अवैध रूप से उपहार में दिये जाने का तथ्य एसडीओ के नोटिस में लाया गया था परन्तु भूमि की उपहार डीड को निरस्त किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। एसएलसी ने उधारकर्ता की प्रार्थना पर प्रकरण का निपटान ₹ 12.14 लाख में कर दिया (11 सितम्बर 2013) एवं खाता बन्द कर दिया गया है। तथ्य यही रहा कि निगम ने सम्पत्तियों की पहचान के बावजूद ₹ 1.29 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष प्रकरण का निपटान ₹ 12.14 लाख में कर उधारकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया।

अनुबन्ध-17

(अनुच्छेद संख्या 4.5 में संदर्भित)

चयनित वृत्तों में उपभोक्ताओं का श्रेणी-वार विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वृत्त का नाम	पाली				कुल	जोधपुर शहर				कुल	बीकानेर				कुल	समग्र योग
उपभोक्ताओं की श्रेणी	एमआईपी	एसआईपी	मिक्स	एनडीएस		एमआईपी	एसआईपी	मिक्स	एनडीएस		एमआईपी	एसआईपी	मिक्स	एनडीएस		
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	636	4619	1091	28197	34543	854	2548	295	28347	32044	434	1756	402	2918	5510	72097
घटायें: उपभोक्ता जिनकी प्रारम्भिक सुरक्षा निधि शून्य है	84	983	42	8175	9284	279	637	30	8036	8982	41	195	34	331	601	18867
घटायें :विमुक्त उपभोक्ता एवं पर्याप्त सुरक्षा निधि वाले उपभोक्ता	157	1641	861	9250	11909	152	742	150	8180	9224	120	782	266	575	1743	22876
शेष उपभोक्ता, जिनकी सुरक्षा निधि अपर्याप्त है।	395	1995	188	10772	13350	423	1169	115	12131	13838	273	779	102	2012	3166	30354
सुरक्षा निधि की आवश्यकता (₹ करोड़ में)	3.15	1.50	0.37	3.21	8.23	3.53	1.14	0.59	8.74	14.00	2.11	0.55	0.21	0.82	3.69	25.92
उपलब्ध सुरक्षा निधि (₹ करोड़ में)	1.08	0.50	0.08	0.76	2.42	1.28	0.35	0.17	2.68	4.48	0.67	0.15	0.04	0.11	0.97	7.87
सुरक्षा निधि में कमी (₹ करोड़ में)	2.07	1.00	0.29	2.45	5.81	2.25	0.79	0.42	6.06	9.52	1.44	0.40	0.17	0.71	2.72	18.05

अनुबन्ध-18

(अनुच्छेद संख्या 4.12.2 में संदर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तरता के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद				प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं				दो से अधिक वर्षो से अनुपालना प्राप्त नहीं			
		पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(अ) सरकारी कम्पनियाँ													
1.	कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	वित्त क्षेत्र	3	22	75	29.88	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ढांचागत क्षेत्र	2	88	291	204.36	1	4	16	54.67	-	-	-	-
4.	निर्माण क्षेत्र	5	29	109	276.14	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	ऊर्जा क्षेत्र	7	331	1621	633.86	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	सेवा क्षेत्र	7	62	149	78.43	3	4	17	2.78	-	-	-	-
7.	विविध क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (अ)	**24**	**532**	**2245**	**1222.67**	**4**	**8**	**33**	**57.45**	-	-	-	-
(ब) सांविधिक निगम													
1.	वित्त क्षेत्र	1	50	135	433.93	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सेवा क्षेत्र	1	76	217	49.38	-	-	-	-	1	8	11	3.87
	योग (ब)	**2**	**126**	**352**	**483.31**	-	-	-	-	**1**	**8**	**11**	**3.87**
	कुल योग (अ+ब)	**26**	**658**	**2597**	**1705.98**	**4**	**8**	**33**	**57.45**	**1**	**8**	**11**	**3.87**

अनुबन्ध-19

(अनुच्छेद संख्या 4.12.2 में संदर्भित)

विभागवार ड्राफ्ट अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	विभाग का नाम	कम्पनी/निगम का नाम	निष्पादन समीक्षाओं की संख्या	ड्राफ्ट अनुच्छेदों की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	ऊर्जा	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	1	सितम्बर 2013
		अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	1	अक्टूबर 2013
2.	उद्योग	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	-	2	अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013
		राजस्थान वित्त निगम	1	-	अक्टूबर 2013
3.	पर्यटन	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1	-	अक्टूबर 2013
कुल			**2**	**4**	